सप्तम माला खंड 1 अंक 1

मंगलवार 1 दिसम्बर 1981

10 अग्राहायण, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 7, मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1981/10 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1—25
*तारांकित प्रश्न संख्या	121 से 123, 125, 127, 131, 133 और 134	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		25—225
*तारांकित प्रश्न संख्या	124, 129, 130, 132, और 135 से 140	25—35
अतारांकित प्रश्न संख्या	1381 से 1421, 1423 से 1453, 1455 से 1461, 1463 से 1518, 1520 से 1522, 1524 से 1525 और 1527 से 1610	36—225
सभा पटल पर रखे गये पत्र		225
नियम 193 के अधीन चर्चा के बारे में		227
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		228
कपास के लाभप्रद मूल्य के लिए किसानों द्वारा आन्दोलन		
श्री अर्जुन सेठी		228
श्री प्रणव मुखर्जी		229
श्री चित्त बसु		230
श्री रशीद मसूद		238
श्री उत्तम राठौर		242
श्री एस०बी० सिदनाल		245
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कार्यकरण सम्बन्धी समिति		248
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना		

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	249
(एक) दिल्ली से कन्याकुमारी तक सीधी एक्सप्रेस रेल सेवा की आवश्यकता	
श्री एन० डेनिस	249
(दो) गाजीपुर डेरी फार्म, दिल्ली के मवेशियों के मालिकों को सहायता की आवश्कता	
श्री भीकूराम जैन	250
(तीन) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निकट रोसा विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता ।	
श्री जितेन्द्र प्रसाद	250
(चार) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के कर्मचारियों को स्थाई बनाने की आवश्यकता ।	
श्री जायनल अबेदिन	251
(पांच) युवकों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण	
श्री हरिकेश बहादुर	251
(छः) मलेशिया को प्याज के निर्यात के सरणीकरण को समाप्त करना (डिकैनलाइजेशन)	
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	252
(सात) तिरुचिरापल्ली के निकट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कारखाने और छोटे हथियार बनाने वाले कारखाने के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित नियम का उदारीकरण	
श्री एन०सेलवाराजू	252
(आठ) मध्य प्रदेश के विनोद और विमल कपड़ा मिलों के कार्यकरण में सुधार किये जाने की आवश्यकता	
श्री सत्य नारायण जटिया	253
खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक	253
विचार करने का प्रस्ताव	
श्रीमती कृष्णा साही	253
प्रो० अजित कुमार मेहता	256
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	257

विषय	पृष्ठ
देश की अखंडता के विरुद्ध पृथकतावादी तत्वों के कथित षड़यंत्र से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा जारी	258
श्री समर मुखर्जी	258
श्री आर०एस० स्पैरो	264
श्री गिरधारी लाल डोगरा	260
श्री सूरज भान	272
श्रीमती गुरबिन्दर कौर बार	278
श्री बापूसाहेब परुलेकर	281
श्री रघुनन्दनलाल भाटिया	287
श्री भोगेन्द्र झा	291
श्री एच०के०एल० भगत	296
श्री नाथू राम मिर्धा	300
श्री राजेश पाइलट	303
श्री चित्त वसु	304
श्री चिरंजी लाल शर्मा	307
डा० फारूख अब्दुल्ला	310
श्री योगेन्द्र मकवाना	313
श्री चन्द्रजीत यादव	316
श्री जयपाल सिंह कश्यप	319
श्री राम विलास पासवान	321
श्री जैल सिंह	324

लोक सभा

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1981/-10 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बल्क ओषधियों का निर्यात

* 121. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा पिछले दो वर्षों में कौन-कौन सी बेसिक तथा बल्क ओषधियों का निर्यात किया गया और उनका मूल्य क्या है ;

(ख) क्या देश में औषधियों के उत्पादन और मांग में अन्तर है ;

(ग) यदि हां, तो भारत ने पिछले 2 वर्षों में किस प्रकार की औषधियों का आयात किया ; और

(घ) देश में औषधियों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान भारत से बाहर निर्यात किए गए अधिक महत्वपूर्ण बल्क औषधों और उनके एफ० ओ० बी० मूल्य दर्शाने वाला विवरण सलग्न है ।

(ख) जहां तक फार्मलेशनों (दवाइयों) का सम्बन्ध है, कैंसर-विरोधी फार्मलेशनों जैसे कुछ फार्मलेशनों को छोड़कर देश न्यूनाधिक रूप से आत्म-निर्भर है । जहां तक बल्क औषधों का सम्बन्ध है, पेनिसिलिन, आई० एन० एच०, थियासिटाजोन, पारा सिटामोल अनेक सल्फा औषधों ट्राइमेथोडिम, डाई-आयोडो हाइड्रोक्सीक्वीनोलाइन * आदि जैसे कुछ औषधों के सम्बन्ध

* टालबुटामाइड, आयोडो-क्लोरोहाइड्रोक्सीक्वीनोलाइन

में स्वदेशी निर्माण, मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है । तथापि टेट्रासाइक्लीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, डैप्सोन, क्लोरमेफनीकल,क्लोरोक्वीन आदि जैसे अन्य औषधों के मामले में स्वदेशी निर्माता देश माग को पूरी करने के लिये अभी पर्याप्त नहीं हैं । मिथाइल डोपा, विटोमिन वी० और रिफाम्पिसिन जैसे कुछ अन्य औषधों का स्वदेशी निर्माण नहीं है ।

(ग) वर्ष 1979-80 और 1880-81 के दौरान देश ने एन्टीबायोटिक्स (स्ट्रेप्टोमाइसीन, टेट्रासाइक्लीन, क्लोरमफेनीकल आदि), मलेरिया विरोधी ओषधों (क्लोरोक्वीन, फास्फेट, क्लोरोक्वीन सल्फेट), क्षयरोग निरोधी औषधों (इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन आदि) और मिथाइल डोपा, जैसे एन्टीहाइपरटेंशिव औषधों जैसे विभिन्न श्रेणियों के औषधों का आयात किया है ।

(घ) महत्वपूर्ण औषधों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वियन कर रहे हैं,

(2) भारतीय क्षेत्रीय कम्पनियों को बड़ी संख्या में डी० जी० टी० डी० पंजीकरणों स्वीकृत किए गए हैं । पिछले 3 वर्षों के दौरान बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए अभी क्षेत्रों को बड़ी संख्या में लाइसेंस और आशयपत्र जारी किए गए हैं,

(3) राज्यों संयुक्त उद्यम फार्मूलेशन यूनिट लगाने के लिए सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों को मन्जूरी दी गई है ।

(4) उन मामलों में जहां यह पाया जाता है कि जिन कम्पनियों को महत्वपूर्ण औषध के निर्माण के लिए आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे उन्होंने उनका कार्यान्वियन नहीं किया है, ऐसे अनुमोदनों को रद्द/वापस लेने की कार्यवाही की जाती है और इस प्रकार निर्गत क्षमता को नए आवेदनों को देने के लिए विचार किया जाता है । अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति नई औषध नीति के अनुसार दी जाती है,

(5) 4 सितम्बर, 1980 तक की स्थापित क्षनता को (कुछ शर्तों के साथ) मान्यता दी जा रही है ।

विवरण

(एफ० ओ० बी० मूल्य हजार रुपयों में)

आयातित बुनियादी/बल्क औषध	1979-80	1980-81
फोलिक एसिड	219.2	370.8
विटामिन सी	176.0	22.4
बरबिराइन हाइड्रोक्लोराइड	4,428.0	2,666.4
इफ्हीड्राइन हाइड्रोक्लोराइड	403.6	184.8
इमीटाइन एलकलाइड्स	2132.7	718.6

आयातित बुनियादी/बल्क औषध	1979-80	1980-81
इमीटाइन साल्ट	—	4,186.5
क्वीनोन हाइड्रोक्लोराइड	10,010.0	5,724.8
क्वीनोन सल्फेट	3,625.0	488.0
लवण और कुनैन एन० ई० एस० के० डेरिवेटिव	1487.0	998.7
स्ट्रेचीन एलकली/साल्ट्स	2970.1	372.4
लवण और नक्सवोमिका अल्केलायड/ बुसीन/स्ट्रइकनाइन के अन्य डेरिवेटिव	470.1	818.9
सल्फा ड्रग्स	6695.5	105.6

डा० कृपासिन्धु भोई : पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री पैट्रोलियम तथा उर्वरकों के उत्पादन वृद्धि के लिए कदम उठाने में अधिक सक्रिय और गतिशील हैं परन्तु रसायनों के मामले नहीं। मन्त्री देश को पैट्रोलियम तथा उर्वरकों की दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु रसायनों के मामले में नहीं। उनका यह रवैया मन्त्री द्वारा मेरे मित्रों के बहुत से प्रश्नों के दिए गए उत्तरों से स्पष्ट है।

(क) इसको ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि 'आयात बिल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा विदेशी मुद्रा का घाटा भी बढ़ता जा रहा है ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से जो कि भारत में कार्य कर रही है ऐसे अनुसंधान व विकास सम्बन्धी प्रयत्न करने के लिये क्यों नहीं कहा जाता जिससे वे उस प्रकार की प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर सकें जिसकी कि हिन्तुस्तान में कमी है। क्या सरकार ने 30 से अधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियो से उस तकनीकी को आत्मसता करने के लिए अनुसंधान व विकास विंग को भारत में लाने को सुनिश्चित किया है ?

(ख) क्या आयात किये जा रहे औषध के लिए आवश्यक तकनीकी बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां के पास उपलब्ध है और वे उसको भारत में अपनी शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों को देना नहीं चाहती ? यदि इसका उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहायक कम्पनियों तथा शाखाओं को ऐसे आदेश तथा निर्देश जारी करेंगे जिससे वे कमी पूरी करने के लिए ऐसी विकसित प्रौद्योगिकी अपनायें ?

मेरे प्रश्न का (ग) भाग यह है कि क्या भारत में बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों की ईक्विटी में कमी करने के लिए विदेशी मुद्राविनियम अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन से बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों की सहायक कम्पनियों, शाखाओं द्वारा भारत में आधुनि-

कतम प्रौद्योगिकी का आयात करने की समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि पूरक प्रश्नों की इस सूची का उत्तर दिया जा सकता है ?

डा० कृपासिन्धु भोई : मन्त्री बहुत ही सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न छोटा, सीधा तथा प्रासंगिक होना चाहिए।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि ईक्विटी में कमी के कारण कोई कठिनाई है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विनियमों का अनुसरण किया जा रहा है। एक या दो कम्पनियां कुछ आपत्तियां उठा रही हैं जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है। अन्यथा उनको 40 प्रतिशत ईक्विटी के स्तर तक आने के लिए कहा गया है। तथा उनमें से अधिकांश ने इसका पालन कर दिया है।

जहां तक प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ का एक निश्चित भाग भारत में अनुसंधान कार्य के लिए जुटाना होगा। निस्सन्देह दूसरे देशों में अनुसंधान कार्य के लिए निवेश किये गये धन की तुलना में यह राशि बहुत कम है फिर भी उन्हें कुछ धन अनुसंधान कार्य के लिए रखना होगा। और यह किया जा रहा है।

यह सत्य है कि पिछले वर्ष की तुलना में आयात 17 करोड़ रुपये परन्तु साथ ही साथ निर्यात भी लगभग 76 करोड़ रुपये का है। अतः आयातों तथा निर्यात के बीच अधिक अन्तर नहीं है। हम कुछ औषधों जैसे सल्फाडाईमाइन सल्फटामोल, सल्फाडाईजोन बिटामिन बी, सी, की कमी को अतिरिक्त लाईसैंस देकर तथा अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाकर दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 13 सामान्य नाम अपनाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आदेश जारी किये जाने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिया ? इसके फलस्वरूप देश में उत्पादन में गतिरोध आ गया है, तथा हृदय स्पन्दन रुक जाने पर प्रयोग किये जाने वाली डाइलेन्टाईन सोडियम जैसी औषध की कोई स्थानापन्न औषध नहीं है। सेप्ट्रोन तथा क्लोरोमाईसीटीन (पार्कडेविस) जैसी औषधी के निर्माण में भी गतिरोध आ गया है। इस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस गतिरोध को दूर करने तथा निषेधादेश को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि हाथी समिति की रिपोर्ट पर

निर्णय लिए जाने के पश्चात, भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहायक कम्पनियों तथा शाखाओं ने जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में कमी कर दी है तथा जो औषध जीवन रक्षक नहीं है उनका उत्पादन बढ़ा दिया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उनको जो औषधियां जीवन रक्षक नही हैं। उनके स्थान पर जीवन रक्षक औषधियों का अधिक निर्माण करने हेतु निर्देश देने के लिए कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री के द्वारा प्रश्न का उत्तर दिये जाने से पहले मैं सभा को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बार-बार (क), (ख), (ग) जैसे पूरक प्रश्नों की सूची तथा यह सब मैं पसन्द नहीं करता। मैं चाहता हूं कि केवल एक पूरक प्रश्न पूछा जाये और वह भी विषय से सम्बन्धित होना चाहिए। अन्यथा इसमें समा का बहुत अधिक समय लगता है। अगली बार मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। पूरक प्रश्नों के पूछने का यह तरीका नहीं है।

डा० सुब्रह्मणयम् स्वामी : मंत्री को भी छोटा उत्तर देना चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्ट कि कम्पनियों द्वारा महत्वपूर्ण औषधों के निर्माण में कमी की गई है, सही नहीं है। हां फाईजर श्रमिक-अशांति के कारण कुछ समय के लिए बन्द रहा था परन्तु अब इसने भी पुन: उत्पादन शुरू कर दिया है तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां भी बिक्री के लिए पर्याप्त उत्पादन कर रही है और वे उपलब्ध हैं।

श्री रामवतार शास्त्री : मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि सिथाइल डोपर' विटामिन बी 'और रिफाम्पिासिन, ये तीन दवाएं हमारे देश में नहीं बनती हैं। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन दवाओं का उत्पादन हमारे देश में हो, इसके बारे में आप ने कोई कार्यवाही की है और अगर की है, तो वह क्या है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इन औषधियों के मामले में क्षमता बढ़ाने के लिए जितने भी आवेदन हम प्राप्त कर रहे हैं हम उन पर शीघ्र कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य वश वे अभी तक उनका उत्पादन नहीं करपायी हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह पूरा जबाव नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : हमें औषधियों के मामले में शीघ्रतिशीघ्र आत्म निर्भर होने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री जेवियर अराकल : विकसित देशों में जो औषधियां प्रतिबन्धित हैं उनका इस देश में आयात किया जा रहा है तथा इन्हें वितरित किया जा रहा है। परसों भी इस विषय में समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपी थी। अत: मेरा सीधा सा प्रश्न यह हैं : जिन औषधियों पर दूसरे देशों में प्रतिबन्ध लगाया गया है सरकार उनके आयात तथा वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पिछले दिन भी यह प्रश्न पूछा गया था। हाल ही में एक रिपोर्ट

समाचार पत्र में छपी थी कि अतिसार नाशक औषधि 'लोमोटिल' जो कि हिन्दुस्तान में प्रयोग की जा रही है, कुछ बाहर के देशों में बन्द कर दी गयी है। इस प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्रालय तथा औषध नियन्त्रक को विचार करना होगा तथा इस औषधि के प्रतिकूल प्रभावों की शिकायतों की जांच करके इस सम्बन्ध में निर्णय भी उन्हीं को लेना होगा। इस समाचार की ओर हम स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान आकर्षिक कर चुके हैं तथा हम उनसे निवेदन कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप स्वास्थ्य मंत्रालय पर बल डाल रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : नहीं, यह उनकी जिम्मेदारी है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में गैस का मिलना

* 122. **श्री के. टी. कोसलराम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तटदूर क्षेत्रों में गैस मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अण्डमान द्वीप समूह अपतट में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने दो संरचनाओं में चार कुओं की खुदाई की है। प्रथम कूप में गैस निकली परन्तु उसी संरचना के दूसरे और तीसरे कूप शुष्क पाये गए।

दूसरी संरचना में खुदाई किया गया कूप शुष्क निकला।

श्री के० टी० कोसल राम : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि कुछ समय पहले हमारी माननीय प्रधान मंत्री पोट ब्लेयर गयीं थीं और उन्होंने वहां यह आश्वासन दिया था कि भारत सरकार अण्डमान के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी। उसके अनुसार अब आप कह रहे हैं कि प्रथम कूप में गैस निकली है तथा बहुत ही अच्छी गैस वहां पर उपलब्ध है। अब जब तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सशक्त कदम उठाकर अण्डमान के तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देता तब तक वहां के लोगों के लिए आश्वासनों तथा आशाओं पर जीने के अलावा कोई और उपाय नहीं है।

इस पृष्ठ भूमि में मैं निम्न प्रश्न उठाना चाहता हूं : प्रथम कूप के मामले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आगे क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? प्रथम कूप के लिए, जहां गैस निकली है, कितना धन आवंटित किया गया है ? इसका वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोग कब प्रारंभ होगा ? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने दूसरे कूपों के शुष्क निकलते ही प्रयत्न करना छोड़

दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयोग ने किसी दूसरी संरचना में तेल खोजने का कार्य प्रारम्भ किया है या इस सम्बन्ध में कोई और योजना बनायी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का भूगर्भीय नक्शा बना लिया है। इसके पश्चात जहां तक दूरतट क्षेत्रों का सम्बन्ध है जनवरी 1977 से मई 77 तक की अवधि में 35,000 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र का भूकम्पीय तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण एक ड्रोनर एक्सप्लोरट नाम को ठेके पर लिए गये पोत द्वारा किया गया था । यह एक अमरीकी पोत है तथा 5,72,272 डालर की राशि दी गयी है । इसके बाद विदेशी सर्वेक्षण पोत ठेके पर लेकर अप्रैल व मई 1979 में 1978 कि० मी० लाइन का दूसरा सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त किये गए आंकड़ों पर विचार किया गया है और इसके फलस्वरूप दो संरचनाओं 'गामा' तथा 'बीटा की खुदाई के लिए रूपरेखा बतायी गयी थी प्रथम संरचना में खोज सम्बन्धी खुदाई के लिए 'फ्रैंड्रिक्सबर्ग' नाम का ड्रिलपोत किराये पर लिया गया । प्रथम संरचना पोर्ट ब्लेयर के पूर्वोत्तर में लगभग 19 कि० मी० दूरी पर स्थित है। 'गैंटीसबर्ग' नामक एक दूसरी पोत भी किराये पर लिया है । पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पश्चिम में 160 कि० मी० की दूरी पर स्थित दूसरी संरचना में 4,088 मीटर का खुदाई कार्य पूरा कर लिया गया है । अतः अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों में अधिक गैस तथा यदि सम्भव हो तो तेल भी खोजने के हर सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री के० टी० कोसल राम : मेरा अगला पूरक प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री स्वयं प्रेस को बता रहे हैं कि कावेरी बेसिन में काफी गैस उपलब्ध है । मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर कितनी गैस मिलने की सम्भावना है इसकी खोज के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा उसके आवश्यक उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कावेरी बेसिन पर चले गये हैं । यह काफी लम्बी और बड़ी उछाल है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक कावेरी बेसिन का सम्बन्ध है, पाक जल-डमरू-मध्य में हमें तेल और गैस मिली है केवल एक कुएं में तेल मिला है । अब हमें और अधिक खोज करने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी । कुओं की वाणिज्यक लाभप्रदता सिद्ध करने के लिए लगभग 4 या 5 कुएं खोदने पड़ेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने पाया है सरकार उसके महत्व को नहीं जान सकी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी आशा है या जानकारी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, यह मेरा अनुमान है । तेल और गैस मिला है और वे उस पर कठोर परिश्रम कर रहे हैं । प्रश्न तो यह है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को केन्द्र द्वारा काला पानी के रूप में परम्परागत से उपेक्षा की जाती रही है । मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या उन्होंने अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह के लोगों के उपयोग की वस्तुओं उत्पादन करने के लिए इस गैस और तेल का उपयोग करने हेतु उर्वरक संयन्त्र, आदि लगाने जैसे समन्वित कार्यक्रम तैयार किए हैं। यदि इन कार्यक्रमों को चालू नहीं किया जाता है तो यह तेल और गैस किस काम के हैं। क्या आप इसे इतनी दूर द्वीप से ढोकर मुख्यभूमि तक लायेंगे या आप इसका उपयोग अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह के लिए उप-उत्पादों का उत्पादन करने में करेंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में गैस मिली है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद है। अतः इस गैस की वाणिज्यिक लाभप्रदता का पता लगाने के लिए कुछ और कुएं खोदने पड़ेंगे। निस्सन्देह यदि वाणिज्यिक लाभप्रदता का पता लग जाता है तो हम ऐसे कदम उठायेंगे कि इस गैस का उचित उपयोग हो और यह यूं ही जलकर नष्ट न हो जाए जहां तक तेल का सम्बन्ध है, यह अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं मिला है। हमें जो कुछ वहां मिला है, हमें उसकी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई पूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछिये।

श्री के० मायातेवर : तेल और गैस की जहां तक बात है मैं केवल अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा। मन्त्री महोदय इस सभा को बताते रहे हैं कि 1977-79 में खोज कार्य किया गया था।

यद्यपि मैं आपकी सरकार का समर्थक हूं, फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने जनवरी 1980 के बाद वहां कौन सा काम किया था। (व्यवधान) मैं जानता हूं कि भूतपूर्व सरकार को भारत की जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका है और उनके स्थान पर आपको सत्ता सौंप दी है। अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह के और आगे विकास हेतु और तेल की खोज के लिए आप अब और कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपका सुझाव है या प्रश्न ?

श्री के० मायातेवर : क्योंकि वहां की अधिकांश लोग तमिल हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अन्य बातों को भुलाते हुए। इस मुद्दे पर कम से कम जनता सरकार के पदचिन्हों पर चलते हुए गम्भीर कदम उठाए हैं।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जो कुछ काम जनवरी, 1977 और मई 1977 के बीच किया गया था, वह निरन्तर चलता आ रहा है। हमें अब चुम्बकीय और भूकम्पीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन मिल चुका है। प्रतिवेदन के निष्कर्षों को प्रति पादित किया जा रहा है उसके आधार पर, वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए, हमें वहां और कुएं खोदने होंगे। ऐसे अभिज्ञात क्षेत्र का विस्तार 8,000 से 10,000 कि० मी० तक है। स्वाभाविक है कि कार्य को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। फिर भी दिसम्बर, 1981 में, इसी मास हम खुदाई का और आगे कार्य शुरु कर रहे हैं।

दहेज प्रथा के बारे में रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रम

* 123. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दहेज प्रथा की कुरीति के बारे में वर्ष 1981 में कितने कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित किए गए और कितने दूरदर्शन कार्यक्रम टेलीविजन पर दिखाए गए ; और

(ख) ऐसे कार्यक्रमों का स्वरूप क्या था और उनमें भाग लेने के लिए किन किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा इस विषय पर 1981 में 291 कार्यक्रम टेलीकास्ट किए गए थे। आकाशवाणी में यह संख्या लगभग 2500 होगी।

इन कार्यक्रमों को दूरदर्शन से डाकुमेंट्रियों, नाटकों, टी० वी० फिल्मों, इन्टरव्यूओं, परिचर्चाओं, आदि और आकाशवाणी से विशेष श्रोतागण कार्यक्रमों, महिला/युवा कार्यक्रमों, शैक्षणिक प्रसारणों, ग्रामीण कार्यक्रमों/फीचरों, इत्यादि जैसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया था।

सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, कलाकारों, सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी अधिकारियों, इत्यादि जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मैं जान सकती हूं···

अध्यक्ष महोदय : महिला मन्त्री महिला सदस्य को उत्तर दे रही हैं।

श्री के० मायातेवर : विषय भी दहेज है।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : दहेज में दूरदर्शन भी दिया जा रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे आशा है कि डा०सुब्राह्मण्यम स्वामी भी इसको रोकेंगे।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : मैंने तो दहेज एक भी पाई नहीं ली है। मैंने तो केवल दिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दिया है तो यह भी तो अपराध है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में, जिसमें मैंने पूछा था कि ऐसे कार्यक्रमों में किन लोगों को आमन्त्रित किया गया था तो मन्त्री महोदय ने कुछ वर्गों का नाम गिनाया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस परिचर्चा और साक्षात्कार में क्या उन विख्यात महिला संगठनों को, जो दहेज के विरुद्ध लड़ने में आगे रहे हैं, आमन्त्रित किया गया था या

नहीं ? मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या काम-काजी महिला राष्ट्रीय महासंघ (जो इस क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है) को इस साक्षात्कार और परिचर्चा में आमन्त्रित किया गया था या नहीं।

इसी प्रकार मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोशिएसन और महिला समिति के प्रतिनिधियों को साक्षात्कार और परिचर्चा के लिए बुलाया गया था या नहीं।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : हमने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमन्त्रित किया है। हमने इस मामले पर संगठन-वार विचार नहीं किया था। मेरे पास यह सूचना नहीं है कि क्या उन संगठनों के लोगों को, जिनका उन्होंने यहां नाम गिनाया है, आमन्त्रित किया गया था या नहीं। यदि माननीय सदस्य नोटिस देंगी तो मैं सूचना एकत्र करके उन्हें दे दूंगा।

एक माननीय सदस्य : यह जानकारी दी जा सकती थी।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य स्वयं जानती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जानती हूं कि उन्हें नहीं बुलाया गया था इसलिए मैं यह पूछना चाहती थी कि यदि आमन्त्रित नहीं किया गया तो क्यों नहीं ? यदि मन्त्री महोदय मामले की छानबीन करेंगे तो वे पायेंगे कि बात यह नहीं है कि इन महिला संगठनों को बुलाया नहीं गया था। कुछ भी हो, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न इस प्रकार है।

क्या मैं यह जान सकती हूं कि दहेज को रोकने के लिए, विशेषकर इस विषय पर छात्रों में निबन्ध प्रतियोगताएं आयोजित करने के लिए सरकार आकाशवाणी की ओर से प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का विचार रखती है ? क्या मैं जान सकती हूं क्या आप आकाश वाणी की ओर से ऐसे विषय पर लड़के और लड़कियों में नियमित रुप से प्रतियोगितायें में आयोजित कराने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ? दूसरे मैं आपसे इस बारे में और पूछना चाहती हू कि क्या आप को पता है कि हमारे दूरदर्शन कार्यक्रमों में कभी-कभी समाचारों में आडम्बर पूर्ण विवाहोत्सवों का प्रदर्शन किया जाता है जहां ऐसे अवसरों पर हमारे कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उत्सव की शोभा बढ़ा रहे होते हैं ?

क्या मन्त्री महोदय इस प्रकार के आडम्बर पूर्ण विवाहों को दूरदर्शन पर दिखाने पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय :ऐसे विवाह बड़ी संख्या में होते हैं। यह ओछापन है। समाज और सदन को इस प्रकार के विवाहों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आडम्बरपूर्ण विवाह तो पहले ही हो चुके हैं। क्या उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किया जायेगा ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : जहां तक दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रमों में महाविद्यालय

संगठनों को भाग लेने के लिए आमन्त्रित करने की बात है मैं सहन को बता देना चाहती हूं कि दूरदर्शन अधिकारी प्राय: दिल्ली विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध सभी महा-विद्यालयों लिखते हैं और उनसे 25 मिनट तक के कार्यक्रम देने की तांग करते हैं। उसके बाद कार्यक्रम को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है और दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। सर्वोत्तम कार्यक्रमों को दोहराया जाता है इसके लिए हम इन महाविद्यालयों को सभी प्रकार कीसु विधाएं प्रदान करेंगे जिससे नई-नई प्रतिभाएं कार्यक्रमों में भाग ले सकें। माननीय सदस्य के दूसरे पूरक प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें प्रसन्नता है कि उन्होंने सुझाव दिए हैं और भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में हम इस पर ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्रियों में बारी-बारी से प्रश्नों का उत्तर देने में बड़ा सहयोग है।

श्री सत्य नारायण जटिया : दहेज प्रथा का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि बहनों को भीषण यातनाएं दी जाती हैं, उनके प्रति जघन्य अपराध किए जाते हैं। जिस प्रकार से समाज की अन्य बुराइयों के बारे में रेडियो से और टी० वी० से प्रसारण किए जाते हैं क्या उसी प्रकार से इसके बारे में भी किए जायेंगे ? जिस प्रकार परिवार नियोजन या अन्य कार्यक्रमों के बारे में प्रचार किया जाता है, दहेज को लेकर मानव के साथ जो अन्याय होता है इसके बारे में भी क्या उसी प्रकार के स्लोगन प्रतिदिन के प्रसारणों में सम्मिजित किए जायेंगे ?

श्री वसन्त साठे : ये किए जा रहे हैं। जैसे अभी बताया गया है काफी मात्रा में ये कार्यक्रम किए गए हैं। प्रतिदिन रेडियो और दूरदर्शन पर किसी न किसी रूप में यह बात की जाती है। लेकिन मैं मानता हूं कि और भी ज्यादा इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है और वह दिया जाएगा।

श्री जगपाल सिंह : दोनों सदनों की एक ज्वायंट कमेटी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पर बनी हुई है। आपने तमाम सोशल वर्कर्ज, आगेनाइजेशंज और इण्डिविजुअल्ज को बुलाकर उन को प्रोग्राम देने के लिए कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो ज्वायेंट कमेटी बनी हुई है उसको भी क्या आपने मौका दिया है रेडियो और टी० वी० पर या भविष्य में उस कमेटी को प्रोग्राम देने के लिए कहने का विचार कर रहे हैं ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि पार्लिमेंटरी कमेटी को कमेटी होने के नाते आप ऐसा करने की इजाजत देंग। लेकिन उसके जो सदस्ल हैं उनको अवश्य बुलाया जाता है और बुलाए जायंगे। कमेटी के नाते से उनको बुलाना मैं नहीं समझता हूं कि उचित होगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं यह जानना चाहती हूं कि 1981 में कितने विशिष्ट कार्यक्रम और परिचर्चा कार्यक्रम अर्थात संगीत सम्मेलन और मुशायेर प्रसारित किए गए और दूरदर्शन में दिखाये गये थे और क्या उन्हें सभी भाषाओं में प्रसारित किया गया था और दूरदर्शन में

दिखाया गया था ? जैसा कि परिवार नियोजन से सम्बन्धित प्रसारण और दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखने में आता है, 1981 में दहेज-प्रथा की बुराई के बारे में कितने नारे प्रसारित किए गए और दूरदर्शन पर प्रदर्शित किए गए ?

श्री वसन्त साठे : इसके लिए अलग से सूचना भेजने की आवश्यकता है। मैं जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

कोयले सम्बन्धी व्यवस्था की पुनरीक्षा

*125 **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री० वी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में कोयले सम्बन्धी समूची व्यवस्था की पुनरीक्षा कर रही है ;

(ख) क्या फजल समिति की यह भी एक मुख्य सिफारिश थी ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने फजल समिति की अब तक 80 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें अब तक किस हद तक क्रियान्वित कर दी गयी हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड को अभी हाल ही में यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि वह स्वीकृत सिफारिशों को लागू करे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : दो समितियां हैं, एक तो उप समिति है और दूसरी समिति श्री मोहम्मद फजल, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों समितियों ने क्या सिफारिशें की हैं, और क्या वे एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं या पूरक हैं।

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : फजल समिति ने 31 सिफारिशें की हैं कि मन्त्रीमण्डल ने इन 31 सिफारिशों में से 23 को स्वीकार कर लिया है, तीन को अस्वीकार कर दिया है और पांच सिफारिशें मन्त्रिमण्डल उप-समिति के विचाराधीन हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उपकरण की प्राप्ति की स्थिति इन सिफारिशों से कुछ सुधरेगी। मुझे यह बताया गया है कि कुछ कठिनाइयों के कारण

इसमें पर्याप्त विलम्ब होता है। यद्यपि मन्त्री महोदय बड़े ही कर्मठ हैं और कोयले के उत्पादन में लक्ष्य से बढ़कर 2 प्रतिशत की और वृद्धि हुई है—जो कि 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत हो गई है, तथापि उन्होंने कोलले की उपलब्धि में वृद्धि के लिए कौन से विशिष्ट कदम उठाए हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : यद्यपि मुख्य प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है फिर भी सदन के सूचनार्थ में बता देना चाहता हूं कि जहां तक स्वदेशी उपकरण का सम्बन्ध है, हम स्वदेशी स्रोतों से ही उपकरणों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि वे सप्लाई नहीं कर सकते तो फिर हम उसका आयात करने के लिए प्रयत्नशील हैं और यह उपकरण हमारे पास निश्चित समय पर पहुंच जायेगा।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों में गंभीर दुर्घटनाएं

*127 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री समर मुखर्जी : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में दिन प्रतिदिन घातक तथा गंभीर दुर्घटनायें बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) जनवरी से सितम्बर, 1981 की अवधि के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड की कोयला खानों में क्रमश: कितनी घातक तथा गंभीर दुर्घटनायें हुई ; और

(घ) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी नहीं। कोल इण्डिया लि. की सहायक कपनियों में कार्य उत्पादित प्रति मिलियन टन कोयले पर घातक दुर्घटनाओं की दर 1976 की 2.68 से घटकर 1980 में 1.33 रह गई और 1981 (सितम्बर तक) में यह 1.29 है। गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में भी, उत्पादित प्रति मिलियन टन कोयले पर दुर्घटना दर 1976 की 13.32 से घटकर 1980 में 11.15 रह गई और 1981 (सितम्बर तक) में यह 8.34 है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी से सितम्बर, 1981 की अवधि में घातक दुर्घटनाओं की संख्या 104 रही और इसी अवधि में गंभीर चोट लगने के मामलों की संख्या 671 है।

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं के कारण सामान्यतया जिन प्रक्रियाओं से सम्बन्धित हैं वह हैं—

ढुलाई, छत गिरना, मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग ; आदि ।

ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा से संबंधित नियमों और विनियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है । कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी समिति की सिफारिशें भी लागू की जा रही हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर अस्पष्ट है। मैं आपका ध्यान 15-8-1981 के कोल फील्ड ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं । इस समाचार में यह कहा गया है कि डी० जी० एम० एस० स्रोतों के अनुसार कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में इस वर्ष जनवरी से जून को अवधि के दौरान 64 घातक दुर्घटनाओं में 75 व्यक्ति मारे गये और अन्य 25 घायल हुए जबकि 1980 में इसी अवधि के दौरान 51 घातक दुर्घटनाओं में 62 व्यक्ति मारे गये और अन्य आठ गम्भीर रूप से घायल हुए थे । मैं यह जानना चाहता हूं गम्भीर रूप से घायल हुए 671 व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और पिछले वर्ष की इसी अवधि में जून से सितम्बर, 1980 की अवधि में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई और कितने गम्भीर रूप से जख्मी हुए । मैं मन्त्री महोदय से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री विक्रम महाजन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर उत्पादित मिलियन टन कोयले के अनुसार होगा । उदाहरण के तौर पर यदि आज हम कोयले का उत्पादन न करें तो घायल होने अथवा घातक दुर्घटनाओं का प्रश्न ही नहीं उठेगा । यदि हम लगभग 700 लाख टन कोयले का उत्पादन करते हैं तो इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिशत तो होगा । यदि 10 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जाता है, और दो व्यक्ति घायल हो जाते हैं, यदि हम 20 लाख टन कोयले का उत्पादन करते हैं, हो सकता है तीन व्यक्ति घायल हो जायें अत: उत्पादन स्तर से संबद्ध किए बिना यह कहना सही नहीं होगा कि घायल हुए व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है अर्थात साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि हुई है । इसीलिये मैंने घायलो का प्रतिशत बताया और साथ ही यह भी बताया है कि प्रति दस लाख टन पर इनकी संख्या में कमी आई है । अब इस बात पर ध्यान किए बिना कि क्या घायल होने बाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा नहीं माननीय सदस्य यह स्पष्ट तौर पर जानना चाहते हैं कि क्या उत्पादन में वृद्धि हुई है अथवा नहीं अब जहां तक वर्ष का1980 सम्बन्ध है, घातक चोटें 128 व्यक्तियों को और गम्भीर चोटें 1075 व्यक्तियों को लगी । सितम्बर 1981 तक जहांतक घातक चोटों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें 10 लाख टनों के अनुसारबता सकता हूं अर्थात 1980 में प्रति 10 लाख टन पर 1.34 से घट कर 1981 में 1.28 प्रति 10 लाख टन हो गया है इन पिलेछ दो वर्षों में जनवरी से अक्तूबर के दौरान की यह स्थिति है । यदि माननीय सदस्य प्रति 10 लाख टन के अनुसार आंकड़े नहीं चाहें तो मैं इस सम्बन्ध में सूचना बादमें दूंगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने उत्पादन की तुलना में दुर्घटनाओं के बारे में कभी नही

पूछा। मैं दुर्घटनाओं की संख्या, मौतों और गम्भीर चोटों के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता था। किन्तु उन्होंने यह प्रयास किया ···

श्री विक्रम महाजन : कृपया आप मेरे उत्तर के उप-पेरा (ग) को देखें। मैंने उसमें स्पष्ट रूप से आंकड़े दे रखे हैं। जनवरी से सितम्बर, 1981 के दौरान घातक दुर्घटनाओं की संख्या 104 है और इसी अवधि के दौरान 671 व्यक्तिगम भीर रूप से घायल हुए। मैंने आंकड़े दे रखे हैं ···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : किन्तु आपने यह नहीं बताया कि 671 में से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

श्री विक्रम महाजन : मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 104 घातक दुर्घटनाएं हुई हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यह उसका अन्त नहीं, आरम्भ है।

श्री विक्रम महाजन : ऐसा कैसे हो सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है। कि 104 घातक दुर्घटनाएं हुई हैं। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि छत गिरने से कितनी दुर्घटनाएं हुई और अनन्य कारणों से कितनी दुर्घटनाएं हुई तथा कितने मामलों में जांच पूरी की जा चुकी है और कितने मामलों में जांच रिपोर्ट के पश्चात सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन हुआ पाया गया है और उनका जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया ?

श्री विक्रम महाजन : मैं इस सम्बन्ध में 1981 के कुछ आंकड़े दे सकता हूं। 1981 वर्ष में इ० सी० एल० में 11-1-1981 को एक दुर्घटना हुई। इस क्षेत्र का नाम भजना था। इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गये और चार घायल हुए और इसका कारण छत का गिरना था। इस सम्बन्ध में 5 अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया और डी० जी० एम० एस० ने भी दो अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया। उनसे स्पष्टीकरण मांगे गये हैं और इस सम्बन्ध में कार्य-वाही की जा रही है। इसी प्रकार मेरे पास नौ अथवा दस मामले हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके लिये पढ़ देता हूं अथवा मैं उन्हें लिखित रूप में भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आप लिख कर भेज दो।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रश्न यह है कि कितने मामलों में जांच पूरी की जा चुकी है और कितने मामलों में कोलफील्ड के अधिकारी को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री विक्रम महाजन : अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं सब पढ़ देता हूं। तीन मामले छत गिरने के कारण हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप उन्हें पूरा ब्यौरा लिखकर दे देना।

श्री विक्रम महाजन : मैं यही कह रहा था कि जांच चल रही है। यदि मुझे इसे लिखित रूप में देने की अनुमति दी जाती है तो मैं इसे लिखकर भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें दुर्घटनाओं की संख्या तथा नियम भंग सम्बन्धी मामलों की संख्या के बारे में बता दें।

श्री विक्रम महाजन : मैं उन्हें दे दूंगा। मेर पास सूचना उपलब्ध है मुझे इसे देने में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें लिखित रूप में दे देना अब श्री समर मुखर्जी अपना प्रश्न पूछें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, आपको मुझे संरक्षण देना चाहिये। आप मेरे प्रति सदस्य क्यों नहीं है ? इसमें कर्मचारों के जीवन का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये वे सारा ब्यौरा आपको दें देंगे। किन्तु उन्हें यहां पढ़ने में बड़ा समय लग जायेगा। मैं आपका समर्थन कर रहा हूं और यह कह रहा हूं कि वे आपको सारे आंकड़े दे देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कितने मामलों में सुरक्षा सम्बन्धो नियमों का उल्लंघन किया गया हैं ? इसका उन्हें उल्लेख करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये ही मैंने उन्हें आपको आंकड़े देने के लिये कहा है।

श्री विक्रम महाजन : मैं आपको आंकड़े बाद में दे दूंगा। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह उन मामलों की संख्या जानना चाहता हैं जिनमें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है।

श्री विक्रम महाजन : यह संख्या काफी अधिक है और कुछ मामलों में जांच चल रही है और इसके लिये कोई भी, उत्तरदायी नहीं है किन्तु मुझे प्रत्येक खान के लिये पढ़ कर सुनना पड़ेगा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको आंकड़े दे देंगे।

श्री समर मुखर्जी : प्रश्न से आप यह समझ सकते हैं कि दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है। खान सुरक्षा निदेशक द्वारा उपउब्ध किये गये तुलनात्मक आंकड़े हमारे सामने हैं। इसमें पिछले वर्ष जनवरी से जून की अवधि के आंकड़े ये हैं। 62 व्यक्ति मारे गये और 64 घातक दुर्घटनाएं हुई। मैं इसमें से पढ़ रहा हूं

> "कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत कोयला खानों में खान सुरक्षा महा-निदेशालय के रिकार्ड के अनुसार इस वर्ष जनवरी से जून तक के छः महीनों की अवधि में

पिछले वर्ष में इसी अवधि की तुलना में घातक दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है जिसमें मृत्यु दर भी अधिक हो गयी हैं। इन स्रोतों के अनुसार, कोल इंडिया की सभी सहायक कम्पनियों में इस वर्ष जनवरी से जून की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 51 घातक दुर्घटनाओं में 62 व्यक्तियों की मृत्यु और 8 अन्य व्यक्तियों को आई गम्भीर चोटों की तुलना में 64 घातक दुर्घटनाओं में 78 व्यक्ति मारे और 28 अन्य व्यक्तियों को गम्भीर आई।"

अब प्रश्न यह है कि उनमें वृद्धि हुई है अथवा नहीं। वह स्पष्ट उत्तर देने से कतरा रहे हैं। टनों में दिये गये कोयले के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े जिनसे यह दर्शाया गया है कि दुर्घटनाओं में कमी आ रही है, जाता हैं। दुर्घटनाओं का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं। यहां पर भी यही प्रश्न उठता है कि इन दुर्घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं प्रश्न में इन दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में पूछा गया है तथा साथ ही यह भी पूछा गया है। कि सरकार ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कौन से कदम उठाये हैं। मुख्य प्रश्न यह है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दुर्घटनाओं की दर में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। आपको हां या ना में उत्तर देना चाहिये और न कि उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े। दूसरी बात यह है कि उनमें वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं। और उन्हें रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं? यह एक स्पष्ट प्रश्न है।

श्री विक्रम महाजन : जैसा कि मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में पहले बताया है, मुझे इसे पुनः दोहराना तथा पढ़ना पड़ेगा।

"कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियों में उत्पादित प्रति मिलियन टन कोयले पर घातक दुर्घटनाओं की दर 1976 की 2.68 से घटकर 1980 में 1.33 रह ग और 1981 (सितम्बर तक) में यह 1.29 है।"

अध्यक्ष महोदय : वह यह कहना चाहते हैं कि चूंकि उत्पादन मिलियन टनों में बढ़ गया है इसलिये दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

श्री समर मुखर्जी : मैं सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री विक्रम महाजन : 1981 में (सितम्बर तक) यह 1.29 है। अतः दुर्घटनाओं की दर में अभी आयी है। अतः उनमें कमी करने और कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण का एक यह भी कारण था कि हम कर्मकारों की सुरक्षा चाहते थे। इसलिए हम कदम उठा रहे हैं। उन्होंने एक सुरक्षा समिति का गठन किया है। सुरक्षा समिति ने कुछ सिफारिशें दी हैं और उनमें से कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन भी किया जा चुका है। कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है और शेष अन्य सिफारिशों का भी कार्यान्वयन किया जायेगा और दुर्घटनाओं में कमी आने का यह भी एक कारण है।

श्री समर मुखर्जी : आप चासनाला दुर्घटना के बारे में जानते हैं। मैं वहां स्वयं गया था और वहां "पंक्चर प्वांइट" तक गया था।

श्री विक्रम महाजन : इसका इस्पात मन्त्रालय से सम्बन्ध है, हमारे मन्त्रालय के साथ नहीं।

श्री समर मुखर्जी : गम्भीर दुर्घटनाए कैसे होती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के कारण होती हैं।

श्री समर मुखर्जी : खान सुरक्षा के निदेशक भी मेरे साथ थे। उन दोनों ने मुझे अलग-अलग तरह का स्पष्टीकरण दिया क्योंकि उस समय संसद का अधिवेशन चल रहा था और श्री इन्द्रजीत यादव उस समय मन्त्री थे। यहां पर बहस हुई। शिकायत यह है कि खान प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण से अनेक दुर्घनाएं होती हैं। यह मेरा प्रश्न है। "बिजनेस स्टेन्डर्ड" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं 40 से 60 प्रतिशत तक छत से गिरने के कारण हुई, और मुख्य छत को सहारा दिया बिना कोयला काटा जाता है। इससे छत गिर जाती है। लोगों की सुरक्षा के प्रश्न को पूरा महत्व नहीं दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हुआ कि हमें सुरक्षा नियमों को सुदृढ बनाना चाहिए और उसके परिणामों का भी ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी : अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इसकी जाँच की है और इन दुर्घटनाओं के कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको उन नियमों को अधिक सख्ती से लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए।

खर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : यह बात उल्लेखनीय है कि कोयला खान सम्बन्धी सुरक्षा समिति ने इसके लिए 10 लाख टन कोयले का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम ऐसा कर रहे हैं, बात ऐसी नहीं, कोयला खान सुरक्षा नियम.....

अध्यक्ष महोदय : वे कहना चाहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसके साथ दूर्घटनाएं ...

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : वैसा होना स्वभाविक ही है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए उत्पादन में कमी हुई है। लेकिन आपको श्रमिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : हम ऐसा करते आ रहे हैं। उनकी कई सिफारिशें हैं और हम उन सिफारिशों के कार्यान्वित कर रहे हैं। लेकिन इन घातक दुर्घटनाओं का

आखिरी उत्तर भूमिगत खानों का सम्पूर्ण यंत्रीकरण है, उनकी रक्षा किसी और तरीके से नहीं हो सकती । यदि आप इन घातक दुर्घटनाओं को पुर्णत: समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भूमिगत खानों का पुर्णत: यंत्रीकरण करना पड़ेगा । जब तक हम ऐसा न करें तो ये दुर्घटनाएं होती ही रहेंगी । इस समय हम यही कोशिश कर रहे हैं कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो ।

श्री समर मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय मुझे एक स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें । उनके उत्तर के अनुसार अधिक उत्पादन के साथ-साथ अधिक दुर्घटनायें भी होती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बिना यंत्रीकरण के ये क्या कर सकते हैं ?

श्री समर मुखर्जी : तब तो हम निश्चित रूप से यही समझ सकते हैं कि यदि उत्पादन अधिक हो तो दुर्घटनाएं भी अधिक होंगी ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं आपको इन्हें कम करने की कोशिश करनी चाहिए .

श्री समर मुखर्जी : और इसमें वृद्धि होती जायेगी । यही तर्क है ।

उपग्रह के माध्यम से कार्य करने के लिए आकाशवाणी के केन्द्रों की स्थापना

*131. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपग्रह के माध्यम से कार्य करने के लिए सरकार ने आकाशवाणी के कुछ अधिक केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) और (ख) केवल उपग्रह के माध्यम से ही कार्य करने के लिए नए रेडियों स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, आकाशवाणी ने अप्रैल 1982 में छोड़े जाने वाले "इनसेट" के माध्यम से वर्तमान सभी आकाशवाणी केन्द्रों की नेटवर्किंग की योजना बनाई है । इसके परिणामस्वरूप और मद्राह, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में उपग्रह के साथ उपलब्ध की जाने वाली अपलिंकिंग सुविधाओं के माध्यम से इन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को उपग्रह के माध्यम से अन्य सभी केन्द्रों द्वारा रिले किया जा सकता है । स्थापित किए जाने वाले नए केन्द्रों में रिसीवर सुविधाएं भी होंगी ।

श्री अर्जुन सेठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि नये स्टेशन स्थापित किए जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि 1982 में "इनसैट" उपग्रह को छोड़े जाने से पहले स्टेशन कहां-कहां स्थापित किए जा रहे हैं ।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : केवल "इनसैट के लिए कोई भी नये स्टेशन नहीं स्थापित किये जा रहे हैं । सभी वर्तमान स्टेशन "इनसैट" का उपयोग करेंगे । 85 नियमित तथा प्रसारण स्टेशनों सहित सभी 94 स्टेशन इसका उपयोग करेंगे ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया द्वारा तट दूर क्षेत्रों में तेल की खोज

*133 **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इन्डिया ने तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज का एक बृहत कार्यक्रम तैयार किया है और उन्हें पूर्वोत्तर बैल्ट में अधिक तेल मिलने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

(क) जी हां, देश में तेल की खोज और उत्पादन के लिए एक महत्वाकांक्षी पचवर्षीय योजना तैयार की गई है ।

(ख) 1— अपतटीय

(I) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०)

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई अपतटीय बेसिन में तेल के खोज के कार्य को जारी रखेगा और इसका किस्तार गहरे पानी में करेगा । इसने कच्छ की खाड़ी में सौराष्ट्र की अपतटीय संरचनाओं में, अन्डमान निकोबार कगार (शेल्फ) और इसके साथ पूर्वी समुद्री तट के बेसिनों में जैसे पाक वे तथा कृष्णा-कावेरी बेसिनों में भी तेल की खोज करने का प्रस्ताव दिया है । छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 95 अन्वेषी कूपों का व्यधन करने के लिए प्रयोग में लगायी गई अपतटीय रिगों की संख्या बढ़ाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की योजनाएं हैं ।

बम्बई हाई क्षेत्र के विकास को तीव्र गति देने के अतिरिक्त, आर-12 दक्षिण बेसिन और उत्तरी बेसिन क्षेत्रों बी० 37, बी०-39 संरचना नामक अन्य संरचनाओं का विकास भी योजना अवधि के दौरान जारी रखा जाएगा ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक त्वरित योजना पर भी लगा हुआ है जिससे वर्ष 1981-82 के 8.4 मिलियन मी० टन के स्तर से वर्ष 1984-85 में 19.12 मिलियन मी० टन के स्तर तक उत्पादन को बढ़ाया जाये ।

इसका यहां उल्लेख किया जा सकता है । कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी हाल में दो नई संरचनाओं बी० 57, जो बम्बई हाई क्षेत्र के पूर्वी भाग से लगभग 35 किलो-

मीटर पर है और पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए और कूओं को खोदे जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है।

(2) आयल इन्डिया लिमिटेड (ओ० आई० एल०)

आयल इन्डिया लिमिनेड ने महानदी बेसिन अपतट में 1200 किलोमीटर क्षेत्र में वायु चुम्बकीय और भूभौतिक/भूकम्पीय सर्वेक्षण किये हैं। इस क्षेत्र में दो कूपों को खोदा गया है परन्तु इनसे हाईड्रोकार्बन्स प्राप्त नहीं हुई। नए व्यर्धन स्थानों का पता लगाने के लिए परामर्श दाताओं की सहायता से इन सर्वेक्षणों में एकत्र किए गए आंकड़ों की पुनः व्याख्या की जा रही है।

(2) उत्तर पूर्वी बेल्ट

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ओर नागालैंड में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों को जारी रखने के लिए प्रस्ताव दिया है और असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भूभौतिकी सर्वेक्षणों को जारी रखने के लिए प्रस्ताव दिया है। असम में नये क्षेत्रों अर्थात घनसिटी घाटी तथा नागा तराईयों में अन्वेषी व्यधन कार्य का विस्तार किया जायेगा। व्यधन कार्यत्रिपुरा में और असम में कछार क्षेत्रों में जारी रहेगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आगामी कुछ वर्षों में तेल के उत्पादन को लगभग 4 मी० टन प्रतिवर्ष पहुंचाने और लगभग शताब्दी के अन्त तक उक्त स्तर को कायम रखने की सम्भावना की जांच कर रहा है।

(2) आयल इन्डिया लिमिटेड : आयल इन्डिया लिमिटेड ने योजनाएं तैयार की हैं जिनमें त्वरित व्यधन और विकसित और नए क्षेत्रों में 3 07 मी० टन प्रति वर्ष की दर से उत्पादन करने और लगभग शताब्दी के अन्त तक उक्त स्तर को कायम रखने के लिए कार्य समाप्ति के प्रयास परिकल्पित किए गये हैं। अरुणाचल प्रदेश में अपने रिआयती क्षेत्र का अन्वेषण और विकास करने के लिए योजनाएं भी तैयार की गई हैं।

श्री बीरभद्र सिंह : मन्त्री महोदय ने अपने विवरण में तेल तथा गैस आयोग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा देश में तेल की खोज हेतु किए जा रहे कार्य कीतेएक अच्छी तस्वीर पेश की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तेल की खोज के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई भूगर्भीय तथा भूभौतिकी सर्वेक्षण किये गए हैं और यदि हां तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं और क्या इस क्षेत्र में अब तक खोज सम्बन्धी कोई खुदाई कार्य शुरू किये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : हमने ज्वालामुखी क्षेत्र की खुदाई की थी लेकिन दुर्भाग्यवश तेल का वहां कोई पता नहीं चला। अब हमने तेल तथा गैस आयोग के इस क्षेत्र का भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिए कहा है और भूकम्प सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि क्या काई नया काम शुरू किया जा सकता है।

श्री बीरभद्र सिंह : देश के वर्तमान तेल उत्पादन तथा नये तेल के कूओं के सम्भावित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए में जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक तेल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने की आशा रखती है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसकी भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है लेकिन उत्पादन के वर्तमान कार्यक्रम के आधार पर हम बम्बई हाई से 191 लाख 20 हजार टन और 1 करोड़ 50 हजार टन का उत्पादन आसाम और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्री से करेंगे और कुल उत्पादन 3 करोड़ टन के करीब होगा जो हमारी जरूरत का 0 से 75 प्रतिशत तक होगा । हमने पाक जलडमरु मध्य तथा बम्बई हाई के पूर्व में नये स्ट्रकचर्स बी-57 से भी तेल का पता लगाया है और यदि ये तेल के कूयें बाणिज्यिक दृष्टि से लाभदायक पाये जायेंगे तो हमारे तेल के उत्पादन में बृद्धि होगी ।

श्री जनार्दन पुजारी: क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सोवियत संघ ने तेल खोज के लिए भारत की सहायता करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो उनकी सहायता किस रूप में होगी ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : भारत ने कल ही सोवियत संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं और यह एक व्यापक करार है । हम इस प्रश्न को प्राथमिकताओं के आधार पर लेंगे और अगले डेढ़ या दो वर्षों के दौरान 40 जर्मन विशेषल भारत आयेंगे और फिर हम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के कुछ भागों को भी लेंगे और बाद में गुचरात के कुछ कूओं में सुधार करेंगे । वे कुछ उपकरण भी देंगे और हमारे भारतीय वैज्ञानिक तथा तकनीशियन भी वहां प्रशिक्षण के लिए जायेंगे ।

श्री चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में डाक टिकट जारी किया जाना

*134. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के महान शहीद श्री चन्द्र शेखर आजाद की स्मृति में अब तक डाक टिकट जारी न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान किन व्यक्तियों के सम्मान में डाक-टिकट जारी किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार स्वतन्त्रता आन्दोलन में अपनी आहूति देने वाले क्रांतिकारियों की स्मृति में डाक टिकट जारी करने पर विचार कर रहीं है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) श्री चन्द्र शेखर आजाद तथा अन्य स्वतत्रता सेनानियों सहित देश के महान शहीदों के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के प्रस्तावों पर डाक टिकट सलाहकार समिति की एक उप समिति द्वारा विचार

किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मारक डाक टिकट प्रतिवर्ष चरणबद्ध ढंग से जारी हों।

उन व्यक्तियों के नाम जिनके सम्मान में 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान डाक टिकट जारी किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1981-82 के दौरान जिन व्यक्तियों के सम्मान में डाक टिकटें जारी की गई, उनके नाम दर्शाने वाला अनुबंध

क्र० सं०	महापुरुष का नाम
	1980-81
1.	के० सी० सेन
2.	छत्रपति शिवाजी महाराज
3.	एन० एम० जोशी
4.	उल्लूर एस० परमेश्वर अय्यर
5.	एस० एम० जामिन अली
6.	हेलन केलर
7.	प्रेम चन्द
8.	मदर टेरेसा
9.	द अर्ल माउंटबेटन आफ बर्मा
10.	राजा अन्नामलै चेट्टियार
11.	जयप्रकाश नारायण
12.	ध्यान चन्द
13.	एम० ए० अन्सारी
14.	मजहरुल हक
15.	जी० बी० मावलंकर
	1981-82
16.	हैनरी वान स्टीफन

क्र० सं०	महापुरुष का नाम
17.	नीलमणि फूकन
18.	संजय गांधी
19.	बेल्लरी राघव
20.	के० पी० जायसवाल (27-11-81)

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के पीछे मेरी भावना यह है कि स्वतन्त्रता संग्राम में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करना है और इसके बारे में सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये। जो सूची उन्होंने पिछले वर्ष पेश की है, जितने टिकट जारी किए हैं, उस सूची को मैंने देखी है। चन्द्रशेखर आजाद और अन्य शहीदों ने जो आजादी में अपने प्राण गवाये हैं, उस सूची में नाम बहुत कम हैं, इसलिए मेरा कहना है कि क्या सरकार की कोई इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आए हैं, उन पर स्टैम्स एडवाइजरी कमेटी ने कोई निर्णय लिया है ?

श्री कार्तिक उरांव : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं और अगर कोमैमोरेटिव स्टैम्प नहीं निकलता है तो इसका मतलब निरादर नहीं है। 20 अगस्त को फिलैटेलिक कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें यह फैसला हुआ था कि सब कमेटी बनायें तथा उस सब-कमेटी ने एक वर्किंग, ग्रुप बनाया। इस वर्किंग ग्रुप ने देखा था कि कितने फ्रीडम-फाइटर के कोमैमोरेटिव स्टैम्स निकल चुके हैं और कितना एस्टीमेट है—इन सब पर गौर किया। हम लोग खास वर्ष में कुछ ही स्टैम्स रीलीज कर सकते हैं, उसका लिमिटेशन्स है, प्रेस लिमिटेशन है और नम्बर लिमिटेशन है।

श्री रामावतार शास्त्री : कोई लिमिटेशन नहीं है।

श्री कार्तिक उरांव : लिमिटेशन तो जरूर है और बहुत ज्यादा रिकमेंड करने के बाद हम उसको कर नहीं सकते हैं, तो क्या फायदा है। 30-10-81 को गौर हुआ है और सैट हो गया है 35 स्टैम्स रीलीज होगी और अतिरिक्त नाम उसमें रखे नहीं जा सकते हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : जो प्रश्न मैंने पूछा है, उसके पीछे एक कारण है। अर्द्ध-शती पर मांग की गई थी और ऐसा मौका था कि जिस पर टिकट निकाला जा सकता था। श्री चन्द्र शेखर आजाद, जिस पर देश को गर्व होना चाहिए, ऐसे महान व्यक्ति थे, ऐसे महान व्यक्ति पर टिकट निकालने का निर्णय न ले पाये, यह दुर्भाग्य या सौभाग्य की बात और क्या होगी। इस निर्णय को लेने में विलम्ब नहीं करना चाहिये और देश की भावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाना चाहिए और क्या सरकार इस पर निर्णय लेगी ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : जैसे कि मेरे सहयोगी ने कहा श्री चन्द्रशेखर

आजाद की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने के औचित्य तथा आवश्यकता के बारे में कोई मतभेद नहीं है। वास्तव में स्थिति यह है मार्च 1981 में फांसी चढ़ाये गये भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरू तथा अन्य क्रांतिकारियों की 50 वी वर्ष गांठ के अवसर पर प्रश्न उठा कि उन्हें कैसे सम्मानित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास सूची होनी चाहिए — उधम सिंह, मदनलाल ढिंगरा।

श्री सी० एम० स्टीफन : उनमें से सभी। हमने निर्णय लिया कि 23 मार्च, 1981 के उसी विशेष दिवस पर शहीद टिकट के रुप में एक डाक टिकट जारी किया जाये। सूचना पत्र तथा तत्सम्बन्धी टिप्पणी में हमने इन सब शहीदों के नामों का उल्लेख किया। तद्नुसार हमने एक डाक टिकट जारी किया। उस घटना की स्मृति में यह एक विस्तृत डाक टिकट था। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई क्योंकि यह विचार आया कि स्वतन्त्रता संग्राम को एक के बाद एक कई डाक टिकट जारी करके चित्रित किया जाये। उस उद्देश्य से जब वह मामला सामने आया तो मैंने स्वयं समिति को सुझाव दिया और एक उपसमिति का गठन किया गया। उन्होंने अब अपना प्रतिवेदन दे दिया है। (अब वे इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न चरणों में विभाजित कर 1957 के विद्रोह से इसे आरम्भ कर धार्मिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विद्रोह···

अध्यक्ष महोदय : इसे शुद्ध कर 1857 कीजिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने भी वही कहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने 1957 कहा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : 1857 का शुरू का स्वतन्त्रता विद्रोह। मैंने यही कहा था। वहां से शुरू करके, बाद के क्रांतिकारियों में श्री चन्द्रशेखर आजाद का नाम दूसरे स्थान पर है। उनका नाम श्रेष्ठता की दृष्टि से काफी ऊंचा है। श्री चन्द्रशेखर आजाद के नाम का डाक टिकट जारी किया जायेगा। लेकिन हम इन टिकटों को चरणबद्ध तरीके से जारी कराना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भिन्नभिन्न क्षेत्रों में तेल निक्षेपों की संभावनाएं

* 124. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या पेट्रोलिएयम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) कावेरी तटदूर ब्लाक (उत्तरी ताक जल डमरुमध्य) ; (दो) बम्बई हाई के पूर्व में, (तीन) त्रिपुरा ; (चार) नागालैंड और (पांच) गोदावरी डेल्टा में तेल-निक्षेपों की क्या-क्या सम्भावनाएं है ;

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों में कार्य करने के लिए खोज के स्वदेशी उपकरणों का किस हद तक उपयोग किया जा रहा है और विदेशी विशेषज्ञता तथा तकनीकी सहायता पर किस हद तक निर्भरता है ; और

(ग) इस मामले में पूर्णतया आत्म-निर्भर होने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) उत्तरी जलडमरू मध्य तथा बम्बई हाई के पूर्व की संरचनाओं में तेल निक्षेपों की उत्पादन सम्भावनाओं के बारे में ठीक ठीक पता तभी लगेगा जब इन क्षेत्रों में कुछ और कूपों का व्यधन किया जायेगा।

नागालैंड में चैमपेंग संरचना में अभी तक तीन कूपों का व्यधन किया गया है। तीनों कूपों में तेल प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त कूपों के व्यधन की योजना है।

अभी तक त्रिपुरा में तथा गोदावरी डेल्टा में तेल प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कृष्ण-गोदावरी बेसिन में व्यधन किए गए प्रथम अपतटीय कूप में तेल और गैस पाई गयी है।

(ख) इन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों की खोज के लिए लगभग सभी उपकरण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सोवियत संघ, रोमानिया, अमेरिका तथा अन्य पश्चिम यूरोपीय क्षेत्रों से प्राप्त किये गए हैं। तथापि, तटीय गोदावरी क्षेत्र में व्यधन प्रचालन वी० एव० ई० एल० द्वारा निर्मित देशी रिगों को लगाकर किया जा रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग विदेशी विशेषज्ञता तथा तकनीकी सहायता का प्रयोग केवल प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षेत्रों में करता है।

(ग) छठी योजना अवधि के अन्त में, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा मिलकर लगभग 30 मि० मी० टन तेल तथा 4 मि० मी० टन तेल के समतुल्य गैस का उत्पादन किये जाने का अनुमान है जो कि अनुमानतः हाइड्रोकार्बनों की कुल आवश्यकता का लगभग 70 प्रतिशत है। उत्पादन के बढ़ाने के लिए किये जा रहे उपाय इस प्रकार है: तटीय क्षेत्रों में विद्यमान रुग्ण कूपों की मरम्मत करके उनके द्वारा उत्पादन शुरू करना ; उत्तर गुजरात क्षेत्रों में मूल रूप में विचारे गये उत्पादन और वृद्धि करना ; बम्बई हाई तथा इसके पास के अपतटीय क्षेत्रों में अशोधित तेल तथा गैस के त्वरित कार्यक्रम तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए नई वृद्धिशील प्रतिप्रादित योजनाओं का कार्यान्वयन करना जबकि अपतटीय एवं तटीय उत्पादन को बढ़ाने के सभी उपाय किए जा रहे हैं, अभी वर्तमान में खोजे गये भण्डारों/क्षेत्रों से निकट भविष्य में पूरी तरह आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है।

सर्किल दूरसंचार भंडार डिपो, लखनऊ में अनियमितताएं

* 120. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्किल दूरसंचार भंडार डिपो, लखनऊ में लगभग 10 करोड़ मूल्य के केवल बड़ी मात्रा में खातों में न बढ़ाए जाने के कारण पिछले कई इन वर्षों से मांगकर्ताओं को जारी नहीं किए गए हैं ;

(ख) क्या इसी प्रकार 600 पौंड के 20 टन तार खाते में न चढ़ाए जाने के कारण जारी नहीं किए गए हैं ;

(ग) क्या दूसरी ओर खातों में न चढ़ाई गई अन्य वस्तुओं को जारी किया जा रहा है और खातों तथा वास्तविक भंडारों के बीच अन्तर कुल मिलाकर लाखों रुपये तक पहुंच जाता है ;

(घ) क्या रेल से न भेजकर माल को हेरा फेरी द्वारा केवल सड़क परिवहन से भेजा जा रहा है जिसके कारण प्रति वर्ष 40 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हो रहा है और;

(ड.) उपरोक्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) भंडार में सभी केबुलों को खातों में दर्ज किया जाता है तथा उनको उत्तरोत्तर जारी किया जाता है ।

(ख) और (ग) 30 जून 1981 को 600 पौंड तार का कोई भंडार शेष नहीं था । उस तारीख के पश्चात प्राप्त मात्रा को खातों में दर्ज किया गया तथा उस मात्रा के एक बड़े भाग को जारी किया जा चुका है । केवल खातों में दर्ज भंडार को ही जारी किया जा रहा है । कुल लेन देन की तुलना में खातों में दर्ज तथा वास्तविक भंडार के बीच कोई बड़ा अन्तर नहीं है ।

(घ) कुछ मामलों में अधिकतर वितरण में विलम्ब से बचने तथा रेल द्वारा परिवहन पर विशेषकर रेल लाइनों के विभिन्न गेज के मिले जुले होने के कारण गाड़ी बदलने में आने वाले रख रखाव प्रभार में बचत करने के लिए सड़क परिवहन का आश्रय लिया जा रहा है । कुछ उप मंडल डिपुओं में रेल संपर्क भी नहीं है । 1980-81 के दौरान सड़क द्वारा परिवहन पर लगभग 7 लाख रुपये ही व्यय किया गया ।

(ड.) उपर्युक्त के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है ।

कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) के पूर्णरूप से विद्युतीकरण की योजना

* 130 **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला वितरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से वित्तीय सहायता लेकर कांगड़ा जिले के पूर्ण रूप से विद्युतीकरण के लिए कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1981 तक धर्मशाला एम० पी० एस० ई० बी० सर्किल के प्रत्येक डिवीजन में विद्युतीकृत मकानों और ग्रामों की अलग-अलग प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या संम्पूर्ण विद्युतीकरण के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है ;

(घ) यदि हां, तो किस तिथि तक सम्पूर्ण विद्युतीकरण होने की संभावना है ; और

(ड.) क्या इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) से (ड.) वितरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ड.) ग्राम विद्युतीकरण की गति बढ़ाने की दृष्टि से ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों के बीच हुई बैठकों में यह निर्णय किया गया था कि राज्य बिजली बोर्ड सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्षेत्रों का चयन करेंगे । उपरोक्त नीति के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने कांगड़ा जिले के सभी गांवों का विद्युतीकरण कार्य हाथ में लेने का चयन किया है । कांगड़ा जिले के सभी गांवों का विद्युतीकरण कार्य हाथ में लेने का चयन किया है । कांगड़ा जिले के कुल 3974 गांवों में से सितम्बर, 1981 के अन्त तक 2387 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है इनमें 1440 ऐसे गांव शामिल हैं जिन्हें ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत किया गया है । सितम्बर, 1981 के अन्त में विद्युतीकृत किए जाने के लिए शेष रहे 1587 गांवों में से 1385 गांवों को विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत शामिल किया गया है ।

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत की जाने वाली स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं । 30-6-1981 की स्थिति के अनुसार, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सर्किल के प्रत्येक डिविजन में विद्युतीकृत किए गए घरों की और गांवों की प्रतिशतता के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

अभी तक हुई प्रगति के आधार पर तथा पूरा किया जाने के लिए शेष पड़े कार्यों को ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण के 100 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ और समय लगेगा । कांगड़ा जिले में विद्युतीकरण के लिए शेष रहे 1587 गांवों में से 1385 गांवों को ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत स्कीमों में शामिल किया जा चुका है । राज्य में गांवों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण को 7वीं योजना में पूरा करना संभव हो सकेगा बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों ।

त्रिपुरा में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था

* 132. श्री अजय विश्वास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था कब तक कार्य करना शुरू कर देगी ;

(ख) परियोजना पूरी होने की लक्ष्य तिथि क्या है ; और

(ग) विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा में टेलीफोन प्रणाली की स्वथलीकरण छटी पंचवर्षीय योजना में आरंभ होगा तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना ट पूरा हो जाएगा ।

(ग) देश में स्वचल उपस्कर की पर्याप्त कमी है। इसलिए जिला मुख्यालयों से शुरू करके स्वचलीकरण के कार्यक्रम को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। बड़े एक्सेंचंजों के मामले में विलम्ब का कारण भवन के निर्माण में होने वाली देरी भी है जबकि छोटे एक्सचेंजों के मामले में उपस्कर की कमी देरी का कारण है।

उपग्रह से गांवों के लिए टेलीविजन सेवाएं

* 135. **श्री उत्तम राठौर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संचार उपग्रह के माध्यम से विभिन्न राज्यों में गांवों में टेलीविजन सेवाएं देने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) टेलीविजन पर दिखाए जाने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और गांवों में ये कार्यक्रम कब तक शुरू हो जायेंगे और

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने वाले गांवों को टेलीविजन सैट किया जा रहे हैं ?

सूचना प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) "इनसैट" योजना में शिक्षा, कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, इत्यादि संबंधी कार्यक्रमों के लिए शाम को एक घंटे की सेवा और सुबह 45 मिनट की सेवा की व्यवस्था है। कार्यक्रम के विषय आवश्यक रूप से ग्रामोन्मुखी होंगे और लक्ष्य दर्शकों के अनुरूप होंगे।

(ग) जी, हां। वी० एच० एफ० सामुदायिक अवलोकन सेटों को स्थलीय ट्रांसमीटरों की परिधि में चुनीन्दा गांवों में और सीधे संग्रहण सामुदायिक अवलोकन सैटों को इस प्रकार के सेवा क्षेत्र में न आने वाले गांवों में उपलब्ध किया जाएगा।

विवरण

"इनसैट" के माध्यम से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की योजना के अन्तर्गत, 6 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और बिहार के तीन-तीन जिलों को चुना गया है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जहां पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है, के चुने हुए जिलों में सेवा वर्ष 1982-83 में शुरू हो जाएगी। अन्य चार राज्यों के क्षेत्रों को उत्तरवर्ती वर्षों में कवर किए जाने का प्रस्ताव है।

2. सभी 6 राज्यों में और अखिल भारतीय सेवा के लिए दिल्ली में भी उपलब्ध की जाने वाली अपलिंक सुविधाओं के लिए डाक-तार विभाग को पक्की मांग भेज दी गई है। सीधे

संग्रहण सैटों के दो नमूनों के लिए आर्डर ई० सी० आई० एल०, हैदराबाद को दे दिया गया है। शार्ट बैंड रिले सैटों के लिए बी० ई० एल० से कोटेशन प्राप्त हो गए है।

3. कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों में उपकरणों के लिए विशिष्टियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों के लिए उपलब्ध किए जाने वाले क्षेत्र/आवास को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

4. प्रथम चरण में अपेक्षित कर्मचारियों की मंजूरी दे दी गई है।

संचार व्यवस्था के लिए तार का उत्पादन

* 136. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकसित हो रही संचार व्यवस्था के लिए तार के उत्पादन हेतु फैक्टरियां स्थापित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां कहां होंगी ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज

*137. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा, गुना और शाजापुर जिलों में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने, कितने पुराने तथा पुरानी पद्धति के एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने तथा वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना है ;

(ख) उक्त टेलीफोन एक्सचेंजों में से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च होगी और प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज किस तारीख से चालू हो जाएगा ; और

(ग) जनसंख्या के आधार पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के क्या मानदंड तथा मार्ग निदेश हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) तथा (ख) दूरसंचार के आधुनिकीकरण में करचल एक्सचेंजों को स्वचल एक्सचेंजों द्वारा बदलना, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार आदि पर विचार किया जाता है। देश में स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की भारी कमी होने के कारण यह उत्तरोत्तर किया जा रहा है। इन चार जिलों के लिये नये एक्सचेंज स्थापित करने मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार तथा एक्सचेंजों के स्वचलीकरण के लिए कार्यक्रम विवरण में दिया गया है।

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज जनसंख्या के आधार पर नहीं अपितु टेलीफोन की मांग के आधार

पर प्रदान किये जाते हैं। केवल लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर जनसंख्या के आधार पर खोले जाते हैं।

विवरण

भण्डारों की उपलब्धता की शर्त पर योजना बनाये गए नए एक्सचेंजों तथा विस्तार किये जाने वाले मौजूदा एक्सचेंजों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

जिला/ एक्सचेंज	क्षमता (लाइनें)	चालू होने का संभावित वर्ष	संभावित व्यय (रुपयों में)
राजगढ़ जिला			
नए एक्सचेंज			
बोदा	25	1982-83	94,600
इकलहेरा	25	1983-84	94,600
विस्तार			
बिओरा	50	1982-83	1,66,000
खुजनेर	10	1983-84	37,850
खिलचीपुर	10	1982-83	37,850
माचलपुर	10	1982-83	37,850
नरसिंहरा	45	1982-83	1,70,300
पचोर	45	1983-84	70,300
सुलथालिआ	10	1984-85	37,850
जीरापुर	10	1983-84	37,850
राजगढ़	100	1984-85	3,00,000
विदिशा जिला			
नए एक्सचेंज :			
लटेरी	25	1981-82	94,600
बारोड	25	1984-85	94,600

1	2	3	4
शमशाबाद	25	1983-84	94,600
विस्तार :			
गंज बासोदा	50	1983-84	1,66,000
कुरवई	10	1983-84	37,850
सिरोंज	50	1982-83	1,66,000
विदिशा	100	1981-82	4,01,500
विदिशा	100	1983-84	4,01,500
गुना जिला नए एक्सचेंज :			
पिपरिया गांव	25	1982-83	94,600
रूंथै	55	1984-85	94,600
अरोन	10	1982-83	37,850
चंदेरी	20	1984-85	75,700
ईसागढ़	10	1984-85	37,850
गुना	60	1981-82	2,19,600
गुना	140	1984-85	8,00,000
कुम्भराज	10	1982-83	37,850
मकसूदनगढ़	10	1984-85	37,850
मगौली	45	1983-84	1,70,300
राघवगढ़	10	1984-85	37,850
अशोकनगर	100	1984-85	3,00,000
शाजापुर जिला नए एक्सचेंज :			
पिपलोन कलां	25	1981-82	94,600
काली सिंह	25	1983-84	94,600
मोहाना	25	1984-85	94,600

1	2	3	4
विस्तार/जोड़ी जाने वाली लाइनें :			
अगरमालवा	50	1983-84	1,66,000
अभयपुर	10	1984-85	37,850
बारोद	10	1982-83	37,850
हरचा	20	1981-82	75,700
कलपीपाल	20	1982-83	75'700
मकसी	15	1982-83	56,800
मोमन वाडोदिया	10	1983-84	37,850
नलखेड़ा	45	1981-82	1,70,300
सुसनेर	10	1983-84	37,850
शाजापुर	50	1981-82	1,66,000
शाजापुर	150	1984-85	6,00,000
सूजलपुर मंडी	50	1982-83	1,66,000
सूजलपुर मंडी	50	1984-85	1,66,000

करचल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण

जिला	करचल एक्सचेंजों/(31.3.81 को क्षमता)	स्वचलीकरण कार्यक्रम
राजगढ़	1. विओरा (सी. बी. एन. एम.)	200 लाइनों के आयातित
	2. राजगढ़ (सी. बी. एन. एम.)	
विशिदा	1. गंज बासोदा (सी. बी. एन. एम. -150)	उपस्कर का प्रस्ताव है।
	2. सिरोंज (सी. बी. एन. एम. -100)	
गुना	1. गुना (सी. बी. एन. एम. -295)	600 लाइनों के आयातित
	2. अशोकनगर (सी. बी. एन. एम. -200)	उपस्कर का प्रस्ताव है।

1	2	3
शाजापुर	1. शाजापुर (सी. बी. एन. एम. -200)	400 लाइनों के आयातित
	2. अग्रमालवा (सी. बी. एन. एम. -100)	
	3. शूदलपुर (सी. बी. एन. एम. -120)	उपस्कर का प्रस्ताव है।

राजस्थान को सिंगरौली से बिजली की सप्लाई

*138. **आचार्य भगवान देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की सिंगरौली विद्युत परियोजना से राजस्थान को बिजली की सप्लाई करने सम्बन्धी योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कानपुर से जयपुर तक की 440 के० वी० पारेषण लाइन लगाने का काम शुरू हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह काम कब तक शुरू हो जाएगा ; और इसके अब तक शुरू न होने के क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्र के 600 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रथम चरण में से 53 मेगावाट विद्युत का तथा 2000 मेगावाट की चरम प्रतिष्ठापित क्षमता में से 300 मेगावाट विद्युत का आवंटन राजस्थान को किया गया है। इस परियोजना पर कार्यसूची के अनुसार कार्य चल रहा है तथा 200 मेगावाट की क्षमता के पहले यूनिट के फरवरी, 1982 तक चालू हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) कानपुर से जयपुर तक की 409 के० वी० पारेषण लाइन, मुख्यतः सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के दूसरे चरण से विद्युत के निकास के लिए ही है। इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है तथा पारेषण लाइनों के टावरों के लिए निविदाएं आमन्त्रित कर ली गई हैं ताकि परियोजना कार्यक्रम अनुसार ही मार्च, 1986 तक लाइन को चालू किया जा सके।

राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

*139. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना किये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान में गैस पर आधारित दो उर्वरक की स्थापना करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान में लगाये जाने वाले एक उर्वरक प्लांट समेत गैस पर आधारित 6 अतिरिक्त उर्वरक प्लांटों के स्थल की सिफारिश करने के लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई है । इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) राजस्थान सरकार को सूचित कर दिया गया है कि राजस्थान में गैस पर आधारित एक से अधिक उर्वरक प्लांट लगाना संभव नहीं होगा क्योंकि 1989-90 में राजस्थान में नाइट्रोजन की संभावित कमी को, जो कि अनुमानत: 1.87 लाख टन होगी, राजस्थान में प्रस्तावित गैस पर आधारित प्लांट पूर्णरूप से पूरी की जा सकती है जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 3.40 लाख टन नाइट्रोजन की होगी ।

देवनागरी-रोमन द्विभाषीय टेलोप्रिंटर के 'की बोर्ड' के बारे में सुझाव देने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति

*140. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय ने देवनागरी-रोमन द्विभाषीय टेलोप्रिंटर के 'की बोर्ड' के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन कब किया गया था और समिति के सदस्यों के क्या नाम थे और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी ;

(ग) समिति की सिफारिशों के अनुसार मशीन का प्रोटोटाइप कब बनाया जाना था ;

(घ) मशीन का नियमित उत्पादन शुरू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ.) क्या सरकार का विचार उसके उत्पादन में हुए विलम्ब के कारणों की जांच पड़ताल करने का है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान टेलोप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास में देवनागरी-रोमन दो लिपियों का टेलोप्रिंटर तैयार करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये डाक तार हिन्दी सलाहकार समिति की एक उप समिति बनी थी जिसमें नीचे लिखे सदस्य थे :—

1. न्यायमूर्ति श्री एस० एन० सिंह

2. श्री अशोक जी, सम्पादक
स्वतंत्र भारत, लखनऊ

3. श्री बी० एस० राव,
वरिष्ठ सदस्य (प्रचालन),
डाकतार बोर्ड, नई दिल्ली,

4. श्री ए० एस० भटनागर,
संयुक्त सचिव, संचार मन्त्रालय,

5. श्री एस० एम० अग्रवाल,
विशेष कार्य अधिकारी,
डाकतार बोर्ड,

(ग) उप समिति ने टेलोप्रिंटर मशीन का आदि रूप तैयार करने के लिये किसी निश्चित तारीख की सिफारिश नहीं की थी।

(घ) और (ङ.) हिन्दुस्तान टेलोप्रिंटर्स लिमिटेड ने, अक्तूबर, 1976 में देवनागरी-रोमन टेलोप्रिंटर का आदि रूप विकसित किया था। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, द्वारा लगाये अनुमान के अनुसार, उत्पादन कार्य को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाये रखने के लिये, कम से कम 500 मशीनों की मांग होनी जरूरी है। अतः कम्पनी ने अपने ग्राहकों से इस मशीन के लिये अपनी मांग बताने का अनुरोध किया। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के प्रमुख ग्राहक, डाकतार विभाग ने, क्षेत्रीय परीक्षण के लिये इस मशीन के दो आदिरूप भेजने की मांग हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स से की। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ने जुलाई, 1979 में इस मशीन के आदिरूप भेजे। इस बीच इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर्स बनाने का निर्णय लिया गया जिसमें देवनागरी लिपि के ज्यादा अक्षरों के समावेश की तकनीकी व्यवहार्यता के अलावा कई अन्य सुविधाएं होंगी। अतः यह निर्णय लिया गया कि मकेनिकल टेलीप्रिंटर के माडल पर आधारित दो लिपियों वाले टेलीप्रिंटर का उत्पादन आस्थगित कर दिया जाए और जब हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनाना शुरू कर दे तो इलैक्ट्रानिक माडल पर यह विकास कार्य शुरू हो।

स्प्रिट और शराब बनाने में आलू का प्रयोग

1381. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्प्रिट और शराब बनाने में आलू का भी कच्चे माल के बतौर इस्तेमाल किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार राज्य में नालंदा जिला देश के सर्वाधिक आलू उगाने वाले क्षेत्रों में से एक है ; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का नालंदा जिले में आलू से स्प्रिट और शराब बनाने के उद्योग लगाने की कोई योजना है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) आलू से अल्कोहल का निर्माण करना तकनीकी रूप से संभव है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नालन्दा जिले में आलू से स्प्रिट और शराब बनने के उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । यदि कभी भी ऐसा औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो उस पर योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

टाइटेनियम फैक्ट्री का उत्पादन

1382. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल सरकार के केरल राज्य योजना बोर्ड द्वारा तैयार और केरल सरकार द्वारा मुद्रित इकोनोमिक रिव्यू 1980 के मद 8 पृष्ट 171 के अनुसार त्रिवेन्द्रम स्थित एक मात्रा टाइट्नियम फैक्ट्री आफ इन्डिया का उत्पादन वर्ष 1979-80 के लिए अधिस्थापित क्षमता का केवल 32.3 प्रतिशत है ;

(ख) इस समय में टाइटेनियम डाइआक्साइड की कुल वार्षिक मांग क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने टाइटनियम डाइ-आक्साइड को दो साल से अधिक समय से प्रशुल्क संरक्षण में रखा है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए टिटानियम डायोक्साइड की मांग 20,000 टन होने का अनुमान है जिसमें से लगभग 1 ,400 टन स्टाइल ग्रेड के लिए और 7,600 टन एनाटेज ग्रेड के लिए होगी ।

(ग) अधिकतर टिटानियम डायोक्साइड के स्टाइल ग्रेड का आयात किया जाता है । ट्रावणकोर टिटानियम प्रोडेक्ट्स लि० द्वारा स्टाइल ग्रेड टिटानियम डायोक्साइड का उत्पादन बहुत कम है । रसायनिक रुप से शुद्ध टिटानियम डायोक्साइड पर मूल्य के 60 प्रतिशत मूल सीमाशुल्क 20 प्रतिशत अनुशांगिक शुल्क और 8 प्रतिशत समाज शुल्क की व्यवस्था है ।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली में इलेक्ट्रानिक प्रिसीपिटेटर लगाया

1383. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका से आयातित नए उपक्रमों में निरन्तर खराबी से

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के पांच ताप एककों में से दो में इलेक्ट्रानिक प्रिसीपिटेटरों के लगाए जाने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या सरकार इसकी कार्य क्षमता से सन्तुष्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इन्द्रप्रस्थ केन्द्र के 5 ताप विद्युत यूनिटों में से तीन यूनिटों के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर के प्रतिष्ठापन का कार्य पूरा किया जा चुका है । यद्यपि यूनिट 1 पर प्रतिष्ठापित किए गये उपस्करों का कार्य-निष्पादन संतोष जनक है, तथापि यूनिट 2 और 4 पर प्रतिष्ठापित किये गये उपस्कर परीक्षण के दौर में चल रही हैं ।

शेष दो यूनिटों के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर के प्रतिष्ठापन कार्य अब हाथ में लिया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डेसू की बकाया धनराशि

1384. **श्री के० ए० राजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेसू को दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण और निजी क्षेत्र के उद्योगों से बहुत अधिक बकाया धनराशि वसूल करनी है ;

(ख) यदि हां, तो बकाया धनराशि का ब्योरा क्या है ;

(ग) इतनी अधिक दकाया राशि जमा होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) ऊर्जा की खपत सम्बन्धी प्रभारों आदि के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा वसूल की जाने वाले राशि के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

क्र० सं०	पार्टी का नाम	वसूल की जाने वाली राशि (करोड़ रुपये में)
1.	नई दिल्ली नगर पालिक	12.93 (6.91 करोड़ रु० के बिजली कर को छोड़कर)
2.	एम० ई० एस	0.20 (विलंब से अदायगी के लिए

1	2	3
3.	जल पूर्ति और मल-व्ययन संस्थान (वि० न० नि०)	9.28 1.67 करोड़ रु० के अतिरिक्त प्रभार को छोड़कर)
4.	अन्य सरकारी विभाग	0.45
5.	दिल्ली नगर नि० (सड़कों पर रोशनी)	3.03(0.57 करोड़ रु० के बिजली कर को छोड़कर)
6.	दि० वि० प्रा० (सड़कों पर रोशनी)	0.95
7.	निजी क्षेत्र के उद्योग (बड़े औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं, संयुक्त भार वाले उच्च बोल्टता वाले तथा अन्य बड़े उपभोक्ता जिनके बिल बल्क सप्लाई अनुभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं) ।	1.57 कोर्ट मध्यस्थता को 1.24 करोड़ रुपये की राशि इसमें शामिल है)

(ग) डेसू के दावों पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऊर्जा की खपत की मात्रा तथा उसके लिए अनुरक्षण प्रभारों आदि के बारे में उठाए गये विवादों के कारण बकाया राशि इकट्ठी हो गई है ।

(घ) विभिन्न विवादों को हल करने के लिए तथा सरकारी एजेन्सियों से बकाया राशि की वसूली करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित करके बकाया राशि को वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं । निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में विद्युत सप्लाई काटने के बाद बकाया राशि न्यायालयों के माध्यम से वसूल की जा रही है ।

रानीगंज में कोयला भंडार खोलना

1485. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके लगातार आश्वासनों के अनुसार रानीगंज में कोयले का भंडार कब खुलेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कोयला/कोक उचित मूल्य पर तुरंत उपलब्ध कराने के लिए कोक इंडिया लि० ने पश्चिम बंगाल में 11 टाल खोले हैं तथा इस राज्य में इसी प्रकार के और टाल भी खोलने की योजना है ।

राज्यों के बापसी विवादों के कारण रुकी हुई राज्य बिजली परियोजनाएं

1386. **श्री महोन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य बिजली परियोजना में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास राज्यों के आपसी विवादों के कारण रुकी पड़ी हैं।

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और ब्यौरा क्या है और वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास कब से लम्बित हैं; और

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्यों के हित में उनको मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : अन्तर्राज्यीय विवादों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लम्बित पड़ी 13 जल विद्युत/बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ मामलों में कार्य रूका हुआ है तथा अन्य मामलों में कार्य धीमी गति से प्रगति पर है।

(ग) विवादों को हल करने की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित राज्यों के साथ विचार विमर्श करने की पहल की है। विवादों को हल करने के सम्भावित उपाय के रूप में केन्द्र सरकार ने ऐसी परियोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लेने का प्रस्ताव भी किया है।

क्र० सं०	स्कीम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	संबंधित राज्य
1.	आनन्दपुर साहिब	पंजाब	134	अक्तु०, 1979	पंजाब/हरियाणा राजस्थान
2.	किशाऊ (एमपीपी)	उत्तर प्रदेश	600	1978	उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश
3.	खार	उत्तर प्रदेश	81	जून,० 1878	उत्तर प्रदेश हरियाणा
4.	पश्चिमी यमुना नहर चरण-2	हरियाणा	16	1977	हरियाणा और उत्तर प्रदेश
5.	ओरछा (एमपीपी)	मध्य प्रदेश	90	सित०, 1978	मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश
6.	पांडियार पुन्ना प्रझा	तमिलनाडु	100	फर०, 1977	तमिलनाडु केरल
7.	चोलातीपुझा	तमिलनाडु	60	मार्च, 1977	—वही—

1	2	3	4	5	6
8.	नेलांथोराई	—वही—	50	1974	तमिलनाडु/केरल कर्नाटक
9.	अपर अमरावती	—वही—	30	जुलाई, 1978	—वही—
10.	षणमुख नदी	—वही—	30	जुलाई, 1977	—वही—
11.	पांडियार पुन्ना पुझा टेलरेस	केरल	70	दिस०, 1972	केरल तमिलनाडु
12.	मनन्थवाडी (एमपीपी)	केरल	240	मई, 1980	केरल तमिलनाडु कर्नाटक
13.	कुटियाडी विस्तार	केरल	—	दिस०, 1976	—वही—

टिप्पणी :—

एमपीपी—बहुद्देशीय परियोजना

पाकिस्तान द्वारा भारतीय फिल्मों का आयात

1387. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय फीचर फिल्मों के आयात की इच्छा जाहिर की है ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय फीचर फिल्मों के वीडियो टेपों की पाकिस्तान और अन्य मध्यपूर्वी देशों में तस्करी हो रही है ; और

(घ) भारत सरकार ने पाकिस्तान और मध्य पूर्वी देशों में फीचर फिल्मों की तस्करी से हो रही विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) (क) और (ख) : पाकिस्तान में फीचर फिल्मों के आयात पर 1965 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है । यदि इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की नीति में हाल ही में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसकी भारत सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ग) पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास से प्राप्त सूचना और समाचार पत्रों की भी

रिपोर्टों के अनुसार यह समझा जाता है कि पाकिस्तान में भारतीय फीचर फिल्मों के वीडियो टेप उपलब्ध हैं। मध्य पूर्वी देशों के मामले में भी यही स्थिति हो सकती है। तथापि, क्या उन देशों में इन केसेटों की तस्करी होती है या इनको वैध रूप से आयात किया जाता है, इसका निश्चय उन देशों में अपनाई जा रही आयात नीतियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है।

(घ) मुक्त निर्यात क्षेत्रों में स्थापित वीडियो ट्रांसफर यूनिटों से भारतीय फीचर फिल्मों के रिकार्ड किए हुए वीडियो केसेटों के निर्यात तथा भारतीय फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकारों के निर्यात की भी निर्यात नीति के अन्तर्गत अनुमति है। जब भारतीय फिल्मों के वीडियो केसेटों या वीडियो अधिकारों का निर्यात कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान तथा मध्य पूर्वी देशों के राष्ट्रिकों सहित कोई भी व्यक्ति विदेशी मार्किट से भारतीय फीचर फिल्मों के वीडियो केसेट खरीदने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि भारत से निर्यात प्राधिकृत है, अतः उन देशों के राष्ट्रिकों द्वारा वीडियो केसेटों की खरीद से भारत को विदेशी मुद्रा की हानि नहीं समझी जाती।

नाइलोन कातने वाले उद्योग की समस्या

1384. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइलोन कातने वाले उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नाइलोन कातने वाले उद्योग को होने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है और उसने सरकार से किस प्रकार की सहायता मांगी है ; और

(ग) सरकार इस उद्योग को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) नायलोन कताई उद्योग द्वारा सामना की जा रही किसी प्रमुख समस्या की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न रिफाइनरियों में बिटूमन का उत्पादन

1389. **श्री मोतीलाल हंसदा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक रिफाइनरी की बिटूमन की अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) पिछले पांच सालों में रिफायनरीवार और वर्ष-वार नाइट्यूमेन का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उत्पादन कब तक बढ़ाया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तत्सम्बन्धी कारण क्या है और बाइट्यूमेन की मांग की पूर्ति कैसे की जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) प्रत्येक शोधनशाला में वास्तविक बिटूमन उत्पादन क्षमता संसाधित किये गये अशोधित तेल मिश्रण पर निर्भर करती है । प्रत्येक शोधनशाला में सम्भावित बिटूमन उत्पादन क्षमता और साथ-ही-साथ बम्बई हाई अशोधित तेल जिससे कि बिटूमन प्राप्त नहीं होता है के संसाधन पर आधारित पूर्वानुमानित क्षमता के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गयी है ;

शोधनशाला	सम्भावित क्षमता	("000" टनों में) बम्बई हाई के उपयोग पर आधारित पूर्वानुमानित क्षमता
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बम्बई)	330	330
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बम्बई)	475	150
मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (मद्रास)	240	240
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (विशाख)	75	75
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (हल्दिया)	100	100
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (कोयाली)	250	200
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (दिग्बोई)	15	15
कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड (कोचीन)	134	70

(ख) 1976-77 से 1980-81 के दौरान बिटूमन का कुल उत्पादन विवरण में दिया गया है ।

(ग) (घ) और (ङ) मथुरा शोधनशाला के चालू हो जाने के बाद बिटूमन उत्पादन क्षमता लगभग 3,00,000 मी० टन प्रति वर्ष बढ़ जायेगी । इसके अतिरिक्त, मद्रास शोधनशाला लिमिटेड से बिटूमन उत्पादन क्षमता 2,10,000 मी० टन प्रति वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । बिटूमन उत्पादित करने वाले उपलब्ध अशोधित तेल से बिटूमन उत्पादन को अधिकतम करने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है ।

विवरण

("000" टनों में)

रिफाइनरी	1976–77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
एच० पी० सी० (बम्बई)	306	363	414	365	287
बी० पी० सी० (बम्बई)	390	283	205	305	283
सी० आर० एल० (कोचीन)	—	—	3	3	6
एम० आर० एल० (मद्रास)	175	204	173	206	151
एच० पी० सी० (विशाख)	40	61	54	52	77
आई० ओ० सी० (हल्दिया)	25	70	81	6	112
आई० ओ० सी० (कोयाली)	—	—	13	94	156
आई० ओ० सी० (असम आयल डिविजन)	10	12	17	15	13
	946	993	960	1109	1085

कटक, भुवनेश्वर और कलकत्ता को जोड़ने वाली स्वचालित माईक्रो वैव टेलीफोन लाइनों में लगातार बाधा

1390. **लक्ष्मण मलिक** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कटक-भुवनेश्वर और कटक-कलकत्ता तथा भुवनेश्वर-कलकत्ता की स्वचलित माइक्रो वैव टेलीफोन लाइनों की प्रायः बाधा के बारे जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन रुकावटों को दूर करने के लिए और उपयुक्त स्वचलित माइक्रोवेव टेलीफोन लाइग में सुधार करने के लिए क्या विचार कर रही है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) सूक्ष्मतरंग प्रणाली द्वारा कटक और भुवनेश्वर के बीच प्वांइट टू-प्वांइट एस टो डी प्रदान कर दी गई हैं। स्वचल राष्ट्रीय डाईलिंग हेतु कटक और भुवनेश्वर और कलकत्ता टी ए एक्स से जोड़ा गया है। इन दोनों मार्गों हेतु जंक्पन कलकत्ता, कटक और भुवनेश्वर के बीच सहधुरीय केबल पर प्रदान किए गए हैं। कटक-भुवनेश्वर, कटक-कलकत्ता, भुवनेश्वक.कलकत्ता के बीच सूक्ष्मतरंगा सहधुरीय प्रणाली तथा एस टो डी पर प्राय: कोई बाधा नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुराने सिंधरी उर्वरक संयंत्र के नीलामी से बचे उपकरण

1391. **श्री ए० के० रायक्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में कोयले पर आधारित पुराने सिंधरो उर्वरक संयंत्र की कबाड़ियों से की गई नीलामी के शेष उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) इन उपकरणों की प्रस्तावित उपयोगिता क्या है ?

(ग) क्या इन उपकरणों का उपयोग उपयुक्त ईधन तथा प्रक्रिया से चलने वाली लघु समानान्तर अमोनिया उत्पादन का निर्माण करने में किया जा सकता है, तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन उपकरणों की आगे नीलामी का प्रयास किया गया है ;और

(ड़) यदि हां, किस आधार पर तथ्यों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) (क) कोयले पर आधारित पुराने सिन्दरी एर्वरक संयंत्र के अवश्यक उपकरणों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं जिनको फटिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा 1980 में की गयी बचे हुए उपकरणों की बिक्री को शामिल नहीं किया गया है :—

1—गीस रिफार्मेशन सयंत्र :

सेक्शन आफ को-कनवर्सन, सी ओ 2 रिगवल, रिकास्टिफीकेशन, कूलिंग टावर, पेयर सेपरेशन (लिण्डे), (एयर सेपरेशन) (लिण्डे फाकेल) यार्ड पाईपिंग और आक्सा तथा नाइट्रोजन गैस होल्डर।

2— मोन्टीकेशन/अमोनिया सिन्थेसिस प्लांट

केमिकल कनस्ट्रक्शन कारपोरेशन प्लांट का शीतलन एण्ड सी ओ 2 रियलन, खण्ड

मोन्टीकेटिनी कुलिंग वाटर, कैमिमल कन्सट्रक्शन कारपोरेशन संयंत्र के कुछ सेक्शनों के यार्ड पाइपिंग और विविध उपकरण सेमि-वाटर गैस लिक्षन गेस संयंत्र ।

(ख) ये उपकरण फर्टिलाइजर कारपोशन आफ इन्डिया के लिए किसी उपयोग के नहीं है । तथापि, फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इन्डिया लि० इस बात की जांच कर रही हैं कि इनका उपयोग उनके अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है अथवा नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ड़) उन उपकरणों के निपटान का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब कि उर्वरक (योजना तथा विकास) इंडिया लिमिटेड इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें उनकी अपने अनुसंधान और विकास कार्य के लिए आवश्यकता नहीं है ।

कोयला प्रबंधकों द्वारा उत्पादन

1392. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला प्रबंधकों द्वारा की जा रही उत्पीडन की गतिविधियों के बारे में कोइलरी मजदूर सभा आफ इन्डिया (सी० आई० टी० यू०) का 12 1981 अक्तूबर का तार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्पीड़न को रोकने के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेडियो और टोलीविजन के कलाकारों को अतिरिक्त सुविधाएं

1303. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के पास रेडियो और टेलीविजन कलाकारों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं को तरह अतिरिक्त सुविधायें देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हो, तो उन्हें दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाएं क्या हैं ;

(ग) ये सुधिथाएं उन्हें कब तक दी जाये गी ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ) : आकाशवाणी और दूर

दर्शन दोनों के स्टाफ आर्टिस्ट संविदा कर्मचारी हैं और इनको पेंसन के लाभ को छोड़कर ग्रेच्युटी सहित अन्य वे सभी लाभ मिलते हैं जो केन्द्रीय सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों को मिलते हैं । पेंसन के लाभ के बदले में ये स्टाफ आर्टिस्ट अंशदायी भविष्य निधि के लाभ के पात्र हैं । तथापि इनको पेंसन के लाभ का पात्र बनाने के लिए इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार करने के लिए गठित मन्त्रियों की एक समिति द्वारा प्रस्ताव की जाँच की जा रही है । मन्त्रियों की समिति के विचार हेतु योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और मामले में आदेश मन्त्रियों की समिति द्वारा अनुमोदित योजना के अन्तिम रूप से स्वीकृत होने के बाद जारी किए जाएंगे ।

समय में संशोधन

1394. **श्री एस० मुरु गैयन** : क्या **संचार** मन्त्री समय में संशोधन के बारे में 8 दिसम्बर, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2772, 16 मार्च, 1981 के प्रश्न सख्या 3707 और 15 सितम्बर, 1981 के प्रश्न संख्या 4225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग समय में संशोधन की मांग से सहमत हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में विभाग को निर्णय लेने में इतना अधिक समय लगाने के क्या विशेष कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में निर्णय लेने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) अस्थायी तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि चुने हुए डाकघरों में विभागीय डाक टिकट विक्रेताओं तथा विभागेतर डाक टिकट विक्रेताओं को यह छूट दी जाए कि वे अपना नित्यप्रति का कार्य करने से 30 और 15 मिनट पहले प्रायोगिक आधार पर टिकटों की बिक्री बन्द रखें । इस सम्बन्ध में एक सामान्य निर्णय इस प्रयोग के मूल्यांकन के बाद लिया जाएगा ।

देश में उर्वरक संयंत्रों की संख्या

1395. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कुल कितने उर्वरक संयंत्र लगाये गये हैं ;

(ख) ये उर्वरक संयंत्र कहां लगाये गये हैं ;

(ग) विभिन्न राज्यों में कितने उर्वरक संयंत्र निर्माराधीन है ;

(घ) निर्माणाधीन उर्वरक संयंत्र कब तक पूरे हो जायेंगे ; और

(ड.) ये संयंत्र कब से व्यवसायिक उत्पादन शुरू करेंगे ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ.) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(विवरण-1.

प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की संख्या और उनका स्थान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चालू संयंत्रों की संख्या	स्थान
आंध्र प्रदेश	2	1. विजाग 2. रामागुण्डम
असम	2	1. नामसा (1) 2. नामसा (2)
बिहार	3	1. सिन्दरी (आधुनिकी करण) 2. सिन्दरी (सुव्यवस्थी करण) 3. बरौनी
गोवा	1	1. गोवा
गुजरात	4	1. बरोदा 2. कलोल 3. काण्डला 4. काण्डला (विस्तार)
हरियाणा	1	1. पानीपत
केरल	3	1. उद्योग मंडल 2. कोचीन (1) 3. कोचीन (2)
कर्नाटक	1	1. मंगलोर
महाराष्ट्र	2	1. ट्राम्बे 2. ट्राम्बे (4)
उड़ीसा	2	1. राऊरकेला 2. तालचर

1	2	3
पंजाब	3	1. नंगल (1) 2. नंगल (2) 3. भटिण्डा
राजस्थान	2	1. कोटा 2. खेतरी
तमिलनाड्	4	1. मद्रास 2. नयवेली 3. तुतीकोरिन 4. इन्नौर
उत्तर प्रदेश	5	1. गोरखपुर 2. कानपुर 3. कानपुर (विस्तार) 4. फूलपुर 5. वाराणसी
पश्चिम बंगाय	1	1. दुर्गापुर

(विवरण-2)

निर्माणधीन/प्रारम्भाधीन उर्वरक संयंत्र

राज्य	संयंत्र का नाम/स्थान	यांत्रिक रूप से पूरा होने की सम्भावित तिथि	वाणिज्यिक उत्पादन की सम्भावित तिथि
असम	1. नामसा (2)	मई, 1984	नवम्बर, 1989
गोवा	1. गोवा (विस्तार)	जुलाई, 1984	सितम्बर, 1984
गुजरात	1. बहरुच	यांत्रिक रूप से पूर्ण	चालू किया जा रहा है
	2. हजिरा	सितम्बर, 1984 (प्रथम चरण) सितम्बर, 1985	मार्च, 1985 प्रथम चरण

1	2	3	4
		(द्वितीय चरण)	मार्च, 1986 (द्वितीय चरण)
महाराष्ट्र	1. ट्राम्बे (4)	यांत्रिक रुप से पूर्ण	चालू किया जा रहा है
	2. तलोजा	मध्य 1982	अन्त-1982
	3. थाल	फरवरी, 1984 (प्रथम चरण)	अगस्त/सितम्बर, 19.4 (प्रथम चरण)
		मई/जून, 1984 (द्वितीय चरण)	दिसम्बर, 1984 (द्वितीय चरण)
उड़ीसा	1. पारादीप	अप्रैल,1985 (प्रथम चरण)	जून, 1985 (प्रथम चरण)
तमिलनाडू	1. तुतीकोरीन विस्तार	जनवरी, 1983	अप्रैल, 1983
पश्चिम बंगाव	1. हल्दिया	यांत्रिक रूप से पूरा होने की सम्भावित अक्तूबर, 1985 द्वितीय चरण)	अप्रैल, 1982 फरवरी, 1986 (द्वितीय चरण)
उत्तर प्रदेश	5		1. गोरखपुर
			2. कानपुर
			3. फूलपुर
			4. कानपुर (विस्तार)
			5. वाराणसी
पश्चिम बंगाल	1		1. दुर्गापुर

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों और भोपाल को टेलीप्रिन्टर सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव

1396. **श्री केयूर भूषण** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्यालय, भोपाल और बस्तर, अम्बिकापुर, सिधी, शहडोल, झबुआ इत्यादि जैसे पिछले क्षेत्रों को टेलीप्रिंटर सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो टेलीप्रिंटर सेवाए कब से शुरू होंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कार्तिक उरांव : (क) जी हां ।

(ख) टेलीप्रिंटर लिंक के 1982-83 तक उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

ग्रामीण विद्युत निगम (आर० ई० सी० के अन्तर्गत महाड और पोलादपुर तालुका के गांवों का विद्युतीकरण

1397. **श्री बापुसहिब परुलेकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि ग्रामीण विदयुत निगम (आर० ई० सी०) के अन्तर्गत महाड़ और पोलादपुर तालुका के गांवों के विद्युतीकरण के लिए 50 लाख से अधिक धनराशि मंजूर की गई थी ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है और कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि योजना के अन्तर्गत सारे गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया हैं बल्कि गांवों में एक हिस्से में विद्युतीकरण किया गया हैं जिससे गांवों के बीच गलत फहमी फैली है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने गांवों के विद्युतीकरण के लिए मार्ग निर्देशन किया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोलाबा जिले के महाड तालुका के 63 गांवों तथा पोलादपुर तालुका के 26 गावों के विद्युतीकरण के लिए 59.898 लाख रुपयों की ऋण सहायता की एक ग्राम विद्युतीकरण स्कीम ग्राम विद्युतीकरण निगम ने मार्च, 1980 में स्वीकृत की थी।

(ख) मार्च, 1981 के अन्त तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 22.903 लाख रुपयों की ऋण राशि की किस्तें वितरित की है तथा 31 मार्च, 1981 की अवधी के लिए प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 11 गांव विद्युतीकृत हुए हैं।

ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, क्षेत्र में भार क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर. राज्य बोर्डो द्वारा तैयार की जाती हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देता है। उसके पश्चात ये स्कीमें आरम्भ में तैयार की गई परियोजना रिपोटों के आधार पर राज्य बिजली बोर्डो द्वारा क्रियान्विस की जाती है।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किसी गांव को उस स्थिति में विद्युतीकृत माना जाता है जब कम से कम एक कनैक्शन मुहैया कर दिया जाता हैं या गांवों में सड़क रोशनी की व्यवस्था कर दी जाती है। अपनी स्कीमों के अन्तर्गत किसी गांव को विद्युतीकृत मान लेने के प्रयोजन के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम इन मार्गदर्शी कि सिद्धान्तों का पालन कर रहा है। एक बार बिद्युत उपलब्ध करा दी जाने पर मार्ड द्वारा निर्धारित कीं गयी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर देने पर सभी परिवार आवश्यक कनेक्शन ले सकते हैं।

सिंगरौली के लिए कन्डक्टरों की सप्लाई की बोली

1398. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगरोली ताप परियोजना के लिए कन्डक्टरों की सप्लाई की विश्वव्यापी प्रतियोगिता में चीन-जापान और बेहरीन ने कीमत के आधार पर भारतीय बोली लगाने वाले को बाहर कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाया है जिसके कारण देशी उत्पादक अन्तर्राष्ट्रीय बोली लगाने वालों के सामने नहीं टिक पाते ; और

(ग) सरकार देशी उत्पादकों को उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में मदद देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल प्राप्त करने की जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी दर प्रक्रियायें अपनाई जाती हैं, उनमें स्वदेशी निर्माताओं को कीमत में 15 प्रतिशत की तरजीह दिये जाने की व्यवस्था है। सिंगरौली परियोजना चरण दो के लिए कन्डक्टरों की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा आमंत्रित किए गए विश्वव्यापी टेण्डरोंके उत्तर में प्राप्त हुई दरों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भोर जिला पूना के गैस उपभोक्ता एसोसियेसन का अभ्यावेदन

1399. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गैस उपभोक्ता एसोसिएसन, भोर, जिला पूना (महाराष्ट्र) से सितम्बर, 1981 में नये गैस कनेकशनों के बारे में अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया ; और

(ग) यदि नहीं, तो भोर के उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इस मन्त्रालय में महाराष्ट्र के पूना जिला के भोर गैस उपभोक्ता एसोसिएशन का नये गैस कनैक्शन रीलीज करने के लिए दिनांक 4-11-81 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) क्योंकि कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) वितरक क्षेत्र की निर्धारित अधिकतम स्तर पक आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। भोर में नये गैस कनैक्शन देना सम्भव नहीं है। नई एजेन्सी की स्थापना किए जाने के पश्चात आगे और रीलीज सम्भव हो सकेगी।

तापीय एककों को कोयले के भंडार बनाने को कहा जाना

1400. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने तापीय बिजलीघर अधिकारियों को कहा था कि देश में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयले के अरक्षित भंडार बनाये जाएं ;

(ख) यदि हां, तो कोयले भंडारों की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रत्येक बिजली घर में कोयले के भंडारण की कितनी क्षमता है ; और

(ग) देश में बिजली की क्या स्थिति है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश महाजन) : (क) जी हां, मापदण्डों के अनुसार, कोयला खान से 350 किलोमीटन से अधिक दूरी पर स्थित सभी विद्युत केन्द्रों को लगभग 4-6 सप्ताह के लिए कोयले का भन्डार रखने के लिए 350 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित केन्द्रों को लगभग 3 सप्ताह का भन्डार रखने के लिए और पिट हैड पर स्थित विद्युत केन्द्रों को लगभग 2 सप्ताह का भण्डार रखने के लिए कहा गया है ।

(ख) प्रत्येक विद्युत केन्द्र के कोयले के भन्डार की वर्तमान स्थिति तथा कोयले का भण्डार रखने की इसकी क्षमता को दिखाने वाला वितरण, संलग्न है ।

(ग) अक्तूबर, 1981 के महीने के दौरान देश में ऊर्जा की उपलब्धता 9866 मिलियन यूनिट के लगभग थी जबकि आवश्यकता 10870 मिलियन यूनिट थी । यह ऊर्जा की लगभग 9.2 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है ।

विवरण

प्रमुख ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की वर्तमान भंडारण की क्षमता को दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	भंडारण क्षमता (टन में)	कोयले का वर्तमान भन्डा (टन में)	कितने दिनों के बराबर	तारीख
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
	दिल्ली				
1.	बदरपुर	130000	22845	5	26/11
2.	(क) (इन्द्रप्रस्थ केन्द्र)	100000	19353	6	26/11

1	2	3	4	5	6
	(ख) (राजघाट) डेमू				
	हरियाणा				
3.	फरीदाबाद	60000	10605	8	25/11
4.	पानीपत	400000	7662	3	25/11
	पंजाब				
5.	भटिन्डा	175000	21661	5	25/11
	उत्तर प्रदेश				
6.	ओबरा	270000	226108	20	25-11
7.	हरदुआगंज ए	45000	4527	9	25/11
8.	हरदुआगंज बीओरसी	400000	59369	15	25/11
9.	रेनुसागर	80000	117086	29	1/11
10.	पनकी, पुराना	50000	4302	11	24/11
	(ख) पनकी विस्तार	80000	37625	14	24/11
11.	कानपुर आरपीएच	15000	5814	7	25-11
	पश्चिमी क्षेत्र				
	गुजरात				
12.	धुवरान	60000	21473	18	25-11
13.	अहमदाबाद	50000	22331	6	24-11
14.	उकई	160000	71121	18	25-11
15.	गांधी नगर	100000	116809	46	25-11
	मध्य प्रदेश				
16.	सतपुड़ा	350000	65804	11	19 11
17.	कोरबा	350000	299663	43	19-11
18.	अमरकंटक	100000	26491	8	19-11

...2/—

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र				
19.	ट्राम्बे	150000	16604	20	1-11
20.	नासिक	100000	17916	2	20-11
21.	कोराडी	300000	99256	12	20-11
22.	खापरखेडा	100000	11503	9	20-11
23.	पारस	60000	4255	3	20-11
24.	भुसावल	145000	51203	16	20-11
25.	पारली	60000	38273	13	20-11
26.	चोला	30000	3164	3	1-11
	दक्षिणी क्षेत्र				
	आन्ध्र प्रदेश				
27.	कोठागुडम	200000	90594	18	17-11
28.	रामगुन्डम	60000	11779	12	17-11
29.	विजयवाडा	150000	64736	16	17-11
	तमिलनाडु				
30.	एन्नोर	150000	81735	20	24-11
31.	बसिन ब्रिज	100000	28163	24	24-11
32.	तूतीकोरीन	150000	200395	66	24-11
	पूर्वी क्षेत्र				
	बिहार				
33.	पतरातू	150000	106991	24	25-11
34.	बरौनी	85000	2012	1	25-11
	दामोदर घाटी निगम				
35.	चन्द्रपुरा	2000000	284808	47	18-11
36.	दुर्गापुर	200000	32907	11	20-11

1	2	3	4	5	6
37.	बोकारो	100000	185669	62	20-11
	उड़ीसा				
37.	तलचेर	120000	—	—	24-11
	पश्चिमी बंगाल				
39.	कलकत्ता	44000	26404	6	25-11
40.	बन्देल	100000	28990	10	21-11
41.	दुर्गापुर डीपीएल	200000	40930	24	16-11
42.	सन्थालडीह	150000	14079	5	5-

राजस्थान में नये दूरदर्शन केन्द्र

1401. **श्री अशोक गहलोत : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर विशेष रूप से राजस्थान में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है ;

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर जिले में जो कि सीमान्त क्षेत्र है, टेलीविजन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जायगी: और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रा (श्री बसन्त साठे): (क) जयपुर में स्थानीय दूरदर्शन स्टूडियो भवन को छठी योजना में शामिल किया गया है ।

(ख) से (घ) जोधपुर को उन 49 स्थानों में से एक स्थान चुना गया है जहां अगले 20 वर्षों के दौरान दूरदर्शन विस्तार की भावी योजना के अन्तर्गत डाक-तार माइक्रोवेव लिंक की की सहायता से देश में दूरदर्शन रिलेकेन्द्र स्थापित किए जाने हैं । इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में चुने गए अन्य स्थान कोटा, बीकानेर और सूरतगढ़ है, चरणबद्ध ढंग से इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

कुछ चुने हुए राज्यों के रेडियो स्टेशनों के साथ माक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करना

1402. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह की बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ चुने हुए राज्यों के रेडियो स्टेशनों के साथ माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करने का है :

(ख) यदि हां, तो उन चुने गये राज्यों के कौन-कौन से रेडियो स्टेशनों में छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय का विचार उक्त योजनावधि के दौरान कटक रेडियो स्टेशन की दक्षता को सुधारने के लिये वहां पर उक्त सुविधायें देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं, रेडियो स्टेशनों को को माइक्रोवेव कनेक्शन उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आकाशवाणी केन्द्रों को आम तौर पर आकाशवाणी केन्द्रों के बीच कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए कोक्सीयल केबलों के माध्यम से डाक-तार लिंक उपलब्ध किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (ख) दिल्ली से आशाशवाणी, कटक से रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणावत्ता में सुधार करने के लिए डाक-तार विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह आकाशवाणी कटक को आकाशवाणी कलकत्ता जो दिल्ली से पहले ही जुड़ा हुआ है, के साथ जोड़ने के लिए ब्राडकास्ट क्वालिटी सर्किटों के उपयब्ध करे। यह कार्य डाक-तार विभाग द्वारा अभी हाथ में लिया जाना है।

बल्क औषधियों का उत्पादन बढाने तथा औषध एककों की स्थापना के प्रस्ताव

1403. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौराक बल्क औषधियों का उत्पादन बढाने के लिये सभी सम्भव प्रयास करने का है ;

(क) यदि हां, तो उत्पादन बढाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त योजना अवधि के दौरान देश में बल्क औषधियों के नये संयंत्रों की की स्थापना करने का विचार है :

(घ) यदि हां, तो उक्त औषध निर्माण एककों की स्थापना किस-किस स्थान पर करने का विचार है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क)

जी, हां । सुरकारी क्षेत्र में बल्क औषध के उत्पादन को वर्ष, 1980-81 के दौरान 63 करोड़ रुपये से *तक बढाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार गैर सरकारी क्षेत्र में बल्क औषधों के उत्पादन में 1980-81 के दौरान लगभग 177 करोड़ रुपये से 1984-85 के अन्त तक 4;0 करोड़ रुपये तक की वृद्धि होने की आशा है ।

(ख) देश में अनेक बल्क औषधों का उत्पादन पहले से ही किया जा रहा । जनवरी, 1980 से अक्तूबर,1981 तक की अवधि के दौरान बल्क औषधों के उत्पादन की स्थापना करने अथवा उनके पर्याप्त विस्तार के लिये 40 औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये गये है । इसके अतिरिक्त भारतीय क्षेत्र कम्पनियो को काफी संख्या में डी० जो० टी० डी० पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये गये है । दिनांक 4 सितम्बर,1980 को स्थापित क्षमता को भी कुछ शर्तों के साथ मान्यता दी जायेगी । सरकार विकसित प्रोद्योगिक लागू करके पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्ध करने और पावर तथा जल आदि की नियमित सप्लाई में सहायता करके उत्पादन में कठिनाईयों को दूर करने के लिये पर्याप्त कदम उठा रही है ।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी औषध निर्माता यूनिटों द्वारा हाथ में ली जाने वाली नई योजनाओं के सम्बन्ध में छठी योजनाओं के लिये लगभग 60.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की *जाने वाली यूनिटे के अतिरिक्त होगी ।

(घ) और (ड.) नई योजनाओं के लिये सरकारी क्षेत्रीय यूनिटों के प्रस्ताव पर उनकी तकनीकि और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

इन्डियन मैटस एंड फैरों एलोइड लिमिटेड, उड़ीसा

1404. **श्री चिंतामणि पाणिग्री** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन मेटल्स एंड फैरो एलोइस लिमिटेड, उड़ीसा ने अपने निर्देशक मंडल मे भूतपूर्व राज्यपालों और सेना के सेवानिवृत्त कमांडर इन चीफ को रखा है ;

(ख) क्या इस तरह की नियुक्तियों को अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) क्या उपर्युक्त कम्पनी इस तरह की नियुक्तियों के द्वारा सरकार से अनेक लाभ उठाती है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) श्री बी० डी० जत्ती भूतपूर्व राज्यपाल एवं भारत के उपराष्ट्रपति 28-6-80 से 7-1-81 की अवधि में मैसर्स इन्डिया मेटल्स एण्ड फैरी एलोइस लिमिटेड के निदेशक मंडल में रहे थे । भूतपूर्व स्थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल साम माणेक शाह इस समय 29-6-81 से बोर्ड में मात्र निदेशक है .

* 1984-85 के अन्त तक 215 करोड़ रुपये

* गई है यह गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा स्थापित की

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों कु अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन कम्पनी प्रबन्धकीय/पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करने के लिये केवल अपेक्षित है । मात्र निदेशक की नियुक्ति के लिये सरकार का कोई अनुमोदत अपेक्षित नहीं हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की सूचना में कोई बात नहीं आई है ।

उर्वरक परियोजनाओं के निर्माण में आने वाली दिक्कतें

1405 **श्री के० मालन्ना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या निर्माणाधीन उर्वरक परियोजनाओं द्वारा कोई दिक्कतें अनुभव की जा रही है, यदि हां तो किस प्रकार की ;

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं का निर्माण किस वर्ष आरम्भ हुआ ;

(ग) क्या इसमें से किसी परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हुआ है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा एवं कारण क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : (क) से (घ) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर की नाम रूप 111 नामक एके निर्माणाधीन परियोजना के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाई का अनुभव किया गया हैं । इस परियोजना के प्रारम्भ की तिथि 15.11,1979 है । तथापि असम में अशान्त स्थिति के कारण निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब हुआ है । कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये कम्पनी के प्रस्ताव पर मन्जूर लेने भी कुछ विलम्ब हुआ है । इन कारणों से परियोजना के पूर्ण होने में लगभग 12 महीने का विलम्ब हो जायेगा । अब परियोजन द्वारा नवम्बर 1984 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने की आशा है ।

कोरापुट जिला (उड़ीसा) की दूर संचार व्यवस्था के जाल की वृहत योजना

1406. **श्री गिरिधर गोमागों** : क्या संचार मन्त्री कोरापुट जिला (उड़ीसा) की दूर-संचार व्यवस्था की वृहत योजना के बारे में 25 अगस्त 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह किस प्रकार हुआ और उसके क्या कारण हैं कि उड़ीसा के कोरापुट जिले के पदमपुर गुडारी, रामानागुड़ा, नारायणपाटना, बन्धुग्राम लखीपुर तथा दसमंथपुर जैसे कुछ बहुत दूर कि तथा महत्वपूर्ण स्थान माइक्रोवेव के लिये नहीं चुने गये हैं ; और

(ख) इस माइक्रोवेव प्रणाली के बिना इन क्षेत्रों को दूर संचार की सुधरी व्यवस्था के अन्तर्गत किस प्रकार लिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इन स्थानों पर परियात

इतना नहीं है कि सूक्ष्म तरंग प्रणाली की स्थापना का औचित्य बन सके जो कि एक उच्च क्षमता की तथा महंगी प्रणाली है।

(ख) इन क्षेत्रों को बहु-सम्पर्क रेडियो रिले प्रणाली द्वारा समाप्तित किया जाएगा जो कि सूक्ष्म तरंग प्रणाली जैसी ही विश्वसनीय है।

महाराष्ट्र में गैस एजेंसियों का आवंटन

1407. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1980-81 के दौरान और 1981-82 के दौरान अब तक भारतीय तेल निगम द्वारा किन स्थानों पर एल० पी० जी० गैस एजेंसियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) ये ऐजेंसियां किनको आवंटित की गई हैं और किस आधार पर ;

(ग) आगामी वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर नई एजेंसियों की मंजूरी दिये जाने का विचार है ; और

(घ) इनका आवंटन किस आधार पर किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1980-81 या 1981-82 के दौरान इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की कोई एजेंसी स्थापित नहीं की जानी थी।

(ख) से घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वृतान्त की शेयरधारियों को परिचालित करना।

1408. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों में कोई ऐसा उपबन्ध है जिसके अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को वार्षिक आम बैठकों के कार्यवाही विवरण अथवा वृतान्त शेयरधारियों को परिचालित किये जाने जरूरी हों, यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर वार्षिक आम बैठकों में गणपूर्ति के लिये और निदेशक मंडल की मर्जी के निदेशकों के आसानी से चुनाव की सुविधाजनक बनाने के लिये अंशधारियों से प्रतिपत्रों का उपयोग किया जाता है ;

(ग) क्या कार्यवाही वृतान्त का परिचालन न किये जाने के कारण अधिकतर अंशधारी,

जो दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं और वार्षिक आम बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं उक्त बैठकों की घटनाओं के बारे में अंधेरे में रहते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान अधिनियम का संशोधन करते समय अंशधारियों के हितों के संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) नहीं, श्रीमान् जी। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 196 में, हिस्सेधारियों द्वारा उसमें विहित रीति से, साधारण बैठकों को कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों के निरीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है । कथित कार्यवृत्त की प्रतियां, निवेदन करने पर, नाममात्र का शुल्क देने पर, किसी भी सदस्य को सात दिन के अन्दर भेजा जाना भी अपेक्षित है ।

(ख) धारा 174 में विशेष रूप से प्रावधान है कि गणपूर्ति के लिए केवल सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति आवश्यक होती है। अतः प्रतिपत्रों को, गणपूर्ति के लिए गणना नहीं की जा सकती है। तथापि, निदेशकों के निर्वाचन सहित व्यापार के किसी भी मद पर मतदान होने पर, प्रतिपत्रों के माध्यम से वोट दिया जा सकता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) पर दिये गए उत्तर की दृष्टि से, साधारण बैठकों में घटित कार्यवाहियों के बावत किसी सदस्य को अंधकार में रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। विद्यमान कानून, जो इस विषय पर बिल्कुल पर्याप्त है, के अन्तर्गत यदि वह कोई अपेक्षित सूचना प्राप्त करने की अभिरूचि रखता हो, तो वह उसे पाने का हकदार है।

ढेंकनाल के उप-मंडलीय और जिला मुख्यालयों के साथ सीधा टेलीफोन सम्पर्क

1409. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने उपमंडल तथा खंड मुख्यालय हैं जिनका सीधे और सबसे छोटे रास्ते से ढेंकनाल के उपमंडलीय और जिला मुख्यालयों के साथ सम्पर्क नहीं है ;

(ख) सरकार द्वारा खंड मुख्यालयों को उपमंडलीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इस काम को कब तक पूरा किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) ढेनकनाल जिले के दो उप-मंडल अर्थात अठामलिक तथा पल्लाहारा ऐसे हैं जिनका अपने जिला मुख्यालयों से सम्पर्क नहीं है। एक खंड मुख्यालय अर्थात् भुवान सीधे टेलीफोन सम्पर्क से अपने उस मंडल मुख्यालय के साथ नहीं जुड़ा है।

(ख) मौजूदा ट्रंक व्यवस्था, जो कि पर्याप्त सन्तोषजनक है, को देखते हुए अठामलिक तथा पल्लाधारा को जिला मुख्यालय से जोड़ना आवश्यक नहीं समझा गया। अठामलिक तथा

पल्लहारा छोटे स्वचल एक्सचेंज है जो समीपस्थ ट्रंक केन्द्रों अर्थात अंगुल और तलचेर से क्रमशः उद्गमित हैं जो कि जिला मुख्यालय धेनकनाल से सीधे जुड़े हैं।

(ग) भूबान खंड मुख्यालय को इस वित्तीय वर्ष के दौरान धेनकनाल में जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

आकाशवाणी, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के कर्णचारियों के लिए अतिरिक्त क्वाटर।

1410. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त क्वाटरों का शीघ्र ही निर्माण किये जाने के लिए मंजूरी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी क्वाटरों की संख्या कितनी है और उनकी अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) क्या उक्त कर्मचारी क्वाटरों के निर्माण के लिए समयावलि नियत की गई है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उपरोक्त क्वार्टर कब्जे के लिए कब तक तैयार हो जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) जी, हां। छठी योजना में आकाशवाणी, औरंगाबाद के कर्मचारियों के लिए 4.8 लाख रु० की अनुमानित लागत से 8 अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृत योजना स्कीम है। इन क्वार्टरों के छठी योजना अवधि के दौरान मुक्कमल हो जाने की उम्मीद है।

मंत्रालय के ऐसे अनुभाग जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान है

1411. **श्री राम विलास पासवान :** क्या ऊर्जा मन्त्री यस बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में ऐसे कितने अनुभाग हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी की जानकारी वाले हैं और ऐसे अनुभाग कितने हैं जिनमें 25 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में किया जाता है ;

(ख) मन्त्रालय द्वारा पिछले एक वर्ष के 'क' जाने की कितने प्रतिशत पत्र मूल रूप से हिन्दी में लिखे गए ; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत विभाग और कोयला

विभाग में 30 अनुभाग/डेस्क ऐसे हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं। 5 अनुभागों में 25 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है।

(ख) 1.10. 1980 से 30.9.1981 तक की अवधि में मूल रूप से हिन्दी में लिखे गए पत्रों की प्रतिशतताविद्युत विभाग के मामले में मूल रूप से लिखे गए कुल पत्रों की लगभग 7 प्रतिशत बैठती है और कोयला विभाग के मामले में यह 2 प्रतिशत है। इस अवधि के लिए "क" क्षेत्र सम्बन्धी आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। हिन्दी भाषी राज्यों को पत्रादि हिन्दी में भेजने की आवश्यकता सभी सम्बन्धियों को जोर देकर बार-बार बताई जा रही है। चैक प्वाइन्टों को सशक्त करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। समझा बुझाकर तथा प्रोत्साहन देकर सरकारी कामकाज में हिन्दी लाने की सरकारी नीति के अनुसार, प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है।

देश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों काकार्यकरण

1412. **श्री राम लाल राही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार इस समय कितने स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हैं और उनमें से कितने ठीक काम करते हैं और कितने खराब हैं ; और

(ख) खराब सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को कब तक ठीक किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 30.9.81 को देश में राज्यवार काम कर रहे स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या विवरण में दी गई है। ठीक ढंग से तथा ठीक ढंग से कार्य न कर रहे के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) दोषयुक्त सार्वजनिक टेलीफोन घरों की मरम्मत का कार्य लगातार किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या	कैफियत
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3167	—
2.	बिहार	557	—
3.	गुजरात	1720	—

1	2	3	4
4.	जम्मू तथा कश्मीर	108	—
5.	केरल	2142	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप शामिल है।
6.	कर्नाटक	1725	—
7.	महाराष्ट्र	6395	संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन और द्वीप शामिल हैं।
8.	मध्य प्रदेश	818	1.7.81 को
9.	असम	519	संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल और मिजोरम शामिल हैं।
10.	मेघालय		
11.	मणिपुर		
12.	नागालैंड		
13.	त्रिपुरा		
14.	हरियाणा	1208	संघशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ शामिल है
15.	हिमाचलप्रदेश		
16.	पंजाब		—
17.	उड़ीसा	262	—
18.	राजस्थान	457	—
19.	तमिलनाडु	3229	संघशासित प्रदेश पांडिचेरी शामिल है।
20.	उत्तर प्रदेश	1634	—
21.	पश्चिम बंगाल	1255	1-9.81 को संघशासित क्षेत्र अण्मान और निकोबार शामिल है।
22.	सिक्किम		
23.	संघशासित क्षेत्र दिल्ली	2343	—

आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन से सम्बन्द्ध सलाहकार समितियों का गठन

1413. **श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन से सम्बद्ध सलाहकार समितियां गठित कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इन समितियों के गठन में इतना बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन समितियों का गठन कब तक किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) से (ग) मूल रूप से 5/1/2 घंटे या इससे अधिक के कार्यक्रम प्रसारित करने वाले आकाशवाणी के 60 केन्द्रों में से 57 केन्द्रों पर ये समितियां गठित/अनुमोदित की जा चूकी हैं।

दूरदर्शन केन्द्रे, दिल्ली सहित दूरदर्शग केन्द्रों और आकाशवाणी के शेष तीन केन्द्रों के लिए सलाहकार समितियों का गठन शीघ्र ही कर दिए जाने की उम्मीद है।

आकाशधाणी में प्रोड्यूसरों प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

1414. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों को अभी तक वरिष्ठ ग्रेड नहीं दिए गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रोड्यूसरों से बहुत ही कनिष्ठ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स को सहायक केन्द्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए अधिकतर अधिकारी पहले ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव्स थे ; और

(घ) यदि हां, तो प्रोड्यूसरों को जो कि विशेषज्ञ हैं, पदोन्नतियां न देने के क्या करण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 900-1400 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रोड्यूसर के 33 पदों का सृजन किया गया है।

(ख) प्रोड्यूसर और कार्यक्रम एग्जीक्यूटिव भिन्न भिन्न संवर्गों से संबंधित हैं। इन दोनों श्रेणियों के लिए कोई संयुक्त वरीयता सूची नहीं है और इनके पदोन्नति चैनल भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर संविदा कर्मचारी हैं तथा कार्यक्रम एग्जीक्युटिव नियमित सरकारी कर्मचारी।

(ग) यह सही है कि 1958 और 1965 की अवधि के दौरान ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त किए गए कुछ व्यक्तियों को सहायक केन्द्र निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है, क्योंकि यह पद ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के लिए पदोन्नति चैनल में हैं और भर्ती नियमों में भी इसकी व्यवस्था है।

(घ) प्रोड्यूसरों की वरिष्ठ प्रोड्यूसर के ग्रेड में उसी तारीख से पदोन्नति को स्वीकृत कर दिया गया है जिस तारीख से कार्यक्रम एग्जीक्यूटिवों को हाल ही में उनके संवर्ग में सहायक केन्द्र निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

स्वर्गीय भास्कर सेतुपति के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाना

1415. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का बिचार तमिलनाडु में एक विख्यात विद्वान और लोक-हितैषी रामनाथपुरम के राजा, स्वर्गीय भास्कर सेतुपति की स्मृति में जो स्वामी विवेकानन्द को बिश्व धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो भेजने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक मात्र उत्तरदायी थे, डाक टिकट जारी करने का है ?

संचार मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव : जी नहीं ।

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड में कुप्रबन्ध की शिकायतें

1416. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी में कुप्रबन्ध की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके कारण धारा 209 (क) के अन्तर्गत स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के खिलाफ-जांच के आदेश जारी किये गए हैं ;

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या कुप्रबन्ध को रोकने के लिए कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरे क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : प्रश्न के शीर्षक में, प्रश्नास्पद कम्पनी का नाम "स्वदेशी माइनिंग एन्ड मैन्युफैक्चरिंग काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड" वर्णित किया गया है, जबकि मूल प्रश्न में, "मैं० स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैंयुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड', के बारे में सूचना माँगी गई है । इस अभिधारणा के आधार पर कि प्रश्न 'स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैंन्युफैक्चरिंग कम्पजी लिमिटेड से सम्बन्धित है, निम्नांकित उत्तर दिया जाता है :

(क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) शिकायतें, मुख्य रूप से, कम्पनी के धन का व्यप्रवर्तन तथा निरंतर व्यय, कुछ परिसम्पत्तियों की बिक्री में अनियमितताये, उत्पादन आंकड़ों में छल साधन, कम्पनी से व्यक्तिगत व्यय वसूल करने, सांविधिक व श्रमिकों की देयताओं तथा जमाकर्ताओं का मूलधन व ब्याज, अदा न करने, सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत न करने, न्यासों से कुछ हिस्सों की अनियमित खरीद, बैंक

खातों में अनियमितताओं, लागत लेखा अभिलेख न रखने, कम्पनी की परिसम्पत्तियों के दुरुपयोग आदि, से सम्बन्धित थीं।

(ग) तथा (घ) : कम्पनी अधिनियतम की धारा 209 क के अन्तर्गत निरीक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। निरीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

तेल शोधन कारखानों की तेल साफ करने की क्षमता

1417. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी तेल शोधन कारखानों की तेल साफ करने की क्षमता का ब्यौरा क्या है वे कहां कहां कहां पर स्थित हैं, उनकी अलग-अलग अधिष्ठापित और क्षमता और वास्तविक उत्पादन के आँकड़े क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक तेल शोधन कारखाने का विस्तार कार्यक्रम क्या है, संशोधित अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी और उक्त विस्तार कार्य कब तक पूरा होगा ?

पेट्रोलियम रसायन और उरवरक मंत्री श्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सभी शोधनशालाओं की स्थापित क्षमता, स्थान तथा 1980-81 के दौरान वास्तविक थ्रपुट के सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

स्थान सहित शोधनशालाओं के नाम	स्थापित क्षमता (एम०टी०पी०ए०)	1980-81 में वास्तविक थ्रपुट (एम०टी०पी०ए० में)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, बम्बई	5.25	4.90
कोचीन रिफाइनरीज लि० कोचीन	3.30	2.91
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशम, वैशाख	1.50	1.32
—वही— बम्बई	3.50	3.12
इंडियन आयल कारपोरेशन, बरौनी	3.30	0.49
—वही—, गोहाटी	08.5	0.64
—वही—, हाल्डिया	2.50	2.31
—वहा—, कोयाली	7.30	6.97
मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास	2.80	2.61
मोंगाइगांव रिफाइनरीज		

एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाइगांव)	1.00	0.05
इंडियन आयल कारपोरेशन (आसाम आयल डिविजन), डिगबोई	0.50	0.50

(ख) कार्यन्वयाधीन विस्तार योजनाओं, संशोधित स्थापित क्षमता तथा ऐसी योजनाओं के पूरा किये जाने की अनुमानित तिथि के सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

शोधनशाला का नाम तथा स्थान	जोड़ी जाने वाली अतिरिक्त क्षमता (मि० मी० टन प्रति वर्ष में)	पूरा होने के बाद कुल स्थापित क्षमता (मि० मी० टन प्रति वर्ष में)	पूरा किए जाने की अनुमानित तिथि
बी० पी० सी० एल०, बम्बई	0.75	6.00	अक्तूबर, 1984
एच० पी० सी० एल०, विशाख	3.00	4.50	अक्तूबर, 1984
सी० आर० एल०, कोचीन	1.20	4.50	जून, 1984
एम० आर० एल०, मद्रास	2.80	5.60	जुलाई, 1984

उपरोक्त के अतिरिक्त, 6 एम० टी० पी० ए० की एक शोधनशाला मथुरा बहुत शीघ्र पूरी हो रही है।

पोस्टल फार्म एण्ड सील्स स्टोर्स विंग अलीगढ़ में बढ़ईयों के वेतनमान में असंगति

1418. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के पोस्टल फार्म एण्ड सील्स स्टोर्स विंग, अलीगढ़ में बढ़ई का पद मूल रूप से चतुर्थ श्रेणी पद था और अब इसे तृतीय श्रेणी का पद बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पद कादर्जा बढ़ाए जाने पर पद के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ;

(ग) क्या बढ़ई के दर्जी बढ़ाए गए पद को वर्दी और धुलाई भत्ते आदि से वंचित कर दिया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि अलीगढ़ में डाक-तार विभाग के सिविल विंग में बढ़ई के पद का वेतनमान अधिक है और उस पर वर्दी, धुलाई भत्ता आदि लाभ भी मिलते हैं ;

(ङ.) यदि हां, तो एक ही विभाग के दो विंगों में बढ़ई के पद के वेतनमानों में असंगति के क्या कारण हैं ;

(च) इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर दिया जायेगा।

अवितरित तार

14।9. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने कों कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राज्यों के विभिन्न बड़े नगरों के केन्द्रीय तार घरों में तारो के अवितरित पड़े रहने की कुछ घटनायें हुई हैं।

(ख) यदि हाँ- तो उड़ीसा राज्य में ऐसे अवितरित तारों की संख्या क्या है और ये तार कब से इकट्ठे हो रहे हैं ;

(ग) तारों कां शीघ्र वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव इन तारों के वितरित न होने के लिए इन तारों कें प्रेषकों को तार शुल्क लौटाने का है ?

सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ, विभिन्न प्रमुख शहरों के केन्द्रीय तार घरों में इस प्रकार के कुछ मामले रहे हैं कि तारों का वितरण नहीं हो सका था।

(ख) 1-1-81 से 31-10-81 की अवधि के बीच उड़ीसा राज्य में कुल 4129620 तार वितरण हेतु प्राप्त हुए थे। इसमें से 16।75 तारों का वितरण पत्ते अधूरे होने सक्षिप्त तथा साधारण पत्ते होने, पत्ता छूट जाने, मकान बन्द रहने के कारण नहीं हो सका। अवितरित तारों के इकठ्ठे होने का कोई मामला नहीं है।

(ग) इस प्रकार की कार्रवाई जनता को समझाने हेतु, बोर्ड लगाकर की गई है कि तारों के शीघ्र पहुंचने हेतु वह स्पष्ट और पूरा पत्ता, पिन कोड नम्बर सहित लिखें। जिन मामलों में आवश्यक होता है वितरण न करने के लिए दोषी तार सदेश वाहकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(घ) विभागीय त्रुटि के कारण तारों के वितरण न होने की स्थिति में निबमों के अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था है कि तार प्रभार लौटाया जाए।

गैस सिलिण्डरों से गैस निकाला जाना

1420. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री वितरण के समय गैस सिलेण्डरों से गैस निकाल लेने के बारे में दिनांक 25 अगस्त, 19 1 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1302 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिलिण्डिरों के बजन की सचाई की जांच करने के लिए सावधानी नहीं बरती जा सकती क्योंकि इन पर लगाई जाने वाली शील "पेपर अदेसिव सील" होती है जिसे आसानी से हटाया और पुनः लगाया जा सकता है ;

(ख) बितरकों द्वारा तोलने की "हैण्डहैल्ड" मशीनें ले जाये जाने में क्या कठिनाईयां हैं जैसा कि रेलवे जांच कर्मचारी रेलों में ले जाते हैं ;

(ग) सिलिण्डरों की भद्दे तथा गन्दे रूप में सप्लाई किए जाने तथा नियमित अन्त्राल से उन्हें पेन्ट न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) : तेल कम्पनियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव सावधानियां बरती हैं कि उपभोक्ताओं को केवल वहीं एल० पी० जी (कुकिंग गैस) सिलेण्डर सप्लाई किये जाए जिनका वजन ठीक हो और जिन पर सील लगी हुई हो। एल० पी० जो० सिलेण्डरों वजन की जांच दोनों फिलिंग संयत्रों और वितरको के गोदामों पर की जाती है। कम वजन वाले टूटी हुई शील वाले सिलेन्डरों को अलग रखा जाता है और हटा दिया जाता है। इन सावधानियों के बावजूद उपभोक्ता द्वारा यह महसूस किया जाता है कि उसे सप्लाई कए गये सिलेन्डर का वजन कम है अथवा इसकी शील को छेड़छाड़ किया गया है, उसे उस सिलेन्डर के स्थान पर दूसरा सिलेन्डर ले सकेगा। प्रत्येक उपभोक्ता को सिलेन्डर सप्लाई किये जाने के समय "स्प्रिग बेलेन्स" के साथ उसका वजन करना व्यवहार्य कठिनाईयों के कारण सम्भव नहीं समझा जा सकता है।

(ग) नये दर्ज किए गए व्यक्तियों/प्रतिस्थापन के लिए बड़ी संख्या में नये एल० पी० जी० सिलेन्डर बाजार में रखे गये हैं। सभी एल० पी० जी० सिलेन्डरों को प्रत्येक 4-5 वर्षों में उनके कानूनी परीक्षण के समय दुबारा पेन्ट किए जाते हैं।

आर्गन-गैस के लिए इन्डियन आक्सीजन लि० के साथ करार

1421. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० सी० आई० आर्गन गैस की बिक्री के लिए इन्डियन आक्सीजन लि० के साथ दीर्घावधि करार करन पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में तेल की खोज के लिए सोवियत रुस के साथ बातचीत

1423. श्री चित्त बसु :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था तथा देश में तेल की खोज के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के परिणाम स्वरूप कार्यवाही हेतु क्या विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) श्री डी० ए० तकोइव, सोवियत संघ ने उद्योग उपमन्त्री की अध्यक्षता में एक सोवियत संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अक्तूबर, 1981 के दौरान भारत का दौरा किया था और विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित परिणाम प्रकट हुए :—

(क) पश्चिमी क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के रुग्ण कूपों का नवीकरण करने के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 1981 को एक ठेके पर हस्ताक्षर किये गए थे।

(ख) यह प्रस्ताव दिया था कि पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र में हाईड्रो-कार्बन्स के लिए संगठित खोज कार्य को सोवियत संघ का वो० ओ० टेक्नो एक्सपोर्ट करेगा।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाओं में कार्य करने के लिए सोवियत संघ के संगठन 40 सोवियत संघ के विशेषज्ञों की सेवाएं उधार पर देने के लिए सहमत हो गये हैं।

कालकाजी में मैसर्स पुंज एण्ड संस को 7 एकड़ भूमि की बिक्री

*1424. श्री के० लकप्पा :

श्री सूरज भान :

श्री अटल विहारी वाजपेयी :

श्री एन० के० शेजवलकर :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा कालकाजी में मैसर्स पुंज एण्ड संस को बाजार दर की तुलना में काफी कम दर से सात एकड़ भूमि बेची जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं और इसकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या पुंज एण्ड संस के साथ यह प्रस्ताव करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित पद्धति से हटने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : 1978 में लिए गये एक निर्णय के अनुसार, मैसर्स पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कालकाजी में 7.33 एकड़ भूमि पर किए गए पुराने अनाधिकृत कब्जे को नियमित करने के लिए उन्हें पेश कश की गई है। निर्माण और अधीन मन्त्रालय की 1978 की अनुसूची, जिस वर्ष यह निर्णय लिया गया था, के आधार पर क्षति प्रभारों और भूमि के किराये के कारण पूंजीगत मूल्य जोड़ने के पश्चात 1,39,69,147.50 रु० (393.75 रु० प्रति वर्ग गज की दर से (कीमत आंकी गई है । बिक्री को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । चूंकि भूमि की कीमत का मूल्यांकन दिल्ली और नई दिल्ली में स्थिति परिसम्पत्तियों के लिए इस विभाग द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार किया गया है, अतः बाजार दर से किसी प्रकार की तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता है । ये पेशकश की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) यह कि कम्पनी 7.33 एकड़ भूमि के लिए 393.75 रु० प्रति वर्ग गज की दर से कीमत अदा करेगी जो 1,39,69,147,50 रुपये बनती है ।

(2) यह कि कम्पनी भूमि के कब्जे की तारीख से 1 रु० प्रति सा वर्ग गज की दर से भूमि का वार्षिक किराया देगी । इस सम्बन्ध में 31-3-1982 तक 9,141.25 रु० की राशि देय बनती है ।

(3) भूमि का नियमित करने के साथ यह शर्त है कि 7.33 एकड़ क्षेत्र को छोड़कर 2.6 एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र खाली करना होगा । भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निर्धारित प्रपत्र में कम्पनी को भूमि का पट्टा नामा भरना होगा ।

(4) सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु कम्पनी इस भूमि का उपभोग नहीं करेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डेसू में जनरल मैनेजर का पद

1425 **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय** :

श्री सज्जन कुमार : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'डेसू' में जनरल मैनेजर का पद काफी लम्बे समय से खाली पड़ा है ;

(ख) यदि हां, को कब से और इस पद को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस रिक्त पद पर अधिकारी को नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महा प्रबन्धक का पद 6 जून, 1980 को खाली हुआ था तथा तब से आयुक्त, दिल्ली नगर निगम. अपनी डयूटी के साथ-साथ, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महा प्रबन्धक का कार्य भी देख रहे हैं । इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

विद्युत उत्पादन क्षमता में कमी

1426. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष 900 मेगावाट की पिछली बकाया बिजली के नई उत्पादन क्षमता में जोड़े जाने से वर्ष 1981-82 में बिजली की कमी में 1000 मेगावाट की और कमी हो जाएगी, जिससे इस योजना में पहले दो वर्षों में लक्ष्य प्राप्त करना प्राय: असम्भव हो जाएगा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : नई उत्पादन परियोजनाओं को चालू करने में होने वाली देरियों पर सरकार ध्यानपूर्वक निगरानी रख रही है विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करने के लिए परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों की शक्ति से मानीटरिंग करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) में निर्माण मानीटरिंग निदेशालय बनाए गए हैं तथा परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं तथा निर्माताओं, निर्माण ऐजेंसियों आदि के साथ के० वि० प्रा० में समन्वय तथा समीक्षा बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है । सभी बाधाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है । ताकि सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके । के० वि० प्रा० के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलो का दौरा करते हैं तथा बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले उठाते हैं । राज्य सरकारों के साथ तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु विद्युत विभाग में भी समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं । ऊर्जा मन्त्री के स्तर पर राज्यों के विद्युत मन्त्रियों के साथ बैठकों का आयोजन भी राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर किया गया था जिनमें नई तथा निर्माणधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू किये जाने की बारीकी से समीक्षा की गई थी ।

मंगलोर को बंगलोर दूरदर्शन केन्द्र के अन्तर्गत लाया जाना

1427. **श्री ओस्कर फर्नांडीस** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर को बंगलोर दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक सम्भव होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं । मंगलोर के बंगलोर से 350 किलोमीटर से अधिक दूर होने के कारण इसको बंगलोर के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के द्वारा कवर नहीं किया जा सकता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लकवे की रोक-थाम के लिए औषधि की खोज

1428. **श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में सैनिक वैज्ञानिकों ने एक ऐसी औषधि की खोज की है जो क्रिपलिंग स्पाइनल कार्ड की क्षति के कारण होने वाले पूर्ण लकवे अथवा आंशिक लकवे की रोकथाम में प्रभावी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इसका आयात करने अथवा भारत में रोगियो हेतु इसकी उपादेयता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने का है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्य क्या-क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गोविन्द सागर झील को द्वीप बनने से रोकने के उपाय

1429. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द सागर झील को आने वाले वर्षों में गाद के एक बड़े द्वीप में परिवर्तित होने तथा भाखड़ा बांध को बंध में बदलने से रोकने से बचाने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : भाखड़ा बांध में गाद की समस्या जलाशय के वाह क्षेत्र के वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। इस समस्या पर काबू पाने की दृष्टि से इस समस्या का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने फरवरी, 1980 में एक समिति का गठन किया था, जिसमें भाखड़ा परियोजना, हिमाचल प्रदेश सरकार और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए इस संचालन समिति का गठन किया गया है। इस बीच, भाखड़ा जलाशय के हरी पट्टी क्षेत्र में भू-संरक्षण उपायों के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। इन उपायों से समस्या, कारगर रूप से, हल हो जाएगी।

जिला कोलाबा (रायगढ़) महाराष्ट्र में चौक पर उप-डाकघर का खोला जाना

1430. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत चौक, जिला कोलाबा (रायगढ़) महाराष्ट्र ने दिनांक 26 जून, 1979 के अपने पत्र सं०-2241 79180 द्वारा डाकघर अधीक्षक, रायगढ़ डिवीजन, अलीबाद से चौक में एक उप डाकघर की स्थापना करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत अपनी इस मांग को वर्ष 1970 से विभिन्न अधिकारियों के साथ लगातार करती आ रही है ;

(ग) अपनी माँगों के समर्थन में उन्होंने अपने पत्र में किन-किन बातों का उल्लेख किया है ;

(घ) क्या सरकार ने चौक पर एक उप-डाकघर खोलने के बारे में कोई निर्णय लिया है, यदि हां, तो कब ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव : (क) जी हां।

(ख) केवल 1 76 से ग्रात पचायत इस मांग के लिए अनुरोध कर रही है।

(ग) मांग के समर्थन में यह कहा जाता है कि समीपवर्ती 30-35 ग्राम हैं इस ग्राम में एक हाई स्कूल, एक अस्पताल, एक पशु चिकित्सालय एक वन- कार्यालय, एक सरकारी गोदाम, एक देना बैंक, जिला परिषद कार्यालय तथा एक स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज है। सार्वजनिक टेली-फोन की सुविधा वाला निकटतम उप-डाकघर करजात में है जो 15 कि० मी० की दूरी पर है।

(घ) पिछले दिनों इस प्रस्ताव की जांच कीगई थी तथा औचित्य न ठहरने के कारण

इसे रोकदिया गया था। इसकी दोबारा जाँच की गई है तथा अभी भी औचित्य नहीं ठहरता है।

(ङ.) दर्जा बढ़ाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्प्रीट का उत्पादन

1431. **श्री स्कारिया थामस :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश चालू वर्ष में स्प्रीट का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ;

(ख) इसकी सम्भावित मांग क्या है ; और

(ग) यदि स्प्रीट की कमी है, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठायें गए हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर-नवम्बर) से केन्द्रीय शीरा बोर्ड ने अल्कोहल की उपलब्धता और मांग का अनुमान क्रमशः 4200 लाख लीटर (पिछले स्टाक सहित) और 5716 लाख लीटर लगाया था। अल्कोहल वर्ष 1981-82 के लिये अनुमानों को अन्तिम रुप नहीं दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे (1) यह सुनिश्चित करें कि उपलब्ध शीरे का प्रयोग किया जा रहा है (2) अल्कोहल उत्पादन के लिए खण्डसारी शीरे का प्रयोग करें और (3) चीनी कारखानों द्वारा शीरे के भण्डारण के लिये पर्याप्त और उचित भण्डारण सुविधा सुनिश्चित करके, अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करें। सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि परम्परागत रुप से फालतू अल्कोहल और शीरा रखने वाले राज्य इनकी अधिकतम सम्भावित मात्रा कमी वाले राज्यों को उपलब्ध करें। अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने मामला-दर-मामला के आधार पर जारी किए जाने वाले लाइसेंसों के आधार पर अल्कोहल का आयात करने हेतु वास्तविक औद्योगिक प्रयोगकर्ताओं को अनुमति देने का भी निर्माण किया है। वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को, अभी तक 98 लाख लीटर अल्कोहल का आयात करने के लिये, आयात लाइसेंस जारी किए गये हैं।

मधुवनी डिवीजनल मुख्यालयों में स्टाफक्वाटरों का निर्माण

1432. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल के अन्तर्गत मधुवनी डिवीजन के पी 3 पी 4 के डिविजन सैक्रेट्री ने मधुवनी डिवीजन मुख्यालय में स्टाफ क्वाटरों की व्यवस्था के लिए कोई अभ्यावेदग दिया है ;

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उस भूखंड के पास जहाँ हाल में विभागीय भवन का निर्माण किया गया है, पर्याप्त फालतू भूमि पड़ी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उस फालतू विभागीय भूमि पर स्टाफ क्वाटरों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ड.) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) 12 स्टाफ क्वाटरों 6 टाइप-I और 6 टाइप-II के निर्माण हेतु आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) एवं (ड.) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अल्कोहल के आवंटन हेतु केन्द्रीय शीरा बोर्ड के निर्देश

1433. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक अल्कोहल के आवंटन और वितरण के संबंध में केन्द्रीय शीरा बोर्ड के निर्देशों का महाराष्ट्र सरकार सहित प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण पालन निश्चित किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : उपलब्ध अल्कोहल और शीरे का सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों में वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार गैर-सांविधिक आधार पर अब एक समन्वय प्राधिकारी की भूमिका अदा कर रही है । इस भूमिका को निभाने में एक परामर्शदात्री निकाय केन्द्रीय शीरा बोर्ड सरकार की सहायता करता है जिसमें सब राज्यों और संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधी होते हैं । सरकार ऐसे प्रयास करती रही है और आगे भी करती रहेगी जिनसे अधिशेष शीरा/ अल्कोहल रखने वाले राज्य, शीरा/ अल्कोहल की अधिकतम मात्रा कमी वाले राज्यों को उपलब्ध करेंगे ।

दुगुने उत्पादन के लिए सिंगरेणी योजना

1434. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगरेनी कोयला खानों में उत्पादन को दुगुना करने संबंधी अपनी योजना भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा तथा उनकी वित्तीय आवश्यकताएं क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

'बिग हाउसिस में एन्टर पावर सैक्टर' शीर्षक समाचार

1435. **श्री भीकू राम जैन :** क्या ऊर्जा मंत्री दिनांक 21 अक्तूबर, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में विग 'हाउसेस में एन्टर पावर सैक्टर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार और इस सम्बन्ध में कुछ माह पूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र को दिए गए अपने आह्वान के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में बड़े घरानों को प्रवेश की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी लोगों के किसी प्रस्ताव को सरकार द्वारा मन्जूरी दी गई है ;

(ग) क्या सरकार ने समान कारणों से गैर-सरकारी क्षेत्र को अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में प्रवेश खोल देने पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में यूटिलिटी के रूप में निजी क्षेत्र की भूमिका इस समय औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प, 1956 के द्वारा शासित होती है। इस संकल्प के अन्तर्गत बिजली के उत्पादन और वितरण को अनुसूची "क" में शामिल किया गया है। इसमें उन उद्योगों की सूची दी गई है, जिनमें सभी यूनिटें केवल राज्य द्वारा ही स्थापित की जाएंगी। अपवाद केवल उन मामलों में होगा जिनमें नये यूनिटों की स्थापना निजी क्षेत्र में किए जाने का अनुमोदन दिया जा चुका है। निजी स्वामित्व वाले वर्तमान यूनिटों के विस्तार में अथवा नई यूनिटों की स्थापना में निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करना राष्ट्र हित में अपेक्षित हो, तब राज्य द्वारा इसे प्राप्त करने की संभावना में यह प्रस्ताव बाधक नहीं है। औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के संदर्भ में तथा विद्युत के लिए अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन संयन्त्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार उनके गुण-दोष के आधार पर किया जाता है।

(ख) निजी यूटिलिटीज के स्वामित्व जिन विद्युत संयन्त्रों के लिये सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, उनकी सूची नीचे दी गई है :—

(क)	टाटा इलैक्ट्रीक कम्पनीज	क्षमता मेगावाट में
1.	ट्राम्बे थर्मल पावर प्लान्ट	337.5

2.	भीवपुरी हाईड्रो-इलेक्ट्रिक प्लान्ट	72.0
3.	कोपली हाईड्रो-इलेक्ट्रिक प्लान्ट	72.0
4.	भीरा हाईड्रो-इलेक्ट्रिक प्लान्ट	141.0
	(ख) अहमदाबाद इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी लिमिटेड :	
1.	अहमदाबाद में ताप विद्युत संयंत्र	327.5
	(ग) कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन :	
1.	कलकत्ता में ताप विद्युत संयंत्र	412.5
	(घ) दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कम्पनी :	
1.	दिशेरगढ़ ताप-विद्युत संयंत्र	18.0
	(ङ.) एसोसिएटिड पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड :	
1.	सीवपुर	8.38

(ग) और (घ) औद्योगिक यूनिटों की स्थापना सरकार की वर्तमान नीति के द्वारा विनियमित की जाती है। विद्युतसेक्टर में समग्र विद्युत सप्लाई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा इस्पात, अल्युमीनियम, और उर्वकर जैसे कुछ प्रमुख उद्योगों को सुनिश्चित विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराने की जरूरत को देखते हुए, कोयले पर आधारित केप्टिव विद्युत संयन्त्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर सहानुभूति पर विचार किया जाता है।

तेल की उत्पादन दर

1436. **श्री नारायण चौबे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी 70 प्रतिशत तेल आवश्यकताएं वर्ष 1985 तक देश में उत्पादन द्वारा पूरी की जाएंगी ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न तेल क्षेत्रों में तेल की वर्तमान उत्पादन दर क्या है ; और

(ग) वर्ष 1985 तक उत्पादन को लक्ष्य तक बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) ऐसी आशा की जाती है कि वर्ष 1984-85 तक 30 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की दर से देशीय खनिज तेल का उत्पादन किया जाएगा और जिससे लक्षित मांग के 70 प्रतिशत को पूरा किए जाने की सम्भावना है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान, 16 मिलियन मी० टन खनिज तेल के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाये जा रहे हैं (1) पूर्वी क्षेत्रीय क्षेत्रों में और उनके साथअ प तटवर्ती क्षेत्रों में त्वरित उत्पादन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना (2) तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित वर्तमान रुग्ण कूपों की मरम्मत करना और फिर उनसे उत्पादन आरम्भ करना (3) उत्तरी गुजरात क्षेत्रों से आरम्भ से परिकल्पित किए गए उत्पादन से अधिक उत्पादन को बढ़ाना (4) उत्पादन कर बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई कुछ अधिक वसूली योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना ।

बम्बई, मद्रास दिल्ली और कलकत्ता टेलीफोनों के साथ सम्बद्ध सलाहकार समितियां

1437. **श्री रूपचन्द्र पाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता टेलीफोनों के साथ कोई सलाहकार समितियां सम्बद्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इन समितियों की कितनी बैठकें हुई हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) बम्बई दिल्ली और मद्रास टेलीफोन हेतु टेलीफोन सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं । कलकत्ता टेलीफोन हेतु समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

(ख) बम्बई	—	चार	
मद्रास	—	पांच	
दिल्ली	—	आठ	
कलकत्ता	—	एक	(पिछली टेलीफोन सलाहकार समिति की अन्तिम बठक 4-11-79 को हुई थी) ।

राजस्थान के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुमानित विद्युतीकरण योजनायें

1438. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने पिछले तीन वर्षों में राजस्थान के लिए विद्युतीकरण योजनाएं अनुमोदित की हैं और इसमें खण्डवार कितने गांव आएंगे तथा अनुमोदित योजनाओं पर कितनी लागत आएगी ;

(ख) योजनाओं की प्रगति का पूर्ण ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सह सच है कि स्टाफ सामग्री और उपस्करों का काफी अभाव होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम निर्धारित नियम से काफी पीछे रह गया है ;और

(घ) यदि हां, तो कथित कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले तीन वर्षों (1979-81) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राजस्थान की 230 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें अनुमोदित की हैं। इन स्कीमों की कुल लागत 74.87 करोड़ बैठती है और ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृम वित्तीय सहायता 53.81 करोड़ रुपये बैठती है। इन स्कीमों में 60 6 गांवों की विद्युतीकरण किया जाना है। 230 स्कीमों का स्कीमवार ब्यौराउपाबन्ध एक में दिया गया है जिनमें ब्लाकों के नाम, स्कीम के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की संख्या, स्कीम की लागत, स्वीकृत ऋण राशि आदि शामिल हैं।

(ख) 230 स्कीमों के सम्बन्ध में, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने स्वीकृत की गई 53.81 करोड़ रुपये की ऋण सहायता में से, सितम्बर, 1981 के अन्त तक 22.33 करोड़ रुपये की राशि की ऋण की किस्तें वितरित की हैं। मार्च, 1981 के अन्त तक 948 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। विद्युतीकृत गांवों के सम्बन्ध में स्कीमवार स्थिति व वितरण (उपाबन्ध एक) में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2988/81]

(ग)11 के० वी० लाइन की सामग्री और कन्डक्टरों की कमी का रण ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की क्रियान्वयन की प्रगति धीमी रही है।

(घ) आवश्यक सामग्री की प्राप्ति हेतु राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने आवश्यक आर्डर दे दिए हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान 4.22 करोड़ रुपये की राशि के आग्रिम ऋण भी ग्राम विद्युतीकरण निगम ने स्वीकृत किए हैं ताकि स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सामग्री की प्राप्ति के लिए राज्य बिजली बोर्ड व्यवस्था कर सके।

तेल की खोज के लिए भारत फ्रांस करार

1439. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री बाल कृष्ण बालानिक :

श्री के० लक्प्पा :

श्री टी० दामोदर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर,1981 में तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए भारत फ्रांस करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया के पेट्रोकैमिकल्स काम्पलैक्स का छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना

1440. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या पेट्रोलियम रसायन और ऊर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि

(क) क्या हल्दिया में पेट्रोकैमिकल्स काम्पलैक्स को छठी पंचवर्षीय योजनायें शामिल किया जाएगा ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार भी इस काम्पलैक्स की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के पक्ष में हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए उए हैं और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) हल्दिया में एक एरोमेटिक उद्योग समूह की स्थापना करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० को एक आशय पत्र 1977 में जारी किया गया था । इस परियोजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है ।

पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस परियोजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा साम्य शेयर पूंजी में भागेदारी करने का प्रस्ताव किया है ।

(ग) और (घ) प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया है ।

ऊर्वरक के लिए नवीन मूल्य निर्धारित

1441. **श्री गुलाम रसूल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 198i में घोषित उर्वरक के मूल्य निर्धारण सूत्र को पूंजी निवेश के लिए और अधिक आकर्षण बनाने हेतु इसमें संशोधन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुरानी नीति में सुधार करने के सम्बन्ध में उर्वरक उद्योग और रसायन और उर्वरक विभाग में बातचीत हुई हैं ;

(ग) संशोधन सूत्र की मुख्य बातें क्या है, और

(घ) क्या इसे सबने स्वीकार किया है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : (क) जुलाई, 1881 में किसी प्रतिधारण मूल्य के फार्मूले की घोषणा नहीं की गई थी। स्वेदशी उर्वरकों के लिये प्रतिधारण मूल्य योजना में एक निर्दिष्ट मूल्य निर्धारण अवधि के लिये प्रतिधारण मूल्य निर्धारण करने की व्यवस्था है। वर्तमान मूल्य निर्धारण अवधि 31 मार्च 1982 को समाप्त हो रही है। रसायन और उर्वरक विभाग ने 1 अप्रैल, 1982 से प्रारम्भ होने वाली अगली मूल्य निर्धारण अवधि के लिये नये प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने का मामला अपने हाथ में लिया है । इस सम्बन्ध में उपयोग के प्रतिनिधियों ने कुछ अभ्यावेदन दिये हैं।

(ग) और (घ) चूंकि कोई संशोधित फार्मूला तैयाम नहीं किया गया है, अतः सभी के द्वारा इसे स्वीकार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रानीगंज में अवतलन समस्या

1442. **श्री अजित बाग :**

श्री नीरेन घोष : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रानीगंज में अवतलन की समस्या की जाँच के किये पौलैंड के एक विशेषज्ञ की सेवाओं के बारे में एक संसद सदस्य का दिनांक 22 अक्तूबर, 1981 को एक पत्र प्राप्त हुआ है ;

(क) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) कथित दल सर्वेक्षण के लिए कब आ रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पोलैण्ड की सरकार ने सूचित किया है कि रानीगंज की भूमि को स्थिर करने के लिए पौलैण्ड की एक फर्म का प्रस्ताव भारत लाया गया है और इसे भारत सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। कोई विशेषज्ञ केवल तभी आ सकता है, जब प्रस्ताव प्राप्त हो जाए और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो जाऐं ।

छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत सप्लाई कार्यक्रम के लिए उपस्कर

1443. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**

श्री टी० दामोदर रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचर्वीषय योजना के दौरान 2000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए विद्युत विस्तार कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पूर्ण विश्वास है कि 'भेल' तथा अन्य सप्लाई कर्त्ता विद्युत उप-

स्करों की निर्धारित सप्लाई पूरी कर देंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विद्युत उपस्कर आयात करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के के दौरान 19666 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम है ।

(ख) और (ग) सरकार, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति को सख्ती से मानोटरिंग कर रही है । भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिलिटेड तथा अन्य सप्लाई कर्त्ताओं को अनुदेश दिए गए हैं कि विद्युत उपस्कर की सप्लाई करने के अपने कार्यक्रम पर वे असल करें । परियोजनाओं के लिए उपस्करों की सप्लाई समय पर किए जाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं ।

देश में सब-पोस्ट आफिस और ब्रांच पोस्ट आफिस खोलना

1444. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले दो वर्षों में कितने सब-पोस्ट आफिस तथा ब्रांच पोस्ट आफिस ऐसे स्थानों पर खोले गए हैं जो इस कार्य के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरा नहीं करते;

(ख) खोले गए पिछले ऐसे पोस्ट आफिसों की राज्य-वार संख्या कितनी है, और

(ग) ऐसे पोस्ट आफिस खोलने का आधार क्या है तथा इस कार्य के लिए किन बातों पर विचार किया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) गत दो वर्षों के दौरान देश में 215 ऐसे शाखा डाकघर खोले गए जो इस उद्देश्य हेतु निर्धारित मानदंड़ों को पूरा नहीं करते थे । मानदंडों में छूट देकर खोले जाने वाले उप डाकघरों की संख्या शून्य थी।

(ख) ऐसे डाकघरों की राज्य वार संख्या विवरण में दी गई है,

(ग) पोस्टमास्टर जनरल को प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत मामलों में डाकघर खोलने हेतु जनसंख्या दूरी तथा आय के मानदण्डों में छूट देने की शक्तियां प्राप्त हैं । ये डाकघर पोस्ट-मास्टर जनरल द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानदंडों में छूट देकर खोले गए थे। इन स्थानों पर डाकघर खोलने के लिए इन स्थानों के सहत्व तथा डाकघर खोलने के लिए वहां की जनता की मांग को ध्यान में रखा गया था ।

विवरण

निर्धारित मानदंडों में ढील देकर भारत के प्रत्येक राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान खोले गये डाकघरों की संख्या दर्शाने वाली विवरणी

	राज्यों के नाम	शाखा डाकघर	
		1979-80	1880-81
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	3
2.	बिहार	9	6
3.	दिल्ली	—	—
4.	गुजरात	5	2
	द्वीप	—	—
	दमन	—	—
	दादर व नगर हवेली	—	—
5.	जम्मू और काश्मीर	1	—
6.	केरल	6	8
	माहे	—	—
	लक्षद्वीप	—	—
7.	कर्नाटक	—	3
8.	मध्य प्रदेश	6	4
9.	महाराष्ट्र	9	4
	गोवा	3	1
10.	असम	3	1
	मेघालय	1	—
	अरुणाचल	3	2
	मिजोरम	2	2
	मणिपुर	3	1
	नागालैंड	2	1

1	2	3	4
	त्रिपुरा	2	1
11.	पंजाब	10	2
	हरियाणा प्रदेश	—	1
	हिमाचल प्रदेश	2	2
	चण्डीगढ़	—	—
12.	उड़ीसा	22	11
13.	राजस्थान	1	2
14.	तमिलनाडु	1	2
	पांडिचेरी	—	2
15.	उत्तर प्रदेश	—	1
16.	पश्चिम बंगाल	26	6
	सिक्किम	—	—
	अन्डमान और निकोबार	—	—
	योग:	136	79

अधिकतम तेल प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन

1445. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अधिकतम तेल प्राप्त करने की क्षमता का मूल्यांकन किया है,और

(ख) यदि हां, तो औसतन कितना तेल प्राप्त होता है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी, हां ।

(ख) गत तीन वर्षों के लिए तेल प्राप्ति का प्रमाणित और सांकेतिक शेष प्राप्य भंडार वास्तविक उत्पादन और प्रतिशतता निम्न प्रकार है :

वर्ष	निक्षेप मि० मी० टन	उत्पादन	प्राप्ति की प्रतिशतता
1977	303.18	10.19	3.36
1978	347.03	11.27	3.24
1979	354.44	12.84	3.62
1980	366.33	9.40	2.57

पेट्रोलियम पदार्थों का प्रति लिटर मूल्य

1446. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, 1980 को मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल का प्रति लिटर मूल्य क्या था ;

(ख) उक्त पदार्थों का मूल्य अब कितना है ; और

(ग) मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पहली जनवरी, 1980 की यथा स्थिति को बम्बई, दिल्ली कलकत्ता और मद्रास में मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल के प्रति लीटर मूल्य निम्नलिखित रूप में थे :—

(रुपये प्रति लिटर)

	बम्बई	दिल्ली	कलकत्ता	मद्रास
मिट्टी का तेल	1.38	1.54	1.49	1.55
पेट्रोल	4:43	4.41	4.41	4.25
डीजल	1.50	1.58	1.60	1·59

(ख) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में इन मदों के वर्तमान खुदरा मूल्य निम्नलिखित रूप में है :—

(रुपये प्रति लिटर)

	बम्बई	दिल्ली	कलकत्ता	मद्रास
मिट्टी का तेल	1.66	1.81	1.80	1.84
पेट्रोल	9.15	6.07	6.13	6.17
डीजल	2.96	3.02	3.01	3.05

(ग) पेट्रोलियम् उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) आयातित खनिज तेल का मूल्य वर्ष 1979 की तीसरी तिमाही के 21 डालर/बी० बी० एल० (1255) रुपये/की० टन से बढ़ कर वर्ष 1980 की दूसरी तिमाही में 32 डालर/बी० बी० एल० (1943 रुपये/मी० टन) हो गया था।

(2) वर्ष 1980 की दूसरी तिमाही में आयातित कमी वाले पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में औसतन लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(3) तेल उद्योग के रुपये भार में वृद्धियों के कारण इस प्रकार थे (क) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए शोधनशालाओं के विस्तार और बम्बई हाई खनिज तेल को परिवहन करने के लिए पाइपलाइनों की स्थापना के लिए निवेश लागत और संचालन लागतों में वृद्धि, (ख) संचालन लागतों में रेल भाड़ा, शिपिंग, बीमा और अन्य लागतों के कारण संचालन लागतों में वृद्धि जून 1980 में तेल उद्योग पर जुड़े हुए अतिरिक्त भार की 2466 करोड़ रुपये से पूरा किया जाना था। जबकि मूल्य वृद्धियों से प्राप्ति 2080 करोड रुपये की थी

2. 13.1.1981 से प्रभावी मूल्य :

(१) जून, 1980 के 32 डालर /बी० बी० एल० की तुलना में आयोतित खनिज तेल के मूल्य 36 डालर/बी० बी० एल० तक बढ़ गए थे।

(2) कमी वाले आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य लगभग 35 प्रतिशत बढ़ गए थे।

(3) असम तेल नाकेबन्दी ने पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को पैदा किया और सरकार को उनका आयात करने के लिए बाध्य किया।

(4) ईरान और ईराक से सप्लाई में अवरोध आने के कारण, वर्ष 1980 की अन्तिम तिमाही में स्थल पर बाजार से महंगी खरीददारियां की गई थीं।

(5) बम्बई हाई खनिज तेल को पारवहन करने के लिए नई पाइपलाइनों पर किया गया व्यय सहित संचालन लागतों में वृद्धि ने तेल उद्योग पर रुपये का भार बढ़ा दिया।

वित्तीय वर्ष 1980-81 के अन्त तक तेल उद्योग पर अतिरिक्त भार को लगभग 1223 करोड़ रुपये से पूरा किया जाना था। इसकी तुलना में, मूल्यों में वृद्धि से प्राप्ति का अनुमान 1195 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का लगाया था।

(3) 11.7.1981 से प्रभावी मूल्य वृद्धि :

अधिक बढे हुए तेल अन्वेषण और विकास कार्यक्रन की तीव्रगति से बढ़ती हुई लागतों,

बकाया भुगतान पर निरन्तर भार जारी रहने के कारण और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की वृद्धि को आधुनिक करने की आवश्यकता और उनके आर्थिक और कुशल प्रयोग को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप यह बजट की कमी को कुछ सीमा तक पूरा करने में सहायता भी देगा। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में इस संशोधन से उपभोक्ताओं पर लगभग 1070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

मुजफ्फरपुर, बिहार में औषध उपक्रम

1447. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मुजफ्फरपुर, बिहार में स्थित भारत सरकार के औषध उपक्रम बन्द होने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कोई ऐसे कदम उठाने का है जिससे ये औषध उपक्रम ठीक ढंग से तथा सफलता पूर्वक चलते रहें और अपने पूरी क्षमता से औषधियों का उत्पादन करें,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स का मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित निकोटिनामाइड संयंत्र बन्द होने वाला नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बल्क औषधों, रसायनों और मध्यवर्तियों के निर्माण के लिए परियोजना का अन्तिम चरण हाल ही में प्रारम्भ किया गया है और उसके कार्यों को स्थिर किया जा रहा है। क्षमता उपयोग में वृद्धि करने हेतु विपणन प्रबन्धों को अनुकूल बनाया गया है।

हजारी, गुजरात में एक पेट्रो-कैमिकल्स काम्पलैक्स की स्थापना

1448. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में सूरत के निकट हजीरा में एक पेट्रो-कैमिकल्स काम्पलैक्स स्थापित करने का निर्णय सिद्धांत रूप में लिया है ;

(ख) क्या सरकार की जानकारी है कि राज्य सरकार ने "गुजरात पेट्रो-कैमीकल्स कारपोरेशन' नाम से एक "पब्लिक लिमिटेड कम्पनी" स्थापित की है ;

(ग) क्या राज्य सरकार का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य के अधीन एक "पेट्रो-कैमीकल्स कारपोरेशन" स्थापित करने की अनुमति दी जाए ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने गुजरात में कपास मे गैस पर आधारित एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) गुजरात में कवास में पेट्रोरसायन उद्योग समूह का कार्यान्वयन किस एजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस बारे में निर्णय अभी किया जाना है ।

जनकपुरी एक्सचेंज में टेलीफोनों का खराब पड़ा रहना

1449. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक धनराशि के बिल भेजने तथा संभवत । डाक-तार विभाग के कर्मचारियों की चश्म पोशी से टेलीफोन के दुरुपयोग के असंख्य मामले समय-समय पर देखने में आए हैं और काफी शिकायतें करने के बावजूद स्थिति में सुधार लाने और तंत्र को कुशल बनाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों को ईमानदारी से निपटाने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं ?

(ख) क्या जनकपुरी एक्सचेंज में कई दिन तक टेलीफोन खराब पड़े थे परन्तु उपभोक्ताओं को काल तथा भाड़े के बिल भेजे जाते रहे जबकि उनके द्वारा दर्ज शिकायतों पर कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई ; ऐसे मामलों का ब्यौरा दें ;

(ग) यदि हां तो दूरसंचार विभाग से भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा अवांछनीय तत्वों से छुटकारा पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारणा हैं ?

संचार मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं । जब कभी शिकायत प्राप्त होती हैं तो उन पर ध्यान दिखा जाता है और उपभोक्ताओं की कठिनाइयों के तुरंत एवं उचित निपटान हेतु सक्षम कार्यप्रणाली मौजूद है ।

(ख) जी, नहीं । जनकपुरी में टेलीफोन दोषों की शिकायत मिलने पर समुचित ध्यान दिया जाता है । औसतन 2 से 3 घटों में दोषों का निवारण कर दिया जाता है । अगले दिन के लिए छोड़े जाने वाले दोषों की संख्या औसतन 3 से 6 होती है । अतः अनेक दिनों तक टेलीफोन खराब रहने की अवधि के लिये उपभोक्ता को बिल भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली टेलीफोन में एक सतर्कता संगठन कार्य कर रहा है । जांच के लिये अल्प-सूचना पर चलता फिरता दल कार्य करता है । क्षेत्र में आकास्मक जांच करना इस संगठन का कार्य है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

1980-81 और 1981-82 के लिए उद्योग की नाम दर्ज करने की योजना

राज्य	नाम दर्ज करना 1980.81				नाम दर्ज करना 1981-82				कुल जोड़
	आई० ओ० सी०	बी० पी० सी०	एच० पी० सी०	कुल जोड़	आई० ओ० सी०	बी० पी० सी०	एच० पी० सी०	कुल जोड़	
आन्ध्र प्रदेश	10,000	3000	18000	31.000	20,000	11,000	40,000	71.000	102000
कर्नाटक	15,000	7000	11500	33.500	25,000	20,000	36.800	81,800	115300
केरल	5,00	—	—	5,000	15,000	—	—	15,000	20000
तमिलनाडु पांडीचेरी	30,000	—	—	30,000	60,000	—	3,500	63,500	93500
गोआ	—	500	2500	3,000	—	500	—	500	63500
महाराष्ट्र	—	68000	51000	1,19,000	—	92,000	48,300	1.40,300	559300
गुजरात	20,000	5000	5000	30,000	40,000	10,000	12,600	62,600	92600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	20,000	1500	7000	20,500	30,000	3,500	16,200	49,700	78200
बिहार	5,000	—	—	5,000	15,000	—	1,700	16,700	21700
उड़ीसा	8,000	—	—	8,000	10,000	—	5,100	15,100	23100
पश्चिम बंगाल	25,000	—	—	25,000	42,000	—	4,300	46,300	771300
असम आदि	2,000	—	—	2,000	6,000	—	—	6,000	8000
हरियाणा	5,000	—	—	5,000	17,000	8,000	6,000	31,000	36000
हिमाचल प्रदेश	2,000	—	—	2,000	4,000	—	—	4,000	6000
पंजाब	—	—	—	—	18,000	16,000	2,700	36.700	36700
राजस्थान	8,000	—	1000	9,000	15,000	6,000	12,000	33,000	42000
उत्तर प्रदेश	21.000	—	—	21,000	39,000	15,000	—	54,000	75000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	20,000	15000	1500	36,500	40,000	18,00	4,500	62,500	99000
चंडीगढ़	4,000	—	—	4,000	4,000	—	2,700	6,700	10700
जम्मू तथा कश्मीर	—	—	2500	2,500	—	—	2,600	3,600	6100
जोड़	200,000	100000	100000	400,000	400,000	200,000	200,000	800,000	1200000

छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में एल० पी० जी० के कनैक्शन

1420. **श्री चित महाटा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ताओ को एल० पी० जी० के कितने कनेक्शन दिए जाएंगे और उनकी वर्षवार और राज्य वार और संघ क्षेत्र वार संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : देश में कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) की उपलब्धता में वृद्धि होने पर तेल कम्पनियों की प्रति वर्ष 8 लाख कनैक्शन रीलीज करने की योजनाएं हैं। वर्ष 1980-81 और 1981.82 के राज्यों और संघ राज्य प्रदेशों के लिए उद्योग की नाम दर्ज करने की योजना संलग्न में दी गई है। आगामी वर्ष के लिए नाम दर्ज करने की याजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

केन्द्र की बड़ी भूमिका के सम्बन्ध में राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिशें

1451. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के ऊर्जा मन्त्रियों के सम्मेलन में विद्युत उत्पादन और वितरण पर केन्द्रीय नियंत्रण और राष्ट्रीय ग्रिड के स्वामित्व तथा राज्य विद्युत बोर्डों के प्रबन्ध में सुशार के बारे में राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर सहमति हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में राज्यों के विचार क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : विद्युत समिति की सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियां लगभग तीन महीने की अवधि में भेज देने के लिए राज्य सहमत हुए हैं।

फिल्म आलेख तैयार करने के लिए दूरदर्शन केन्द्र द्वारा नियुक्त फीचर तैयार करने वाली एजेंसियां

1452. **श्री एम० एम० ए० खान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फिल्म आलेख तैयार करने हेतु दूरदर्शन केन्द्र ने कौन सी फीचर फिल्म तैयार करने वाली एजेंसियां नियुक्त की हैं ; और

(ख) इन एजेंसियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और उनके द्वारा चालू वर्ष में तैयार किए गए फिल्म आलेखों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) रुपक तैयार करने वाली इस प्रकार की निम्नलिखित दो एजेंसियां हैं।

(1) टी० वी० न्यूज फीचर सर्विस (टी० वी० एन० एफ०) नई दिल्ली।

(2) टी० वी० प्रोग्रामूस प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया, मद्रास देश के विभिन्न फिल्म निर्माताओं का संघ।

(ख) इन एजेंसियों का चयन करने की कसौटी फिल्म निर्माण का उनका अनुभव निर्माण की गुणवत्ता, उनकी क्षमता, इत्यादि है। श्रृंखलाओं को प्रोटोटाइप के मंजूर होने पर सौंपा गया था।

चालू वर्ष के दौरान, टी० वी० एन० एफ० के दो श्रृंखलाओं एक विज्ञान पर और दूसरी विकासीय कार्यक्रमों पर—के निर्माण और दो वर्ष के लिए पाक्षिक आधार पर उनकी सप्लाई करने का कार्य सौंपा गया है।

स्वास्थ्य और खेलों पर क्रमशः 12 और 6 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार करने का काम टी० वी० प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया, मद्रास को सौंपा गया है।

तेल शोधक कारखानों की स्थापना

1453. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के वर्तमान उत्पादन के लिए वर्तमान तेल शोधन कारखाने पर्याप्त हैं ;

(ख) क्या देश में अगले पांच वर्षों में नए तेल शोधन कारखाने स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। प्रचलित शोधन क्षमता स्वदेशी कच्चे तेल की उपलब्धता से अधिक है।

(ख) और (ग) : नई प्रारम्भिक शोधनशालाओं की स्थिति के सम्बन्ध में प्रश्न परीक्षण के अन्तिम चरण में है और निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की सम्भावना है।

'पावर प्राब्लेम्स" शीर्षक से समाचार

1455. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1981 के "इकोनामिक टाइम्स" के पृष्ठ पांच पर प्रकाशित "पावर प्राब्लेम्स" बिजली की समस्याएं शीर्षक समाचार में व्यक्त विचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि बड़े औद्योगिक घराने औद्योगिक रूप से विकसित तथा पिछड़े दोनों क्षेत्रों में, सक्षम विद्युत एकक स्थापित करने पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ; और यदि हां, तो इस प्रयास के पक्ष और विपक्ष में क्या मुद्दे हैं ?

श्री विक्रम महाजन : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में युटिलिटीके रूप में निजी क्षेत्र की भूमिका इस समय औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प, 1956 के द्वारा शासित होती है। इस संकल्प के अन्तर्गत बिजली का उत्पादन और वितरण को अनुसूची 'क' में शामिल किया गया है। इसमें उन उद्योगों की सूची दी गई है जिसमें सभी नई यूनिटें केवल राज्य द्वारा स्थापित की जाएंगी। अपवाद केवल उन मामलों में होगा जिनमें नई यूनिटों की स्थापना निजी क्षेत्र में किए जाने का अनुमोदन दिया जा चुका है। तथापि, औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प निजी स्वामित्व वाले वर्तमान यूनिटों के विस्तार में अथवा जब नए यूनिटों की स्थापना में निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करना राष्ट्र हित मे अपेक्षित हो, तब राज्य द्वारा इसे प्राप्त करने की सम्भावना में यह प्रस्ताव बाधक नहीं है। निजी क्षेत्र से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें विद्युत संयत्रों की स्थापना के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। औद्योगिक नीति संकल्प की भावना को ध्यान में रखते हुए गुण-दोषों के आधार पर इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

कोयला वितरण नीति का पुनरीक्षण

1456. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला वितरण नीति का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या कोल इन्डिया लिमिटेट ने कोयला आवंटन प्रणाली को उदार बना दिया है ; और

(ग) क्या सरकार भी अन्य कोयला उपक्रमों में उदार नीति अपनाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोयले के उत्पादन में वृद्धि का लाभ उपभाक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सितम्बर, 1980 में यह निर्णय किया गया था कि कुछ निर्दिष्ट खानों में कोयले की बिना किसी प्रतिबन्ध के खुली बिक्री की जाए। इसी प्रकार का एक निर्णय पहली अक्तूबर, 1880 को यह लिया गया था कि बी-हाइव हार्ड कोक की भी कुछ निर्दिष्ट खानों से बिना किसी प्रतिबन्ध के खुली बिक्री शुरू की जाए। बिना किसी प्रतिबन्ध के खुली बिक्री के लिए कोयले और बी-हाइव हार्ड कोक की मात्रा की ओर ऐसी खानों की संख्या की समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है। इस समय लगभग 80 कोलियरियों में कोयले के स्टाक कीबिना किसी प्रतिबन्ध के खुली बिक्री की जा रही है। एक ऐसी योजना भी कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके आधीन विभिन्न राज्यों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में कोयले के टाल चलाए जाएं ताकि उपभोक्ताओ को कोयला/कोक अधिक मात्रा में उचित कीमत पर मिल सके।

2. बढ़िया ग्रेडों के अकोककर कोयले को देने की नीति की भी हाल ही में कोल इन्डिया लि० ने उदार बनाया है। इस योजना के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं को कोल इन्डिया लि० तदर्थ आधार पर कोयले की अभीष्ट मात्रा, कुछ विवरण और कोयले के उपभोग आदि के सबंध

में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर, दे दी जाती है। इस तदर्थ मात्रा को उपभोक्ताओं के कार्य-भवनों का कोल इन्डिया लि० द्वारा विधिवत निरीक्षण हो जाने पर नियमित कर दिया जाता है। कोल इन्डिया लि० प्रायोजित मात्रा के कोयले को रेल द्वारा भेजने में जितनी कमी रह जाती है उतना कोयला सड़क द्वारा ले जाने के लिए भी देता रहा है।

3. उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में सुधार करने की दृष्टि से कोल इन्डिया लि० विभिन्न परिचालन स्तरों पर रेलवे के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाए हुये है ताकि कोयले के लदान के लिए अधिक संख्या में वैगन उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा, कोयले के उत्पादन और रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई की उच्चतम स्तर पर औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी मंत्रिमण्डल की समिति भी नियमित रूप से निगरानी कर रही है।

4. उपर्युक्त योजना केवल कोल इन्डिया लि० और और उसकी सहायक कंपनियों पर ही लागू है टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की आधीन स्थ खानें केवल ऐसे कोककर कोयले का उत्पादन करती हैं जिसके वितरण पर सांविधिक नियंत्रण है और जिसका उपभोग केवल इस्पात कारखाने ही करते हैं। दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित कोयले का उपभोग वोकारो ताप बिजलीघर में कर लिया जाता है। सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार का उपक्रम है।

टेलीफोन, टेलीप्रिंटर तथा टेलेक्स के बिलों की बकाया अदायगियां

1457. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन, टेलीप्रिंटर तथा टेलेक्ह के बिलों की अदायगियों की मदवार अलग-अलग बकाया राशि इस समय अनुमानत: कितनी है ;

(ख) उक्त बकाया राशियां एकत्रित होने जाने के क्या कारण है; और

(ग) प्रत्येक मद की बकाया अदायगियां निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 30-4-1981 तक जारी किए गए बिलों के लिए 1-8-1981 को 3 महीने पुरानी कुल बकाया राशि नीचे दी गई है :—

(1) टेलीफोन	19.46 करोड़ रुपए
(2) टेजीप्रिंटर एवं टेलीफोन सर्किट	1.69 करोड़ रुपए
(3) टेलेक्स	1.58 करोड़ रुपए

(ख) विभाग पहले सेवा प्रदान करता है तथा तदुपरांत उसके लिए प्रभार वसूल करता है। इस प्रक्रिया में कुछ प्रतिशत राशि हमेशा ही बगैर वसूली के रह जाती है जिसके अनेक कारण हैं जैसे दावे में विवाद, उपभोक्ता का लापता हो जाना अथवा उसकी मृत्यु हो जाना आदि। यद्यपि विवरदास्पद मामलों आदि पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है फिर भी इस प्रक्रिया

में समय लगता है और कभी-कभी बकाया राशि वसूल करना कठिन हो जाता है। फिर भी यह उल्लेख करना अपेक्षित होगा कि यह अनेक वर्षों तक वसूल न होने के कारण एकत्र होने वाली बकाया राशि है जो उक्त वर्षों के दौरान जारी किए गए बिलों की राशि की तुलना में अधिक नहीं है।

(ग) वकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) टेलीफोन को काटना

(2) उसी पार्टी के नाम में चल रहे अन्य किसी टेलीफोन को काटना

(3) व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करना

(4) जहां कहीं व्यवहार्य हो वहां मुकदमा चलाना

बकाया राशि की विभिन्न स्तरों पर पुनरीक्षा की जाती है जैसे

(क) यूनिट स्तर पर (ख) सर्किल स्तर पर तथा (ग) निदेशालय स्तर पर और शीघ्र परिसमापन हेतु कार्रवाई की जाती है। बकाया राशि को कम से कम रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करना

1458. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान इन जिलों तथा स्थानीय प्रतिनिधियों की ओर से अब तक वहां कितने टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इन्हें किन-किन स्थानों पर लगाने की मांग की गई है ;

(ख) अब तक कितने टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा कहां-कहां और वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जायेंगे और कहां-कहां ; और

(ग) उन स्थानों के क्या नाम है जहां इनकी स्थापना नहीं की जा रही है तथा इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) विभागीय सर्वेक्षण के दौरान तथा स्थानीय प्रतिनिधियों से अब तक सार्वजनिक टेलीफोन हेतु प्राप्त प्रस्ताव निम्न प्रकार है जिसकी जांच की गई है :—

जिला	विभागीय सर्वेक्षण	स्थानीय प्रतिनिधि	योग
अल्मोड़ा	3	34	37
पिथौरागढ़	4	21	25

उपरोक्त प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई निम्न प्रकार है :—

जिला	अब तक खोले गए	1981-82-83 के दौरान खोले जाने वाले	अलाभकर होने के कारण व्यक्त प्रस्ताव
अल्मोड़ा	6	12	19
पिथौरागढ़	1	6	10

स्थानों के नाम विवरणों में दिए गए हैं। टेलीफोन सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

पिथौरागढ़ जिले के दिदिहार तथा चंपावत स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज खोजने हेतु दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन्हें खोला जा चुका है। अल्मोड़ा जिले में नए एक्सचेंज खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-1

1981-82 के दौरान संस्थापित किए गए सार्वजनिक टेलीफोन घर

(क)

क्र० सं०	संस्थापित	जिला
1.	गारानाथ	अल्मोड़ा
2.	शहर फाटक	अल्मोड़ा
3.	चमार खान	अल्मोड़ा
4.	दिओरा खाल	अल्मोड़ा
5.	सिलोर महादेव	अल्मोड़ा
6.	कामेरी देवी	अल्मोड़ा
योग	—छः	

1.	खेतीखान	पिथौरागढ़
योग	—एक	

(ख) 1981.82, 1982-83 में संस्थापित किए जाने प्रस्ताव है।

क्र० सं०	अल्मोड़ा जिले का नाम	क्र० सं०	पिथौरागढ़ जिले का नाम
1.	उगालिया	1.	पट्टी
2.	विनायक	2.	चौड़ा मेहता
3.	पाली	3.	वांकोटी
4.	मनीला	4.	घाट
5.	हारा	5.	वालुवा कोटी
6.	वासोट	6.	तेलू खांन
7.	देघाट	योग—	छः
8.	खातीगांव		
9.	कौतानी स्टेट		
10.	विलोरी		
11.	गागरीगोल		
12.	दौलघाट		
योग—	बारह		

विवरण-2

उन स्थानों कनाम जहां सार्वजनिक टलीफोन घर संस्थापित नहीं किए जा रहे हैं

क्र० सं०	जिला अल्मोड़ा	क० सं०	जिला पिथौरागढ़
1.	पट्टी विशान्द	1.	ईजाडा
2.	जाछना	2.	कोटेश्वर
3.	टोलीगांव	3.	पुंगला (आमोडी)

1	2	3	4
4.	देवलधार	4.	सिंगाली
5.	चित्रेश्वर	5.	तेजमपुर
6.	विंटा	6.	क्युटी
7.	असगोली	8.	तवाघाट
8.	मल्लीमिरि	8.	न्याछिनी
9.	वेरगांव	9.	तोतनवा
10.	जोरासी	0.	वारम
11.	चौखुटिया	11.	श्रारगाने
12.	घाट्टी	12.	चांसावगढ़
13.	कुवली पट्टी	13.	मधकोटे
14.	वाडिया कोटी	14.	पिपली
15.	मोती पत्थर	15.	सिखान
16.	नेलफेर (नैनी)	16.	कालिका
17.	जलाली	17.	धांगटी (भागी चौरा)
18.	छुनली	18.	दासौली
19.	देवयासल्स		

बिजली के मीटरों की गति उल्टी करके बिजली के अधिभारों का अपवंचन

1459. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि दिल्ली में पावर कनेक्शन धारी बिजली विभाग के मीटर रीडिंग कर्मचारियों से सांठ-गांठ से बिजली के मीटरों की गति उल्टी करके ताकि उनमें बिजली की खपत कम दिखाई दे बिजली अधिभारों तथा करों का अपवंचन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और तत्संबंधी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या किसी मेन मीटर पर ऐसा कोई उपकरण होता है जिसकी सहायता से यह

पता चल सके कि उस मीटर में बिजली की कुल कितनी खपत हुई है और क्या वह कुल खपत व्यक्तिगत मीटरों की कुल खपत के बराबर बैठती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें लीकेज कहां होती है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मीटरों को विपरीत दिशा में बता कर या मुख्य लाइन के साथ छेड़-छाड़ आदि करके बिजली की चोरी के कुछ मामले दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा समय-समय पर पकड़े गये हैं तथा दोषियों के विरुद्ध तथा इस कृत्य में सांठ-गांठ करने वाले दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ऐसे मामले तैयार किए जाते हैं। ऊर्जा के गैर-कानूनी उपयोग को रोकने की दृष्टि से संस्थान के सतर्कता तथा प्रवर्तन विभाग द्वारा अन्य पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा आकस्मिक छापे मारे जाते हैं। पोलीफेज मीटरों की सीलों की नम्बरिंग करना, मीटरों की रिवेट सीलिंग करना, पूर्ण सुरक्षा के लिए एक नम्बर वाली सीसे की सीलों की व्यवस्था करना लाग रिवर्स सीलिंग स्क्रूज वाले सिंगल फेज मीटरों की प्रतिष्ठापना करना, बल्क सप्लाई वाले बड़े औद्योगिक उसभोक्ताओं के मीटरों की समय-समय पर जांच करना आदि जैसे कुछ उपचारी उपाए भी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। किसी विशेष क्षेत्र को फीड करने वाले मुख्य फीडरों पर मीटरों की प्रतिष्ठापना करके तथा उस क्षेत्र में अलग-अलग मीटरों की रीडिंग की तुलना मुख्य मीटर की रीडिंग के साथ करके किसी विशेष क्षेत्र की कुल खपत की जांच कर सकना संभव है। यदि कोई बड़ी विसंगति पाई जाती है तो उस उपभोक्ता के प्रतिष्ठापनों की जांच की जाती है। व्यक्तिगत मीटर के मामले में गलत मीटरिंग पाए जाने पर मीटर की सही-सही विसंगतियों का पता लगाने के लिए एक पायलट मीटर की प्रतिष्ठापना की जाती है।

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करना

1460. **श्री सुबोध सैन** : **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि अतिरिक्त अल्कोहल वाले राज्यों की यह प्रवृति है कि वे उद्यमियों को अल्कोहल की उपलब्धता का आश्वासन देकर अल्कोहल को ही अनिवार्य रूप से उपयोग में लाने वाले नये उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में अल्कोहल पर आधारित नये उद्योगों के लिये लाइसेंस देने से पूर्व देश में इसके कुल उत्पादन तथा मांग को ध्यान में रखकर नये उद्योगों की आवश्यकताकी जांच करने का है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) अल्कोहल पर आधारित रसायनों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवे-

दन पत्रों पर, अल्कोहल सहित समस्त कच्चे मालों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के पश्चात ही निर्णय लिये जाते हैं।

उतरान, गुजरात में बिजली संयंत्र

1461. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सूरत के निकट उतरान गांठ में 120 मेगावाट का एक बिजली संयंत्र लगाने की माँग पर इस समय किस स्तर पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) इस माँग पर निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ; और

(ग) इस पर जल्दी कार्य शुरू करने में क्या कठिनाइयाँ हैं, जैसा कि आग्रह किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ख) उत्राण में पुराने और इसी तरह के यूनिटों के प्रतिस्थापना करके 1×120 मेगावाट के विद्युत संयंत्र को स्थापित करने की स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी हुई है क्योंकि राख के निपटान, सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण बोर्ड आदि के अनुमोदन संबंधी बहुत स्पष्टीकरण राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अभी दिये जाने हैं। इन स्पष्टीकरणों के प्राप्त हो जाने के बाद उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन देने के लिए इसका तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जाएगा।

पेट्रोलियम, उत्पादों का आयात

1463. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों-1679, 1980 तथा 1981 और 1981-82 (पहले छः महीनों) के दौरान (एक) आयातित तथा (दो) देश में ही उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा कितनी रही ; और

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करने और देश में आन्तरिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इस अवधि के दौरान पेट्रोल का कोई आयात नहीं किया गया है। स्वदेशी उत्पादित पेट्रोल की मात्रा और आयात किए गये डीजल और स्वदेशी उत्पादित डीजल की मात्रा निम्न प्रकार है :

(मात्रा मि० मी० टनों में)

	1979-80	1980-81	अप्रैल- सितम्बर 1981
1. पेट्रोल			
स्वदेशी उत्पादित	1.512	1.519×	0.826×

2.	डीजल			
(क)	स्वदेशी उत्पादित	7.975	7.371 ×	4.593 ×
(ख)	आयातित	2.010	3.219 ×	0.807 ×

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा जिनका स्वदेश में उत्पादन हो सकता है देश में उपलब्ध शोधन क्षमता पर निर्भर होती है। मथुरा शोधनशाला के चालू हो जाने के पश्चात स्वदेशी शोधन क्षमता प्रतिवर्ष 37.8 मि० मी० टन हो जायेगी। कुछ प्रचलित शोधनशालाओं की शोधन क्षमता को बढ़ानेके लिए पहले ही किये गये हैं और यह अनुमान है कि 1984-85 तक प्रतिवर्ष 7.75 मि० मी० टन की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो जायेगी। सरकार दो नई प्रारम्भिक शोधनशालाओं की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार कर रही है। इन सबसे पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी हो जायेगी। इसके साथ-साथ देश में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ाने और अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिये कई कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित सावधिक पत्रिकायें

1464. **श्री आर० पी० यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित सावधिक हिन्दी तथा अंग्रेजी पत्रिकाओं के नाम क्या हैं, वे कितनी-कितनी अवधि के बाद प्रकाशित की जाती है और गत दो वर्षों के दौरान वे किस-किस तारीख को प्रकाशित हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष इन पत्रिकाओं की विशेषतया कुरुक्षेत्र, भागीरथ, आजकल और योजना प्रकाशन कार्यक्रम पिछड़ा रहा ; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रकाशन विभाग की काहिली को रोकने और प्रोडक्शन, सेक्शन के हिन्दी विरोधी रवैये को ठीक करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अंग्रेजी और हिन्दी की पत्रिकाओं के नाम और उनकी आवधिकता इस प्रकार है :

अंग्रेजी	
"इंडियन एंड फारेन रिव्यू"	पाक्षिक
"कुरुक्षेत्र"	—तथैव—
"भागीरथ"	—त्रैमासिक
"योजना"	पाक्षिक

हिन्दी	
"कुरुक्षेत्र"	पाक्षिक
"बाल भारती"	मासिक
"भगीरथ"	त्रैमासिक
"योजना"	पाक्षिक
"आजकल"	मासिक

उक्त पत्रिकाओं के प्रकाशन की निर्धारित तारीखें और वास्तविक तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं (परिशिष्ट)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2989/81]

(ख) पत्रिकाओं के प्रकाशन में देरी सामान्यतया इस कारण से होती है कि सरकारी मुद्रणालयों, जहां लगभग ये सभी पत्रिकायें केंद्रित होती हैं, को अग्रता कार्य सौंपे जाते हैं। बिजली की कमी और सूचना को अद्यतन करने के लिए सम्पादकीय सामग्री का जोड़ा जाना भी देरी के कारण है।

आवधिक बैठकें करके ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इन पत्रिकाओं के प्रकाशन में देरी न हो। इन बैठकों में अड़चनों पर विचार-विमर्श किया जाता है और इन पत्रिकाओं को समय-समय पर प्रकाशित करने के हल निकाले जाते हैं। कुल मिलाकर 'भागीरथ" जिसका सम्पादक मंडल प्रकाशन विभाग के नियन्त्रणाधीन नहीं है, को छोड़कर, अन्य सभी पत्रिकाएं उचित अवधि के अन्दर निकल जाती हैं। प्रकाशन विभाग "भगीरथ" पत्रिका का केवल मुद्रण करता है।

सरोन समिति का प्रतिवेदन

1465. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रक्षा सचिव श्री एच० सी० सरोन की अध्यक्षता में गठित समिति की नियुक्ति टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार के उपाय सुझाने के लिए की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति का अन्तिम प्रतिवेदन मिल गया है और अब समिति की सिफारिश क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने अब तक छ : अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इन रिपोर्टों में देश में दूर-संचार सेवाओ की आयोजना, प्रचालन व रख रखाव तथा दूरसंचार उपस्कर बनाने के विभिन्न

पहलुओं का उल्लेख है । अन्तरिम रिपोर्टों में उल्लिखित प्रमुख मदें तथा रिपोर्ट की तारीखें नीचे दी हैं :—

रिपोर्ट की संख्या	रिपोर्ट पेश करने की तारीख	प्रमुख मदें
एक	24 जून, 1981	महानगरों तथा प्रमुख टेलीफोन जिलों में संचार सुविधाओं के सुधार के लिए अल्पकालीन उपाय
दो	10 जुलाई, 1981	इलैक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर बनाने के लिए कारखानों की स्थापना ।
तीन	21 अक्तूबर, 1981	छोटी दूरसंचार प्रणालियों तथा अन्य विविध मदों में सुधार के अल्पकालीन उपाय ।
चार	30 अक्तूबर, 1981	प्रशिक्षण तथा सतर्कता
पांच	10 नवम्बर, 1981	कारखाने तथा उत्पादन
छः	21 नवम्बर, 1981	अनुसंधान और विकास तथा उपादान प्रबन्ध (मटेरियल मेनेजमेन्ट)

"ओपेक" से वित्तीय सहायता के बारे में बेनेजुएला के राष्ट्रपति से वार्ता

1466 **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने बेनेजुएला के राष्ट्रपति के भारत दौरे के समय, देश में तेल की खोज के लिए "ओपेक" से वित्तीय प्रक्रिया के बारे में वार्ता की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ता से निकले निष्कर्शों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के साथ-साथ ताप बिजली केन्द्र

1467. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के साथ एक ताप बिजली केन्द्र की स्थापना के लिए यह उपयुक्त स्थल का अधिग्रहण कर रही है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने इस बारे में सरकार से एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन पेश किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो यह केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, दिल्ली क्षेत्र में एक बड़ा ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने की व्यवहार्यता का पता लगा रहा है ।

सिंघल लैण्ड एण्ड फाइनेंस कं० लि०

1468. **श्री चिरंजी लाल शर्मा**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री सिंघल लैण्ड एण्ड फाइनेंस कं० लि० की धनराशि के गबन तथा दुर्विनियोजन के बारे में दिनांक 18 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 331 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ख) क्या इस कम्पनी को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) प्रश्न संख्या 331 के उत्तर में, यह बताया गया था कि कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली ने, लेखा-वहियों आदि के प्रस्तुत न करने के लिए धारा 209 क (8) के अन्तर्गत एक कारण बताओं नोटिस प्रेषित किया था । इस नोटिस के परिणामस्वरूप, कम्पनी ने सम्बन्धि अभिलेखों में से कुछ को रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण के लिये प्रस्तुत कर दिया है, जो प्रवर्तमान है ।

(ख) अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता

1469. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय विद्युत की तुलना में पन बिजली सस्ती है और इसके रख-रखाव संबन्धी व्यय भी कम है ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन की बड़ी क्षमता विद्यमान है,

(ग) यदि हाँ, तो इस राज्य में प्रतिदिन कितने मेगावाट यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है ; और

(घ) वे क्या कारण हैं जिससे इस क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा जिससे कि राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों को पर्याप्त बिजली मिल सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां। जल-विद्युत परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन की लागत ताप-विद्युत परियोजनाओं से होने वाले उत्पादन की लागत से सामान्यतः कम होती हैं। जल-विद्युत केन्द्रों की प्रचालन और अनुरक्षण लागतें भी कम होती हैं।

(ख) और (ग) : हिमाचल प्रदेश की जल-विद्युत शक्यता बहुत है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्तमान अनन्तिम अनुमानों में हिमाचल प्रदेश की जल-विद्युत शक्यता 5962 मेगावाट सतत होने का अनुमान लगाया गया है जो 143 मिलियन यूनिट के दैनिक औसत उत्पादन के बराबर है।

(घ) इस शक्यता का उपयोग सोपनबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

तेल क्षेत्रों का पता लगाया जाना

1470. **श्री रशीद मसूद** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक देश व्यापी योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में मिलने वाले तेल और खोजे जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, और इन पर कितना अनुमानत खर्च आयेगा ; और

(ग) क्या इसके लिए सरकार ने किसी विदेशी फर्म से सहयोग किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी हां :

(ख) छटी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए 28 3.58 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत की एक महत्वाकांक्षी योजना सम्मिलित की है। (इस प्रयोजन के लिए और धन की व्यवस्था किये जाने का अनुमान है)। तटीय क्षेत्रों में असम-अराकान कृष्ण-गोदावरी तथा कावेरी बेसिन में खोज कार्य को तीव्र किया जाएगा। क्राम्बे बेसिन में खोज की गति को कायम रखा जायेगा। पश्चिम बंगाल, गंगा घाटी, हिमाचल की तराईयों, राजस्थान, उड़ीसा समुद्रतट, तथा अन्य क्षेत्रों में खोज कार्य में उपयुक्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है। कुछ

आशाजनक क्षेत्रों जैसे कि छिछले स्थानों तथा नदी मुखों में, जहां कि संभार तंत्र की कठिनाइयों के कारण अभी तक खोज कार्य नहीं किया गया था, खोज कार्य जहां आवश्यक होगा विशेषज्ञ ठेका एजेंसियों को लगाकर किया जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तटीय क्षेत्रों में विचारा गया कुल अन्वेषणात्मक व्यधन 300 कूपों का होगा जिसमें कि 882,700 मीटर व्यधन किया जायेगा।

अपतटीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में, आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा महानदी डेल्टा क्षेत्र में अपना खोज कार्यक्रम जारी रखने की सम्भावना है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई अपतटीय बेसिन में खोज सीमा का गहरे जल तक विस्तार करते हुये खोज जारी रखेगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का कच्छ की खाड़ी में सौराष्ट्र की अपतटीय सरचनाओं में अण्डमान तथा निकोबार शैल्फ में और साथ ही साथ पूर्व समुद्रतट बेसिनों जैसे कि पाक खाड़ी तथा कृष्ण-गोदावरी बेसिनों में खोज करने का प्रस्ताव है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अपतटीय रिगों को बढ़ाने की योजना है जिससे कि योजना अवधि में विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 95 खोज कूपों का व्यधन किया जा सके।

इस सबके अतिरिक्त छठी योजना अवधि के दौरान बम्बई हाई क्षेत्र का पूर्ण विकास, अन्य संरचनाओं जैसे कि आर-12, दक्षिण बेसिन क्षेत्र, बी-37, बी-38 सरचनाओं का पूर्ण विकास किया जायेगा।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, नामी तेल कम्पनियों को चुने हुए खण्ड पट्टे पर देने का प्रस्ताव है। तथापि, अभी तक किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जन संचार सलाहकार की नियुक्ति

1471. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक जन संचार सलाहकार की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इस सलाहकार के कार्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) असम सरकार के अनुरोध पर कुछ नाम सुझाए गए हैं ताकि वह असम के राज्यपाल के सलाहकार (सूचना) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर सके।

(ग) सलाहकार (सूचना) का कार्य राज्य और केन्द्रीय माध्यम संगठनों की प्रचार गतिविधियों को सुप्रवाही बनाना और समन्वित करना होगा।

दूल हस्ती परियोजना से उत्पादित विद्युत का बंटवारा

1472. **डा० कर्ण सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किश्तवार में दूल हस्ती परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली के वंटवारे के संबंध में भारत सरकार और जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मतभेद का ब्यौरा क्या है और इस विवाद को हल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों के बंटवारे के लिये भारत सरकार ने एक सामान्य फार्मूले का अनुमोदन कर दिया है। दूलहस्ती परियोजना के संबंध मे जम्मू और कश्मीर सरकार से इस मानक फार्मूले को अपनी स्वीकृति देने के लिये अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने उपर्युक्त फार्मूले में कुछ संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया है जिनकी जांच की जा रही है।

अखबारी कागज का आयत

1473. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान अखबारी कागज का कितना आयात किया गया था ;

(ख) विभिन्न समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के आवंटन का मापदण्ड क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ समाचार पत्र उन्हें आवंटित कोटे का दुरुपयोग कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कोई तंत्र विद्यमान है और अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 3.06 लाख मीट्रिक टन।

(ख) समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को अखबारी कागज सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित की जाने वाली अखबारी कागज आवंटन नीति के उपबन्धों के अनुसार आवंटित किया जाता है।

(ग) सरकार को इस बारे में शिकायतें समय समय पर मिलती है।

(घ) सर्कुलेशन अधिकारी समाचारपत्रों की प्रसार संख्या की जांच पड़ताल करते हैं और जब भी कोई कदाचार पाया जाता है, आवंटन में कटौती कर दी जाती है और यदि आवश्यक होता है तो मामले की और जांच तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक को भेज दिया जाता है।

एकाधिकार घरानों द्वारा उपस्थिति खतरे का सामना करने के लिए छोटे समाचार पत्र चलाने हेतु सहकारी संस्थानों को प्रोत्साहन हेतु देने उपाय

1474. **श्री धर्मबीर सिन्हा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार घरानों द्वारा इस क्षेत्र में उपस्थित खतरों का सामना करने के लिए छोटे समाचार-पत्र चलाने हेतु सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी नहीं। सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाने वाले समाचार पत्रों सहित छोटे समाचार पत्र उन लाभों के हकदार हैं जो इस प्रकार के समाचारपत्रों के संवर्शन और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा दिये जाते हैं।

कावेरी वेसिन में तेल के लिये छिद्रण

1475. **श्री सो० चिन्नास्वामी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी वेसिन में खोज कार्य के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) खोज कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कावेरी (अपतटीय) में खोज कार्य चल रहा है।

डाक- तार विभाग के कर्मचारियों को समर्पण छुट्टी सुविधा (सरेन्डर लीव)

1476 **श्री डी एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को उनके बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद समर्पण छुट्टी सुविधा नहीं दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को समर्पण छुट्टी सुविधा दे रही है ; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार निर्णय पर पुर्नविचार करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकार्तिक उरांव) (क) से (घ) संभवत: 'समर्पण छुट्टी सुविधा' पद से माननीय सदस्य का अभिप्राय कर्मचारियों द्वारा छुट्टी के नकदीकरण से है। यदि ऐसा है तो यह सूचित किया जाता है कि छुट्टी के नकदीकरण के मामले में डाक-तार विभाग अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य आदेशों द्वारा इसका मार्गदर्शन होता है। चूंकि छुट्टी के नकदीकरण के लिए कोई सामान्य आदेश नहीं है अत: डाक तार विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल निर्यातककर्ता देशों के संगठनों की नई मूल्य नीति के कारण तेल और पेट्रोलियम उत्पादकों के आयात में बचत

1477. **प्रो० मधु दण्डवते** . क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निर्यातक देशों के संगठनों द्वारा घोषित नई मूल्य फार्मूला तथा देश में उत्पदन में वृद्धि के कारण आयात में कमी के परिणामस्वरूप 1982 में भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में लगभग 1000 करोड़ रुपयों की बचत होगी ; और

(ख) यदि हां, तो आयातित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य के कारण मुद्रास्फीति के अंश में के कमी परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में कितनी कमी होगी ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन (ओ० पी० ई० सी०) ने अरेबियन लाइट कूड आयल के सरकारी मूल्य को मार्कर कूड के मूल्य के रूप में 34 डालर प्रति बैरल का एक समान मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाने के लिए निर्णय लिया है। जबकि वर्तमान अनुमानों के अनुसार मुख्यत: देश में उत्पादन में वृद्धि के कारण 1982-83 में आयात किये जाने वाले अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा 1981-82 में आयात की जा रही मात्रा से लगभग 3 मि० मी० टन कम होगी, इस स्थिति में ऐसे आयातों के कारण 1982-83 में विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की मात्रा बताना कठिन है, क्योंकि यह विद्यमान विनिमय दर और वर्ष 1982-83 के लिए अशोधित तेल के स्रोतों जैसे तथ्यों पर निर्भर होगी।

औषध फर्मों की लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक अधिष्ठापित क्षमता का नियमित किया जाना

1478. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री के० ए० राजन : क्या पेट्रोलियम, रसायम और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी और बहुराष्ट्रीय औषध फर्मो की लाइसेंसशुदा क्षमता को नियमित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है तथा उसकी शर्त क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में अतिरिक्त क्षमता के दिए गए तथा दिए जा रहे लाइसेंस का पदवार ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय महत्व के कुछ चुनीदा उद्योगों में भारतीय और विदेशी दोनों निर्माताओं की स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने के लिये उद्योग मन्त्रालय ने दिनांक 29.8 1980 के अपने प्रेस नोट में सरकार के निर्णय की घोषणा की थी । इस सूची में औषध और भेषज भी सम्मिलित थे । वर्ष 1978 की औषध नीति सन्दर्भ में इस निर्णय को कार्यान्वयन करने के प्रश्न की जांच की गई और इस मन्त्रा द्वारा दिनांक 17 अक्तूबर, 1981 को जारी किये गये प्रेस नोट में घोषणा के अनुसार भारतीय और विदेशी कम्पनियों सहित उन औषध कम्पनियों की स्थापित क्षमता को मान्यता देने के लिये विचार करने का निर्णय किया गया है, जिसके अनुमोदित पत्र निर्धारित समय के अन्तर्गत उद्योग मन्त्रालय में सरकार को प्राप्त हुए हो बर्शत कि वे (क) उद्योग मन्त्रालय के उपरोक्त वर्णित प्रेस नोट के जरिये अधिसूचित सामान्य मार्ग जर्शाकों के अनुरूप और (ख) विदेशी कम्पनियों द्वारा गैर-सम्बद्ध निर्माता को बल्क औषध उत्पादन की सप्लाई, बल्क औषधों का मूल स्तर से निर्माण और अनुपात मानदण्ड आदि के बारे में इस मन्त्रालय के दिनांक 17.10.81 के प्रेस नोट में घोषित अन्य शर्तों के अनुरूप हों । इन मामलों की जांच-पड़ताल प्रारम्भहो गई हैं और प्रत्येक मामले में मान्यता दी जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को दर्शाना इस स्तर पर सम्भव नहीं है ।

गुजरात के सूरत टेलीफोन डिविजन के टेलफोन खराब होना

1479. **श्री छोटूभाई वसावा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत महीने में गुजरात के सूरत टेलीफोन डिविजन के 50 प्रतिशत से अधिक टेलीफोन खराब होने का समाचार था ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सूरत में टेलीफोन प्रणाली में खराबी होने के क्या कारण हैं ?

(ग) सूरत में टेलीफोन व्यवस्था कब तक सन्तोषजनक ढंग से काम करना आरम्भ कर देगी, और

(घ) टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए उठाये जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी नहीं। सितम्बर के अन्तिम सप्ताह तथा अक्तूबर 1981 के प्रारम्भ में भारी वर्षों के कारण प्राथमिक केबलों और ऊपरी लाइनों को क्षति पहुंचाने की वजह से कुछ टेलीफोन में खराबी आ गई थी ।

(ग) खराब टेलीफोन को अक्तूबर 1981 के दूसरे सप्ताह में ठीक कर दिया गया था।

(घ) (1) एक्सचेंज उपस्करों की भली भांति जांच करके ठीक कर दिया गया था ।

(2) अनुरक्षण जांच कार्यक्रम पर भली भांति निगरानी रखी जा रही है ।

(3) उपभोक्ताओं के अहातों का निरक्षण कार्य तेज कर दिया गया है ।

हिन्दी कवि मुन्शी अजमेरी प्रेम की जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट

1480. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दी प्रसिद्ध कवि मुन्शी अजमेरी प्रेम की जन्म शताब्दी (24 नवम्बर 1981) के अवसर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर बिचार कर रही है : और

(ख) यदि हां, तो जारी की जाने वाली डाक टिकट का मूल्य क्या होगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं मुन्शी प्रेम के सम्मान में टिकट जारी करने का प्रस्ताव फिलेटेली सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया था परन्तु वह मन्जूर नहीं किया गया ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर की मद्देनजर रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायधीशों की नियुक्ति

1481. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रदेश न्यायालय में नियुक्ति किए जाने वाले न्यायाधीशों

की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में कितने अतिरिक्त न्यायधीश नियुक्त किए जाने का विचार है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी ० शिवशंकर) : (क) इस समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की स्कीकृत संख्या में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कोई विचार नही किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोदावरी बेसिन के खोज कार्य में विदेशी सलाह

1482. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोदावरी बेसिन के खोज कार्य में विदेशी सलाह लेने का है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने तेल की खोज के लिए ऋण हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर किस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गोदावरी द्याले में हाइड्रोकार्बन्स की खोज करने के लिए विदेशी सलाह प्राप्त करने के सम्बन्ध में गुणावगुणों पर विचार कर रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में अभी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाना है और उसे प्रस्तुत किया जाना है ।

(ख) और (ग) जी, हां । विश्व बैंक का एक मूल्यांकन मिशन 3 नवम्बर, 1981 को आया था । इनके द्वारा विचार विमर्श का प्रथम और आयोजित किया गया है जो सन्तोषजनक रहा है । प्रस्ताव पर विश्व बैंक द्वारा और आगे कारवाई जो प्रस्ताव अन्तिम रूप दिये जाने से पहले विचार विमर्श और बातचीत के वाद की जानी है ।

पोस्टल विंग में एकाउंटस आफीसर के पद पर पदोन्नति

1483. **श्री के० ए० राजन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्टल विंग के एकाउन्ट्स आफीसर के पद पर पदोन्नति के लिए भर्ती-निगम 1980 में जारी किए गए थे तथा वे 1 अप्रैल, 1976 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो 1976 से तदर्थ आधार पर उस पद पर कार्यरत पोस्टल एकाउन्टस आफीसरों की नियमित पदोन्नति संयुक्त रूप से 24 जनवरी, 1981 से क्यों की गई जबकि भूत-लक्षी प्रभाव से 1976 से होनी चाहिए थी ;

(ग) क्या टेलीकम एकाउन्टस आफीसरों की तदर्थ सेवा को 1976 से ही नियमित माना गया है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में डाक-तार निदेशालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ड.) यदि हाँ, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) बम्बई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में भर्ती नियमों का वैधता को चुनौती दी गई है तथा मामला न्यायालय में चल रहा है ।

(घ) और (ड.) जी हाँ, मामला न्यायालय में होने के कारण न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है ।

इराक से अशोधित तेल का आयात

1484. **श्री पीयूष तिरकी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को ईराक से अशोधित तेल का आयात करना होगा ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना आयात किया जाएगा ;

(ग) आयातित तेल का प्रति टन मूल्य क्या होगा ; और

(घ) क्या ईरान-ईराक युद्ध से इसकी सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ ।

(ख), (ग) और (घ) वर्ष 1982 में 3.5 मि० मी० टन अशोधित तेल की सप्लाई के लिए ईराक से एक समझौता किया गया है । तथापि इस बात के संकेत मिले हैं कि ईराक 5 मि० मी० टन अशोधित तेल प्रतिवर्ष सप्लाई कर सकता है । अभी इस बारे में और ब्यौरा देना जन-हित में न होगा ।

पारादीप क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी

1485. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के पारादीप क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उड़ीसा के क्षेत्र में मिट्टी के तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) उड़ीसा के पारादीप क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भुवनेश्वर में क्रास-बार टेलीफोन एक्सचेंज

1486. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव है कि छठी योजना अवधि में भुवनेश्वर में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) भुवनेश्वर में 4500 लाइन क्षमता का एक क्रासबार एक्सचेंज पहले से ही कार्य कर रहा है । इसका 50000 लाइन तक विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

(ख) 500 लाइन के विस्तार का कार्य (4500 लाइन से 5000 लाइन तक) संस्थापाधीन है तथा इसके चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चालू होने की उम्मीद है ।

(ग) उपस्कर का संस्थापन कार्य अन्तिम चरण में है तथा स्वीकृति जांच प्रगति पर है ।

"मल्टी-एक्सेस" ग्रामीण रेडियो प्रणाली की स्थापना

1487. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय द्वारा कुछ राज्यों में 'मल्टी-एक्सेस' ग्रामीण रेडियो प्रणाली स्थापित की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह प्रणाली आरम्भ की जायेगी ;

(ग) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित का सम्भावित समय क्या है ;

(घ) क्या इस प्रणाली को अन्य राज्यों तथा स्थानों में भी विशेषकर दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा ; और

(ङ.) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) आकाशवाणी ने स्थानीय प्रसारण के माध्यम से स्थानीय जनता और श्रोताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्थानीय रेडियो स्टेशनों की कल्पना की है। दिफू (असम), आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश), शोलापुर (महाराष्ट्र), क्योंझर (उड़ीसा), कोटा (राजस्थान) और नागरकोइल (तमिलनाडु) में 6 स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए शुरूआत कर दी गई है। ये छठी योजना के दौरान मुकम्मल हो जाएंगे।

(घ) और (ङ) भावी योजनाओं में अन्य स्थानों पर इस प्रकार के स्थानीय रेडियो स्टेशनों का शामिल किया जाना सापेक्ष प्राथमिकताओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कोयले पर आधारित एक पुराने उर्वरक संयंत्र को एक प्राइवेट पार्टी को कबाड़ के रूप में बेचा जाना।

1488. **श्री ए० के राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले पर आधारित एक पुराने उर्वरक संयंत्र को 1980 में हावड़ा की एक प्राइवेट पार्टी को कबाड के रूप में बेच दिया गया यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ख) क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें यह घोषणा की गई हो कि पुराने संयंत्र को उपयोग में नहीं लाया जा सकता था जिससे उसकी नीलामी न्यायोचित है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका नाम क्या है तथा उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोयले पर आधारित सिन्दरी संयंत्र के कुछ ऐसे अप्रचलित और अनावश्यक उपकरणों जो पुराने हो चुके थे और जिनका संचालन असुरक्षित था, को वर्ष 1981 में एफ० सी० आई० द्वारा मै० गणपतराय राशिवाशिया स्टील कं० लि० हावड़ा को बेच दिये गए थे।

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया की इस कार्यवाही को फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार संघ और अन्यों द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने बिक्री का समर्थन किया और याचिका को खारिज कर दिया।

(ख) और (ग) वर्ष 1975-76 में जब संयंत्र के पर्याप्त रूप में खराब होने का पता लगा सिन्दरी यूनिट के इन्जीनियरों के एक समूह और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया के

भूतपूर्व प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट डिवीजन ने सैन्ट्रल मैकेनिकल इन्जीनियरिंग रिसर्च यूनिट दुर्गापुर के इन्जीनियरों के सहयोग से पुराने संयंत्र का सर्वेक्षण जांच और निरीक्षण किया था ताकि सुरक्षित संचालन के लिए दशा और स्थिति निर्धारित कर सके। निदेशकों की एक समिति ने भी इस प्रश्न की जांच की। रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात बोर्ड ने निर्णय किया कि असुरक्षित संयंत्र बन्द कर दिए जाने चाहिए।

सिंधरी में फार्मा का उपयोग किया जाना

1489. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन योजना और विकास डिवीजन के अधीन सिंधरी में एफ० सी० आई० द्वारा बनाया गया फार्म आज बेकार पड़ा है, यदि हां, तो उसके ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं, उन फार्मों के क्षेत्र क्या हैं, तथा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या एफ० सी० आई० और एफ० सी० डी० आई० एल० का विचार ग्रामीण सहकारी समितियों अथवा सिंधरी यूनिट के भीतर कार्यरत सहकारी समितियों को उनमें फसल उगाने के लिए तथा उर्वरक के उपयोग का प्रयोग करने के लिए पट्टे कर देने का है ; और

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी डोम्बीवाली के लिये डाकघर

1490. **श्री एस० मरुगंयन** : क्या संचार मन्त्री पूर्वी डोम्बीवाली के लिए डाकघर के बारे में 24 नवम्बर, 1980 के अता० प्रश्न सं० 903 और 2 मार्च 1981 के 1926 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोम्बीवाली नगर परिशद ने डोम्बीवाली (जिला थाणे) महाराष्ट्र के रामनगर क्षेत्र में डाकघर खोलने के लिए विभाग द्वारा किए गए अनुरोध का उत्तर दे दिया है ;

(ख) इस कार्य के लिए उपयुक्त स्थान अर्जित करने के लिए विभाग द्वारा अन्य क्या उपाय किए गये हैं तथा उनका क्या परिणाम निकला ;

(ग) यह डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) डोम्बीवाली नगर परिषद से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) एवं (ग) डाकघर खोलने हेतु स्थान प्राप्त करने के लिए साक्रय रूप से विचार

किया जा रहा है। श्री बोरले ने स्थान का प्रस्ताव दिया है। किराया तय करने के लिए विभागीय उचित किराया समिति की बैठक शीघ्र ही होगी। स्थान प्राप्त हो जाने पर डाकघर खोलने के बारे में विचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रानिक स्विच गीयर इक्विपमेंट कारखाना स्थापित करने की योजना

1491. **केयूर भूषण**: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक इलैक्ट्रानिक स्विच गीयर इक्विपमेंट कारखाना स्थापित करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उसके लिए किसी स्थल का सर्वेक्षण किया गया है,

(ग) यदि हां, तो उस संबंध में ब्योरा क्या है, और

(घ) क्या यह सच है कि उसके लिये छतीसगढ़ क्षेत्र उपयुक्त संभावित क्षेत्र है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव): (क) सरकार के टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर बनाने वाले पहले कारखाने को स्थापित करने के लिए अति उपयुक्त स्थलों की सिफारिश हेतु एक स्थल चयन समिति का गठन किया है। इस समय मध्य प्रदेश में कारखाना स्थापित करने की कोई विशेष योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) स्थल चयन समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

रायगढ़ तापीय बिजली घर के लिए परियोजना प्रतिवेदन

1492. **श्री केयूर भूषण**: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में मांड नदी के तट पर 200-200 मेगावाट के रायगढ़ तापीय बिजली घर का परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1981-82 के दौरान कोयला क्षेत्र के लिए आवंटन

1493. **श्री बी० वी० देसाई**: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1981-82 के लिए कोयला क्षेत्र के लिए आवंटन 470 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 570 करोड़ रुपये का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने कोयला विभाग से चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आवंटन में से खर्च की जाने वाली राशि के संबद्ध आंकड़े देने को कहा है ; और

(ग) क्या योजना आयोग कोयला विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट से सन्तुष्ट है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82 के दौरान कोयला क्षेत्र की आवंटन राशि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

बिजली संयंत्र के लिये सिंगरोली से प्राप्त कोयले का उपयुक्त पाया जाना

1494. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा उच्च स्तरीय अध्ययन से पता चला है कि सिंगरोली कोयला क्षेत्रों में कोयले के ऐसे निक्षेप हैं जो बिजली संयंत्रों के लिए बहुत उपयुक्त हैं और केवल इसी कोयला क्षेत्र से 15000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने अध्ययन के आधार पर एक मास्टर प्लान बनाया है और बिजली वाले सिंगरोली कोयला क्षेत्र के विकास पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए सरकारी स्तर पर एक शीर्ष निकाय गठित किया गया है ; और

(ग) क्या आज-कल कोयला खानों के पिट हैड के निकट सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने की नीति का अनुसरण कर रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सिंगरोली कोयला क्षेत्रों के बारे में यह मूल्यांकन किया गया है कि लगभग 20,000 मेगावाट की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता की प्रतिष्ठापना किए जाने के लिए ये बहुत पर्याप्त हैं ।

(ख) इस क्षेत्र की ऊर्जा शक्यता को काम में लाने की दृष्टि इस क्षेत्र के समेकित विकास के लिए कदम उठाए गए हैं तथा उच्चस्तरीय समन्वय समिति की स्थापना करना भी इन कदमों में शामिल है । इस समिति में केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के मुख्य मन्त्री शामिल हैं ।

(ग) बड़े पिट हैड तथा विद्युत केन्द्रों की स्थापना केन्द्रीय सेक्टर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के जरिए की जा रही है ।

माही पन-बिजली परियोजना के प्रथम एकक का चालू होना

1495. **श्री आचार्य भगवान देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माही पन बिजली परियोजना के 25 मेगावाट क्षमता के प्रथम एकक के अब तक चालू होने की संभावना है ; और

(ख) इसके विलम्ब से चालू किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश महाजन) : (क) अप्रैल, 1984।

बिजली घर के पिट के दायें किनारे पर भू-स्मलन हो गया था। 1981 की वर्ष के दौरान यह पिट बाढ़ के पानी से भर गया था। इससे चालू करने के कार्यक्रत में विलम्ब हुआ।

महाराष्ट्र क्षेत्र के कोल्हापुर मण्डल में भण्डारों की कमी

1496. **श्री आर० के० मलाहगी** : क्या सन्चार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में विशेषकर कोल्हापुर मंडल में भंडारों की बहुत कमी है जिसके कारण तकनीकी कर्मचारियों को बहुत कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) महाराष्ट्र क्षेत्र के कोल्हापुर मंडल में अन्ततः कब तक भंडारों की सप्लाई की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) स्वचालित एक्सचेंजों हेतु अतिरिक्त पुर्जों की कुछ मदों की उपलब्धता में कुछ कमी रही है।

(ख) और (ग) कमी मुख्यतया फैक्टरियों में इसके उत्पादन की क्षमत्ता सीमित होने के कारण हैं। उत्पादन बढ़ाने हेतु तथा अधिकांश मांग 1982 तक पूरा करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं।

भारत गैस बम्बई द्वारा खाना पकाने की गैस के सिलैण्डरों के वितरण की सीमा निर्धारण करना

1497. **श्री आर० के महालगी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में "भारत गैस" के वितरकों को प्रति माह खाना पकाने की गैस के 6000 सिलेंडर बेचने की अनुमति है जबकि थाणे (महाराष्ट्र) में वितरकों की प्रतिमाह केवल 3000 सिलैण्डर बेचने की ही अनुमति है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने अपने पत्र संख्या सी० एल० डी०/05/02/सी ओ-एन दिनांक 6 जनवरी 1981 द्वारा सरकार से सिफारिश की है कि बम्बई और थाणे के वितरकों में इस प्रकार की बीमा निर्धारित करने में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

विधि आयोग का गठन

1498. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सरकार द्वारा बनाए गए विधि आयोग का परिसमापन हुए अब तक एक वर्ष बीत चुका है और विधि मन्त्रालय नए विधि आयोग के गठन और निर्देश निम्बन्धों को अन्तिम रूप नहीं दे पाया है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार का कब तक आयोग को स्थापित करने का विचार है।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सरकार ने पूर्ववर्ती विधि आयोग का परिसमापन नहीं किया था बल्कि आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य 31 अगस्त, 1980 से अपने पदों पर नहीं रह गए थे। विधि आयोग के पुनरीक्षित निर्देश निबन्धों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और आशा की जाती है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 14 दिसम्बर, 1981 को अपने पद ग्रहण कर लेंगे।

इंग्लैंड से रिग को किराये पर लेना

1499. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोदावरी के समीप समुद्र में तेल की खोज के लिए इंग्लैंड से रिग मंगाने का निर्णय लिया है ; यदि हां, तो किस प्रकार के रिग को किराये पर लेने का विचार है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए एक दल इंगलैंड गया था।

(ग) यदि हां, तो उस दौरे का क्या परिणाम रहा ; और

(घ) रिम को किस दर पर किराये पर लेने के लिए सहमति हुई है।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ; इंगलैंड से नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में आगे और अन्वेषी कार्य जारी रखने के लिए एक गतिशील स्थिति (डी० पी०) ड्रिलशिप सेडको 445 को 3 वर्ष की अवधि के लिए अमेरिका की एक कम्पनी से किराये पर लेने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) : किसी भी दल ने इंगलैंड का दौरा नहीं किया था तथापि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित डी० पी० ड्रिलशिप को किराये पर लेने के सम्बन्ध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक दल ने अमेरिका का दौरा किया था।

(घ) डी० पी० ड्रिलशिप को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किराये पर लिये जाने का दैनिक दर 87,000 अमेरिका डालर होगी जब रिग का संचालन डी० पी० प्रणाली से किया जाता है और 77,500 अमेरिकन डालर होगी जब जिनका संचालन लंगर डालने के तरीके से किया जाता है।

कर्नाटक के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

1500. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं स्वीकार की गई ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए केन्द्र से ऋण देने को कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1980-81 के दौरान कर्नाटक राज्य में कुल 8.13 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 33 ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ख) और (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अक्तूबर, 1981 के अन्त तक कर्नाटक में 51.11 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 176 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इनमें 25.41 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 54 स्कीमें पिछड़े और कम विकसित क्षेत्रों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त सितम्बर, 1981 के अन्त में, कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई कुल 19.17 करोड़ रुपये के ऋण परिव्यय की 40 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें या तो ग्राम विद्युतीकरण निगम में जांच के विभिन्न चरणों में थीं अथवा कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दी गई हैं और उन केपास संशोधन स्पष्टीकरण के लिए लम्बित पड़ी थी। पिछले क्षेत्रों में चुने हुए गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए कुल 7.10 करोड़ रुपये के परिव्यय की 14 परियोजनाएं इन परियोजनाओं में शामिल हैं। इन स्कीमों तथा कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त होने वाली ऐसी ही अन्य स्कीमों हेतु ऋण सहायता की स्वीकृति के लिए ग्राम ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा चालू वित्त वर्ष (1981,82) के दौरान बिचार किया जाएगा।

तेल का आयात और मांग

1501. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री वर्ष 1982 के लिए तेल की कुल आयात आवश्यकता और कुल घरेलू मांग बनाने की कृपा करेंगे

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : वर्तमान अनुमानों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की 34.5 सि० मी० टन की घरेलू मांग की तुलना में कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता का अनुमान करीब 14.4 मी० टन है ।

बिटुमन की मांग

1502. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिटुमन की कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) देश में बिटुमन का कुल कितना उत्पादन होता है ; और

(ग) मांग और उपलब्धता का अन्तर दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कनम उठाए गए हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) 1.5 मिलियन मी० टन की अनुमानित मांग की तुलना में वर्ष 1981-82 के लिए देश में बिटुमन का उत्पादन 1.3 मिलियन मी० टन हो जाने की आशा की जाती है ।

(ग) शोधनशालाओं में बिटुमन के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कदम उठाये गए हैं । इसके अतिरिक्त मथुरा शोधनशाला से जिसको अभी शीघ्र ही चालू किये जाने की संभावना हैं 300,000 मी० टन प्रति वर्ष की दर से बिटुमन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त होने की आशा की जाती है । अन्तरिम अवधि को पूरा करने के लिए कुछ बिटुमन का आयात करने की व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं ।

बन, पर्वत और आदिवासी क्षेत्रों में डाक तार सेवाएं

1503 **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार कुल कितने वन, पर्वत और आदिवासी क्षेत्रों में डाक तार सेवाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों में डाक और तार सेवाओं के लिए कौन सी विशेष योजनाएं और कार्यक्रम किए गए हैं ;

(ग) छटी योजना की वार्षिक योजनाओं में विभिन्न मण्डलों द्वारा इन क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ,

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों में डाक-तार सेवाओं के लिए छठी योजना की वार्षिक योजनाओं में धनराशि आवंटित की है ; और

(ड.) यदि हां, तो क्या धनराशि का प्रावधान जनसंख्या के मुताबिक किया गया है अथवा उस क्षेत्र के लम्बे चौड़े आकर के मुताबिक ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) दूरसंचार शाखा के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :—

दूर संचार : देश में दूरसंचार सेवाओं की योजना राष्ट्रीय आधार पर आवश्यकताओं तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के अनुकूल तैयार की जाती हैं तथा इसे देशव्यापी जालकार्य जिसमें पहाड़ी तथा जन-जातीय इलाके भी आते हैं, के माध्यम से उपलब्धता कराया जाता है। विभाग ने देश के लिए 1980-1981 की अवधि के लिए समाकालत दूरसंचार योजना तैयार की है। विभाग ने पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े इलाकों में सार्वजनिक टेलीफोन घर संयुक्त तार घर खोलने हेतु मानकों को उदार बना दिया है।

(ग) दूर संचार योजना के अन्तर्गत सर्किलवार निधि के वितरण की व्यवस्था नहीं है। तथापि, सर्किलों को उनके अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य की आवश्यकता के अनुरूप निधि उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) जनजातीय इलाकों के अन्तर्गत दूर संचार परियोजनाओं के संघटकों को कार्य रूप देने के लिए दूरसंचार निधि अलग रखी गई है।

(ड.) दूरसंचार निधि का आवंटन सांग के आधार पर किया जाता है न कि आबादी अथवा इलाके के आधार पर।

11. जहां तक डाक विंग का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है तथा यह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मराठी और गुजराती भाषा के कार्यक्रम

1504. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अलग-अलग (1) मराठी और (2) गुजराती भाषा के कार्यक्रमों के लिए कुल कितने घंटे आवंटित किए गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए घंटों की संख्या बढ़ाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सारे केन्द्रों के बारे में विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों की अवधि के बारे में आंकड़े नहीं रख जाते। तथापि, मई, 1980 के मास के समाचार प्रसारणों सहित प्रत्येक भाषा की अखिल भारतीय प्रतिशतत पीछे निकाली गई थी। इन गणनाओं के अनुसार, विभिन्न भाषाओं के कुल कार्यक्रमों से गुजराती और मराठी कार्यक्रमों की प्रतिशतता क्रमश: 2.06 प्रतिशत और 5.36 प्रतिशत है।

दूरदर्शन : दूरदर्शन केन्द्रों में से बम्बई केन्द्र से ही मराठी और गुजराती के कार्यक्रम नियमित रूप से टेलोकास्ट होते हैं। इन दो भाषाओं को आवंटित घंटे औसतन इस प्रकार होंगे :

मराठी—3194 मिनट प्रति मास

गुजराती—606 मिनट प्रति माह

(ख) **रेडियो** : फिलहाल इस प्रकार के कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय चेनल के उपलब्ध होने पर संबंधित केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अवधि बढ़ जाएगी।

दूरदर्शन : जी नही।

महाराष्ट्र में शाखा डाकघर, टेलीफोन केन्द्र सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और तारघर

1505. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों और 1981-82 वर्ष के दौरान (जिलेवार) कितने नए शाखा डाकघर, टेलीफोन केन्द्र, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र, और तार-घर खोले गए ; और

(ख) अगले वर्ष अर्थात 1982-83 में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग (जिलेवार) इस प्रकार के कितने केन्द्र खोले जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) (1) वर्ष 78-79, 79-80, 80-81, तथा 81-82 के दौरान 31 अक्तूबर, 81 तक खोले गए नए शाखा डाकघरों की संख्या विवरण-1 में दी गई है।

(2) खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों के संबंध में सूचना विवरण-2 में दी गई है।

(3) सार्वजनिक टेलीफोन घरों तथा तारघरों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है तथा उसे सभा पटज पर रख दिया जाएगा।

(ख) (1) शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1982-83 के दौतान खोले जाने वाले नवीन शाखा डाकघरों की संख्या को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(2) जहां तक टेलीफोन एक्सचेंजों का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र में 1882-83 में 40 एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि भंडार प्राप्त हो जांए। ये एक्सचेंज अधिकतर ग्रामीण इलाकों में खोले जाएंगे तथा इनका स्थान निर्धारण बाद में किया जाएगा।

(3) जहां तक सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा तारघरों का सम्बन्ध है, सूचना प्राप्त की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों तथा 81-82 में (31 अक्तूबर 1981 तक) महाराष्ट्र में (जिलेवार) खोले गए नए शाखा डाकघरों की संख्या

जिला	78-79	79-80	80-81	81-82 (अक्तूबर 81)
अहमदनगर	14	5	7	2

1	2	3	4	5
अकोला	5	22	5	1
अमरावती	20	25	22	4
औरंगाबाद	12	20	6	1
भंडार	23	18	7	4
बीड (विहार)	13	11	6	3
बुल्डाना	5	8	—	1
चन्द्रापुर (चन्दा)	42	51	11	8
धूलिया	42	38	13	8
जलगांव	8	3	—	3
कोल्हापुर	16	25	14	6
नागपुर	19	4	4	—
नांदेड	34	26	4	5
नासिक	46	25	16	3
ओस्मानाबाद	7	24	43	4
परभनी	5	4	—	—
पुणे	26	15	8	1
रायगड़	57	38	—	4
रत्नागिरि	49	54	20	17
सांगली	7	5	3	1
सतारा	15	37	13	6
शोलापुर	6	9	5	1
थाना	36	47	3	—
वर्धा	14	5	—	2
यवतमाल	2	25	1	कुछ नहीं
बम्बई	4	—	—	—
योग	537	544	211	85

विवरण-2

महाराष्ट्र में निम्न वर्षों में खोले गये नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

जिला	1978-79	1979-80	80-81	81-82 (31.10.81 तक)
अहमदाबाद	4	4	9	2
अकोला	5	—	2	—
अमरोवती	1	1	2	—
औरंगाबाद	5	1	3	1
भंडारा	1	1	1	—
बीड	1	—	1	—
बुल्डाना	2	—	1	1
चन्दा	—	—	1	1
धूलिया	2	1	1	2
जलगांव	5	7	4	8
कोल्हापुर	3	2	2	—
नागपुर	1	—	—	—
नांदेड	4	—	—	2
नासिक	8	7	7	—
उस्मानाबाद	—	—	—	—
परमनी	1	—	1	—
पुणे	4	7	4	1
रायगढ़	—	2	1	1
रत्नागिरि	2	8	2	—
सांगली	3	3	2	1
सतारा	1	3	—	—

1	2	3	4	5
शोलापुर	2	1	1	—
थाना	1	2	—	—
बर्धा	—	1	—	—
यवतमाल	1	—	1	—
गोवा (संघ शासित क्षेत्र)	2	2	—	1

1981-82 के अवशिष्ट भाग के लिए यह प्रस्ताव है कि महाराष्ट्र में लगभग 20 नए एक्सचेंज खोले जाएं और 1982-83 में 40 नए एक्सचेंज खोले जाएं बशर्ते कि भडार प्राप्त हो जाएं। ये अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे भांडारों के प्राप्त होने के बाद वास्तविक स्थानों के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

गैस क्रैकर परियोजनाओं की स्थापना

1506. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाइ गैस पर आधारित महाराष्ट्र गैस क्रैकर परियोजरा और गुजरात गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना किए जाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर अलग-अलग कितना व्यय किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकास चन्द सेठी) : (क) महाराष्ट्र में एक गैस क्रैकर तथा डाउन स्ट्रीम यूनिटों की स्थापना के लिए कुछ प्रारम्भिकका र्यवाही करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। गुजरात गैस क्रैकर प्रायोजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) महाराष्ट्र में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 900 करोड़ रुपये है। जुलाई, 1979 में गुजरात सरकार ने गुजरात में गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के लिए 780 करोड़ रुपये की प्रायोजना लागत का अनुमान लगाया था।

(घ) आम तौर पर सभी अनुमोदनों के प्राप्त किए जाने के बाद ऐसी प्रायोजनाओं के स्थापित किए जाने में 5-6 बर्ष लगते हैं।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

1507. **श्री सनत कुमार मण्डल**: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में विशेषकर सुन्दरवन में कौन से नए खोजे गये क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र जिनमें पहले से ही तेल निकाला जा रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी विदेशी सहायता अथवा करार की कोशिश की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) पश्चिमी बंगाल जिसमें सुन्दरवन शामिल है में हाइड्रोकार्बन्स की कोई व्यवसायिक मात्रायें अभी तक नहीं पाई गई हैं। अत: पश्चिमी बंगाल के किसी क्षेत्र में कार्य नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) 10 सितम्बर, 1980 को किए गये आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग पर करार और इसके बाद सोवियत की ओर से किए गये विचार-विमर्श के अनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि पश्चिमी बंगाल के एक क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन्स के लिये अन्वेषी कार्य सोवियत संस्थान करेगी।

पश्चिमी बंगाल में नए टेलीफोन केन्द्र तारघर/डाकघर

1508. **श्री सनत कुमार मण्डल**: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के किन स्थानों में चालू वर्ष की शेष अवधि में नए टेलीफोन केन्द्र तारघर डाकघर खोले जाने की सम्भावना है ; और

(ख) इस राज्य के किन स्थानों में एम० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का विचार है और इस व्यवस्था में जोड़े जाने वाले स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) टेलीफोन एक्सचेंजों एवं डाक घरों के सम्बन्ध में सूचना क्रमश: विवरण 'क' एवं 'ख' में दी गयी है. तार घरों के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान पश्चिमी बंगाल के किसी भी अतिरिक्त स्थान को एम० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की सम्भावना नहीं है।

विवरण—क

उपस्कर उपलब्ध होने पर 1981-82 की शेष अवधि के दौरान संभावित नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने वाले स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

1. राजनगर
17. मोहनपुर

2.	लोहापुर	18.	पानीपारूल
3.	पच्छानी	19.	शावंग
4.	श्याम सुन्दर	20.	कशेहारी
5.	कोइछोरे	21.	सरवाँगापुर
6.	कांडरा	22.	गंगकर
7.	कामाख्यागरी	23.	भरतपुर
8.	शीतलकुच्ची	24.	जौनीभलकुआ
9.	विधाननगर	25.	दुत्ताफुलिया
10.	बादानगंज	26.	बासपोटा
11	मूम कल्याण	27.	छोटामूला खल्ली
12.	राजगंज	28.	गारजोएपुर
13.	नाथूहट	20.	तपन
14.	प्राणपुर	30.	इटाहरी
15.	फकुआहट	31.	रावंगला
16.	मिल्की	32	कांकी

(विवरण-ख)

1981-82 की शेष अवधि के दौरान प्रस्तावित नए डाकघर खोले जाने वाले स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	प्रस्तावित नए डाकघर खोले जाने वाले स्थानों के नाम	सं०
बुर्दवान	सीकुर्वेरिया	1
बीरभूम	टैनटलिया नोओपारा महादोंपा	3
हावड़ा	मोनसूखे	1
जलापाईगुड़ी	जतेश्वर	1

मालदा	हरखोराका	
	दैयौताला	
	शिवाजी नगर	4
	मदापुर	
मिदानापुर	खेरीकासदी	
	जालिकी	
	बकराचा बकशेषपुर	4
मुर्शीदाबाद	उत्तराकाकांडीगुई	
	कुनिया	2
नदिया	महेशपुर	1
पुरूलिया	पेथोरजोर	
	सल्मापाचस	
	टेन्टलो	
	बोरनो	4
पश्चिम दिनाजपुर	माधवपुर	
	सन्धया	
	काराखोआगोविन्दपुर	3
24	पैकान	
	कृष्णाचन्द्र	
	घनपोजा	

टिप्पणी : डाकघर खोले जाने वाले ग्रामों का चयन करने के बाद कूचबिहार, दार्जिलिंग, मालदा मिदानापुर में एक-एक तथा पश्चिम दीनाजपुर जिले में दो डाकघर खोले जाएंगे ।

"इन जे० एण्ड० के० वन कैन टेलीफोन विदआउट पेमेण्ट" शीर्षक समाचार

1509. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री अमर रामप्रधान : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस नई दिल्ली में "इन जे० एण्ड के० वन कैन टेलीफोन विदआउट पेमेन्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं,

(घ) क्या ऐसा घोटाला देश में अन्यत्र भी पाया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस घोटाले को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है ।

ढेंकनाल में स्वाचालित टेलीफोन एक्सचेंज

1210. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) ढेंकनाल जिले में स्वचालित टेलीफोन चक्सचेंजों की संख्या क्या है और वे कहां-कहां पर स्थि। हैं ;

(ख) ऐसे और एक्सचेंज बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा।रहे हैं, और

(ग) यदि ऐसे एक्सचेंज अब तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, तो उसके क्या कारण है तथा इस जिले में ऐसे कितने एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पांच स्थान निम्न हैं :

(1) अथामलिक

(2) हिंडोल

(3) कामाख्यानगर

(4) मेरामंडील

(5) पल्लाहारा

(ख) नए छोटे स्वाचालित एक्सचेंज उपलब्ध कराने की योजना उन स्थानों पर चलाई जा रही है जहां पर्याप्ति मात्रा में मांग होती है तथा योजना आर्थिक रूप रे व्यवहार्य हो ।

(ग) बानरपाल में 25 लाइनों वाले एक स्वाचालित एक्सचेंज प्रदान करने की योजना है ढेनकनाल स्थिति वर्तमान हस्तचल एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने की योजना की योजना का भी प्रस्ताव भी है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो तथा उक्त प्रस्ताव आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का घाटे में चलना

1511. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसे हुई हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) हानि के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन कारणों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी. हां ।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को हुआ राजस्व घाटा 38 करोड़ रुपये बताया गया है ।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को राजस्व घाटा कई कारणों से हुआ है जैसे बदरपुर से विद्युत को खरीद सहित आगतों के मुल्य में हुई बढ़ोतरी, स्थापना सम्बन्धी खर्चे अधिक होना आदि । इसके अलावा, दरों को समुचित रूप से संशोधित नहीं किया गया है ताकि यह, आगतों आदि की लागत में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप हो सके ।

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को परामर्श दिया गया है कि जिस सीमा तक संभव हो उस सीमा तक वे अपने खर्चों को कम करें । दिल्ली में विद्युत सप्लाई के प्रबन्ध के पुनर्गठन की ओर भी सरकार ध्यान दे रही है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के फैडरेशन (फैडरेशन आफ पी एन्ड टी एम्पलाईज)

1512. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार कर्मचारियों के तीन फैडरेशन हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रत्येक फैडरेशन के सदस्यों की संख्या के बारे में कोई जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है

सन्चार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां । विभाग में डाक तार कर्मचारियों के तीन मान्यता प्राप्त महासंघ हैं ।

(ख) और (ग) : प्रत्येक महासंघ की सदस्यता के सम्बन्ध मे अधिप्रमाणित सूचना सरकार के पास नहीं है ।

सर रोबर्ट ब्रिस्टोव की जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट जारी करना

1513. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन पत्तन के संस्थापक और वास्तुकार, सर रोबर्ट ब्रिस्टोव

की जन्म शताब्दी के सम्बन्ध में स्मारक डाक टिकट और 'प्रथम आवरण' जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या है। और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि स्मारक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध केवल 13-12-81 को प्राप्त हुआ था इसलिए उक्त प्रस्ताव पर कार्रवाही करना संभव नहीं था। तथापि, उस अवसर पर एक विशेष विरूपण की व्यवस्था की जागगी।

कल्लड विद्युत उत्पादन योजना पर स्वीकृति

1514. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कल्लड विद्युत उत्पादन योजना पर स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा औपचारिक मंजूरी दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) योजना आयोग द्वारा औपचारिक मंजूरी कब तक दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मे स्वीकृति प्राप्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जून 1980 में स्कीम को स्वीकृति दी थी तथा योजना आयोग ने इनका अनुमोदन 11 सितम्बर, 1981 को कर दिया है।

(घ) पहले से ही क्रियान्वित की जा रही 2×2,75 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की कल्लड़ जल विद्युत परियोजना, कल्लड़ सिंचाई परियोजना से जुड़ी हुई परियोजना है। यह केरल राज्य में है। इसकी अनुमानित लागत 11.80 करोड़ रुपये है परियोजना को छठी योजना 1980-85 में शामिल कर लिया गया है और क्रियान्वयन के लिये यह 1981-82 के दौरान हाथ में ली जा रही है।

'टेलीफोन सर्विसेज गेटिंग वर्स' शीर्षक से समाचार

1515. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अक्तूबर, 1981 के अंग्रेजी दैनिक 'सचैलाइट'

में टेलीफोन सर्विसेज गेटिंग वर्स शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पटना में टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण के बारे में मुख्य शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और टेलीफोन सेवा को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सन्चार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं :—

(1) पाटलीपुत्र एक्चेंज नम्बर से टेलीफोन के दो अंक मिलाने पर व्यवस्त टोन होती है ।

(2) स्कूल का टेलीफोन नम्बर 62450 तथा 62332 ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं ।

(3) कनाडियन भूमिगत केबुलों के कार्यकरण के बारे में शिकायत ।

(4) ऊपरी लाईनों तथा वितरण प्वाइंट में दोष ।

(5) पुराना एक्सचेंज उपस्कर अभी भी कार्य कर रहे हैं यद्यपि इन्हें हटाया जाना चाहिए

(6) अतिरिक्त पुर्जों उपस्करों तथा कर्मचारियों की कमी ; लम्बी प्रतीक्षा सूची तथा गलत टेलीफोन बिल ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नित्य अनुरक्षण जांच निर्धारित कार्य क्रमानुसार की जाती है तथा दोष दूर किए जाते हैं, सूक्ष्म निगरानी रखी जाती है ।

(2) स्कूल टेलीफोन न० 62450 तथा 62332 ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं । तथापि, यह पाया गया है कि स्कूल प्राधिकारी, स्कूल समय के दौरान टेलीफोन काल का उत्तर देने में हतोत्साहित करते हैं ।

(3) विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुदाई करने के कारण उखड़े भूमिगत केबलों को दोष का पता लगाने के लिए खाई को बन्द करने से पूर्व दबाया जाता है । इससे मान-सून के दौरान दोषों को दूर किया जा सकता है ।

(4) लोहे की ऊपरी लाइन संरक्षण जो चार वालिश्त से कम है, के स्थान पर उत्तरो-त्तर ड्राप वायर लगाये जा रहे हैं ।

(5) घरों में अल्यूमीनियम तार के स्थान पर तांबे के तार उत्तरोत्तर लगा जाए रहे हैं ।

(6) वितरण प्वाइंटों की पुन: फिटिंग का कार्य उत्तरोत्तर किया जा रहा है।

(7) पुराने उपस्करों के स्थान पर नए उपस्कर लगने की जांच विभागीय स्क्रेचिंग समितियों द्वारा की जा रही है।

(8) अतिरिक्त पुर्जों उपस्करों आदि की सप्लाई हेतु कारवाई की जा रही है। कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा प्रशिक्षित करने की कारवाई की जा रही है। नए एक्चेंजों के चालू हो जाने पर प्रतीक्षा-सूची के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। गलत बिल बनाए जाने की शिकायत की जांच की जाती है तथा मामला निपटाया जाता है।

तेल की खोज के बारे में सहयोग करने के लिए किसी दल को इंडोनेशिया भेजने का प्रस्ताव

1516. श्री टी० दामादर रेड्डी: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल की खोज के क्षेत्र द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श के लिए अधिकारियों का कोई दल इन्डोनेशिया भेजने का है :

(ख) यदि हां, तो उक्त दल को कब तक भेजे जाने की संभावना है और

(ग) उक्त दल के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) यह इन्डोनेशियन संगठन जिसकी प्रतीक्षा है, की सुविधा पर निर्भर होगा।

(ग) दल में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के 3 वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और आयल इंडिया लि० का एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी है।

अल्कोहल का उत्पादन

1517. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1979, 1980 और 1981 (अक्तूबर के अन्त तक के दौरान) अल्कोहल का कुल कितना उत्पादन हुआ,

(ख) क्या यह सच है कि इसमें से लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन शराब के निर्माताओं और शराब बनाने के कारखानों को दे दिया गया है और औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिये केवल 30 प्रतिशत दिया गया है,

(ग) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने इस असंतुलन को समाप्त करने तथा औद्यो-

गिक प्रयोक्ताओं के लिये अधिक अल्कोहल के आवंटित करने का अनुरोध किया है ;

(घ) क्या सरकार ने शीरा और अल्कोहल का राशि भंडार बनाने का निर्णय किया है ताकि उच्छिष्ट पदार्थ रूप में इसके निपटान को रोका जा सके और

(ङ.) अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने तथा उद्योगों तथा शराब बनाने के कारखानों को इसके समान वितरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अल्कोहल वर्ष 1978-79 (दिसम्बर-नम्बर) में लगभग 4379 लाख लिटर और अल्कोहल वर्ष 1979-80 (दिसम्बर-नवम्बर) में 3550 लाख लिटर अल्कोहल का निर्माण हुआ । अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर नवम्बर) में 4043.73 लाख लिटर के उत्पादन का अनुमान है ।

(ख) अल्कोहल वर्ष 1978-79 में लगभग 4752 लाख लिटर (लगभग) 37 लाख लिटर के पिछले स्टाक समेत) की कुल उपलब्धता में से लगभग 2172 लाख लिटर औद्योगिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया गया । अल्कोहल वर्ष 1979-80 में 3756.54 लाख लिटर (लगभग 205,55 लाख लिटर के पिछले स्टाक समेत) की अनुमानित उपलब्धता में से 1900 लाख लिटर औद्योगिक उद्देश्य के लिये प्रयुक्त किया गया । वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर नवम्बर) एक कठिन वर्ष है जिसमें मांग की तुलना में अल्कोहल और शीरे की सप्लाई काफी कम हो रही है । यह भी सूचना है कि पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश जैसे कमी वाले राज्यों में अल्कोहल पर आधारित उद्योगों का क्षमता उपयोग मुख्यतया अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कम है ।

(ग) सरकार को इंडियन कैमिकल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन और आल इंडिया अल्कोहल वेस्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि राज्य अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को पर्याप्त मात्रा आवंटित करें ।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्कोहल और सीरे की जितनी भी मात्रा निर्मित होती है उनका उपयोग देश में किया जाता है औद्योगिक अल्कोहल और शीरे के निर्यात पर प्रतिबन्धन लगा दिया गया है । सरकार चीनी कारखानों द्वारा शीरे के लिए पर्याप्त और उचित भन्डारन सुविधाओं के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रही है ।

(ङ.) राज्य सरकारों को अल्कोहल के निर्माण को बढ़ाने के लिए यह अनुरोध किया गया था कि वे (1) सुनिश्चित करें कि सभी उपलब्ध शीरे का प्रयोग होता है (2) अल्कोहल निर्माण के लिये खांडसारी शीरे का प्रयोग करें (3) पेय उद्देश्य और औद्योगिक उद्देश्य के बीच उचित संतुलन कायम करें जिससे राजस्व की दृष्टि से रसायन उद्योग को भूखों न मरना पड़े

सरकार यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि परम्परागत अधिशेष वाले राज्य कमी वाले राज्यों को अल्कोहल और शीरे की अधिकतम संभव मात्रा दे रहे हैं। अल्कोहल की

उपलब्धता में सुधार लाने के क्रम में सरकार ने वास्तविक उपभोक्ताओं को मामला दर मामला के आधार पर जारी किये जाने वाले लाइसेंस के आधार पर वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को अल्कोहल आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अब तक वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को 98 लाख लिटर की मात्रा के लिए आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय उर्वरक निगम द्वारा डीलरशिप दिया जाना

1518. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह राष्ट्रीय उर्वरक निगम ने किसानों के लाभ के लिए तहसील स्तर पर उर्वरक डीलर शपि देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के जिलों में कितनी डीलरशिप जारी की गई है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं

(ग) क्या यह सच है कि कुछ तहसीलों में एक से अधिक डीलर है, यदि है, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीय उर्वरक निगम डीलरशिप आवंटित करने में अनुसूचित जातियों, विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दे रहा है ; और

(ङ) क्या तहसील स्तर पर डीलरशिप जारी करने की योजना को मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० ने कृषकों के लाभ के लिये ब्लाक स्तर पर डीलरों को नियुक्त करने का निर्णय किया है।

(ख) अब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न डीलरों में 57 डीलर नियुक्त किये गये है।

(ग) किसी क्षेत्र में डीलरों की नियुक्त की संख्या उस क्षेत्र की क्षमता पर निर्भर करती है। उर्वरकों की खपत के लिये उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में एक से अधिक डीलर नियुक्त किये गये हैं।

(घ) जी, हां ।

(ङ) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० ने अभी तक अपने विपणन कार्यकलापों को मध्य प्रदेश राज्य में नहीं फैलावा है।

हृदय रोग के दौरे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये औषधि का पता लगना।

1520. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में कोई औषधि पाई गई है जो हृदय रोग के दौरे को पुनरावृत्ति को रोकने में प्रभावी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में रोगियों के लिये उपयुक्तता के लिये इसे आयात करने अथवा इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का है, और

(घ) इस मामले में क्या अन्य कार्यवाही की गई हैं

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) इस सम्बन्ध में पेट्रोलियम, रसायन उर्वरक मन्त्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में सोडा ऐश की ऊँचे मूल्य पर बिक्री

1521. **श्री रेणुपद दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सोडाऐश निर्माता कलकत्ता तथा देश के बहुत से अन्य भागों में अपने उत्पाद को 2400/2500 रुपये प्रति एक हजार किलोग्राम तक बेच रहे हैं जो किसी अन्य देश के मूल्य के पांच गुना है, और

(ख) चूंकि सोडाऐश अत्याधिक उपभोग की वस्तु है इसलिए इस बात के क्या कारण हैं कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)। (क) निर्माताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में सोडाऐश के मूल्य नीचे दिये गये है।

ये मूल्य स्थानीय बिक्री कर को छोड़कर है।

(मूल्य रुपयों में)

निर्माताओं का नाम	कलकत्ता	बम्बई	दिल्ली	मद्रास
1. मै० टाटा कैमिकल्स	2487.49	2329.50	2352.05	2446.76
2. मै० सौराष्ट्र कैमिकल्स	2510.68	2344.00	2364.67	2926.67

1	2	3	4	5
3, मै० धारगन्धरा कैमिकल्स लिमिटेड	2377.35	2442·35	2282·35	2360.35
4. मै० उडीसा सीमेन्ट लि० (हरी फर्टिलाइजर्स)	2275	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

सोडा ऐश के सी० आई० एफ० मूल्य में अब तक 100 से 120 अमेरीकी डालय की भिन्नता है ।

(ख) बी० आई० सी० पी० के अध्यन और प्रोफेसर गोपाल त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार द्वारा कानूनी मूल्य और वितरण नियंत्रण लागू करने के बजाये एक तरफ पर्याप्त आयात और दूसरी तरफ उत्पादन और वितरण की अनौपचारिक देख-रेख और विनियमन की दोहरी प्रक्रिया पर निर्भर रहने का निर्णय किया है ।

छठी योजना के दौरान गांवों का विद्युतीकरण

1522. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 12 वर्ष अपनी स्थापना के बाद देश के 23 राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपये व्यय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निगम ने देश में अब तक 4500 ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं शुरू की हैं ;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में इस निगम की क्या योजनायें हैं ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद कितने गांवों को विद्युतीकृत किया जायेगा और ये गांव किन किन राज्यों में होंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : 1969 में अपनी स्थापना से लेकर अगस्त, 1981 के अन्त तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने देश के 22 राज्यों को 4691 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए कुल 1529.8 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है ।

(ग) विभिन्न राज्यों में पहले ही स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जाने वाली ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वितरण किये जाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 1173 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान रखा गया है । विभिन्न राज्यों में स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जाने वाली स्कीमों के अन्तर्गत 98,000 गांवों को विद्युतीकृत करने की सोलह लाख पम्पसेटों को अंजित करने की परिकल्पना है ।

(घ) यह आशा की जाती है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्राम विद्युतीकण निगम को स्कीमों के अन्तर्गत लगभग 1.70 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा । राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

आशा की जाती है कि छठी योजना के अन्त तक देश के 5.76 लाख गांवों में से 3.5 लाख गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के समाप्त होने पर ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत जो गांव विद्युतीकृत हो जाएंगे उन गांवों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	31.3.80 तक विद्युतीकृत किए गए गांवों संख्या	छठी पंचवर्षीय योजना (180-85) के दौरान विद्युतीकरण के लिए प्रास्तावित गांव	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4692	4750	9442
2.	असम	2459	4470	6929
3.	बिहार	5175	13825	19000
4.	गुजरात	2382	4150	6532
5.	हरियाणा	90	—	90
6.	हिमाचल प्रदेश	3406	5000	8406
7.	जम्मू व कश्मीर	2673	1815	4488
8.	कर्नाटक	2439	2540	4979
9.	केरल	151	50	201
10.	मध्य प्रदेश	7816	4150	23966
11.	महाराष्ट्र	5816	4240	10059

1	2	3	4	5
12.	मणिपुर	41	495	536
13.	मेघालय	373	1115	1488
14.	नागालैण्ड	115	140	255
15.	उड़ीसा	8036	7630	15666
16.	पंजाब	3908	50	3958
17.	राजस्थान	6745	4860	11605
18.	सिक्किम		70	70
19.	तमिलनाडु	715	170	885
20.	त्रिपुरा	589	1330	1919
21.	उत्तर प्रदेश	7085	18000	25085
22.	पश्चिम बंगाल	7085	7420	14505
		71794	98270	170064

आगामी दस वर्षों में स्थापित किए जाने वाले तापीय विद्युत संयंत्र

1524. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आगामी दस वर्षों में कितने तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) ऐसे संयंत्र किन-किन स्थानों पर लगाये जाएंगे ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक तापीय विद्युत संयंत्र की अनुमानित: उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) आगामी दस वर्षों की मांग पूरी करने के उद्देश्य से, छठी योजना (1980-85) के दौरान 14208 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता की अभिवृद्धि करने की योजना है। छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई स्कीमों की सूची उपाबन्ध एक में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया है। देखिए संख्या एल० टी० 2990/81] 1985-90 की अवधि के दौरान अन्तिम तौर पर 15920 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता की अभिवृद्धि करने की योजना है। क्षमता में इस अभिवृद्धि का परियोजना वार

ब्यौरा उपाबन्ध-दो में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2990/81]।

समाचार-पत्रों द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना

1525. **श्री के० टी० कौसल राम** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के यहाँ 19,890 समाचार पत्रों में से केवल 11,191 समाचार पत्रों ने निर्धारित तारीख अर्थात 28 फरवरी, 1980 तक अपने वार्षिक विवरण प्रस्तुत किये थे और यदि हां, तो 1980 के दौरान शेष 3699 समाचार पत्रों के विरूद्ध सांविधिक अपेक्षाओं का पालन न करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) 1981 में निर्धारित तारीख तक कितने समाचार पत्रों ने अपने वार्षिक विवरण प्रस्तुत किये थे तथा इस संबंध में दोषी समाचार पत्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जी, हां वार्षिक विवरण 28 फरवरी, 1980 तक प्रस्तुत न करने वाले समाचार पत्रों को चेतवानियां जारी की गई थीं। जहां चूक जानबूझ कर और बार बार थी, वहां मामलों को मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर कर दिया गया था।

(ख) फरवरी, 1981 के अन्त तक 10,835 समाचार पत्रों ने 1980 के अपने वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए थे। ये लगभग 2000 और समाचारपत्रों से बाद में प्राप्त हुए थे। पहले की तरह दोषी समाचारपत्रों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाही की जायेगी।

कोयला के विकास हेतु फ्रेंच प्रौद्योगिकी के लिए करार

1527. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र के विकास के लिये फ्रेंच प्रौद्योगिकी के हस्तातरण के लिये फ्रेंच सरकार के साथ एक दीर्घावधि करार के किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश की कुछ कोयले खानों के फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी पर आधारित आयोजन और विकास के लिए फ्रांस की तकनीकी सहायता ली जा रही है।

(ख) फ्रांस की सहायता से विकास से लिए प्रस्तावित खानों में से यह खानें भी हैं। मोयरा; परासिहा, चोरा, नदिरा, पीपरडीह और अन्नत।

कोयला उद्योग के विकास के लिए भारत की उपकरणों सम्बन्धी मांगे पूर्णतया पूरी करने में सोवियत रुस की असमर्थता

1528. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रुस ने आगामी दो दशकों में कोयला उद्योग के विकास के लिये भारत का उपकरणों सम्बन्धी मांगें पूर्णतया पूरी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के कारण कोल इन्डिया लिमिटेड कोयला उद्योग के लिये उपकरण सप्लाई करने के बारे में गत वर्ष किये गये भारत रुस प्रोटोकोल की मांगे पूरी नहीं कर सकेगा ;

(ग) यदि हां, तो कोयला उद्योग के विकास के लिये भारत का उपकरणों सम्बन्धी मांग पूरी न करने सम्बन्धी सोवियत रुस सरकार के निर्णय के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्य देशों ने अनुरोध करने पर विचार किया है अथवा कर रही है और इसमें सरकर को कहां तक सफलता मिली है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अगले दो दशकों में कोयला उद्योग के विकास के लिए भारत की उपकरणों की माँग मुख्यत: देशी स्रोतों से ही पूरी की जाएगी। केवल सीमित मात्रा में ही कुछ उपकरण उन विभिन्न देशों से आयात करने पड़ सकते हैं जिनमें सोवियत संघ भी शामिल है। यह आयात उपकरणों की श्रृंखला और प्रकार पर तथा उनकी सुपुर्दगी के कार्यक्रम पर निर्भर करेगी।

आशा है कि सोवियत संघ वह उपकरण सप्लाई कर सकेगा जिनके समय-समय पर समझौता होता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नही उठता ।

पाक स्टेट में तेल छिद्रण कार्यों का निलम्बन

1529. **श्री बी० डी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाक स्टेट में जहाँ हाल ही में तेल मिला था छिद्रण कार्य कम से कम कुछ समय के लिये स्थगित करना पड़ा है क्योंकि वहां पर ठेकेदार ने एक दूसरा कुआं खोदने में अनिच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अन्तर्राष्टीय बाजार से उथल जल जैक अपरिगों को किराये पर लेने के लिये प्रयास कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो ठेकेदार द्वारा मनाही करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या इन दोनों राष्ट्रों को भारी हानि होगी ; और

(ङ.) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि पाक स्टेट में छिद्रण कार्य शीघ्र पुनः आरम्भ हो ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नही । उसी रिग गेटिसबर्ग द्वारा पहले ही से दूसरे कूप की खुदाई की जा रही है ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से उथले जल जेक-अप रिगों के लिए विज्ञापन दिया है ।

(ग)प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ.) दूसरे कूप की खुदाई पहले से ही चल रही है ।

खांद्रा में एक डिग्री कालेज के भवन के लिए अनुदान

1530. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री अजित कुमार साहा :

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने खान्द्रा में एक डिग्री कालेज की स्थापना की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए कम से कम 10 लाख रुपये के अनुदान की मंजूरी देने के बारे में दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त कालेज के भवन के निर्माण के लिए यह राशि रिलीज करने हेतु इस्टर्न कौलफील्ड्स लिमिटेड को कई अनुदेश दिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ङ.) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(च) इस राशि को यथा सम्भव शीघ्र रिलीज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ताकि स्थानीय कोयला खानों के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अत्यधिक विलम्ब के बिना कालेज का भवन निर्मित किया जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) संसद-सदस्य श्री समर मुखर्जी से दिनांक 31-10-1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिनमें यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने खंडरा में एक डिग्री कालेज खोलने की अनुमति दे दी है, और कालेज के भवन के निर्माण के लिए ई० को० लि० को कम से कम 10 लाख रुपये का अनुदान मंजूर करना चाहिए।

(ग) और (घ) मामले पर विचार हो रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों पर हुआ व्यय

1531. श्री अर्जुन सेठी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर आधारित प्रत्येक उर्वरक संयंत्र पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1981-82 के इनमें से प्रत्येक उर्वरक संयंत्र पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि का ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया के कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्रों पर दि० 31-3-81 तक खर्च की गई धनराशि और वर्ष 1981-82 के दौरान खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

संयंत्र	दि० 31-3-81 तक खर्च की गई धनराशि	1981-82 में खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
रामागुण्डम	209.24	5.43
तालचर	209.50	5.50

इसके अलावा दि० 31-3-81 तक कोरबा संयंत्र पर 20.13 करोड़ रु० की धनराशि खर्च की गई थी। इस संयंत्र पर वर्ष 1974 से कार्य बन्द कर दिया गया है।

इटली के ठेकेदार द्वारा बम्बई हाई में प्लेट फार्मों को चालू किया जाना

1532. श्री उत्तम राठौर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई क्षेत्र में तीन प्लेटफार्मों को चालू करने के लिए नियुक्त किया गया इटली का ठेकेदार तट दूर कार्य शुरू करने में असफल रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप तेल उत्पादन के मामले में भारी विलम्ब हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े राज्यों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना

1533. **श्री उत्तम राठौर :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े राज्यों में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठ स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन न्यायपीठों की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) उच्च न्यायपीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है।

विवरण

स्थाई न्यायपीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति आगे बतायी गई है :—

(1) केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना।

राज्य सरकार ने त्रिवेंद्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव सितम्बर, 1971 में भेजा था। कुछ कानूनी परामर्श पूरा करने के लिए उन्हें जुलाई, 1973 में पत्र लिखा गया था, राज्य सरकार ने जून, 1978 में सूचित किया कि वह उस विषय पर अभी तक विचार कर रही है। उसके बाद उससे कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना :

राज्य सरकार ने मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का

प्रस्ताव सितंबर, 1977 में भेजा था। कुछ परामर्श किए जाने थे और उसको पूरा करने के पश्चात् तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने जुलाई, 1980 में फिर यह प्रस्ताव किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीट मदुरै में स्थापित की जाए। इस विषय पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(3) मुम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना :

जनवरी, 1977 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने औरंगाबाद में एक स्थाई न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार से कुछ परामर्श करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने अप्रैल, 1978 में सुझाव दिया था कि मुम्बई उच्च न्यायालय की दो न्यायपीठें स्थापित की जाएं जिनमें से एक औरंगाबाद में हो और दूसरी पुणे में हो। तथापि राज्य सरकार ने अपने तारीख 28 जनवरी, 1981 के पत्र में सूचित किया है कि एक स्थायी न्यायपीठ औरंगाबाद में स्थापित की जाए। इस विषय में भारत सरकार विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के औरंगाबाद में एक सर्किट न्यायापीठ स्थापित कर दी है।

(4) गौहाटी उच्च न्यायालय की न्यायालय की न्यायपीठ की अगरतला में स्थापना

त्रिपुरा के मुख्यालय की एक न्यायपीठ अगरतला में स्थापित की जाए। गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 की धारा 31 (3) के अधीन व्यवस्थाएं की हैं जिनके अनुसार गोहाटी उच्च न्यायाधीश अगरतला में हर समय उपलब्ध रहता है। जब आवश्यक समझा जाता है, खण्ड न्यायपीठ का गठन किया जाता है। परन्तु मुख्य मंत्री की इच्छा थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 की धारा 31 (2) के अधीन एक स्थायी न्यायपीठ का औचित्य नहीं है।

(5) कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की हुबली धारवाड़ में स्थापना :

कर्नाटक सरकार ने हुबली धारवाड़ में एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव किया था। 15 सितम्बर, 1981 के पत्र के अनुसार इस विषय में राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी गई थी जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस विषय में आगे कार्रवाई राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर ही की जाएगी।

(6) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना :

राज्य सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश के उन पश्चिमी जिलों के लिए जो गढ़वाल, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और कुमायूं के आयुक्त मंडलों में समाविष्ट हैं, एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए विधान तैयार किया जाए

उन्होंने प्रस्तावित न्यायपीठ के स्थान के बारे में विनिश्चय करने का भार भारत सरकार पर छोड़ दिया है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि वह इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई करे। भारत भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए एक न्यायपीठ के गठन की मांग से उत्पन्न होने वालीस भी बातों पर और राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जसवन्त सिंह की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की है। इस विषय में आगे कार्रवाई आयोग की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी।

2. उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि मुम्बई उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ पणजी, गोआ में स्थापित करने के लिए संसद् में मुम्बई उच्च न्यायालय) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया है। ऐसी न्यायपीठ कब से अपना कार्य प्रारम्भ करेगी उस तारीख का विनिश्चिय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है।

आंध्र प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में टेलीफोन करने की सुविधा वाले स्थान

1534. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में टेलीफोन करने की सुविधा वाले कितने स्थान हैं ; और

(ख) क्या इस वर्ष इनकी संख्या में वृद्धि की जायेगी ?

संचार मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 31-3-1981 को आंध्र प्रदेश में डायलिंग सुविधा के 1125 टेलीभोन एक्सचेंज है।

(ख) जी हाँ, बशर्ते की उपस्कर प्राप्त हों।

आँध्र प्रदेश के जिलों में एस० टी० डी० पद्धति

1535 **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने जिलों में एस० टी० डी० की सुविधा है, और

(ख) सभी जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० की सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) आन्ध्र प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधाओं से युक्त जिला मुख्यालयों की संख्या 15 है।

(ख) चालू वर्षीय योजना तथा अगले योजना के आरंभिक भाग के दौरान क्षेत्र आठ जिला मुख्यालयों में उत्तरोत्तर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों और रिक्त पदों की संख्या

1536. **श्री डा० वसंत कुमार पंडित :** **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री एम० एम० ए० खां : **श्री चिंता मणि जैना :**

श्री राम विलास पासवान : **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री जी वाई० कृष्णन : **श्री सूरज भान :**

श्री लक्ष्मण मालिक : **श्री इन० ई० होरो :**

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं ; यदि हां, तो इन रिक्त पदों की राज्यवार स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ग) 31 मार्च, 1979, 31 मार्च, 1980, 31 मार्च, 1981 और 30 अक्तूबर, 1981 को देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति क्या थी ;

(घ) क्या सरकार ने विद्यमान रिक्त पदों को भरने और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए पर्याप्त पद बनाने के लिए कदम उठाए हैं ; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।'

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) तारीख 28.11.1981 को उच्च न्यायालयों मे न्यायाधीशों के 70 पद रिक्त थे । उच्च न्यायालयवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) देश के उच्च न्यायालयों में 30 जून, 1979,30 जून, 1980 और 30 जून, 1981 को लंबित मामलों की स्थिति संलग्न विवरण-2 में दिखाई गयी है । तारीख 31 मार्च, 1979, 31 मार्च, 1980 31 मार्च, 1981 और 30 अक्तूबर, 1981 को जो स्थिति थी उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ड.) अधिसंख्य मामलों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरे जाने के लिए राज्य प्राधिकारियों से पूर्णरूप से निश्चत प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं । उनको इस

बात के लिए निरंतर लिखा जा रहा है। उन पदों की बाबत जिनके भविष्य में रिक्त होने की संभावना है अग्रिम कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमन्त्रियों और मुख्य न्यायाधिपतियों पर जोर दिया जा रहा है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया जाता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का एक पुनर्विलोकन 1980 में किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सात ऐसे राज्यों की जहां समस्या जटिल है, सरकारों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सख्या में वृद्धि करने के लिए लिखा गया था। किन्तु जहां तक बकाया मामलों की समस्या का सवाल है, न्यायाथीशों की संख्या में वृद्धि करने से ही उस समस्या का कोई प्रभावी समाधान नहीं होगा। क्योंकि अनेक जटिल बातों के कारण मामलों को निपटाने में विलम्ब होता है।

विवरण-1

28-11-81 को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	28-11-1981 को रिक्त पदों की संख्या
1.	इलाहाबाद	10
2.	आंध्र प्रदेश	3
3.	मुम्बई	2
4.	कलकत्ता	7
5.	दिल्ली	6
6.	गौहाटी	2
7.	गुजरात	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	1
11.	केरल	1
12.	मध्यप्रदेश	8

1	2	3
13.	मद्रास	4
14.	उड़ीसा	1
15.	पटना	10
16.	पंजाब और हरियाणा	3
17.	राजस्थान	4
18.	सिक्किम	—
		70

विवरण-2

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीखों को लंबित मामलों की संख्या		
		30-61979	30-6-1980	30-6-1981
1.	इलाहाबाद	124,540	105,785	145,893
2.	आन्ध्र प्रदेश	22,637	28,146	49,761
3.	मुम्बई	58,090	60,714	69,558
4.	कलकत्ता	4,471	80,086	87,865
5.	दिल्ली	30,329	31,175	30,987
6.	गौहाटी	6,929	7,662	8,385
7.	गुजरात	14,857	17,292	21,717
8.	हिमाचल प्रदेश	5,765	6,410	5,947
9.	जम्मू तथा कश्मीर	6,217	7,531	10,722
10.	कर्नाटक	49,408	61,706	79,464
11.	केरल	33,809	32,041	32,436

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	40,785	37,315	38,227
13	मद्रास	55,268	61,626	70,796
14.	उड़ीसा	8,133	10,193	12,210
15.	पटना	35,523	35,353	40,951
16.	पंजाब और हरियाणा	38,413	33,760	34,837
17.	राजस्थान	23,957	27,211	32,203
18.	सिक्किम	11	17	42
		629,722	644,023	772,001

* 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार

मध्य प्रदेश में गांवों में बिजली लगाने और पम्प सेटों को बिजली देने के जिए परियोजनाएं

1537. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युतीकरण परियोजनाएं बनाई गई हैं ; यदि हां, तो छठी योजना के दौरान गांवों में बिजली लगाने और कृषि पम्प सेटों को बिजली देने के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य क्या है ;

(ख) इनमें से कितने गांव गुना, विदिशा और राजगढ़ ज़िलों के पिछड़े क्षेत्र के हैं ;

(ग) क्या योजना आयोग ने मध्य प्रदेश के लिए छठी योजना में उपरोक्त प्रयोजन के लिए पर्याप्त आवंटन की मंजूरी दी है ; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होने की सम्भावना है और इसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, हां। छठी योजना अवधि (1980-85) के लिए, मध्य प्रदेश राज्य के 20,000 गांवों का विद्युतीकरण बनाने का और 3.5 लाख पम्प सेटों को अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) छठी योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों के लक्ष्य

का जिलेवार ब्यौरा तैयार नहीं किया जाता है। तथापि, 1980-81 और 1981-82 (3 अक्तूबर, 1981 तक) की अवधि के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी स्कीमों में से, 6.83 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की 12 स्कीमें गुना और विदिशा जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के 1652 गाँवों को विद्युतीकृत करने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में जाँच की जा रही या राज्य विद्युत बोर्ड में संशोधित की जा रही 43.01 करोड़ रुपए की ऋण सहायता वाली 103 स्कीमों में से 3.02 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की 5 स्कीमें विदिशा जिले के पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं।

(ग) सीमेंट, स्टील जैसी निर्माण सामग्री और अन्य कच्चे माल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए यह समझा जाता है कि छठी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी।

(घ) राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त हुए भावी योजना सम्बन्धी प्रस्तावों के अनुसार, राज्य के गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण 1984-85 तक किए जाने की सम्भावना है।

अशोधित तेल और गैस के निक्षेपों की खोज

1538. **आचार्य भगवान देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहाँ लोक सभा के पिछले सत्र केस्थगन के बाद अशोधित तेल और गैस के निक्षेप पाये गये हैं और ऐसे प्रत्येक स्थान पर अनुमानित कुल निक्षेप कितने हैं ; और

(ख) इन स्थगनों के अतिरिक्त किन-किन स्थानों पर तेल और गैस की खोज का कार्य चल रहा है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) लोक सभा के गत सत्र के स्थगन के बाद पाक खाड़ी में तेल पाया गया और त्रिपुरा में बारामुरा संरचना में गैस पाई गई है। इन उपलब्धियों के निक्षेपों का अनुमान केवल खुदाई के चित्रण और तेल भण्डारों के परीक्षण के पश्चात लगाया जा सकता है।

(ख) गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, कच्छार, आन्ध्र प्रदेश तटीय और बम्बई अपतटीय में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्वेषी खुदाई चल रही है। यह एक निरन्तर चलने वाला कार्य है और प्राप्त आंकड़े इन क्षेत्रों में कार्य का आगामी कार्यक्रम निश्चित करेंगे।

आयल इंडिया लिमिटेड ऊपरी असम, अरुणाचल प्रदेश और महानदी, थाले के अपने खनन् पट्टे वाले क्षेत्रों में लगातार आधार पर तेल/गैस की खोज कर रही है।

राजस्थान में सलादीपा उर्वरक परियोजना :

1539. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के बारे में बजट वाद-विवाद का उत्तर देते हुए उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में सलादीपुरा उर्वरक परियोजना की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) इस बारे में अब तक हुई प्रगति क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस परियोजना को निष्पादित करने वाले पाइराइट्स फास्फेट एन्ड कैमिकल्स लि० ने तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मै० इंजीनियर्स इण्डिया लि० को सौंप दिया है। रिपोर्ट जनवरी, 1982 के मध्य तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ।

एशियाई खेलों के लिए रंगीन दूरदर्शन

1540. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्रीमती माधुरी सिंह :

श्री के० लकप्पा :

श्री मोहम्मद असरार अहमद :

श्री मधु दंडवते : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1982 की एशियाई खेलों के लिए रंगीन दूरदर्शन लागू करने के लिए बचनबद्ध है ;

(ख) इस बारे में अब तक हुई प्रगति क्या है और इस पर होने वाला अनुमानित व्यय क्या है ;

(ग) क्या एशियाई खेलों के लिए रंगीन आउटडोर प्रसारण वैनों की खरीद के लिए व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इन पर होने वाले व्यय सहित इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) क्या उन्होंने दिनांक 9 नवम्बर, 1981 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में "फर्दद सेटबैक टू कलर" टी० वी० शीर्षक समाचार को देखा है और यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) अभी तक निर्णय बिदेशी प्रसारण संगठनों के लिए एशियाई खेलों का रंगीन दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध करने का है।

(ख) से (घ) चार ओ०बी० वैने हासिल की जा रही हैं। इनके लिए टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और उनकी छानबीन की जा रही है। आवश्यक सहायक उपकरण हासिल करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

एशियाई खेलों का सादा कवरेज करने के बजाय रंगीन कवरेज करने के निर्णय के कारण बढ़े व्यय की राशि का पता ओ० बी वैनों के टेंडरों की छानबीन हो जाने और उनको स्वीकार लिए जाने के बाद ही लगेगा।

(ङ.) जी, हां। सरकार ने विदेशी प्रसारण संगठनों के लिए एशियाई खेलों के रंगीन दूरदर्शन कवरेज को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। देश में रंगीन दूरदर्शन आरम्भ करने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

रेडियो आर्टिस्टों की सेवायें विनियमित करना

1541. **श्री रामावतार शास्त्री :**

प्रो० मधु दंडवते : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4700 रेडियो आर्टिस्टों की सेवाएं विनियमित करने और उन्हें कुछ और सुविधाएं देने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इनके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : आकाशवाणी के लगभग 3000 स्टाफ आर्टिस्टों, जो संविदा कर्मचारी हैं, को सरकारी कर्मचारियों के रूप में परिवर्तित करने के बारे में श्री ओ० पार्थसारथी की अध्यक्षता वाली माध्यम सलाहकार समिति की सलाह मांगी गई थी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी स्टाफ आर्टिस्ट सरकारी कर्मचारी, जो पेंशन के लाभी के पात्र हैं, होने चाहिए, पेंशन के लिए उनकी पिछली सेवा को गणना में लिया जाना चाहिए, उनकी अंशदायी भविष्य निधि को सामान्य भविष्य निधि में परिवर्तित किया जाना चाहिए, इत्यादि।

(घ) इन सिफारिशों पर विचार किया गया है और इन प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार करने के लिए मन्त्रियों को एक समिति गठित की गई है। मन्त्रियों की समिति के विचार के लिए योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मामले में आदेश मन्त्रियों की समिति द्वारा अनुमोदित योजना के अन्तिम रूप से स्वीकृत होने के बाद जारी किए जायेंगे।

जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शन

1542. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 (30 नवम्बर, 1981 तक) के दौरान जनपथ एक्सचेंज से कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये थे और ये टेलीफोन कनेक्शन किन-किन वर्गों के अन्तर्गत मंजूर किये गये थे ?

(ख) जनपथ एक्सचेंज, नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ग में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में पहले व्यक्ति की प्राथमिकता की तारीख क्या है ; और

(ग) क्या इस एक्सचेंज की अधिकतम क्षमता तक टेलीफोन कनेक्शन इस बीच दिए गए हैं और यदि नहीं, तो इस एक्सचेंज से इसकी अधिकतम क्षमता तक नए टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) वर्ष 1980 और 1981 (21-11-81 तक) के दौरान मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या क्रमशः 204 और 183 थी। ये कनेक्शन ओ० वाई० टी० के साथ-साथ गैर ओ० वाई० टी० श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी	20-6-80
ओ० वाई० टी० सामान्य श्रेणी	22-5-80
गैर ओ० वाई० टी० एस० एस० श्रेणी	31-5-81
गैर ओ० वाई० टी० सामान्य श्रेणी	1--8-78
गैर ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी	29-11-79

(ग) जी हाँ, एक्सचेंज की संयोजन क्षमता तक टेलीफोन कनेक्शन मंजूर कर दिए गए हैं।

बिजली का उत्पादन और बढ़ाने की योजना

1543. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :
श्री बागुन सुम्बरूई :
श्री के० मालन्ना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार छठी योजना के लिए लक्षित किए जा चुके 20,000 मेगावाट के अतिरिक्त इस योजना में 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और बढ़ाने के लिए योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं जो इस अतिरिक्त 4000 मेगावाट को शामिल करेंगी ; और

(ग) इन सभी योजनाओं के कार्य निष्पादन के बाद कौन-कौन से राज्य बिजली के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएंगे और कौन-कौन से राज्यों में अभी तक बिजली की कमी बनी रहेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए छठी योजना का लक्ष्य 19666 मेगावाट है। इस लक्ष्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना में जिन विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है उनके क्रियान्वयन के पश्चात छठी योजना के अन्त में यह आशा की जाती है कि निम्नलिखित राज्यों के पास ऊर्जा फालतू हो जाएगी :—

1.	आन्ध्र प्रदेश	8.	केरल
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.	मणिपुर
3.	असम	10.	मेघालय
4.	बिहार	11.	उड़ीसा
5.	दिल्ली	12.	सिक्किम
6.	गुजरात	13.	त्रिपुरा
7.	हिमाचल प्रदेश	14.	पश्चिम बंगाल

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि विद्युत की आयोजना क्षेत्रीय आधार पर की जा रही है और किसी राज्य में जो अधिशेष ऊर्जा होगी वह प्रणाली प्रचालन में कमी वाले राज्य को दे दी जाएगी।

कृषि फार्मों के लिये 12 घन्टे बिजली की सप्लाई

1544. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को

कहा है कि वे आगामी 40 दिनों के लिये, जब रबी के गेहूं की बुवाई शुरू की जायेगी, किसानों को 12 घटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करें :

(ख) क्या यह भी सच है कि इन तीनों राज्यों में जो मिलकर केन्द्रीय पूल के लिये लगभग 95 प्रतिशत गेहूं का योगदान करते हैं ; इस मानसून में अपर्याप्त वर्षा को देखते हुए यह बिजली की सप्लाई पूरी तरह आवश्यक है ; और

(ग) इन तीन राज्यों ने केन्द्र के इस निदेश को कहां तक कार्यान्वित किया है और इससे किसानों को क्या लाभ हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) देश के कुछ भागों में, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 6 से 8 नवम्बर,19- 1 को हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में एक सुझाव यह दिया गया था कि सभी राज्यों में कृषि पम्पों के लिए न्यूनतम 6 से 8 घटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस समय उत्तर प्रदेश में किसानों को 7 घंटे सप्लाई दी जा रही है तथा पंजाब में प्रतिदिन 21 घंटे सप्लाई दी जा रही है तथा हरियाणा में शुष्क क्षेत्रों में 21 घंटे प्रतिदिन सप्लाई तथा गैर शुष्क क्षेत्रों में 9 घंटे सप्लाई दी जा रही है ।

जजेज कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को भूमि के आवंटन पत्रों को देने के बारे में समारोह का दूरदर्शन पर प्रसारण

1545. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री आर० के महालगी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई के जन प्रसार माध्यम ने एक समारोह की कार्यवाही दूरदर्शन पर प्रसारित की थी जिसमें महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने जजेज कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को भूमि के आवंटन पत्र दिये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त सोसाइटी के कुछ वर्गों ने दूरदर्शन केन्द्र की इस कार्यवाही के लिये आपत्ति की थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या आपत्तियां की गई थीं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) बम्बई दूरदर्शन केन्द्र ने 16-10-1981 को इस समारोह के बारे में समाचार टेलीकास्ट किया था जिसमें महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी आफ जजेज आफ महाराष्ट्र को बम्बई में भूमि के आवंटन का आशय-पत्र दिया था ।

जजों के इस समारोह में भाग लिए जाने और अपने को टेलीविजन पर दिखाए जाने के बारे में कुछ प्रतिकुल टिप्पणियां समाचार पत्रों छपी थीं ।

दूरदर्शन की समाचारों को उनके समाचारिक महत्व के आधार पर टेलीकास्ट करने का निश्चय करने और उनको निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और सन्तुलित ढंग से प्रस्तुत करने की स्वतन्त्र नीति है ।

ऊर्वरक संयंत्रों की क्षमता का कम उपयोग

1546: **श्री के० मालन्ना :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उर्वरक, उपयोग में क्षमता का कम उपयोग करने और नई परियोजनाओं के कार्यन्वयन की अनुसूची में विलम्ब की जानकारी है जिसमें उद्योग की कुल लागत बढ़ रही है ;

(क) क्या यह भी सच है कि कार्यान्वयन की अनुसूचियों में चूक करने से अधिकांश तथा कुल लागत बढ़ी थी और परियोजनाओं की पूंजीगत लागत अवृद्धि होने के अतिरिक्त इस विलम्ब से इस अवधि के दौरान इन एककों की अत्यन्त आवश्यक उर्वरक उत्पादन में अर्थ-व्यवस्था को वंचित होना पड़ा था : और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपयोग में किये गये पूंजी निवेश का अधकितम उपयोग हो, अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सरकार को विदित है कि कुछ उर्वरक संयंत्रो में क्षमता-उपयोग कम है । और सरकार को यह भी विदित है कि कुछ उर्वरक परियोजनाओं के कार्यान्वियन में विलम्भ हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप लागतों में वृद्धि हुई है और कार्यान्वियन में विलम्ब के कारण उत्पादन कम हुआ है ।

(ग) उर्वरक संयंत्रों के उपयोग में सुधार करने हेतु संयंत्र संचालन सुधार कार्यक्रम कैप्टिव विद्युत प्रजनन सुविधा स्थापित, सन्तुलन उपकरणों में वृद्धि करने जैसे उपाय किये जा रहे है ।

कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं की मंत्रालय में पूरी देख-रेख की जाती है और जहां आवश्यक होता है परियोजनाओं के पूरा होने में होने वाले विलम्ब से बचने अथवा इसको कम करने के लिये उपचारी उपाय किये जाते है । इसके अलावा प्राप्ति की पद्धति को भी सुव्यवस्थित किया गया है । इन समस्त उपायों से उर्वरक परियोजनाओं को कार्यान्वियन समय पर करने में सहायता मिलने की आशा है ।

तेल क्षेत्रों की खोज

1557. श्री के० मालन्ना : : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि हाल ही में कौन कौन से तेल क्षेत्रों की खोज की गई है और प्रत्येक कुएं में रोजाना कुल कितना तेल बहकर आता है तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : एक विवरण संलग्न है ।

(विवरण)

(क) - तटवर्ती

(1) सिसोदरा-7 (गुजरात)

इस कूप में से स्थल-1 और 11 में क्रमशः 1358-56 मीटर और 1352-1350 मीटरों के अन्तराल पर तेल प्रवाहित हुआ । इन स्थलों के परीक्षण परिणाम निम्नलिखित रूप में है ।

स्थल (मीटरोंमें)	बीन अधार (मि० मीटर)	तेल प्रवाह मी० टन/प्रतिदिन
1. 1358-1356	6	72
	8	96
2. 1352-1350	8	31

(2) नापामुआ-1 (असम)

परीक्षण उत्पादन के दौरान (डी० एम० टी० द्वारा) एक सेंड (रेत) में से 3534-3530 मीटरों के अन्तराल पर तेल के प्रवाह को देखा गया था । तेल/गैस का प्रवाह दर 28.8 एम 31 दिन था ।

(3) नाहर हाबी-(असम)

इस कूप में जिसको खोदा जा रहा 4014 मीटर की गहराई में तेल के संकेत प्राप्त किये गये थे ।

(ख) अपतटीय

(1) बी०- 57-1 बम्बई हाई क्षेत्र

परीक्षण किये गए सात स्थलों में से छः स्थलों में से तेल और गैस प्रवाहित हुई।

(2) पी० एच०- 91-1 पाक जलडमरूमध्य। में

दो परीक्षण किये स्थलों में से एक में से तेल प्रवाहित हुआ ।

उपर्युक्त क्षेत्रों में तेल भंडार का उचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए अधिक अन्वेषी कूपों को खोदने और परीक्षण करने की आवश्यकता होगी ।

बाड़ी पानी बहु प्रयोजनीय विद्युत परियोजना

1548. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा की बाड़ी पानी बहुप्रयोजनीय विद्युत परियोजना पर काम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) उपरोक्त विद्युत परियोजना के कार्यान्वित होने पर कुल कितने मैगावाट बिजली का उत्पादन होने की आशा है;

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वित होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बाड़ी पानी बहुद्देश्यीय विद्युत परियोजना को छठी योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित करने के लिए उड़ीसा प्राधिकारियों से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में विधिक सहायता शिवरों का खोला जाना

1549. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को विधिक सहायता शिविर खोले गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां ऐसे विधिक सहायता शिविर खोले गए हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसे विधिक सहायता शिविरों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से उनके मामलों की सुनवाई की गई है ;

(घ) ऐसे विधिक सहायता शिविरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विवादों से सम्बधित कुल कितने मामलों को निपटाया गया है ; और

(ङ.) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ.) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रंक-काल के बिल बनाने की पद्धति

1550. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रंक-कालों का बिल बनाने की वर्तमान पद्धति में यह देखा जाता है कि किस श्रेणी की काल बुक की गई है और बातचीत में कितना समय लिया गया तथा इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि बातचीत शुरू करवाने में विभाग को कितना-समय लगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में जब एक सामान्य काल के माध्यम से अविलम्ब काल से भी जल्दी बातचीत हो जाती है तो बिल बनाने की वर्तमान पद्धति के अनुसार ऐसी अविलम्ब काल के लिए सामान्य काल से अधिक धनराशि वसूल की जाती है, लेकिन इसके माध्यम से बातचीत बाद में हुई और सामान्य काल से बातचीत जल्दी हो गई ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय का विचार बिल बनाने की पद्धति पर पुनर्विचार करते समय अविलम्ब और लाइटनिंग कालों पर बातचीत करवाने के लिए प्रतीक्षा करने का अधिकतम समय निर्धारित करने का है और यदि निर्धारित समय से अधिक समय किया जाता है तो उसके लिए सामान्य काल के प्रभार होने चाहिए ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां, सिवाय तब के, जब काल रियायती शुल्क दर अवधि के दौरान मिलाई जाती है, जिसके लिए रियायती दरें निर्धारित हैं।

(ख) जी हां। परन्तु सामान्य नियमों के अनुसार साधारण काल तब तक नहीं मिलाई जा सकती जब कि तत्काल काल मिलाई जाने के लिए पहले बाकी हैं। जब कोई तत्काल काल पर किन्हीं कारणों, जैसे कि व्यक्त विशेष उपलब्ध नहीं है आदि के कारण नहीं मिलाई जा सकती तथा कोई प्रामिकता काल बकाया न हो, तब ही सर्किट पर साधारण काल मिलाई जाती है। ऐसे मामले में साधारण काल साधारण दर से प्रभार लिया जाता है तथा इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि प्रयत्न की गई बकाया तत्काल काल से पहले इसे मिला दिया गया है,

(ग) इस प्रश्न पर पहले ही मन्त्रालय द्वारा विचार किया जा चुका है तथा इसे स्वीकार नहीं किया गया।

रामागुन्डम संयंत्र में रोजगार के अवसर और उनके लिए भर्ती

1551. **श्री जी० नरसिंहा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रामागुन्डम तापीय संयंत्र में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार के मुहैया होने वाले रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाया है और यदि हाँ तो प्रत्येक शीर्ष से संबंधित उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य के आर्थिक उत्थान के रूप के रूप में 800/- रुपये के वेतन मान तक के पदों में ऐसी केन्द्रीय परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सिद्धांत का वर्तमान समय में पालन किया जा रहा है और भविष्य में भी इसका पालन किया जायेगा और अब तक इस श्रेणी के अन्तर्गत राज्य के कितने लोगों की भर्ती की जा चुकी है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार क्या केन्द्रीय सरकार का विचार परियोजना प्राधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश देने का है कि यह प्रथा जारी रखी जाये और स्थानीय लोगों की नियुक्ति की मात्र असुपलब्धता का आधार लेकर, उपेक्षा न की जाए ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को आशा है कि रामागुंडम में उनके द्वारा स्थापित किए जा रहे 2100 मेगावाट के सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए लगभग 3200 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। इसका ब्योरा निम्न-लिखित है :

कार्यपालक	480
पर्यवेक्षी	320
गैर-पर्यवेक्षी (तकनीकी)	2200
गैर-पर्यवेक्षी (गैर-तकनीकी)	200
जोड़ :	3200

इसके अतिरिक्त सहायता करने वाले सहायक उद्योगों में भी कुछ रोजगार निकलने की आशा है।

(ख) जी, हां। वर्तमान निर्देशों के अनुसार जिन पदों का अधिकतम वेतनमान 800 रुपये

प्रतिमाह से अधिक न हो, उन पदों पर भर्ती, संबंधित स्थानीय रोजगार कार्यालय (कार्यालयों) के माध्यम से करनी आवश्यक है। जहां स्थानीय रोजगार कार्यालय अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र दे दें, वहां रिक्त स्थान विज्ञापित कर दिए जाते हैं और जिस राज्य में केन्द्रीय परियोजना स्थित हो, भर्ती सामान्यतया उस राज्य के व्यक्तियों तक ही सीमित रखी जाती है।

(ग) जी, हां। जिन पदों का अधिकतम वेतन 800/-रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे कुल 207 पद भरे गए हैं। इनमें से 202 (98 प्रतिशत) पद स्थानीय व्यक्तियों से भरे गए हैं। ये सभी व्यक्ति स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा नामित किए गए थे।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

ऐसे संयंत्र में उन परिवारों के सदस्यों को काम दिया जाना जिनकी भूमि उस संयंत्र के लिए अर्जित की गई हो

1552. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय परियोजनाओं के मामले में यह अब तक प्रथा चली आ रही है कि ऐसे संयंत्र में उन परिवारों के कुछ सदस्यों को काम दिया जाता है, जिनकी भूमि उस संयंत्र के लिए अर्जित की गई हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या रामागुन्डम तापीय संयंत्र के मामले में ऐसे परिवारों की सूची बनाई गई है और यदि हां तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) प्रत्येक परिवार के कितने कितने लोगों को काम दिया जायेगा ; और

(घ) यह परियोजना कब तक चालू हो जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। सरकार के निदेशों के अनुसार नियुक्तियों में उन व्यक्तियों को वरीयता दी जा सकती है जिनकी भूमि परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई हो।

(ख) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने से प्रभावित हुए 980 परिवारों की एक सूची राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने, जिला प्राधिकारियों से आवश्यक जांच कराने और प्रमाणीकरण करा लेने के पश्चात तैयार की है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने ऐसी पद्धति अपनाई है कि उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के मामले में, भूमि अर्जन से प्रभावित हुए प्रत्येक परिवार के एक पात्र सदस्य को प्रथम वरीयता दी जाती है बशर्ते कि वह कार्य संबंधी आवश्यकता को पूरा करता हो।

रामागुन्डम परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

1553. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुन्डम आंध्र प्रदेश में दूसरी सुपर ताप परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है और क्या विश्व बैंक ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस परियोजना के काम की गति धीमी न पड़ जाय, सरकार अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त करने की संभावना का पता लगायेगी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) रामगुण्डम परियोजना के 3 × 200 मेगावाट यूनिटों वाले 600 मेगावाट के प्रथम चरण के लिए 250 मिलियन डालर की विश्व बैंक सहायता का वचन मिल गया है। इसमें 200 मिलियन डालर का आ० डी० ए० ऋण और 50 मिलियन डालर का अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋण शामिल है। परियोजना के 3 × 500 मेगावाट यूनिटों वाले 1500 मेगावाट के दूसरे चरण की सहायता के लिए विश्व बैंक से हाल ही में बातचीत हुई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि परियोजना समय सूची के अनुसार पूरी हो।

पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के तेल मंत्रियों का तेल के मूल्यों को एक समान करने के बारे में समझौता

1554. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 31 दिसम्बर 1981 को हुई बैठक में पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के 13 देशों के तेल मन्त्री आगामी वर्ष के अन्त तक के लिये अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यों को एक समान करने के लिए सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि तीसरी दुनिया के देशों को जो अब दक्षिण और खाड़ी के देशों से "सरकार से सरकार" के बीच सौदों के आधार पर तेल खरीदते हैं, अधिक मूल्य देना पड़ेगा जिसके कारण उनके भुगतान सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या इन निर्णयों के कारण भारत को तेल का आयात करने पर अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी और यदि हां, तो इसका भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा और इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठनों (ओ० पी० ई० सी०) ने अरेबियन लाइट क्रूड आयल के सरकारी मूल्य को मार्कर क्रूड के मूल्यों के रूप में उप डालर

प्रति बैरल का एक समान मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाने के लिये निर्णय लिया है। अशोधित तेल का आयात किये जाने पर विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन पर इससा प्रभाव अशोधित तेल की सप्लाई के स्रोतों तथा समय-समय पर चल रही विनिमय दरों जैसे तथ्यों पर निर्भर होगा। इस कारण जबकि 1981-82 की तुलना में अशोधित तेल पेट्रोलियम उत्पादों का देश में आयात 19-82-83 में लगभग 3 मि० मी० टन कम होगा, इस स्थिति में 1982-83 में विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की मात्रा बताना कठिन है।

इराक से कच्चे तेल की सप्लाई के लिए करार

1555. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या पेट्रोलियम और, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इराक ने वर्ष 1982 को कच्चे तेल की सप्लाई के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) दोनों देशों द्वारा पहले हस्ताक्षरित करारो की शर्तों और इस करार की शर्तों और इस करार की शर्तों में कितना अन्तर है ; और

(घ) तेल संबन्धी भारत की मांग को पूरा करने के लिये इराक कहां तक सहमत हुआ हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) वर्ष 1982 में 3,5 मि० मी० टन अशोधित तेल की सप्लाई के ईराक से एक समझौता किया गया है। वर्ष 1981 में ईराक द्वारा 0,9 मि० मी० तेल सप्लाई किये जाने का अनुमान है। तथापि इस बात के संकेत मिले हैं कि ईराक 5 मि० मी० टन अशोधित तेल प्रतिवर्ष सप्लाई कर सकता है। अभी इन बारे में और ब्यौरा देना जनहित में न होगा।

देश में टेलीफोन प्रणाली

1556. **प्रो० रूपचन्द्र पाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हमारे देश टेलीफोन प्रणाली के मूल ढांचे में सुधार लाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी हां, । देश में टेलीफोन प्रणाली के ढांचे में सुधार लाने के लिए नियमित आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। :

(1) टेलीफोन स्विचिंग, प्रणालियों, पारेषण प्रणालियों, टेलीफोन उपस्करों आदि में समसामयिक प्रौद्योगिकी अधिस्थापना ।

(2) आधुनिक प्रौद्योगिकी में तकनीकि कर्मचारियों को प्रशिक्षण ।

(3) भूमिगत केबुलों के दाबीकरण' केबुल. डक्टों के निर्माण तथा वितरण जालकार्य आदि में जेली भरे केबुलों के प्रयोग द्वारा वाह्य संयंत्र का दर्जा बढ़ाना ।

(क) योजनाबद्ध रूप से हस्तचल प्रणाली के स्थान पर स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रतिस्थापना ।

ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन

1557. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री के० राममूर्ति :

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों का एक सम्मेलन 8 नवम्बर, 1981 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था,

(ख) यदि हां, तो देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति को सुधारने के लिये सम्मेलन में की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उनके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या राज्य मन्त्रियों ने विद्युत के क्षेत्र में केन्द्र की भूमिका का विरोध किया था, और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां । विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन 6 से 8 नवम्बर, 1981 तक हुआ ।

(ख) निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये थे :—

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं का समय पर चालू किया जाना सुनिश्चित करने के भा० है० इले० लि० तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा तयशुदा कार्यक्रमों के अनुसार उपस्कर सप्लाई करेगा ।

(2) राज्य सरकारें विद्युत की पर्याप्त तथा विश्वस्त सप्लाई सुनिश्चित करेंगी ।

(3) बेहतर संयंत्र भार अनुपात प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड समयबद्ध कार्यक्रम हाथ में लेंगें ।

(4) प्रचलन तथा अनुरक्षण कार्मिकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी ।

(5) ताप विद्युत संयत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा और उचित गुणवत्ता के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी ।

(6) राज्य सरकारें विद्युत समिति की सिफारिशों को शीघ्रता से जांच करेगी तथा अपने विचार तीन महीने के भीतर बताएगी ।

(ग) और (घ) इस बात पर सहमति हुई थी कि व्यक्त किए गए मतभेद को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर आगे विचारविमर्श किया जा सकेगा ।

आकाशवाणी केन्द्रों से सबम्द्ध सलाहकार समितियां

1558. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पर रखने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से सम्बद्ध सलाहकार समितियां विद्यमान हैं;

(ख) इन सलाहकार समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान इन समितियों की कितनी बैठकें हुई हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां । आकाशवाणी के जो केन्द्र मूल रुप से $5\frac{1}{2}$ घन्टे या इससे अधिक के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, उनमें कार्यक्रम सलाहकार समितियां होती है । 60 मात्र केन्द्रो में से उन 57 केन्द्रों जहां इस प्रकार की समितियां गठित अनुमोदित हो चुकी हैं के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) इन सलाहकार समितियों के सदस्य उन क्षेत्रों जिनकों केन्द्र कवर करते हैं, की सांस्कृतिक/भाषायी, साहित्यिक और सामाजिक रुचि का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

(ग) सामान्यतया कार्यक्रम सलाहकार समिति की एक वर्ष में दो बठकें होती है । क्योंकि ये समितियां पिछले दो या तीन महीनों के दौरान ही गठित की गई हैं, अतः केवल 9 केन्द्र ही अपनी अपनी समितियों की पहली बैठक कर पाए हैं ।

(विवरण)

आकाशवाणी के उन केन्द्रों के नाम जहां पर कार्यक्रम सलाहकार समितियां गठित/अनुमोदित की जा चुकी हैं ।

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
1.	अम्बिकापुर	30.	कुर्सियांग
2.	अगरतला	31.	लेह

1	2	3	4
3.	अहमदाबाद	32.	लखनऊ
4.	औरंगाबाद	33.	मद्रास
5.	इलाहाबाद	34.	मथुरा
6.	ऐजवाल	35.	मंगलौर
7.	भोपाल	36.	नागापुर
8.	बंगलौर	37.	नजीबाबाद
9.	बम्बई	38.	पटना
10.	कटक	39.	पोर्ट ब्लेयर
11.	कालीकट	40.	पांडिचेरी
12.	कलकत्ता	41.	पणजी
13.	छतरपुर	42.	रामपुर
14.	कोयम्बतूर	43.	रीवा
15.	दिल्ली	44.	रत्नागिरि
16.	डिब्रूगढ़	45.	रांची
17.	धारवाड़	46.	रोहतक
18.	गोहाटी	47.	रायपुर
19.	गोरखपुर	48.	सिल्चर
20.	हैदराबाद	49.	शिलांग
21	इन्दौर	50.	श्रीनगर
22.	इम्फाल	51.	शिमला
23.	जयपुर	52.	तिरुचिरापल्ली
24.	जलन्धर	53.	त्रिवेन्द्रम
25.	जलगांव	54.	त्रिचुर
22.	जम्मू	55.	उदयपुर

1	2	3	4	5
26.	जगदलपुर	56.	विजयवाड़ा	
28.	जेपोर	57.	विशाखापत्तनम	
29.	कोहिमा			

तेल आयात के लिए धनराशि

1559. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री बताने की यह कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में हमारे देश में कितनी धनराशि का तेल आयात किया था ; और

वर्ष 1981-82 में अब तक कितनी धनराशि के तेल का आयात किया जा चुका है और वर्ष 1981-82 के अन्त तक कितनी धनराशि के तेल का आयात किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सूचना निम्न प्रकार है ।

	कच्चे तेल के आयात का मूल्य
1980-81	3348 करोड़ रुपये
1981-82 (अप्रैल-सितम्बर)	1802.06 करोड़ रुपये
1981-82	3865 करोड़ रुपये

सूचना केन्द्रों की स्थापना करने के मापदन्द

1560. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना केन्द्रों की स्थापना करने के कोई निर्धारित मानदन्ड हैं । यदि हां, तो उसका पूर्व ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सूचना केन्द्रीय विभाग द्वारा राजस्थान में किसी केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है ; और

(ग) क्या विभाग का विचार सीमा क्षेत्रों में और विशेष रूप से राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में जहां सीमा क्षेत्रों के लोगों को विस्तृत जानकारी दी जानी होती है, सूचना केन्द्रों की स्थापना करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) सूचना केन्द्रों को स्थापित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है :-

(1) विशिष्ट क्षेत्र का पिछड़ापन के स्थान जहां कोई समाचार पत्र/पत्रिकाएं नहीं हैं और वे स्थान जहां समाचार पत्र सेवा अपर्याप्त है ।

(2) वे क्षेत्र जहां राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण को विशेष रूप से प्रतिविम्बित करने की आवश्यकता है ।

(ख) और (ग) जबकि पत्र सूचना कार्यालय के राजस्थान में दो कार्यालय हैं जो कोटा और जयपुर में हैं, वहां को सूचना केन्द्र स्थापित करना अभी तक संभव नहीं हुआ है । तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जोधपुर में एक कार्यालय व सूचना केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ तेल की सप्लाई के बारे में विचार विमर्श

1561. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैनेजुएला के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा के दौरान उनके साथ भारत को तेल की सप्लाई करने के बारे में विचार विमर्श किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) भारतीय तथा वेनेजुलियन प्रतिनिधिमन्डलों के बीच मन्त्री स्तर पर हुई बातचीत के दौरान अन्य बातों के साथ साथ पेट्रोलीओस डॉ वेनेजुला तथा इंडियन आयल कापोरेशन के बीच अच्छे सम्बन्धों का विशेषरूप से परिवर्ती द्वारा पेट्रोलियम आयातों के क्षेत्र में उल्लेख किया गया तथा निकट भविष्य में सप्लाई में और अधिक वृद्धि करने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये भी सहमति व्यक्त की गयी ।

आन्ध्र प्रदेश के मनुगुर में दूसरा सुपर ताप विद्युत संयंत्र

1562. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मनुगुर में 2100 मेगावाट की क्षमता के दूसरे सुपर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के बारे में अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, आन्ध्र प्रदेश के खम्पागजिले में मानगुरा में लगभग 2000 मेगावाट का एक बड़ा ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने की व्यवहार्यता का पता लगा रहा है।

सिन्दरी उर्वरक सयंत्र का कार्य-निष्हावन

1563. **ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 198: में (दिनांक 1 नवम्बर, 1981 तक) ईधन तेल पर आधारित सिन्दरी उर्वरक संयंत्र में कुल कितने दिन उत्पादन हुआ और इस संयंत्र में इसकी क्षमता की तुलना में वास्तविक उ-पादन कितना हुआ तथा तथ्यों का ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकरी है कि आयात किये जाने वाले तेल पर आधारित संयंत्र की बजाय सिन्दरी के लिए कोयले पर आधा संयंत्र अधिक उपयुक्त रहता क्योंकि यह कोयला क्षेत्र में स्थित है, और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) (क) वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान सिन्दरी आधुनिकीकरण प्लांट में जितने दिनों में अमोनिया का निर्माण हुआ वे निम्न प्रकार है :-

वर्ष	दिनों की संख्या जब अमोनिया का निर्माण किया गया
1980	25
31.10.81 तक	222 दिन

वर्ष 1980 और 1981 के दौरान सिन्दरी आधुनिकीकरण प्लांट में क्षमता और वास्तविक निर्माण निम्न प्रकार हैं :-

अवधि	क्षमता	वास्तविक निर्माण (नाइट्रोजन)
1980	219,000	8,500
31.10.81 तक	185,500 (यथानुपात)	85,900

(ख) और (ग) सरकार ने प्लांट के फीडस्टाक के रूप में ईधन तेल/लांसल्फर हेवी स्टाक

को उनकी नजदीकी बरौनी/बोंगई गांव शोधनशालाओं जो स्वदेशी क्रूड का प्रयोग करते है से उपलब्धता के कारण चुना । इसके अलावा उस समय कोयले पर आधारित उर्वरक प्लांटों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित होनी थी और इसलिये प्लांट के लिये फीडस्टाक के रूप में कोयला को उपयुक्त नहीं माना गया । इसके अतिरिक्त सिन्दरी के आसपास कोयला क्षेत्र से केवल कोकिंग कोयला उपलब्ध है जिसकी किस्म का भन्डार सीमित है इसलिये यह विचार किया गया कि इस प्रकार के कोयले को विशेष रूप से मेटलार्जिक कोक के निर्माण के लिये रखा जाए । उर्वरक निर्माण के लिये अलग किया गया कोयला ननकोकिंग किस्म का है । कोयले पर आधारित यूनिटों के लिए अधिकतम मितव्ययिता प्लांटों को उपयुक्त कोयले के स्रोत की निकटता में स्थापित करके की जाती है इस दृष्टि से सिन्दरी को कोयले पर आधारित उर्वरक निर्माण के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया ।

सहकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में लगी पूंजी ।

1564. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कौन कौन से उर्वरक संयंत्र स्थापित किये गये हैं और कौन कौन से संयंत्र निर्माणाधीन है, उनमें से प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी हुई है और (1960-61 मूल्य आधार पर) उनमें विदेशी मुद्रा भाग कितना कितना है, तथ्यों का ब्यौरा क्या है ।

(ख) क्या यह सच है कि हाल में उर्वरक उद्योग में विदेशों पर निर्भरता घटने की बजाय बढ़ी है,

(ग) क्या विश्व बैंक के कारण सरकार आत्म निर्भरता की अपनी घोषित नीति को छोड़ रही है, और

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रसायन और उर्वरक विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक प्लांटों की विदेशी मुद्रा अंश समेत लागत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

वर्ष 1960-61 के मूल्यों में लागत देना संभव नहीं है क्योंकि प्लांट विभिन्न समय में लगाए गए हैं ।

(ख) : जी नहीं । उर्वरक प्लांट के विदेशी मुद्रा अन्श के बारे में प्लांट के आकार, चुनी गई प्रौद्योगिकी, कहां तत स्वदेशी उपकरण एवं सेवाएं उपलब्ध होगी और समय आदि जैसे अनेक मुद्दों के आधार पर निश्चिय किया जाता है । प्लांटों का स्वदेशीकरण करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाते हैं । उपकरण की खरीद के मामले में विदेशी सप्लायरों की अपेक्षा स्वदेशी क्षेत्र को मूल्य में कुछ वरीयता दी जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

सहकारी क्षेत्र के उर्वरक प्लांट

प्लांट का नाम	प्लांट की स्वीकृत लागत (करोड़ रुपयों में)	विदेशी मुद्रा अंश (करोड़ रुपयों में)
1. गोरखपुर (पुराना)	34.65	14.32
2. गोरखपुर (विस्तार)	18.39	8.70
3. सिन्दरी (सुव्यवस्थी करण)	60 77	9.67
4. सिन्दरी (आधुनिकीकरण)	183.19	56.07
5. रामागुण्डम	224.06	47.37
6. तालचर	223.14	47.52
7. मद्रास	70.51	25.30
8. नांगल (पुराना प्लांट)	31.12	14.61
9. नांगल विस्तार	129.83	40.14
10. पानीपत	221.33	59.52
11. भटिन्डा	240.47	21.85
12. नामरूप-1	24.26	5.50
13. नामरूप-2	74.91	24.06
14. दुर्गापुर	88.61	29.29
15. बरौनी	92.32	23.96
16. उद्योग मंडल	3 .55	उपलब्ध नहीं है
17. कोचीन-1	75.46	20·38
18. कोचीन-2	68.12	11.27

1	2	3	4
19.	ट्राम्बे	43.52	उपलब्ध नहीं है
20.	ट्राम्बे-4	76.27	30.31
	(ख) कार्यान्वयनाधीन प्रयोजनाएं		
1.	हाल्दिया	281.96	42.96
2.	ट्राम्बे-5	166.09	45.07
3.	नामरुप-3	168.43	30.67
		(239.15)	(144.69)
4.	थाल	511.34	230.00
		(732.60)	(लगभग 300.00)

( ) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उपलब्ध लागत अनुमानों को दर्शाते हैं।

डामर की कमी

1565. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डामर की कमी से सड़क निर्माण का कार्य रुका हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) डामर की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं जिससे सड़क निर्माण का कार्य नहीं रुके ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से निर्माण कार्य के लिए बिटुमन (डामर) की अपर्याप्त उपलब्धता के बारे शिकायत करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने अपने आवंटनों को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) शोधनशालाओं में बिटुमन (डामर) के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऐसी आशा है कि मथुरा शोधनशाला के आरम्भ होने के साथ लगभग 300,000 मी० टन/प्रति वर्ष अतिरिक्त बिटुमन की मात्रा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए कुछ आयात की व्यवस्थाएं की गई हैं।

सेडिमेन्टरी बेसिनों का क्षेत्र

1566. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमि पर और जल में तेल निक्षेप वाले बेसिनों (सेडिमेन्टरी बेसिन) का कुल क्षेत्र कितना है ;

(ख) उन स्थानों के नाम तथा क्षेत्रफल क्या है जहां तेल की खोज का कार्य किया गया है ; और

(ग) गत दो वर्षों की अवधि में इतने अधिक स्थानों का अचानक पता लगने का क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) देश में निक्षेप वाले बेसिनों का कुल क्षेत्र लगभग 1.795 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 200 मीटर पानी गहराई तक तट पर और अपतट पर)

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा व्यधन कार्य सहित खोज कार्य केम्बे बेसिन, कच्छ और सौराष्ट्र, राजस्थान बेसिन, पंजाब बेसिन, गंगा बेसिन, असम-अराकान बेसिन, पश्चिम बंगाल बेसिन महानदी बेसिन, कृष्ण-गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, इंडमान बेसिन, पूर्वी समुद्री तट बेसिनों और पश्चिम समुद्रीतट बेसिनों में किया जा रहा है। इन बेसिनों का क्षेत्रफल लगभग 1,000,000 वर्ग किलोमीटर है और अभी तक किया गया कार्य इस क्षेत्र में 40 प्रतिशत कार्य को शामिल करता है।

निम्नलिखित बेसिनों में लगभग 2,28,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है जो अन्वेषण की विभिन्न स्थितियों में हैं और जिनमें किसी प्रकार की व्यधन गतिविधि अभी तक नहीं हुई है।

1. पालर बेसिन
2. विन्धयन बेसिन
3. नर्मदा बेसिन
4. प्राणहिता बेसिन

आयल इन्डिया लिमिटेड

आयल इन्डिया लिमिटेड (ओ० आई० एल०) ऊपरी असम में अपनी 1990 वर्ग किलोमीटर खनन पट्टे में अर्थात नाहरकटिया, नाहरकटिया विस्तार, मोरान, हुगरीजन और दुमदुमा

में तेल की खोज कर रही है (उत्पादन संचालनों सहित) यह अरुणाचल प्रदेश में 551 वर्ग किलोमीटर पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्र जिसको निगरू पी० ई० एल० भी पुकारा जाता है, अन्वेषण कर रही है और इसको खारसंग में तेल मिला है। इसने महानदी बेसिन अपतट में 2 कूपों को खोदा है और अब महानदी बेसिन तट पर भूकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ किए हैं।

भूतपूर्व असम आयल कम्पनी

असम में दिग्बोई क्षेत्र

(ग) गत अनेक वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक एवं भूभौतिकिय सर्वेक्षण और व्याख्याएं जारी रखी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, कुछ आशाजनक क्षेत्रों का रेखांकन किया जा सका और उनमें से कुछ में व्यधन किए जाने से कुछ स्थानों में हाईड्रोकार्बन्स की खोज हुई।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा नई परियोजनाओं के लिए राज्यों को ऋण सहायता

1567. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हाल ही में 12 राज्यों के कुछ चुने हुए गांवों में 86 नई परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए ऋण सहायता के रूप में 18 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में से प्रत्येक में इस कार्य के लिए चुने गए गांवों की कुल संख्या कितनी है जहां इस तरह की नई परियोजनायें शुरू करन का विचार है ;

(ग) उन राज्यों के कितने गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का विचार है और उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितने सिंचाई पम्पसेट स्थापित किए जाने का विचार है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 31 अगस्त, 1981 के अन्त में 12 राज्यों की 86 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 1749.762 लाख रुपए की ऋण राशि की मंजूरी का अनुमोदन किया है।

(ख) से (घ) इन 86 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों में 12 राज्यों में 1663 नए गांवों के विद्युतीकरण की तथा पहले से विद्युतीकृत किए गांवों के साथ लगी 1085 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की तथा 19156 कृषि पम्पसेटों के अर्जन की परिकल्पना है। 86 स्कीमों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण की स्वीकृति के लिए 31-8-1981 को अनुमोदित की गई 86 स्कीमों की राज्यवार स्थिति

क्रम संख्या	राज्यों का नाम	स्कीमों की संख्या	ऋण राशि (लाख रु. में)	गांवों/हरिजन गांवों की संख्या नए गांव	विद्युतीकृत गांव	हरिजन बस्तियां	कृषिपम्प सेट
1	2	3	4	5	6	7	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	257.674	196	—	338	2750
2.	गुजरात	3	24.792	—	—	15	800
3.	हरियाणा	8	95.298	—	—	593	2340
4.	कर्नाटक	1	13.780	7	13	—	37
5.	मध्य प्रदेश	13	404.048	597	—	—	4740
6.	महाराष्ट्र	5	154.055	172	40	—	725
7.	मणिपुर	4	14.200	53	4	—	43
8.	राजस्थान	13	108.005	98	—	139	759
9.	उड़ीसा	4	35.408	—	—	—	959
10.	उत्तर प्रदेश	7	97.314	—	—	—	3150
11.	तमिलनाडु	6	61.835	—	—	—	2520
12.	पश्चिम बंगाल	9	349.353	464	6	—	433
	योग	86	1749.762	1633	63	1085	19156

सोवियत रूस के सहयोग से कोयला खानों की खुदाई

1568. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूप के सहयोग से कुछ कोयला खानों की खुदाई किए जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला खानों के क्या नाम हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिए चुना गया है ;

(ग) इन कोयला खानों में से प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(घ) इन खानों की खुदाई कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है और

(ड.) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कुछ बड़ी क्षमता वाली खानों को सोवियत रूस की सहायता से विकसित करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (ड.) : एक विवरण संलग्न है जिसमें उन कोयला परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं जिन्हें सोवियत संघ की सहायता से विकसित करने का प्रस्ताव है इस विवरण पत्र में परियोजनाओं के नामों के साथ साथ वार्षिक उत्पादन पूरा होने पर उनकी क्षमता, उनको पूरा करने में प्रत्याशित समय और मौजूदा स्थिति भी दी गई है।

विवरण			
परियोजना का नाम	पूरा होने पर प्रत्याशित वार्षिक उत्पादन	दोहन शुरु करने का प्रत्याशित समय	वर्तमान स्थिति
1. निघाई	14 मि०टन	सातवी योजना	साध्यता रिपोर्ट तैयार हो रही है।
2. मुकुंडा	12 मि० टन	वही	वही
3. दामुदा	—	वही	सोवियत पक्ष ने विशेषज्ञों के दल को भेजना स्वीकार कर लिया है जिससे साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में सहायता दी जा सके।
4. जयंत ओ० का०	10 मि० टन	पहले ही उत्पादन हो रहा है (स्टेज i)	परियोजना की क्षमता को 6 मि० टन से बढ़ाकर 10 मि० टन करने के सम्बन्ध में सोवियत विशेषज्ञों के एक दल के भारत आने की आशा है।
5. झांझरा	2.8 मि० टन	सातवी योजना	संविदा का प्रारूप प्राप्त हो गया है जिसमें काम के क्षेत्र का उल्लेख है।
6. माकम	—	1985-86	वही

छठी योजना की समाप्ति पर कोयला उत्पादन क्षेत्र-वार लक्ष्य

1569. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : छठी योजना अवधि की समाप्ति पर कोयला उत्पादन के क्षेत्र-वार लक्ष्य क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : छठी योजना के अन्त में कोयले के उत्पादन के क्षेत्र-वार लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

क्षेत्र	लक्ष्य (1984-85)
(कोयला क्षेत्र)	(आंकड़े मि० टन में)
1. कोरवाइब	12.13
2. सिंगरौली	16.50
3. रानीगंज	23.57
4. राजमहल	2.50
5. नार्थकरनपुरा	5.67
6. सेन्ट्रल इन्डिया	15.08
7. तालचेर	3.15
8. सिंगरेनी	17.00

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के बिजलीघर

1570. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम ने कुछ बड़े बिजलीघरों की स्थापना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बड़े बिजलीघरों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) ये परियोजनाएं कहां-कहां पर होंगी ;

(घ) प्रस्तावित इन बड़ी विद्युत परियोजनाओं में से प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ड.) उपरोक्त प्रस्ताव की कार्यान्वित में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ड.) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सिंगरौली, कोरबा, रामागुण्डम तथा फरक्का में सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना कर रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा नई परियोजनाओं

को हाथ में लेने के लिए भी प्रावधान है। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर पिटहैड सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना के बारे में व्यवहार्यता संबंधी अन्वेषण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किए जा रहे हैं। दिसम्बर, 1980 में हुए भारत-रूस तकनीकी सहयोग समझौते में मध्य प्रदेश में वैधन में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना किए जाने की व्यवस्था है।

तलचर उर्वरक संयंत्र

1571. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलचर कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र में उत्पादन शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों में इसमें किस प्रकार का और कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) इसके लिए कितनी बिजली की आवश्यकता थी और कितनी बिजली सप्लाई की गई और कितनी बिजली की खपत हुई ;

(घ) इसमें नियुक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान (महीनेवार आंकड़े), कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की किस राशि का भुगतान किया गया ; और

(ङ) इस समय संयंत्र में कार्य कर रहे अकुशल श्रमिकों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने उड़ीसा से हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। तालचर प्लांट ने 1.11.1980 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया।

(ख) प्लान्ट ने 1.11.1980 और 31.3.81 के बीच 9331 टन यूरिया और 1.4.81 और 31.10.81 के बीच 44.840 टन यूरिया का निर्माण किया।

(ग) प्रेर लोड पर 50 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है प्लान्ट के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिन से इसे निम्नलिखित अवधियों को छोड़कर जब बिजली की परिसीमित सप्लाई और इसकी आवश्यकता की पूर्ति की गई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

अवधि	बिजली सप्लाई मेगावाट में
31.5.81 से 2.6.81	12.0
9.6.81 से 11.6.81	25.0
17.11.81 से आगे	32.0

(घ) सूचना विवरण में दी गई है।

(ङ.) 306 में से 303 उड़ीसा से हैं।

विवरण

तालचर उर्वरक प्लान्ट में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या और कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

वर्ष (माहवार) 1979	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या	दिए गए समयोपरि भत्ते की राशि (माहवार) रु० लाखों में
जनवरी 79	943	1.99
फरवरी 79	957	2.03
मार्च 79	972	1.54
अप्रैल 79	983	2.21
मई 79	993	2.82
जून 79	1032	1.59
जुलाई 79	1034	2.64
अगस्त 79	1034	2.64
सितम्बर 79	1029	3.24
अक्तूबर 79	1071	2.16
नवम्बर 79	1061	2.47
दिसम्बर 79	1063	2.28
1980		
जनवरी 80	1098	1.04
फरवरी 80	1100	1.81
मार्च 80	1103	1.82
अप्रैल 80	1107	0.97
मई 80	1108	0.77
जून 80	1111	0.71
जोलाई 80	1114	1.11

1	2	3
अगस्त 80	1115	2.32
सितम्बर 80	1116	1.91
अक्तूबर 80	1116	3.58
नवम्बर 80	1132	3.50
दिसम्बर 80	1143	4.39
1981		
जनवरी 81	1145	3.40
फरवरी 81	1145	3.56
मार्च 81	1148	3.25
अप्रैल 81	1160	3.01
मई 81	1156	4.72
जून 81	1156	5.22
जोलाई 81	1159	4.68
अगस्त 81	1165	5.85
सितम्बर 81	1161	4.66
कक्तूबर 81	1266	3.78

नोट : 1.1.79 से 31.3.81 तक 7.87 लाख रुपये परिश्रमित संशोधन के कारण बेकार का भुगतान किया गया है।

विभिन्न तापीय और पन-बिजली एककों द्वारा उत्पादन बढ़ाने में सामना की जा रही कठिनाईयां

1572. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा मन्त्रियों का एक सम्मेलन नवम्बर, 1981 में दिल्ली में आयोजित किया गया था ;

(ख) क्या सम्मेलन में विभिन्न तापीय और पन बिजली एककों द्वारा अपना उत्पादन बढ़ाने में सामना की जा रही कठिनाइयों पर विचार किया गया था और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ग) क्या की गई चर्चा के परिणाम स्वरूप केन्द्र, देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं की गति तेज करने के लिए तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता देने के लिए व्यापक रूप से आगे आयेगा ; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में विभिन्न विद्युत एककों को उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त सहायता का विवरण क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ।

(ख) निम्नलिखित कुछ मसलों पर विचार-विमर्श हुआ :—

(1) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० और आई० एल० के० से फालतू पुर्जों की सप्लाई में विलम्ब।

(2) संयंत्र और उपस्कर की कमियां।

(3) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की समुचित मात्रा में सप्लाई।

(4) राज्य विद्युत बोर्डों की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति।

(5) परियोजना प्रबंध में सुधार।

(ग) और (घ) देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने/सुधार लाने के लिए केन्द्र सभी प्रकार की सहायता देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। अपनी वित्तीय आवश्यकतायें संबंधित बिजली उपक्रमों को स्वयं पूरी करनी होगी।

कोयले का उत्पादन और इसके अन्य स्थानों के भेजने तथा बिजली उत्पादन के मामले में उड़ीसा के समक्ष कठिनाइयां

1573. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1981 में दिल्ली में केन्द्र द्वारा राज्य ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था ;

(ख) यदि, हां तो क्या सम्मेलन में उन कठिनाइयों का विचार किया गया था जिनका उड़ीसा राज्य को कोयले के उत्पादन और इसे देश के अन्य भागों को भेजने व निर्यात के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा राज्य/द्वारा जिन कमियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका ब्योरा क्या है और उसको हल करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाने अथवा सहायता देने का विचार है ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में तलचेर ताप विद्युत केन्द्र सहित विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई

किए गए कोयले की किस्म और मात्रा से सम्बद्ध समस्याओं पर और कोयले की ढुलाई की समस्याओं पर इस सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था ।

(ग) उड़ीसा में तलचेर ताप विद्युत केन्द्र सहित विद्युत केन्द्रों के घटिया कार्य निष्पादन के लिए कई कारणों का पता लगाया गया है । ले आउट, संयंत्र और उपस्कर, प्रणाली इंजीनियरिंग संबंधी कमियां नियोजित अनुरक्षण में आवश्यक रूप से लम्बा समय लगना और उपस्कर के जबरन आउटेज, फालतू पुर्जे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, नए चालू किए गए यूनिटों के स्थिरीकरण में अपेक्षाकृत लम्बा समय लगना, सप्लाई किया गया कोयला घटिया किस्म का होना जैसे कई कारण, ताप विद्युत केन्द्रों की वर्तमान क्षमता का उपयोग कम होने के लिए जिम्मेवार हैं । ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई कदम पहले से ही उठा लिए गए हैं । इसमें ये शामिल हैं ; संयंत्र और उपस्कर की कमियों का पता लगाने के लिए सहायता और संयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लेना, आउटेज की अवधियों को कम करने के लिए सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकों को अपनाना, फालतू पुर्जों की सप्लाई समय पर किए जाने की व्यवस्था करना, उपयुक्त किस्म की कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था करना, और कृतिक बल की स्थापना करना जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भा० है० इले० लि०, आई० एल० के० और राज्य बिजली बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हों ताकि 200 मेगावाट के ताप विद्युत यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए जा सके ।

उड़ीसा का तलचेर ताप विद्युत केन्द्र पर्याप्त मात्रा में कोयला प्राप्त करने सबंधी कुछ समस्याओं का सामना पिछले कुछ महीनों से करता आ रहा है । उत्पादन को अधिकतम करने के लिए तलचेर ताप विद्युत केन्द्र को कोयला सप्लाई की सख्ती से मानीटरिंग की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में अगरबत्ती आदि के उद्योग समूह की स्थापना

1574. **श्री जैनल बशर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का बार-बार अनुरोध किया है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने के नाप्था पर आधारित प्रस्तावित अगरबत्ती आदि का उद्योग समूह राज्य में स्थापित किया जाये ;

(ख) क्या इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड के तकनीकी विशेषज्ञों ने इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश को सार्वाधिक उपयुक्त स्थान पाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीलमपुर में एक एरोमेटिक उद्योग समूह की स्थापना करने का निश्चय किया है । इस परियोजना के लिए एक कार्यकारी दल सरकार द्वारा गठित किया जा रहा है ।

तेल कम्पनियों के खाना बनाने की गैस के एजेंट

1575. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) भारतीय तेल निगम, (2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और (3) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के राजधानी में नियुक्त खाना बनाने की गैस के एजेंटों की संख्या कितनी है ;

(ख) दिल्ली में उपयुक्त तीनों निगमों के एजेंटों के क्या नाम हैं तथा इसकी एजेंसियां किन-किन स्थानों पर हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने नई दिल्ली में 1978 में स्वयं को खाना बनाने की गैस के कनेक्शन हेतु पंजीकृत कराया था, गैस कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं जबकि शाहदरा क्षेत्र में 1974 से पंजीकृत व्यक्तियों को अभी तक गैस कनेक्शन नहीं मिले हैं और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

(क) **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) दिल्ली में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरकों/उप वितरकों की संख्या 85 है जो कि नीचे दी गयी है :

इन्डियश आयल कारपोरेशन	55
हिन्दुस्ताद पेट्रोलियम कारपोरेशन	17
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन	13

(ख) सूचना विवरण में दी गयी है

(ग) जी हां । इसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र शासित प्रवेश दिल्ली में गैस कनेक्शन उन वितरकों को जारी किये जाते हैं जो कि रिफिलों की उच्चतम सीमा से नीचे होते हैं। उन क्षेत्रों में जहां कि वितरक उच्चतम सीमा तक पहले ही पहुंचे चुके हैं, नये कनेक्शन जारी नहीं किये जाते हैं, जिसके कारण असन्तुलन हो गया है। यह स्थिति ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त वितरकों की नियुक्ति किये जाने के बाद, जहां कि वितरक उच्चतम सीमा तक पहले ही पहुंच चुके हैं, ठीक हो जायेगी ।

(विवरण)

केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों /उप-डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के नाम तथा स्थान

	नाम	स्थान
(क)	इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	
1.	एसोसियोटिड ट्रेनिंग कम्पनी	किशन गंज
2.	आग्रो इन्डस्ट्रियल कोम ट्रोडिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड	कीर्ती नगर

3.	अमर गैस सरविस	शाहदरा
4.	मार्स एन्टरप्राइज	पालिका बाजार
5.	अमरजीत गैस एजेंसी	पंजाबी बाग
6.	अलोक गैस एजन्सी	माडल टाऊन
7.	अनन्तजी गैस सरविस	झण्डेवालान
8.	अलका फ्लेम	आन्नद निकेतन
9.	अतुल एनटरप्राइज	रानी झांसी रोड़
10.	बैकसन गैस सरविस	—वही—
11.	बी० एन० गुप्ता एण्ड कम्पनी	शाहदरा
12.	काकटस लिली एनटरप्राइज	ग्रेटर कैलाशा
13.	डी० पी० ठाकोरा एण्ड कम्पनी	दरियागंज
14.	देवी अनुपमा गैस सरविस	बसन्त विहार
15.	दी पी० एनटरप्राइज	ग्रीन पार्क एक्सटैंन्शन
16.	दीप्ती एनटरप्राइज	रानी झांसी रोड़
17.	एलाइट एजेंन्सीज	कमला नगर
18.	हेम गैस ऐजेन्सी	दरयागंज
19.	जयानत गैस सरविस	जनकपुरी
20.	जे० जे० गैस सरविस	अशोक बिहार
21.	जचजोती एनरप्राइज	लाजपत नगर-4
22.	कंवल गैस सरविस	पूसा गेट के नजदीक
23.	लिट्स रैफरीजरेशन कारपोरेशन	एन० डी० एस० सी०पार्ट -1 मार्कीट
24.	एल० के० एनटरप्राइज	लाजपत नगर-2
25.	मनोहर गैस सरविस	जामा मसजिद
26.	मोहानित गैस सरविस	होजा खास मार्कीट
27,	नाथ ट्रेडर्स	कैलाश मार्कीट
28.	प्रेम नाथ मोटर्स (पी०) लि	सिन्धीया हाऊस
29.	पापूलर कैमिस्ट्म	सुन्दर नगर मार्कीट
30.	प्यारे लाल एण्ड सन्स	वारा हिन्दुराव
31.	पायल गैस सरविस	कश्मीरी गेट
32.	प्रमात गैस सरविस	जनकपुरी

33.	आर० डी० एन्टरप्राइज	ग्रीन पार्क
34.	राजधानी गैस सरविस	वजीरपुर
35.	आर० के० एजेंन्सीज	एम० एम० टी० सी०/ एस० टी० सी कालोनी
36.	शक्ती एनटरप्राइज सरविस	अशोक नगर
37.	साऊथ देहली गैस सरविस	नई मार्किट, सदर बाजार, देहली कैंट
38.	शहीद सुभाष गैस कम्पनी	किशन नगर
39.	संजीव गैस सरविस	ग्रेटर कैलाश 52
40.	सुखधाम गैस सरविस	लारैंस रोड़
41.	सुनील एनटरप्राइज	रानी झासी रोड
42.	विवेक गैस सरविस	खान मार्कीट
43	विकास गैस एजेन्सी	नरैना
44.	विकरम एनटरप्राइज	किदवाई नगर
45.	विजय रतन एक्टरप्राइज	लक्ष्मी नगर
46.	वार हीरोज गैस सरविस	मोडल टाऊन
47.	आर० के० एनटरप्राइज	ग्रीन पार्क एक्सटेंन्शन
48.	सी० लाल एण्ड सन्स	कश्मीरी गेट
49.	सुरजीत फुअल डीपो	आर० के० पुरम
50.	यूनीक एन्टरप्राइट	अशोक नगर
51	विशाल गैस सरविस	शाहदरा
52.	कालका जी गैस सरविस	कालकाजी
53.	प्रीया सरविस	डिफेंन्स कालोनी
54.	पीअरल गैस सरविस	जी० टी रोड, करनाल रोड
55.	विक्की ऐजेन्सीज	टैगोर गार्डन

(ख) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०

1.	एलाईड गैस सरविस	जनकपुढ रोड
3.	ज्वाला एजेंन्सीज	डिफेंन्स कालोनी
3.	राहुल एजेंन्सीज	जंगपुरा एक्सटेंन्शन
4.	रामन गैस सरविस	मोती बाग
5.	यूनाइटिड एजेंन्सीज	दरियागंज/शाहदरा

6.	मार्डन कुक्करोज	कमला नगर
7.	दीपक गैस सरविष	पटेल नगर
8.	उमीका एजेंन्सीज	राजौरी गार्डन
9.	रुचीका एजेंन्सीज	लक्ष्मीबाई नगर
10	खेरा गैस सरविस	रोशनारा रोड
11	सतीश एण्ड कम्पनी	हौजा खास
12.	अशोका सटोर्स	ग्रेटर कैलाश
13.	इन्डियन आक्सीजन	नजफगढ रोड इन्डस्ट्रियन

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०

1.	दिल्ली गैस कम्पनी	जनपथ तथा टैगोर गार्डन
2.	रिलाइएन्स ट्रेडर्स	राजेन्द्र नगर
3.	नोवल ट्रेडर्स	राजौरी गार्डन
4.	आन्नद सटोर्स	नेताजी नगर मार्कीट
5.	गुजरात गैस हाऊस	कमला नगर
6.	साऊथ देहली ऐजेंन्सीज	शेख सराय
7.	सटैन्डर्ड सटोर्स	डिफेंस कालोनी
8.	पटेल नगर जरनल स्टोर्स	ईस्ट पटेल नगर
9.	फेयरवेज स्टोर्स	दिल्ली कैन्ट
10.	एमरसन	कश्मीरी गेट
11	शक्ति ट्रेडर्स	करोल बाग
12.	स्मार्ट ड्राइक्लीनर्स	लाजपत नगर
13.	ग्रीहैन एण्ड संस	पंजाबी बाग
14.	काउकेरस कैमिस्ट	दरयागंज
15.	गुजरात ऐजेंन्सीज	जंगपुरा
16	नवयुग ऐजेंन्सीज	भगत सिंह मार्कीट
17.	फेअर डील	कैलाश कालोनी

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1576. **श्री निहाल सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में 174 परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितना खर्चा किया जाएगा और राज्य में उन जिलों के क्या नाम हैं जहां ये परियोजनाएं शुरू की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने मार्च, 1981 के अन्त तक उत्तर प्रदेश की 436 ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए कुल 173 64 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है ।

(ख) 436 परियोजनाओं के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा कुल 173.64 करोड़ रुपये की ऋण सहायता संवितरित की जानी है । ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई उत्तर प्रदेश की 436 परियोजनाओं की जिलेवार स्थिति (विवरण) में दिखाई गई है ।

436 परियोजनाओं में से 39 स्कीमों के लिए सितम्बर, 1981 के अन्त तक पहली किस्त नहीं ली गई है, जिससे यह पता चलता है कि इन स्कीमों के बारे में राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अभी कार्य शुरू किया जाना है । शेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक अथवा अधिक किश्तें ले ली गई हैं जिससे यह पता चलता है कि या तो कार्य प्रगति पर है अथवा कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाना है ।

विररणर.1

उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मार्च 1981 के अन्त तक स्वीकृत की गई ग्राम विद्युती करण स्कीमों को जिलेवार स्थिति दिखाने वाला वियरण

क्र० सं०	जिला	स्कीमों की संख्या	विद्युतीकरण किए जाने वाले गांव	अर्जित किए जाने वाले पम्प सेट	स्वीकृत ऋणराशि (लाख रुपये में)
1.	आगरा	10	404	3513	204.010
2.	इलाहाबाद	18	1468	6641	646.584
3.	अलीगढ़	13	392	4499	291.842
4.	अलमोड़ा	11	1744	46	801·930
5.	आजमगढ़	26	1510	11658	649.210
6.	बहरेच	5	422	1690	296.660

1	2	3	4	5	6
7.	बल्लिया	4	350	2414	234.010
8.	बांदा	5	637	1240	291.877
9.	माणमनकी	3	365	1776	195.945
10.	बरेली	8	545	3361	314.848
11.	बस्ती	7	632	2568	442.069
12.	बिजनौर	8	545	3866	183.624
13.	बदायूं	3	204	1212	130.070
14.	बुलन्द शहर	8	214	2403	220.280
15.	चमोली	4	641	9	204.700
16.	देहरादून	3	213	73	148.020
17	देवरिया	12	779	3911	490.610
18.	एटा	4	282	2157	143.020
19.	इटावा	3	251	1730	196.460
20.	फैजाबाद	12	734	5708	359.873
21.	फरुखाबाद	3	250	1790	150.039
22.	फतेहपुर	5	253	3236	311.800
23.	गढ़वाल	8	1523	3	501.970
24.	गाजीपुर	13	847	7407	352·064
25.	गोंडा	5	469	766	226.630
26.	गोरखपुर	16	1451	6534	769.357
27.	हमीरपुर	4	282	580	165.080
28.	हरदोई	5	435	1899	298.170
29.	जोनपुर	13	837	6222	351.771
30.	झांसी	5	360	945	197.514
31.	जालोन	3	306	708	150.514

1	2	3	4	5	6
32.	कानपुर	5	352	2430	230.130
33.	खेड़ी	4	285	1940	172.240
34.	लखनऊ	2	489	3672	326.708
35.	मेनपुरी	9	486	4450	231.700
36.	मथुरा	5	286	2290	141.760
37.	मेरठ	15	103	4141	342.053
38.	मिर्जापुर	6	606	1106	374.136
39.	मुरादाबाद	11	480	4826	340.053
40.	मुजफ्फर नगर	14	192	5430	243.659
41.	नैनीताल	10	1019	1875	475.730
42.	पीलीभीत	5	339	2525	145·730
43.	पिथौरागढ़	5	740	—	305.720
44.	प्रतापगढ़	3	289	2845	205.365
45.	राय बरेली	23	1165	7852	567.434
46.	रामपुर	3	236	1640	83.700
47.	सहारनपुर	6	196	2574	160.484
48.	शाहजहांपुर	7	677	3950	326.514
49.	सीतापुर	9	664	3385	486.150
50.	सुलतानपुर	9	703	4360	468 202
51.	टीहरी गढ़वाल	6	895	8	430.500
52.	उत्तर कांशी	4	363	4	168.510
53.	उन्नाव	8	814	2869	463.298
54.	वाराणसी	8	538	3305	153.109
55.	ललितपुर	3	235	425	159.600
56.	गाजियाबाद	9	117	2395	140.386
	जोड़ :	436	31745	160772	17364.294

ईरान से खनिज तेल का आयात

1577. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान से 35 लाख टन खनिज तेल का आयात करने के लिए अक्तूबर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में एक समझौता किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वहां से आयात किए जाने वाले तेल की अनुमानित मूल्य क्या होगा और इसका भुगतान किस तरीके से किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने नम्बर 1980 में भविष्य में की जाने वाली अशोधित तेल की सप्लाई के लिए ईरान की यात्रा की थी जिसके परिणामस्वरूप ईरान दिसम्बर 1981 से जून, 1983 की अवधि के दौरान 48 मि० मी० टन अशोधित तेल सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस सम्बन्ध में और ब्यौरा देना जनहित में न होगा ।

स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरु के जीवन वृत्त चित्र

1578. **श्री निहाल सिंह** :

श्री चिंतामणि जेना : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत कारपोरेशन के वाइस चैयरममैन ने स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू के संबंध में वृत्त चित्रों पर आधारित एक फिल्म बनाने का प्रस्ताव किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे में दोनों सरकारों के मध्य हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सोवियत फिल्म एंड सेन्ट्रल साइन्स स्टूडियोज सोवियत संघ और फिल्म प्रभाग, बम्बई का पंडित जवाहर लाल नेहरू पर फीचर फिल्म लम्बई की एक डाकुमेंट्री फिल्म संयुक्त रूप से बढाने का विचार है।

(ख) 26 अक्तूबर, 1981 को हुए प्रारम्भिक करार के अनुसार, फिल्म को 35 मि० मी० रंगीन में तथा तीन मूल भाषाओं हिन्दी, रुसी और अंग्रेजी में बनाया जायेगा । फिल्म को मूल स्क्रिप्ट जिसे दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार और स्वीकार किया जायेंगा, के आधार पर बनाया जायेगा तथा इसको भारतीय पक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले एक निर्देशित तथा सोवियत पक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले एक अन्य निर्देशक द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित किया जायेगा। सहमति प्राप्त स्क्रिप्ट मार्च, 1982 तक तैयार की जानी है तथा विस्तृत सह-निर्माण करार अप्रैल 1982 में निष्पादित किया जाना है। फिल्म की वास्तविक शूटिंग मई, 1982 में शुरू होने की संभावना है तथा फिल्म के 1982-83 तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है ।

दूरदर्शन फिल्मों का आयात

1579. **श्री पियूष तिरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन पश्चित देशों से दूरदर्शन फिल्मों का आयात किया जाता है ;

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन फिल्मों का आयात करने में पश्चिम जर्मन की आवश्कता से अधिक प्राथमिकता दी जाती है ;

(ग) इसके लिए यूरोपीय तथा पश्चिमी देशों को किए गए भुगतान के देश वार आकड़े क्या है ; और

(घ) पश्चिमी जर्मनी से आयात की गई दूरदर्शन फिल्मों से संबधित ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दूरदर्शन फिल्मों का आयात दूरदर्शन की आवश्कताओं और विदेशी में उनको उपलब्धता पर निर्भर करता है । हाल ही के वर्षों में दूरदर्शन ने ब्रतानिया, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, कनाडा, आदि से फिल्में आयात की हैं ।

दूरदर्शन सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों/करारों के अन्तर्गत विभिन्न अन्य विदेशों अर्थात सोवियत संघ बल्गानिया, चेकोस्लोवाकिया आदि से भी अधिकतर शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्वरूप की फिल्में नि:शुल्क प्राप्त कर रहा है ।

(ख) जी, नहीं

(ग) यूरोपीय और पश्चिमी देशों को पिछले दो वर्ष के दौरान किए गए भूगतान की राशि इस प्रकार थी :

	1979-80	1980-81
1. बरतानिया	5,56,988.00 रुपये	2,22,900,00रुपये
2. कनाड़ा	72,000,00 रुपये	—
3. पश्चिमी जर्मनी	28,760,00 रुपये	1,65,250,00 रूपये
बेल्जियम	4,300,00 रूपये	—

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान पश्चिमी जर्मनी से आयात की गई फिल्मों का ब्योरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान पश्चिमी जर्मनी से आयात की गई दूरदर्शन फिल्मों का ब्यौरा :

क्र० सं०	फिल्म का नाम	खरीदने का स्रोत	राशि
		1979-80	रुपये
1.	मास्को स्टेट सर्कस	एल० बी० ए० एसोसियेट्स	27,000,00
2.	ह्यूमन बाड़ी (इन्टरनेशनल ट्रेक एण्ड कमेंट्री)	ट्रांसटेल	6,760.00
	1980-81		
1.	म्यूजिक फ्राम स्टूडियों	ट्रांसटेल	
2.	टेल्स फ्राम 1001 डेज	ट्रांसटेल	
3.	सीम आफ क्राइम (1) ए कम्परीहेन्सिव एजुकेशन (2) ईवनिंग स्टार	ट्रांसटेल	
4.	जेम्स लास्ट्स स्टोर पैरेड	ट्रांसटेल	
5.	सीक्रेट्स आफ दी सी	ट्रांसटेल	
6.	बरबापापा	ट्रांसटेल	1,65,250.00
7.	जूजू आफ दी वर्ल्ड	ट्रांसटेल	
8.	लर्निंग टू स्विम	ट्रांसटेल	
9.	वूमेन अराऊंड दि वर्ल्ड	ट्रांसटेल	
10.	दि डेविल्स जनरल	ट्रांसटेल	
11.	टेलेमैच	ट्रांसटेल	
12.	टेक्नालोजी	ट्रांसटेल	

उत्तर पूर्वी राज्यों के सीमांत क्षेत्रों के लोगों द्वारा देखे गए बंगलादेश दूरदर्शन के प्रभाव को समाप्त करना ।

1580. **श्री एन० ई० होरो :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी राज्यों और पंजाब के सीमान्त क्षेत्रों के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं बंगला देश से चीनी पाकिस्तानी दूरदर्शन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या उन्होंने सीमांत राज्यों पर पड़ रहे बंगलादेश दूर-दर्शन के प्रभाव का स्वयं भी गहराई से अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध के सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) ऐसी खबर है किसी मा-वर्ती क्षेत्रों के कुछ भागों में पड़ोसी देशों की दूरदर्शन सेवा प्राप्त हो रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के दर्षकों को दूरदर्शन सेवा प्रदान करने के लिए जलन्धर/अमृतसर और कलकत्ता में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक और दूरदर्शन केन्द्र गोहाटी में स्थापित करने के प्रस्ताव को छठी योजना में शामिल किया गया है।

"ओपेक" द्वारा नया मूल्य सूत्र अपनाने के कारण आयात पर विदेशी मुद्रा की बचत

1581. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "ओपेक" द्वारा घोषित किए गए एक नए सामान मूल्य सूत्र और देशी उत्पादन में वृद्धि के कारण आयात में कमी के परिणाम-स्वरूप भारत में 1982 में तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा बचाने की स्थिति में होगा ; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इस संबंध में की जाने वाली वार्षिक बचत के बारे में ब्यौरा क्या है तथा हमारे देश की आवश्यता को पूरा करने के लिए किस सीमा तक देश में ही उत्पादन होगा ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन (ओ० पी० ई० सी०) ने अरेबियन लाइट क्रूड आयल के सरकारी मूल्य को मार्कर क्रूड के मूल्य के रूप में उपडालर प्रति बैरल का एक समान मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाने के लिए निर्णय लिया है। जबकि वर्तमान अनुमानों के अनुसार मुख्य रूप से देश में उत्पादन में वृद्धि के कारण वर्ष 1982 में आयात किये जाने वाले अशोधित तेल की मात्रा वर्ष 1981 में आयात की जा रही मात्रा से कम होगी, इस स्थिति में वर्ष 1982 में अशोधित तेल आयात के कारण विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की मात्रा बताना कठिन है क्योंकि हमें वर्ष 1982 के लिए अशोधित तेल की सप्लाई के स्रोतों को अभी अन्तिम रूप देना है। वर्ष 1982 के लिए घरेलू मांग का लगभग 60 प्रतिशत भाग देशी अशोधित तेल से पूरा करना सम्भव होगा।

कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में ईंधन पर आधारित उर्वरक संयंत्र

1582. **श्री एन० ई० होरो :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में ईंधन पर आधारित उर्वरक संयंत्रों में दो तिहाई लागत लगती है और उनकी स्थापना में समय दो वर्ष कम लगता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य तेल पर आधारित और कोयले पर आधारित प्लांटों का हवाला दे रहे हैं। जबकि कोयले पर आधारित और तेल पर आधारित उर्वरक प्लांटों की तुलनात्मक लागत के बारे में विस्तृत अनुमान नहीं लगाया गया है फिर भी यह कहा जा सकता है कि इस देश में प्रयुक्त पद्धति के अनुसार कोयले पर आधारित अमोनिया प्लांट पर जिसमें जल वाष्प और बिजली तथा अन्य सेवाओं वाले न्यूनतम उपयोगिता यूनिट हो, ईंधन तेल पर आधारित समान उपयोगिता युक्त अमोनिया प्लांट से लगभग 25 प्रतिशत अधिक लागत जाएगी। प्लान्ट के लगाने के समयवधता के बारे में यदि कार्कान्वियन उसी प्रक्रिया और उसी स्थान पर है तो कोयले पर आधारित प्लान्ट को ईंधन तेल पर आधारित प्लान्ट के समान ही तेजी से बनाया जा सकता है यद्यपि जन और सामग्री के रूप में पहले वाले में काफी कच्चे माल की आवश्यकता होती है।

पश्चिम बंगाल में नये तटवर्ती कूपों के परीक्षण में विलम्ब

1583. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तटवर्ती कुएं के परीक्षण का कार्य उक्त कूपे के ढ़ह जाने के कारण विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कूपें के ढ़ह जाने के क्या कारण है ; और

(ग) परीक्षण कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 4 नवम्बर, 1981 को पश्चिम बंगाल में आवे कूप संख्या में परीक्षण आरम्भ किया गया।

शिवसागर आसाम में बाहरहावी में तेल का पाया जाना

1584. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर आसाम के शिव सागर जिले में बाहरहावी के स्थान पर तेल का पता चला है ;

(ख) क्या वहां उपलब्ध हो सकने वाले तेल की मात्रा का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने देश के अन्य भागों में भी तेल की खोज का कार्य तेज करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ड़) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऊपरी असम में नाहरहाथी कूप में तेल के संकेतों को देखा गया है ।

(ख) और (ग) : कूप की क्षमता का मूल्यांकन केवल कूप को लक्षित गहराई तक खोदने और उसके परीक्षण के उपरांकत किया जा सकता है ।

(घ) और (ड) छठी पंच वर्षीय अवधि वर्ष 1980-85 के दौरान तेल और गैस के अनुकूलमत भंडारों की स्थापना हेतु देश के संभावित क्षेत्रों अर्थात दोनों तटवर्ती और अपतटवर्ती क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों एवं व्यधन कार्य को जारी रखने के लिए प्रस्ताव किया गया है ।

टेलीफोन सेवा निजी क्षेत्र को सौंपने के बारे में सिटिजन कांउसिल आफ दिल्ली की ओर से ज्ञापन

1585. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिटिजन कांउसिल आफ दिल्ली ने राजधानी के टेलीफोन प्रयोक्ताओं की ओर से एक ज्ञापन में सुझाव दिया है कि टेलीफोन सेवाएं निजी क्षेत्र को सौंप दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में इसके क्या कारण दिए गए हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सन्चार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्ध सुझाव नीचे उद्धरित किया जा रहा है ।

"यदि सरकार दिल्ली टेलीफोन सेवा को भली भांति प्रभावी ढंग से नहीं चला पा रही तो इसका वाणिज्यीकरण कर दिया जाए तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति इसे निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए। शुरूआत किसी बड़े शहर से की जा सकती है।"

(ग) ऐसा कदम उठाना उचित नहीं होगा।

नये दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

1586. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान देश में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) चालू होने की क्या तिथि निर्धारित की गई है ;

(घ) क्या नये दूरदर्शन केन्द्रों से रंगीन प्रसारण आरम्भ करने का विचार है और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) छठी योजना में शामिल दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा तथा मुकम्मल होने की सम्भावित तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

अधिकांश मामलों में, स्थानों का चयन कर लिया गया है और सप्लायरों को स्टूडियो ट्रांसमीटर उपकरणों की सप्लाई के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। मुर्शिदाबाद के दूरदर्शन रिले केन्द्र और "इनसैट" के लिए हाल ही में अनुमोदित की गई स्कीमों के लिए स्थानों का अभी अन्तिम रूप से चयन किया जाना है। गोहाटी, मुर्शिदाबाद, कटक, विजयवाड़ा, वाराणसी और "इनसैट" स्कीमों के मामले में उपकरणों के लिए आर्डरों अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। कुछ मामलों में सिविल प्राक्कलनों को मंजूर किया जा चुका है।

(घ) और (ङ.) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। अब तक का निर्णय विदेशी प्रसारण संगठनों के लिए एशियाई खेलों का रंगीन दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध करने का है।

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान दूरदर्शन द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं और उनके चालू होने की संभावित तारीखों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	मुकम्मल होने की संभावित तारीख
1.	दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद	1983-84

1	2	3
2.	दूर दर्शन केन्द्र, बंगलौर	1984-85
3.	दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	1984-85
4.	दूरदर्शन केन्द्र, गोहाटी	1984-85
5.	स्थाई स्टूडियो, हैंदराबाद	1984-85
6.	दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर	1984-85
7,	कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, गुलबर्ग	1984-85
8.	कार्यक्रम निर्माण केन्द्र मुजफ्फर नगर	1984-85
9.	कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, रायपुर	1984-85
10.	दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर, आसानसोल	1983-84
11.	—तथैव— विजयवाड़ा	1984.85
12.	—तथैव— कटक	1984-85
13.	—तथैव— कसौली	1984-85
14.	—तथैव— कौडेकनाल	1984-85
15.	—तथैव— मुर्शिदाबाद	1984-85
16.	—तथैव— पणजी	1983-84
17.	—तथैव— वाराणसी	1984-85

"इनसैट" योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :—

1. नागपुर
2. राजकोट
3. रांची
4. गोरखपुर
5. सम्बलपुर
6. कुर्नूल

इसके अलावा, हैदराबाद और कटक में स्टूडियो सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

दिल्ली में पेट्रोल पम्पों से मोटर गाड़ियों के लिये मुफ्त हवा

1587. **डा० ए० यू० आजमी:** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मे पेट्रोल पम्पों से मोटर गाड़ियों के लिए सदा मुफ्त हवा नही दी जाती जिससे उनको बड़ी असुविधा होती है तथा उन्हें हवा के लिए एक पम्प से दूसरे पम्प पर भागना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई कि उस समय तक मुफ्त हवा हर हालत में उपलब्ध कराई जाये अब तक वह कार्यरत हैं और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) मोटर चालकों को सामान्य कार्य घंटों के दौरान मांग करने पर मुफ्त हवा भरने की सुविधा दी जा रही है। तथापि बिजली की गडबड़ी उपकरण में यांत्रिक रूप से गड़बड़ी आ जाने अथवा पाइपलाइन में खराबी आ जाने के कारण हवा भरने की सुविधा रुक जाती है।

(ख) तेल कम्पनियां मुफ्त हवा भरने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कडी निगरानी रख रही हैं और डीलरों पर इस उपकरणों कार्य करने की स्थिति में रखने के लिए जोर डाल रही है। अगर कोई विशेष शिकातत उनके ध्यान में लाई जाती है तो जहां आवश्यक होता है, उपचारिक कार्रवाही शीघ्र ही की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई योजना के अन्तर्गत राज्यों में गैस एजेंसियों का आवंटन

1588. **श्री हरिहर सोरन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने कुछ योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार किये हैं जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ चुने हुये स्थानों में कुछ अधिक गैस एजेन्सियां दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनमें ये गैस एजेन्सियां दी जायेंगी ;

(ग) नई दिल्ली के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां गैस एजेन्सियां खोले जाने का विचार है ; और

(घ) उपयुक्त प्रस्ताव को कब क्रियान्वित करने की सम्भावना है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) तेल

उद्योग ने देश भर में एल० पी० जी० की अतिरिक्त वितरण एजेन्सियों को नियुक्ति करने के लिए अपनी योजना तैयार की है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 1981-82 के कार्यक्रम के अनुसार खोली जाने वाली ऐसी वितरण एजेन्सियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। स्थानों के ब्यौरे शीघ्र उपलब्ध नहीं है। 1982-83 के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

1981-82 के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए बनाई गई एल० पी० जी० वितरण-एजेन्सियों की योजना

	नम्बर
आन्ध्र प्रदेश	12
बिहार	20
गुजरात	21
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	4
कर्नाटक	23
केरल	10
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	29
उड़ीसा	15
पंजाब	28
राजस्थान	33
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	65
पश्चिम बंगाल	11
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	4
गोआ, दमन, और दीयू	4
जम्मू और कश्मीर	6
	352

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को घाटा

1589. श्री रेणु पद दास : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स को प्रति घन्टा एक लाख और तीस हजार रुपए की हानि हो रही है ;

(ख) इसके कारण तथा ब्यौरा क्या है ;

(ग) घाटे में कमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इस घाटे के लिए प्रबन्धक जिम्मेदार है ; और

(ड.) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को रु० 91.20 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह नुकसान अन्य कारणों के साथ-साथ मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुआ है :

(1) ई० को० लि० में भूखनन की कठिन दशायें।

(2) गहरी खुदाई में तकनीकी कठिनाइयां आना—जिसके कारण हैं पम्पिंग, ज्वलनशील गैस, रेत, भराई, छत नियंत्रण, आदि।

(3) कोलियरियों को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई।

(4) गहराई के कारण बेहतर यांत्रिक सुविधाओं का प्रयोग सीमित रहना।

(5) भूमि—अधिग्रहण में उठने वाली समस्याओं के कारण नई खानें खोदने में विलम्ब।

(6) पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की कठिन स्थिति।

(7) अलाभकारी कीमत।

(ग) नुकसान को कम करने के लिए अन्य कदमों के साथ—साथ निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :—

(1) यह उपाय करके उत्पादन बढाना :—ओपेनकास्ट खान का जल्दी विकास करना, समुन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, बिजली, विस्फोटक पदार्थ आदि उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, भूमि-अधिग्रहण में शीघ्रता, राज्य सरकार से निकट सम्पर्क करके कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार, आदि।

(2) दिनांक 14.2.1981 से कोयले की कीमतें ठीक स्तर पर नियत करना।

(3) खनिकों में अनुपस्थिति की आदत पर नियन्त्रण ।

(4) जन-शक्ति पर नियंत्रण और उत्पादकता में सुधार ।

(5) सामग्री-सूची पर नियंत्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत ।

(6) उपकरणों के इस्तेमाल में सुधार ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

बोदरिया, पश्चिम बंगाल में छिद्रण का प्रस्ताव

1590. **श्री रेणु पद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में केनिंग के समीप बोदरिया में तेल-छिद्रण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में हवाई और वोंगों में तेल छिद्रण के क्या परिणाम रहे ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां,

(ख) बोदरा-2 में खुदाई जगुली में इस समय चल रही खुदाई के पूरे हो जाने के पश्चात ही किये जाने का विचार है ।

(ग) अभय कुप संख्या 1 में खुदाई हो गई है और कूप का परीक्षण हो रहा है । बोगांव और राणाघाट के बीच के स्थलों पर खुदाई अभाई कूप नं० 1 का परीक्षण पूरा होने के पश्चात किए जाने का प्रस्ताव है ।

महाराष्ट्र में विद्युतीकृत गांव

1591. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में (जिलावार) कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में गांवों के विद्युतीकरण पर कितनी-कितनी राशि नियत की गई थी और कितनी वास्तव में खर्च की गई ; और

(ग) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या कार्यक्रम है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले तीन वर्षों (1978-81) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई स्कीमों के अन्तर्गत महाराष्ट्र में 2992 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्ष	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1978-79	709
1979-80	883
1980-81	1400
	2992

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई स्कीमों के अन्तर्गत उपर्युक्त तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में महाराष्ट्र में विद्युतीकृत किये गए गांवों की जिलेवार संख्या विवरण में दिखाई गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1978-8) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम ने ग्राम विद्युतीकरण की विभिन्न स्कीमों के लिए 37.97 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा व्यय की गई 29.22 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में निगम ने 43.34 करोड़ रु० की ऋण राशि की किश्में वितरित की हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वितरित की गई जिन निधियों के बारे में व्यय संबधी सूचना अभी राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दी जानी है, वे आंशिक रूप से भंडारों में पड़ी सामग्री की लागत या सप्लाईकर्त्ताओं आदि को किए गए अग्रिम भुगतान को दर्शाती हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दी गई निधियों में से राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए आवंटित की गई राशि के संबंध में सूचना और प्रत्येक स्कीम पर वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) वार्षिक योजना 1981-82 में महाराष्ट्र राज्य के लिए 36.05 करोड़ का परिव्यय आवंटित किया गया है। इसमें राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 23.00 करोड़ रुपये तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम से दिये जाने वाले 13.05 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस वर्ष का लक्ष्य है, 2,100 गागों का विद्युतीकरण करना तथा 15,000 सिंचाई पम्पसेटों/ट्यूबवैलों को अर्जित करना। 1982-83 के योजना प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र में स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत तीन वर्षों (1978-81) में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों की जिलेवार संख्या ।

जिला	के दौरान उपलब्धि		
	1978-79	1979-80	1980-81
अहमदनगर	8	7	12
अकोला	92	110	102
अमरावती	38	43	33
औरंगाबाद	27	—	316
भंडारा	48	44	34
भिड़	68	222	88
बुलढाना	1	7	45
चन्द्रपुर	106	129	134
धुले	17	14	48
जलगांव	—	—	—
कोलाबा	—	—	21
कोल्हापुर	—	—	—
नागपुर	1	—	65
नांदेड़	56	47	63
नासिक	28	26	13
उस्मानाबाद	67	48	100
परभणी	99	73	63
पूना	4	7	34
रत्नगिरि	2	14	43
सांगली	—	—	9
सतारा	12	31	42
शोलापुर	3	2	12

1	2	3	4
थाना	2	26	16
वर्धा	30	33	39
यवतमाल	—	—	68
जोड़	709	883	1400

"गांधी" पर फिल्म के बारे में प्रगति

1592. **श्री डी० पी० जडेला :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गांधी" पर फिल्म बनाने में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) इसे कब तक रिलीज किए जाने की संभावना है ;

(ग) उक्त फिल्म पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(घ) क्या हमारे अन्य महान नेताओं के जीवन पर भी फिल्में बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) फिल्म निर्माण के अन्तिम चरण में है और उम्मीद है कि यह रिलीज किए जाने के लिए 1982 के मध्य तक तैयार हो जायेगी ।

(ग) फिल्म के निर्माण पर 31 अगस्त, 1981 तक स्टर्लिंग व्यय सहित 14, 59,06, 633.35 रुपये की राशि खर्च हो चुकी है ।

(घ) और (ङ) अन्य महान नेताओं के जीवन पर फीचर फिल्में बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, पंडित जवाहर लाल नेहरू के जीवन पर फीचर लम्बाई की एक डाकूमेन्ट्री फिल्म बनाने का प्रस्ताव है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आयलरिगों और सम्बन्ध उपकरणों की खरीद

1593. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री राम बिलास पासवान : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश के बढ़ती हुई तेल खोज गतिविधियों के लिए दो आयल रिगों और सम्बद्ध उपकरणों की खरीद के लिए 7 करोड़ 40 लाख डालर का एक सिंडीकेट स्थानीय करार किया है :

(ख) इस करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश के तेल उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपतटीय खुदाई के लिए सिंगापुर शिपयार्ड से खरीदे जा रहे दो जैक-अप रिगों की लागत के लिए आंशिक वित्तीय प्रबन्ध करने हेतु हाल ही में 74, 102, 400 अमरीकी डालर के लिए सिंडीकेट ऋण करार किया है ।

(ख) प्रथम पांच वर्षों के दौरान 7 वर्षों की अवधि के लिए 30 मि० अमरीकी डालर जो 3/8 प्रतिशत अधिक सिंगापुर अन्तर बैंक दर पर और शेष दो वर्षों के लिए 1/2 प्रतिशत अधिक सिंगापुर इन्टर बैंक रेट पर उधार लिए जा रहे हैं । शेष 44, 102, 400 अमरीकी डालर ७ वर्षों के लिए 11.75 प्रतिशत की दर पर उधार लिए जा रहे हैं ।

(ग) दो रिग मुख्यत: अपतटीय क्षेत्रों से क्रूड आयल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु विकासशील कार्यकलापों के लिए खरीदे जा रहे हैं । कच्चा तेल के उत्पादन में जो वास्तविक वृद्धि जो इन दो जेक-अप रिगों की खरीद से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को उपलब्ध होगा, बताना कठिन है । तथापि इन रिगों की प्राप्ति से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अपतटीय क्षेत्रों से योजनाबद्ध उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

अशोधित तेल सप्लाई के लिए वेनेजुयेला के साथ करार

1594. **श्री राजेश कुवार सिंह :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री राम विलास पासवान : क्या पेट्रोलिम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अशोधित तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल खोज के मामलों में अधिक अशोधित तेल और सहायता की सप्लाई करने के लिए भारत सरकार वेनेजुएला सरकार के मध्य इस बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या है, और

(ग) इस करार के परिणाम स्वरूप इस देश को कितना अशोधित तेल सप्लाई किया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) विद्यमान संविदा के अनुसार वर्ष 1981 के दौरान वेनेजुएला द्वारा 0.5 मि० मी० टन

अशोधित तेल की सप्लाई की जानी थी। अब यह सहमति हुई है कि वर्ष 1982 में कम से कम इतनी मात्रा की सप्लाई की जायेगी। तेल की खोज के लिए बेनेजुएला के साथ कोई समझौता नही किया गया है। इस सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरे देना जनहित में न होगा।

विश्व बैंक द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण पर रिपोर्ट मांगा जाना

1595. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के सभी राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण और वित्तीय मामलों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी रिपोर्टें उन्हें भेज दी गई हैं, और

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) देश की विभिन्न विद्युत परियोजनाओ की सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ हुए करार के अन्तर्गत रिपोर्टें विश्व बैंक को समय-समय पर भेजी जा रही हैं। ये रिपोर्टें अन्य बातों के साथ साथ, राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण और वित्तीय मामलों से संबंध रखती हैं।

तीस्ता नदी पर जल विद्युत संयंत्र

1596. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की वित्ती और तकनीकी सहायता से तीस्ता नदी पर एक जल विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) तीस्ता नदी पर एक जलविद्युत परियोजना के अन्वेषण के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था। तदुनुसार राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा प्रारंभिक अन्वेषण कार्य किए गये हैं। इन अन्वेषण कार्यों के परिणाम उत्साह वर्धक हैं। अत: पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से हमने यह अनुरोध करने की कार्रवाई की है कि तीस्ता नदी पर जल विद्युत संयंत्र के इस कार्य को केन्द्रीय क्षेत्र को सौंपने के लिए क्या वे तैयार हैं। तीस्ता पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु सहायता मामले पर कनाडा के प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया था। बशर्ते कि पश्चिम बंगाल इसे केन्द्रीय सैक्टर में देने के लिए सहमत हो। इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से हमें अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

गोदावरी तल में तेल छिद्रण के लिए विश्वबैंक द्वारा ऋण

1597. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 30 अक्टूबर, 1981 के "इकानामिक टाइम्स" में "आई० आर० वी० डी० टीम कमिंग नेक्स्ट बीक—गोदावरी बेसिन ड्रिलिंग ऐड प्रासपेक्ट्स ब्राइट "शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है :

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या गोदावरी तल में छिद्रण कार्यक्रम के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्रस्तावित ऋण के सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ बातचीत के अन्तिम दौर के लिए विश्व बैंक का कोई मूल्यांकनकर्ता दल यहां आया है ; यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम रहे हैं ;

(ग) वाणिज्यिक स्तर पर गोदावरी तल में तेल मिलने की क्या संभावनाएं हैं ; और

(घ) गोदावरी तल में खुदाई कार्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से तकनीकी सहायता के कितने प्रस्ताव मिले हैं और उन पर सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?'

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी हां विश्व बैंक का मूल्यांकन शिष्टमंडल (अपेजल मिशन) 2 नवम्बर, 1981 को आया था। इसने बातचीत का प्रथम दौर पूरा किया है जो कि सन्तोषजनक रहा है। प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व विश्व बैंक द्वारा इसकी और आगे जांच की जायेगी जिसके बाद विचार-वमर्श एवं परस्पर बातचीत की जायेगी।

(ग) गोदावरी बेसिन में तेल की प्राप्ति की संभावनाओं को बहुत अधिक आंका गया है परन्तु व्यापारिक आधार पर तेल की उपलब्धता स्थापित किए जाने से पूर्व और भू-कम्पीय तथा खोज कार्य किया जाना आवश्यक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस बेसिन के अपतटीय क्षेत्रों तथा तटीय क्षेत्रों में और आगे भू-कम्पीय कार्य तथा व्यधन कार्य किये जाने का प्रस्ताव है।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गोदावरी बेसिन में हाइड्रोकावनों की खोज में विदेशी परामर्शदात्री सेवाओं के प्राप्त किए जाने के गुणों पर विचार कर रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।

प्रारूपण प्रशिक्षण संस्थान

1598. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रारूपण प्रशिक्षण संस्थान, जैसा कि आस्ट्रेलिया में विद्यमान है, को स्थापित करने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सैद्धांतिक और व्यवहारिक, दोनों प्रकार के, विद्यार्थी प्रारूपण के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के संबंध में एक सुझाव गुजरात सरकार से जुलाई, 1981 में प्राप्त हुआ था। इस मन्त्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति की एक बैठक में सुझाव दिया गया था कि जिस

प्रकार का प्रारूपण प्रशिक्षण संस्थान आस्ट्रेलिया में है उसी प्रकार का संस्थान यहां भी स्थापित किया जाए ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिसके अन्तर्गत वह स्वरूप भी है जिसमें इसका आयोजन किया जाना है) आयोजित करने के प्रस्ताव पर अभी राज्य सरकारों के परामर्श से प्रारंभिक रूप से विचार किया जा रहा है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया के तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस जलाया जाना

1599. **श्री रोहन लाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम और अन्य तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन लाखों घन मीटर प्राकृतिक गैस आयल इण्डिया लिमिटेड तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस बहुत कीमती संसाधन की उपयोगी उद्देश्यों के लिए कोई योजना न होने के कारण जला दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस गैस के उपयोग के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और यह कब तक लागू की जायेगी ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इस समय मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से लगभग 6.5 लाख मानक घन मीटर गैस को प्रतिदिन की दर से जलाया जा रहा है

(1) उपभोक्ताओं की कमी ;

(2) असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए० एस० ई० बी०) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच० एफ० सी० एल०) को बचन बद्ध पूरी मात्रा को विपुल उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त करने में असफल रहना ।

(3) तेल उद्योग की मौसमी मांग ; और

(4) बहुत कम दबाव वाली गैस का सम्पीडन अलाभकारी होना ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इन्डिया लिमिटेड दोनों द्वारा जलायी गई गैस का मूल्य अनुपात 1.44 लाख रुपये प्रति दिन का लगाया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की गैस के उपयोग की योजना निम्नलिखित रूप में दी गई है

(1)	चाय बागानों को सप्लाई की जा रही गैस	22,000	एस० सी० एम० डी०
(2)	लकवा के निकट 3 × 15 मेगावाट थर्मल पावर संयंत्र के लिए ए० एस० ई० बी० के साथ ठेका (सप्लाई दिनांक 2.4.81 से आरम्भ की गई)	2,30,000	—वही—
(3)	ए० एस० ई० बी० को गेलेकी में 3 × 3 मेगावाट मोबाइल जनरेटिंग सेटों के लिये किया गया वायदा (दिनांक 17.3.81 से सप्लाई आरम्भ हुई थी)	90,000	—वही—
(4)	नामरूप उर्वरक संयंत्र के विस्तार यूनिट के तीसरे चरण के लिए उद्दिष्ट की गई गैस (वर्ष 1982-84 के दौरान गैस को प्राप्त करने की संभावना है।	4,50,000	—वही—
(5)	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रों में उत्पादन प्रयोजनों हेतु उपयोग में लायी जा रही गैस	35,000	—वही—

आयल इन्डिया लिमिटेड की उपयोग योजना निम्नलिखित रूप में है :

(1) बाजार सप्लाई	सप्लाई की दर घन मीटर/दिन)
हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन लि० (एच० पी० सी० एल०) फेज 1 और 11	9,70,000
आसाम राज्य बिजल बोर्ड	8,87,000
इन्डियन आयल कारपोरेशन (आसाम आयल डिविजन)	2,22,000
आसाम गैस कम्पनी (ए० जी० सी०)	55,000
आसाम पेट्रो-कैमीकल्स लि० (ए० पी० एल०)	1,34,000
टिंगरी गैस ग्रिड (टी० जी० जी)	55,000
मोरान गैस ग्रिड (एम० जी० जी०)	55,000

दुम दुमा गैस ग्रिड (डी० डी० जी० जी०)	1,30,000
अन्य दूसरे उपभोक्ता	19,000
	25,35,000
(2) ओ० आई० एल के अन्तर्गत औद्योगिक उपयोग	—7,00,000
	32,35,000
(3) अतिरिक्त योजनाएं जिनके लियेगैस को वचनवद्ध किया गया है :	घन मीटर में प्रतिदिन वचनवद्ध की गई गैस की मात्रा
1. नामरूप उर्वरक विस्तार प्रायोजन, चरण-3	7,00,000
2. वर्ष 1982 के आरम्भ में चालू किया जाना वाला एल० पी० जी० संयंत्र	1,10,000
3. ए० एस० ई० वी० के मोवाइल गैस टर्बाइन	2,00,000
	10,00,000

औद्योगिक उपभोक्ताओं को फिर से कोयले का वितरण

1600. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक उपभोक्ताओं को फिर से कोयला देने की योजना बना रही है ;

(ख) क्या वर्तमान नीति देश के विभिन्न उद्योगों को कोयले के तेजी से वितरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) औद्योगिक उपभोक्ताओं को तेजी से कोयला देने के लिए सरकार क्या अन्य उपाय कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (विक्रम महाजन) : (क) से (ग) औद्योगिक उपभोक्ताओं को रेलवे वैगनों द्वारा कोयले का आवंटन ऐसे प्राधिकारियों के प्रयोजन के आधार पर किया जाता है जिन्हें इस काम के लिए पदन्नामित किया गया है। औद्योगिक उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए खान मुहानों पर कोयले की कोई कमी नहीं है। फिर भी, कभी कभी परिवहन संबंधी कुछ कठिनाइयों के कारण उपभोक्ताओं की सारी मांग पूरी नहीं हो पाती। कोल इण्डिया लि० ऐसी प्रणाली अपनाया है जिसके अन्तर्गत रेल द्वारा प्रेषण से जितना कोयला कम रहता है उतना सड़क द्वारा ले जाने के लिए दे दिया जाता है। इसके अलावा, औद्योगिक उपभोक्ताओं की सहायता करने की दृष्टि से, कोल इण्डिया लि० ने वास्तविक उपभोग के लिए तदर्थ आधार पर भी कोयला देना शुरू कर दिया है। इस प्रकार कोयला देने का आधार कुछ

विवरण प्रस्तुत करना और इस आशय का एक शपथ पत्र देना होता है कि लिया गया कोयला वास्तविक उपभोग के लिए होगा।

कोयले के उत्पादन में सुधार होने पर कुछ निर्दिष्ट खानों में भरी मात्रा में कोयला बिना किसी प्रतिबंध के खुली बिक्री के लिए भी रख दिया गया है और ऐसा कोयला औद्योगिक तथा अन्य उपभोक्ता खरीद सकते हैं।

रेल द्वारा कोयले के प्रेषण में सुधार करने की दृष्टि से कोयला कम्पनियों विभिन्न परिचालन स्तरों पर रेलवे के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई की उच्चतम स्तर पर आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं संबंधी मंत्रिमंडल की समिति भी निगरानी कर रही है।

टेलीफोन उद्योग का स्वःलिकीरण

1601. **श्री तारिक अनवर** : क्या सचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय टेलीफोन उद्योग में प्रयुक्त होने वाली वर्तमान हस्त-चालित एवं अर्द्ध-स्वचालित पद्धतियों को पूर्णतया स्वचालित बनाने के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख उपकरणों का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या देश में टेलीफोन उपकरणों की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए पद्धतियों को बदलना तत्काल जरूरी है ;

(ग) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग के स्वालिकीकरण के कारण भारतीय टेलीफोन उद्योग के सभी एककों में लगभग 5000 श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(घ) क्या सरकार ने कुछ श्रमिकों की उच्चतर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने का और शेष को दूर-संचार के अत्य क्षेत्रों में नियुक्त करने का निर्णय किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर ने, डाकतार विभाग की सलाह से, नैनी और बंगलौर स्थित अपने दो कारखानों में समसामयिक डिजाइन वाले 10 लाख टेलीफोन उपकरण और 15 लाख महत्व-पूर्ण उपांगों के उत्पादन में सहयोग के प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। प्रस्ताव में बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए अर्धस्वचल तकनीकों का प्रयोग कर उत्पादन को विकसित प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था है ताकि उत्पादन की किस्म अच्छी रहे और उत्पादन खर्च भी कम हो। सहयोगी का अन्तिम चयन तथा परियोजना आदि की मन्जूरी के लिए कार्रवाही प्रगति पर है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, नयी तकनालाजी अपनाने की प्रक्रिया पूरा हो जाने परबं लौर/नैनी के टेलीफोन उपकरण प्रभाग के 2090 व्यक्ति आवश्यकता से अधिक हो जाएंगे। आवश्यकता से अधिक करार दिए कर्मचारियों को अन्यत्र काम पर लगा दिया जाएगा।

(घ) जब कभी कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हों, अतिरिक्त कर्मचारियों को उन्हीं स्थानों पर दूरसंचार के अन्य क्षेत्रों की क्षमता बढ़ाने के कामों पर लगाने का प्रस्ताव है। यदि जरूरी समझा गया तो इन कर्मचारियों की नई तकनालाजी की जरूरतों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) पर फिल्म

1602. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री के हाल ही के दौरे के दौरान बल्गारिया के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ने प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) पर एक फिल्म बनाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार को बल्गारिया के प्राधिकारियों के प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास तथा विश्व के मामलों में भारत के स्थान पर एक डाकुमेंट्री फिल्म बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रधान मन्त्री की हाल ही की बल्गारिया यात्रा के दौरान प्रस्तावित फिल्म के निर्देशक श्री वाल्टचनोव और फिल्म के स्क्रिप्ट लेखक श्री सीमा तोमा तोमोव भी इस संबंध में प्रधान मन्त्री से मिले थे। उन्होंने कहा था कि वे जनवरी, 1982 के शुरू में भारत आना चाहेंगे और प्रस्तावित फिल्म के संबंध में लगभग एक मांस भारत में रहना चाहेंगे।

जर्मन जनवादी गणराज्य के तकनीकी सहयोग से बीकानेर में संयंत्र की स्थापना

1603. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणराज्य के विशेषज्ञ दल ने इस स्थान का दौरा किया था तथा बीकानेर में 120 मे० वा० के संयंत्र की स्थापना के लिए तकनीकी सहयोग दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) बीकानेर जिले में, पालना में लिग्नाइट पर आधारित 60-60 मेगावाट की दो यूनिटों वाले ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना की स्कीम का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन कर लिया गया है और निवेश संबंधी स्वीकृति की प्रतीक्षा है। परियोजना पर 6738 लाख रुपयों की लागत आने का अनुमान है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति देते हुए पालना विद्युत परियोजना तथा पालना माइनिंग परियोजना के लिये एक साथ ही स्वीकृति देने की सिफारिश है ताकि निर्धारित समय अवधि में लिग्नाइट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। जर्मन गणराज्य के लिए बातचीत चल रही है।

दामोदर घाटी निगम का भू-संरक्षण विभाग

1604. **श्री डी० एम० पुते गौडा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम, हजारी बाग का भू-संरक्षण विभाग बहुत ही संकटपूर्ण अवस्था में गुजर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति के लिये कौन-कौन सी मुख्य बातें उत्तरदायी हैं ;

(ग) क्या एक्टेंशन डिविजन में, विशेषकर हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिलों में छोटे बांधों के निर्माण के लिए ठेका देने के मामले में भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप भी हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का विचार है ; और

(ड.) मामले में सुधार करने के लिये क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?.

ऊर्जा मन्त्रालम में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक्सटेंशन डिवीजन में ठेके देते समय दामोदर घाटी निगम के वर्तमान नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। साथ ही, सहकारी नीति के अनुसार छोटे छोटे कार्यों के लिए ग्राम पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) किसी विशिष्ट शिकायत के अभाव में उच्च स्तरीय जांच करना आवश्यक नहीं है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल ला स्कूल बंगलौर

1605. **श्री के० राममूर्ति** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधिज्ञ परिषद ने विधि कालेजों में अगले शैक्षणिक बर्ष से अध्यापन की मुकदमा पद्धति शुरू करने का प्रस्ताव रखा है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या हारवर्ड कालेज की तरह बंगलौर में एक नेशनल ला स्कूल स्थापित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : क) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद का विचार बंगलौर में नेशनल ला स्कूल आफ इन्डिया स्थापित करने का है । विधिज्ञ परिषद का यह इरादा नहीं है कि यह नेशनल ला स्कूल सभी प्रकार से हारवर्ड ला स्कूल के नमूने पर बनाया जाए किन्तु प्रायोजकों को यह आशा है कि जब यह नेशनल ला स्कूल स्थापित हो जाएगा तब उसको वही गौरव और मान्यता प्राप्त होगी जो हारवर्ड ला स्कूल को है ।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दण्ड दिए जाने के दौरान उत्तर प्रदेश दूर संचार सर्किल में अधिकारियों की पदोन्नति/चयन

1606 : **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977-80 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश दूर सन्चार सर्किल में विभागीय पदोन्नति की गई/चयन किया गया हालांकि दंड की अवधि में पदोन्नति नहीं की जा सकती थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह की गलत पदोन्नतियों को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने और उसके लिए जम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

सन्चार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) विभिन्न सम्बन्धित यूनिटों से सूचना एकत्र की जा रही है और संकलित करके इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

समाचार शीर्षक "पावर प्रोग्राम इन डिसअरे"

1607. **श्री भीकू राम जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री 6 नवम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पावर प्रोग्राम इन डिसअरे" में शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक चालू विद्युत परियोजनाओं में धीमी प्रगति के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में भारी अन्तर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है और इन बाधाओं को दूर करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) परियोजनायें निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ जाने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :-

(1) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब ;

(2) परियोजना का अपर्याप्त आयोजन तथा ठेकों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब ;

(3) उपस्कर निर्माताओं द्वारा सप्ला देरी से करना और क्रमवार सप्लाई न करना

(4) सीमेंट, स्टील आदि जैसी महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री की सप्लाई में देरी ; और

(5) कुछ बोर्डों में वित्तीय समस्याओं के कारण परियोजनाओं को अपर्याप्त निधियां प्राप्त होना ।

विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रता पूर्वक चालू करने के लिए परियोजनाओं की विभिन्न गति विधियों की सख्ती से मानीटरिंग करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) में निर्माण मानीटरिंग निदेशालय बनाए गए हैं । परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाई कर्त्ताओं तथा निर्माताओं, निर्माण एजेंसियों आदि के साथ के० वि० प्र० में समन्वय तथा समीक्षा बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है । सभी बाधाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके । के० वि० प्रा० के वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं तथा समुचित कार्रवाई के लिए मामले राज्य सरकारों के साथ तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर उठाते हैं । ऊर्जा मन्त्री के स्तर पर राज्यों के बिद्युत मन्त्रियों के साथ बैठकों का आयोजन भी राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर किया गया था जिनमें नई तथा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू किये जाने की बारीकी से समीक्षा की गई थी ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को हानि

1608. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "अनस्क्युलस कंज्यूमर्स काज बिग डेसू लास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 70,000 उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत बिजली से अधिक बिजली के प्रयोग के कारण डेसू को 6 करोड़ रुपये वार्षिक हानि हो रही है ;

(ग) क्या राजस्व की हानि का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि बिजली की खपत का रिकार्ड बताने वाले मीटर बिजली के मंजूरशुदा भार के आधार पर लगाए जाते है और जब कोई उपभोक्ता उससे अधिक बिजली खर्च कर लेता है तो मीटर बिजली की कम मात्रा दिखाता है ;

(घ) क्या डेसू को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि जमा प्रति भूति का सम्बन्ध मंजूर-शुदा भार से है न कि वास्तविक खपत से ;

(ङ.) यदि हां तो क्या दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए दिल्ली छावनी सहित दिल्ली में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(च) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ता० 9 सितम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार सरकार ने देखा है।

(ख) और (ग) यद्यपि, कई उपभोक्ताओं द्वारा अपने स्वीकृत भार से अधिक विद्युत का उपभोग किये जाने के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को राजस्व की हानि हो रही है। तथापि, यह सम्भव नहीं है कि ऐसे उपभोक्ताओं को सही-सही संख्या और इस कारण हुए नुकसान की मात्रा को बताया जा सके।

जब कभी अधिक भार के ऐसे मामले पकड़े जाते हैं, तब विद्युत खपत के बिल की कुल राशि पर 25 प्रतिशत अधिकार बसूल किया जाता है और इस प्रकार राजस्व की हानि की पूर्ति कुछ हद तक करली जाती है।

(ग) जी, नहीं। बिजली कनेक्शन मंजूर करते समय, जमानत की राशि मांगे गए भार के आधार पर, निर्धारित दरों पर ली जाती है। किन्तु यदि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के के पास जमा राशि, मासिक बनाए जाने वाले बिलों के मामले में तीन महीनों की खपत के बराबर के ऊर्जा प्रभारों से कम हो जाए और दो महने में बनाए जाने वाले बिलों के मामले में चार महीनों की खपत के बराबर के ऊर्जा प्रभारों से कम हो जाए तो इस जमा राशि को पुनः पूर्ति किए जाने की आवश्यकता होती है।

(घ) और (ड.) : ऊर्जा के छलपूर्वक उपयोग की रोकथाम के लिए, सतर्कता विभाग द्वारा कई बार जिला इन्जीनियरों द्वारा अचानक छापे मारे जाते हैं और दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है।

पांचवी योजना के दौरान समय पर पूरी न हुई विद्युत परियोजनाएं

1909. **श्री चित्त महाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान समय पर पूरी नहीं हुई थीं और उनके पूरा न होने के क्या कारण हैं तथा उस अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : पांचवीं योजना अवधि अर्थात 1974-75 से 19 8-79 के दौरान जिन विद्युत परियोजनाओं को चालू किए जाने का लक्ष्य था जिन्हें योजना अवधि के दौरान पूरा नहीं किया गया था वे विवरण में दिखाई गई हैं। इसी अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 4394.77 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थीं। चालू करने में विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं ;

(1) कार्य स्थल का अपर्याप्त अन्वेषण ;

(2) सिविल निर्माण कार्यों के पूरा होने में विलम्ब ;

(3) परियोजनाकों की इंजीनियरी को अन्तिम रूप देने में विलम्ब ;

(4) आनुषगिक उपस्कर के लिए आर्डर देने/निर्माण कार्यों के ठेके देने में विलम्ब ;

(5) विभिन्न ठेकेदारों द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब ;

(6) मुख्य संयंत्र और उपस्कर की सिलसिलेवार सप्लाई न होना ;

(7) सीमेंट, इस्पात आदि जैसी निर्माण सामग्रियों की कमी ;

(8) पर्याप्त निधियां न होना ; और

(9 श्रमिक अशान्ति ।

विवरण

क्रम० सं०	परियोजना का नाम		क्षमता (मेगावाट)
	ताप विद्युत		
1.	पानीपत	यूनिट-2	110
2.	ओबरा	यूनिट-9	200
3.	ओबरा	यूनिट-12	200
4.	विजयवाड़ा	यूनिट-1	200
5.	तलचेर	यूनिट-5	110
6.	तलचेर	यूनिट-6	110
7.	सन्थालडीह	यूनिट-4	120
8.	दुर्गापुर	यूनिट-4	200
	जल विद्युत		
1.	लोअर झेलम	यूनिट-3	35
2.	वस्ती विस्तार	यूनिट-1	15
3.	गढ़वाल ऋषिकेश चिल्ला	यूनिट-2	36
4.	बैरा स्यूल	यूनिट-1,2	120
		यूनिट-3	60

1	2	3	4	5
	5.	कोयरा बांध बिजलीघर	यूनिट-1	18
	6.	श्री शैलम	यूनिट-1	110
	7.	लिंगनामक्की	यूनिट-1	27.5
			यूनिट-2	27.5
	8.	कालीनदी	यूनिट-1	135
		चरण-1	यूनिट-2	135
	9.	स्वर्णरेखा	यूनिट-2	65
	10.	जलढाका	यूनिट-1,2	8
	11.	लोअर लग्यप	यूनिट-1	6
			यूनिट-2	6

कोयले के अभाव की संभावना और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस संकट का सामना करने के लिए उपाय

1610. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोयले की सप्लाई अत्यधिक कमी होने की संभावना है जबकि वार्षिक मांग 250 लाख टन से भी अधिक हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो संकट का सामना करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्राम महाजन) : (क) और (ख) : छठी योजना के दौरान कुल अनुमानित मांग और कोयले की उपलब्धता में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है—असम का मामला बहुत गम्भीर है·····

अध्यक्ष महोदय : वह आ रहा है, यहां डिस्कस होगा ।

श्री राम विलास पासवान : जिस तरीके से वहां घटनाएं घट रही हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं है, यहां हम डिस्कस करेंगे । हम इसे रोक नहीं रहे हैं ।

श्री राम बिलास पासवान : आप उसको डिस्कस करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : लाजमी डिस्कस होगा। हम उस पर चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसीरहाट) : मैंने संघ राज्य क्षेत्र गोवा की गम्भीर स्थिति के लिए आपको एक नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ तथ्य एकत्र कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। मजदूर संघों को दबाने के लिए दूसरे राज्यों से सशस्त्र पुलिस लाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। मैंने इसे रद्द नहीं किया है।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : सिक्किम में सांविधानिक संकट है। लोगों को कानूनी रूप से सभा करने से रोका जा रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : वहां पर सीधी निर्वाचित जनप्रिय सरकार है।

श्री हरिकेश बहादुर : यह एक गम्भीर मामला है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सिक्किम में नागरिक आजादी छीनी जा रही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) : भिंडरावाला के मुख्यालय में विस्फोट के विषय में मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर आज चर्चा कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं चाहता हूं इस पर अलग से चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, संसद भवन में पहले घी डिब्बों में मिलता था, लेकिन अब प्लास्टिक में मिलता है। हम लोगों को घी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे प्लास्टिक में दिया जा रहा है, दाम पूरे लिए जा रहे हैं।

आप मेरे पास आइएगा और मैं बताऊंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1980-81 के लिए भारतीय उर्वरक निम लिमिटेड नई दिल्ली और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम,

1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2969/81]

(2) (एक) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2970/81]

वापी, गुजरात में नेफ्थीलेमाइन आदि के निर्माण के लिए एक एकक की स्थापना हेतु मैसर्स अमर डाई-केम लिमिटेड, बम्बई के मामले में एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर(: मैं वापी, गुजरात में अलफा नेफ्थीलेमाइन, जे-एसिड, जे-एसिड यूरिया, पेरी एसिड और शिकागो एसिड के निर्माण के लिए एक नए एकक की स्थापना के लिए मैसर्स अमर डाई-केम लिमिटेड के मामले में एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22(3) (ख) के अधीन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत दिनांक 16 अक्तूबर, 1981 का केन्द्रीय सरकार का आदेश सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2971/81]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के अन्तर्गत अधिसूचनायें ।

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 920 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाण-पत्र और बेतार टेलीग्राफी के प्रचालन की अनुज्ञप्ति) संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 14 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1022 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2972/81]

(2) भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय बेतार टेलीग्राफी (स्वामित्व) (संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 15 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 777 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय बेतार टेलीग्राफी (स्वामित्व) (संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 903 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2973/81]

———

नियम 193 के अधीन चर्चा के बारे में

अध्यक्ष महोदय : आज हम देश की अखंडता के विरुद्ध अलगाव वादी तत्वों के षड़यंत्र के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करेंगे । मैं चाहता हूं कि सदस्य आज चर्चा में भाग लें और सभा में उपस्थित रहें, क्योंकि पिछली बार जब इस विषय पर चर्चा की जानी थी तो गणपूर्ति न होने के कारण हमें इसे स्थगित करना पड़ा था । मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इस पर उचित रूप से और गम्भीरता पूर्वक चर्चा होनी चाहिए । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें भाग लेकर हमें अपना कर्त्तव्य निभाना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : इसे 2 बजे क्यों नहीं लेते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर 3 बजे चर्चा की जाएगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस पर उससे पहले भी चर्चा हो सकती है—भोजन के तत्काल बाद ।

अध्यक्ष महोदय : मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप चाहते हैं । मैं देखूंगा ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कपास के लाभप्रद मूल्यों के लिए किसानों द्वारा आन्दोलन

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं वाणिज्य मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इसके संबंध में एक वक्तव्य दें :

> "देश के विभिन्न भागों, विशेषकर महाराष्ट्र में कपास लाभप्रद मूल्य के लिए किसानों द्वारा कथित आन्दोलन।"

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महाराष्ट्र कपास (अधिप्राप्त संसाधन तथा विपणन) अधिनियम, 1971 की धारा 24 के अधीन प्रत्येक रुई मौसम के प्रारम्भ में उसकी उप-धारा (ii) के अधीन स्थापित रूई समन्वयन समिति की रुई की विभिन्न किस्मों अथवा श्रेणियों के लिए गारन्टी युक्त कीमतों के बारे में राज्य सरकार को सिफारिश करनी होती है और ऐसी कीमतों को राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करना होता है। समिति में केन्द्रीय सरकार के चार प्रतिनिधि और राज्य सरकार के चार प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्ष 1981-82 के लिए महाराष्ट्र सरकार इस बात से अवगत है कि गारन्टी युक्त कीमतें वही होंगी जो 1980-81 दौरान थीं। यह पता चला है कि महाराष्ट्र विपणन पारसंघ उपरोक्त कीमतों की अदायगी करता रहा है और इससंबंध में किसी अनिर्णय के कारण अदायगी करने में कोई दिक्कत नहीं आई है। यह स्पष्ट होगा कि कीमतें निर्धारित करने में केन्द्रीय सरकार की ओर से न तो कोई अनिर्णय है और न ही उसका कोई उत्तरदायित्व है।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अमरावती जिले में किसानों का एक वर्ग 966 रू० प्रति क्विंटल की कीमत की मांग करता रहा है जो कि गत वर्ष की कीमतों तथा चालू वर्ष की बाजार कीमतों तथा प्रवृत्तियों से तुलना करने पर अवास्तविक है। अपनी मांग के समर्थन में अमरावती जिले में नगजारी में एकत्र हुई लोगों की एक भीड़ ने राजमार्ग पर यातायात को अवरुद्ध किया पथराव किया और साथ ही सार्वजनिक सम्पितियों को क्षति पहुंचाई। भीड़ को तितर बितर करनेके लिए बारबार किये गये प्रयास विफल हो जाने पर पुलिस ने 41C मसाक्स से गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति जख्मी हुए। स्थिति नियन्त्रण में बताई जाती है और जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है इस घटना की राज्य में कहीं और कोई प्रतिक्रियाएं नहीं हुई हैं।

श्री अर्जुन सिंह सेठी : सरकार की यह मान्य नीति है कि उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य दिए जाएं ताकि उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके। माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि समिति ने इस वर्ष वही कीमतें रखने की सिफारिस की है जो पिछले वर्ष थीं। अतः भारत में मैं जानता चाहता हूं कि क्या सरकार कपास के मूल्य निर्धारित करते समय उर्वरक, कीट नाशकों, डीजल आदि कृषि सामग्री के मूल्यों में हुई वृद्धि पर विचार नहीं करती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन सब चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। क्या

समिति ने कृषि सम्बन्धि सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि पर विचार किया है और यदि हां तो, सरकार ने कपास के मूल्य बढ़ाने पर विचार क्यों नहीं किया ?

माननीय मन्त्री ने यह भी कहा है कि किसानों ने 966 रूपये प्रतिक्विंटल की जो मांग की है । वह सरकार की दृष्टि में अवास्तविक है । मूल्य नीती पर विचार करने वाली समिति के लिए यह कहना क्या वास्तविक नहीं है कि उत्पादकों को कोई भी वृद्धि नहीं दी जानी चाहिए ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसी प्रकार, जहां तक मूल्य नीति का संबंध है, मामले को कृषि मूल्य आयोग को भेजने की सरकार की आम परंपरा रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय उन्होंने कृषि मूल्य आयोग से उनकी सिफारिशें नहीं मांगीं हैं ? क्योंकि हमें वार-बार बताया गया है कि कृषि मूल्य आयोग उपयुक्त प्राधिकरण हैं, जो सरकार को लाभप्रद मूल्य की सिफारिश करता है ।

महाराष्ट्र के सदस्यों ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि कपास के मूल्य को कपड़े के मूल्य से सम्बद्ध किया जाए । वर्तमान सूचना और प्रसारण मन्त्री ने जब वे 1974 में यहाँ सदस्य थे, कपास के मूल्य को कपड़े के मूल्य के साथ सम्बद्ध किए जाने के लिए जोर दिया था । अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कपास और कपड़े का मूल्य निर्धारित करते समय इस बात पर विचार किया था ।

महोदय, मैं कपास उत्पादकों के हित में यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि सट्टा बाजार न पनपे और उत्पादकों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाये ।

ये मेरे कुछ विशिष्ट प्रश्न हैं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्रीमान, जहां तक कृषि मूल्य आयोग का प्रश्न है यह कई तथ्यों पर विचार करने के पश्चात रूई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है जिसमें इसमें काम आने वाली आवश्यक सामग्री के बढ़े हुए मूल्य भी सम्मिलित हैं । माननीय सदस्य जानते है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कुछ अर्थ नहीं है क्योंकि वर्तमान बाजार भाव बहुत ऊंचे हैं । मैं यहां कुछ किस्मों के बारे में आंकड़े पेश करूंगा जिससे पता चलेगा कि पिछले तीन वर्ष की मूल्यों की प्रवृति क्या रही ।

बढ़िया किस्में वारालक्ष्मी : 1978-79 में समर्थन मूल्य 385 रुपए प्रति क्विंटल था जबकि महाराष्ट्र त्रिपणन संघ द्वारा निर्धारित मूल्य 440 रुपए प्रति क्विंटल था । 1979-80 में कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य 415 था जबकि महाराष्ट्र में निर्धारित मूल्य 440 रुपए ही रहा । पिछले कपास के मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 425 रुपए कर दिया गया तथा 7 नवम्बर को गारन्टी शुदा मूल्य 490 तथा 27 नवम्बर को 530 रुपए निर्धारित किया गया । इसका अर्थ है 1978-80 में मूल्य 440 रुपये से बढ़ाकर 530 रुपए हो गया । (व्यवधान) इसलिए इस बारे में दो बातें आवश्यक हैं । मासिक वसूली बनाये रखने के

लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गारंटी शुदा मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस योजना की अवधि को इस शर्त पर बढ़ा दिया कि न्यूनतम मूल्य एक समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे जिसमें भारत सरकार महाराष्ट्र, सरकार तथा कपड़ा आयुक्त के प्रतिनिधि होंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उत्पादकों की क्या स्थिति है।

श्री प्रणव मुखर्जी : उत्पादक उसमें नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र फैडरेशन उनका भी प्रतिनिधित्व करती है। अतः यह निर्णय लिया गया। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि इस बार मन्त्री मन्डल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया क्योंकि कृषि मूल्य आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनके अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 397 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

श्री चित्त बसु (डायमंड हारबर) : पिछले वर्ष के आँकड़े क्या थे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : 1979-80 के दौरान उस किस्म का मूल्य 425 रुपए था जबकि पिछले वर्ष यह 415 रुपये थे।

श्री चित्त बसु : पिछले वर्ष, अर्थात 1980-81 में कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य 304 रुपये था।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं, नहीं। आज "जे-34" किस्म को ले रहे हैं परन्तु मैं वारालक्ष्मी किस्म ले रहा हूं। बहुत सी किस्में हैं। अत; उन्हें एक साथ न भिजाएं। मैं 'वारालक्ष्मी' की बात कर रहा था जोकि बढ़िया किस्म है जिसका आजकल प्रचलन अधिक होता है। आप पंजाब की "जे-34" किस्म की बात कर रहे हैं। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि वह पिछले वर्ष के स्तर पर न्यूनतम गारन्टी शुदा मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। पिछले वर्ष मूल्य तीन बार निर्धारित किया गया था, एक मौसम के शुरू में दूसरी बार 7 नवम्बर, को तथा तीसरी बार 7 नवम्बर, 1980 को निर्धारित किया गया। जैसा कि माननीय सदस्य ने देखा कि 1979-80 के कपास मौसम के 440 रुपये के मूल्य से बढ़कर 1980-81 के कपास मौसम में यह 530 रुपए हो गया। अतः हमने सोचा कि इस वर्ष का यह सबसे अच्छा मूल्य होगा। उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम गारन्टी शुदा मूल्य में कोई अनिश्चितता नहीं थी। इसमें एक बात ध्यान में रखी जानी है। यह बाजार भाव का द्योतक नहीं है। गारन्टी शुदा मूल्य पूरे वर्ष के लिए निर्धारित होता है जबकि बाजार भाव मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। कभी यह बढ़ जाता है तथा कभी गिर जाता है।

जैसा कि मैंने पहले ही बताया है यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है परन्तु यह संगत नहीं होता है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर काम करने के लिए किसी भी संगठन को कोई कहता नहीं है। बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत ऊंचा है। इसलिए भारतीय रुई निगम अथवा महाराष्ट्र विपणन संघ अथवा अन्य सरकारी संगठन सामान्य बाजार भाव पर ही कार्य करते हैं।

जहां तक रूई के मामले में सट्टेबाज की भूमिका को समाप्त करने का प्रश्न है हम यह कार्य काफी हद तक कर पाये हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विपणन संघ 17 से 18 लाख गांठें तथा भारतीय रूई निगम भी 16 से 17 लाख गांठें खरीदता है। पंजाब तथा हरियाणा की कुछ ऐजेंसियां भी 7-8 लाख गांठें खरीदती हैं। अतः कुल उत्पादन कर लगभग 50 प्रतिशत जो लगभग 80 लाख गांठों के बराबर है यह तो सरकारी संगठनों अथवा सरकारी क्षेत्र के संगठनों द्वारा खरीदा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप हम मूल्यों में स्थिरता ला पाये हैं।

रूई का मूल्य निर्धारित करते समय हमें एक बात का अर्थात सूत के मूल्य के सन्दर्भ में, और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सूत का उपयोग 10 लाख हथकरघा कर्मकारों द्वारा किया जाता है। जहां तक इन दोनों के मूल्यों के अनुपात का प्रश्न है— मैं इस बारे में विशेषज्ञ तो नहीं हूं—परन्तु मेरे कार्यालय ने मुझे आंकड़े दिये हैं—कि सूत के मूल्य का 70 प्रतिशत रूई पर आधारित है। अतः यदि मूल्य 966 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाता है—जिसकी किसी ने भी अर्थात न तो महाराष्ट्र सरकार ने और न ही उन संसद सदस्यों ने ही जिनके साथ मैंने बातचीत की है—इसकी सिफारिश की है—यह प्रश्न उठेगा कि बुनकरों को सूत हम किस मूल्य पर देंगे। इसलिए इसके बीच संतुलन बनाये रखना है जिसका हम प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं और विस्तृत जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने महाराष्ट्र सरकार के साथ अभी-अभी चर्चा शुरू की है तथा इस बारे में स्थापित समिति की बैठक भी शुरू होने जा रही है तथा उसके बाद ही मैं इस समस्या का समाधान कर पाऊंगा।

श्री चित्त बसु। वास्तव में वक्तव्य में उठाए गए प्रमुख मामलों का उत्तर नहीं दिया गया है। यदि आप प्रस्ताव को ही देखें तो आप पायेंगे कि प्रमुख मामला देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में कपास के लाभकारी मूल्य देने के सम्बन्ध में है। अतः कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देना प्रस्ताव का प्रमुख मुद्दा है। में माननीय मन्त्री महोदय से सहमत हूं कि लाभकारी मूल्य अन्य बातों, जैसे कपास और धागे के मूल्य में सम्बन्ध, कपास के सम्बन्ध में सरकार की आयात नीति, भारतीय कपास निगम की भूमिका, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई एकाधिकार क्रय योजना आदि, के साथ जुड़ा हुआ है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह एकाधिकार नहीं है।

श्री चित्त बसु : कुछ अन्य मामले भी हैं जैसे क्या कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य उत्पादन में वृद्धि तथा उच्च किस्म की कपास का उत्पादन करने के लिए दिया जाता है या दिया जाना चाहिए। लाभकारी मूल्य के प्रश्न से जुड़े ये कुछ मुख्य मामले या बातें हैं।

लाभकारी मूल्य देने के मुख्य प्रश्न के सम्बन्ध में सभा को, विशेषरूप से माननीय मन्त्री महोदय को, यह जानना चाहिए कि लाभकारी मूल्य से हमारा वास्तव में अभिप्राय क्या है। लाभकारी मूल्य का अर्थ है उत्पादन लागत तथा कुछ लाभ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसमें जोखिम का तत्व भी होता है।

श्री चित्त बसु : मैंने जोखिम तत्व और परिवहन व्यय को उत्पादन लागत में सम्मिलित कर लिया है। जोखिम तो है ही। मैंने इसे उत्पादन लागत में सम्मिलित कर लिया है।

समस्या तो यह है कि लाभप्रद मूल्य से हम जो अर्थ निकालते हैं वह सरकारी अर्थ से मेल नहीं खाता।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्यों ?

श्री चित्त बसु : आपको आंकड़ों से पता चल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। आंकड़े सच स्पष्ट कर देंगे। मैं फिर दोहराता हूं, लाभकारी मूल्य वह मूल्य है जिसमें कपास उत्पादन की सम्पूर्ण लागत तथा उत्पादकों के लिए कुछ लाभ सम्मिलित हैं। मैं जैसा कि पहले कह चुका हूं कि जोखिम तत्व तथा अन्य सभी चीजें उत्पादन लागत में आ गए हैं।

मैं महाराष्ट्र कपास उत्पादन संघ द्वारा तैयार किए गए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। हाल ही में मैं वहां गया था और मुझे कुछ नेताओं से विस्तृत चर्चा करने का अवसर मिला। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लागत विवरण में, जिसका महाराष्ट्र सरकार ने अनुमोदन किया है, एक क्विंटल कपास उत्पादन लागत 517 रुपए 12 पैसे दर्शाई गई है। ये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। उन्होंने पिछले वर्ष ये आंकड़े तैयार किए थे।

अब मैं प्रो० रंगा के प्रश्न को लेता हूं, महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों ने उत्पादन लागत का हिसाब लगाते समय जोखिम तत्व तथा अन्य सभी बातों का ध्यान रखा और यह लागत 517.12 रुपए निकाली। 517.12 रुपए की यह लागत कृषि मजदूरी अर्थात परिवारिक मजदूरी की लागत के आधार पर तथा खेतिहर मजदूर की 4-50 रुपए दैनिक मजदूरी के आधार पर निकाली गई। इसका हिसाब इस आधार पर लगाया गया कि खेतिहर मजदूरों को मजदूरी, 4.00 रुपए महिला मजदूर और 4.50 रुपए पुरुष मजदूर, की दरों पर दी जाती है। परन्तु यदि हम देश में खेतिहर मजदूर के लिए निर्धारित मजदूरों को हिसाब में ले तो यह मजदूरी 10 रुपए होनी चाहिए। इसे आधार माना जाए तो उत्पादन लागत 632.75 रुपए निकलती है। लाभकारी मूल्य के बारे में मेरी यही धारणा है। मेरे विचार में समूची सभा लाभकारी मूल्य के बारे में मेरी इस धारणा का अनुमोदन करेगी।

आपने सुना होगा कि वास्तव में कितना दिया जा रहा है। कृषि मूल्य आयोग ने एक खास किस्म की कपास का मूल्य 304 रुपए निर्धारित किया है। में इससे सहमत हूं कि आपने जिस किस्म का उल्लेख किया, वह यह नही हैं। वह किस्म है 320 एफ/414-एफ/जे-34 परन्तु महाराष्ट्र में वास्तविक स्थिति क्या रही है ? यहां तक कि उन्होंने जिस गारन्टी मूल्य का उल्लेख किया है, वह महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों को नहीं दिया गया है। मैं इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जानता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष 380 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक कभी नहीं पाया। यहां तक गारन्टी मूल्य इससे अधिक था, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं अपने वक्तव्य में बताया है।

अतः आप सहमत होंगे कि मजदूरों को दी गई कम मजदूरी-दर के आधार पर 517 रुपए की लागत आंकी गई परन्तु कपास उत्पादकों को अधिकतम मूल्य 380 रुपया दिया गया। इस प्रकार कपास की प्रति क्विंटल औसत कीमत 137 रुपए थी, अर्थात प्रत्येक किसान को एक क्विंटल कपास का उत्पादन करने पर 137 रुपए का नुकसान हुआ। स्थिति यह है।

अतः मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण देश के विशेष रूप से महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों की उच्च कीमत की मांग उचित है और सरकार को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। उनकी मांग उचित है। मेरी मांग यह है कि सम्पूर्ण देश में विशेषरुप से महाराष्ट्र में कपास की उच्च कीमत की उचित मांग का सारी सभा समर्थन करेगी। (व्यवधान)

परम आदरणीय श्री चव्हाण जी पिछले वर्ष कृषि उपज की उच्च कीमतों की मांग के समर्थन में हमारे साथ 'डीडी चार्चे' में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने दल भले ही बदल लिया हो परन्तु मुझे आशा है उन्होंने अपना दर्शन नहीं बदला होगा। आपने आप दर्शन को नहीं बदला हैं। क्या आप अपने पद का सदुपयोग यह बात सुनिश्चित करने में करेंगे कि महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों की मांग स्वीकार हो जाए और क्या आप अपना समर्थन इस उचित आन्दोलन को देंगे ?

कपास के मूल्यों के साथ अन्य बातों के जुड़े होने का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस विषय में अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता, परन्तु मैं माननीय मन्त्री महोदय को केवल यह जानकारी देना चाहता हूं कि उनसे पहले के मन्त्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने जब वह भारत सरकार में वाणिज्य मन्त्री थे, नागपुर में एक सम्मेलन में सम्मेलन के आयोजकों के साथ इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि कपास के मूल्य और धागे के मूल्य में सम्बन्ध होना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया गया था। परन्तु समिति की सिफारिशों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।

श्री साठे के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं जानता हूं कि वह कपास और धागे के मूल्यों को संबंद्ध करने की मांग के लिए कपास उत्पादकों द्वारा किए गए आन्दोलन के कट्टर समर्थकों में से एक थे।

इस मुद्दे विशेष को स्पष्ट करने के लिए, मैं इकनामिक टाइम्स के एक सम्पादकीय टिप्पणी को उद्धृत करता हूं :

> "1976-77 कपास का मूल्य-सूचकांक 208 था जो गिरकर दो वर्षों अर्थात 1978-79 और 1979-80 में 165 रह गया। परन्तु कपड़े और धागे का मूल्य सूचकांक इन दो वर्षों में ऊपर बढ़ता रहा। 1976-77 में 193 से बढ़कर यह 1979-80 में 233 हो गया। इसी अवधि में कपड़े के मूल्य सूचकांक में 1976 में 172 से 1979-80 में 200 तक वृद्धि हुई है।।'

अतः कपास के मूल्य में वृद्धि कपड़े के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप नहीं हुई है।

कपास के मूल्य में हुई वृद्धि कच्ची कपास के मूल्य में हुई वृद्धि से कहीं अधिक है। अतः जब तक इन दोनों के मूल्यों को परस्पर संबद्ध नहीं किया जाता तब तक यह हमेशा बड़े-बड़े वस्त्र उद्योगपतियों के पक्ष में जाएगी।

मेरा सरकार पर यह आरोप है कि वह कपास के मूल्यों का निर्धारण बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर करती है। सरकार की नीति जो ऐसी है कि चोर से कहे चोरी कर, शाह से कहे जागता रह।

जब तक सरकार वस्त्र उद्योगपतियों को प्रसन्न करने की अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती, तब तक कपास उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दिया जा सकता। मुझे आशा है कि सरकार अपनी मूलभूत नीति में परिवर्तन करेगी।

जहां तक आयात नीति का संबंध है, इसमें एक बहुत बड़ा षणयन्त्र है। जब देश में देशी कपास का स्टाक मौजूद होता है तब सरकार कपास का आयात करती है।

मैं मन्त्री का ध्यान **'इकानामिक्स टाइम्स'** को सम्पादकीय टिप्पणी की तरफ आकर्षित करूंगा जिसमें लिखा है :

"सूती वस्त्र उद्योग की बहुत सी समस्यायें हो सकती हैं परन्तु कच्चे माल की समस्या उनमें से नहीं है।"

यह मेरा विचार नहीं है—**'इकानामिक्स टाइम्स'** ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि कच्चे माल अर्थात रूई की कमी वस्त्र उद्योग के लिए समस्या नहीं है। परन्तु सरकार ने पांच लाख रूई की गांठों का बाहर से आयात करने का निर्णय किया है। यह मेरा आरोप है कि यह सरकार देश के कृषकों को उचित मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। परन्तु देश में रूई का मूल्य कम करने के लिए अधिक मूल्य पर रूई का आयात कर रही है। अतः जब तक रूई के आयत की नीति नहीं बदली जाती—गेहूं के मामले में हम देख चुके हैं मुझे इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है उसी नीति का अनुकरण देश में रूई का मूल्य कम करने के मामले में किया जा रहा है—जब तक सरकार अपनी नीति को नहीं बदलती तब तक देश के रूई उत्पादकों के साथ न्याय नहीं हो सकता।

मैं दूसरी बात का उल्लेख करूंगा और वह बहुत ही सरल है अर्थात भारतीय रूई निगम की भूमिका। कल ही पी० टी० आई द्वारा दिया गया समाचार छपा था। मेरे या आपके द्वारा दिया गया नहीं···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सी० पी० आई०

श्री चित्त बसु : सी० पी० आई० के प्रति आपको 'एलर्जी' नहीं होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे वे बहुत अच्छे लगते हैं।

श्री चित्त बसु : यह भटिंडा से पी० टी० आई० की रिपोर्ट है···

भारतीय रूई निगम ने पंजाब की उन रूई मन्डियों में से 20 मन्डियों में वास्तव में वसूली कार्य स्थगित कर दिया है जिनमें उसने गत वर्ष वसूली कार्य किया था।

सरकारी सूत्रों के अनुसार यह कदम मुख्य कार्यालय में 510 रु० प्रति क्विन्टल के निर्धारित सममूल्य दर पर रूई खरीदने के लिए दिये गये दिर्देशों के अनुसरण में उठाया गया है।

सूत्रों ने स्पष्ट किया कि बाकी छः मन्डियों में केवल नाम मात्र के लिए रूई की खरीद की गई। भारतीय रूई निगम ने इन केन्द्रों से केवल 243 गाँठें खरीदी जबकि पंजाब की मंडियों में औसतन 4,200 गाँठें प्रतिदिन आती है।

मन्डी में औसतन 4000 के लगभग गाँठें प्रतिदिन आती हैं। भारतीय रूई निमग ने केवल 200 गाँठें खरीदी हैं, और उन्होंने खरीद को इसलिए रोक दिया कि मूल्य 510 रु० है। सरकार पंजाब की रूई को 510 रु० प्रति क्विन्टल के मूल्य पर खरीदने के लिए राजी नहीं है। क्या में माननीय गन्त्री से जान सकता हूं कि क्या वह इस संदर्भ में भारतीय रूई निगम को लाभकारी मूल्यों पर, यदि लाभकारी नहीं तो कम से कम उचित मूल्य पर, जितनी सम्भव हो रूई खरीदने के लिए निर्देश देंगे।

दूसरी बात महाराष्ट्र सरकार की एकाधिकारी खरीद योजना सम्बन्धी है···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आप बीस मिनट ले चुके हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं मैं आपको कैसे सिखा सकता हूं ? अभी ठीक माननीय सदस्यों को और प्रश्न पूछने हैं।

श्री चित्त बसु : महाराष्ट्र सरकार की एकाधिकारी खरीद योजना के बारे में मुझे बताया गया है कि यह स्थायी योजना नहीं है। यह भारत सरकार की स्वीकृति के ऊपर निर्भर है। उन्होंने इसको दस वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति मांगी थी परन्तु सरकार ने इसको एक वर्ष तक ही बढ़ाया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि महाराष्ट्र सरकार की रूई खरीद योजना में कोई त्रुटि नहीं है। परन्तु यह अनिवार्य वसूली की तरफ यह एक अग्र कदम है। यह समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि सम्पूर्ण उत्पादित रूई की खरीद नहीं की जाती इस समय पूरे देश में एकाधिकारी वसूली सम्भव नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इस ओर एक कदक आगे बढ़ाया है या केन्द्र सरकार इस योजना को पसन्द नहीं करती या इसको अधिक लम्बे समय तक जारी नहीं रहने देना चाहती। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस योजना को समर्थन देती रहेगी और इसे भूमिहीन बनायेगी तथा अधिक खरीद के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से अधिक धन दिया जायेगा ताकि रूई उत्पादकों की उचित तथा लाभकारी मूल्य मिल सके।

अन्त में, सरकार बड़े वस्त्र उद्योगों को आधुनिकरण के लिए सदैव उदार शर्तों पर ऋण देती है परन्तु ये बड़े वस्त्र उद्योग आधुनिकरण मे कभी भी रुचि नहीं रखते। पर सरकार द्वारा रूई उत्पादकों को राज्य सहायता प्राप्त दरों पर आदान उपलब्ध कराने के लिए बहुत कम किया गया हैं। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार रूई उत्पादकों को सस्ती दरों पर आदान

उपलब्ध कराने तथा उत्पादन वृद्धि तथा किस्म सुधार के लिए रूई उत्पादकों को हर प्रकार का प्रोत्साहन तथा सहायता देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

इसके लिए नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है तथा नीति में परिवर्तन रूई की अनिवार्य वसूली पर आधारित होना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए। क्या सरकार इस महाराष्ट्र की भांति दूसरे कपास उगाने वाले राज्यों से भी इस प्रकार के कदम उठायेगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य ने अपने लम्बे भाषण में बहुत से विषय उठाए हैं। मैं तर्क-वितर्क नहीं करूंगा लाभकारी मूल्य क्या होना चाहिए उन्होंने आंकड़े दिये मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं···

श्री चित्त बसु : आप दीजीए।

श्री प्रणव मुखर्जी : दो अर्थशास्त्रियों तथा दो राजनीतिज्ञों की तरह ही दो सांख्यिकीविद् भी कभी सहमत नहीं हो सकते।

मजदूरी तथा अन्य बातों को मिलाकर जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, लाभकारी मूल्य क्या होगा ? कृषि मूल्य आयोग इन सबको ध्यान में रखता है परन्तु आप कभी कृषि मूल्य आयोग से भी सहमत नहीं होते। कभी-कभी हम भी कृषि मूल्य आयोग से सहमत नहीं होते। जब कृषि मूल्य आयोग तथा योजना आयोग इन बातों को ध्यान में रखते हैं तथा कई के लिए 690 रु० प्रति क्विन्टल मूल्य निर्धारित कर देते हैं तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि धागे का मूल्य क्या होगा तथा हथकरघा क्षेत्र में लगे हुए एक करोड़ लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं वस्त्र तक नहीं जाता मैं केवल धागा प्रयोग करने वालों तक ही सीमित हूं। आपका तर्क बहुत ही सीधा है तथा वहां बैठे आप कह सकते हैं कि इसको राज सहायता दे दो। मैं चाहूंगा कि आप अपने कथन के अन्तिम भाग में, जहां आपने राजसहायता देकर सस्ते मूल्य पर आदान उपलब्ध कराने के लिए कहा है को याद करें। यदि बजट विवरण में वित्त मन्त्री आपके प्रस्तावों को मानकर अधिक राजसहायता का प्रावधान करके अधिक घाटे का बजट प्रस्तुत करें तो माननीय सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी। अतः मैं इस पहलू पर नहीं जाता।

उन्होंने कहा है कि हम रूई की वसूली तथा रूई के मूल्य का निर्धारण की नीति वस्त्र उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर निश्चित करते हैं। माननीय सदस्य ने इस बात को बड़ी सहजता से भुला दिया कि भारत सरकार सबसे बड़ा वस्त्र उद्योगपति है। इसके राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत 103 कपड़ा मिल हैं। किसी भी व्यक्तिगत मालिक के पास 103 कपड़ा मिलें नहीं हैं। ऐसी एक मिल हमने माननीय सदस्य के राज्य में भी ली है माननीय सदस्य की राज्य सरकार ने उन मिल को अपने अधिकार में लेने के लिए बाध्य किया जो कि 19 महीनों से बन्द पड़ी हुई थी···

श्री चित्त बसु : आपने बड़ा अच्छा कार्य किया।

श्री प्रणव मुखर्जी : साथ ही साथ मिल चलना भी जानते हैं तथा कहा कठिनाई हैं यह भी जानते हैं यह केवल लाभ से प्रेरित नहीं है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की दृष्टि से भी हम जानते हैं कि रुई के मूल्यों तथा दूसरी बातों का क्या प्रभाव पड़ा है । जब हम लाभकारी मूल्यों की बात करते हैं तो कोई इस बात से मना नहीं करता कि उन्हें लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए । दूसरे किसी तर्क के अतिरिक्त यह सबसे सीधा तर्क है कि यदि उनको यह मूल्य नहीं मिलता तो वे उत्पादन नहीं करेंगे तथा यदि उस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया जाता तो वे उत्पादन नहीं करेंगे ।

अतः यह बात हमेशा ध्यान में रखी जाती है । जो मैं बतलाना चाहता था वह यह है । इस वर्ष के लिए या गत वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हैं यह प्रासांगिक नहीं है । यह इस अर्थ में प्रसांगिक नही है । कि बाजार मूल्य पहले ही ऊंचे हैं । रुई के मामले में हमने जो संस्थागत प्रबन्ध किए हैं उनसे मूल्यों को काफी हद तक स्थिरता लाने में हम सफल हुए हैं । महाराष्ट्र में एकाधिकारी वसूली योजना चल ही रही और उसको अभी समाप्त करने के लिए कोई नहीं कह रहा है इससे रुई के मूल्य को स्थिर करने तथा उत्पादकों सहायता देने में मदद मिली है । मैं नहीं जानता कि उन्होंने 380 रू० की रकम का कैसे उल्लेख किया है । जहां तक मैं समझता हूं न केवल लाभकारी मूल्य देने को बल्कि वर्ष के अन्त में लाभ देने की भी एक प्रणाली है । इसका भुगतान दो किश्तों में किया जाता है । पहले भुगतान तीन किश्तों में किया जाता है—50 प्रतिशत शुरू में तथा 50 प्रतिशत बाद में और लेखा अवधि के अन्त में उनको लाभ पर बोनस दिया जाता था इसलिये मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य ने यह कैसे कहा कि 380 रु० मिले हैं जबकि गारन्टी मूल्य लगभग 500 रु० निर्धारित किया गया था । हो सकता है कि उन्हें एक ही किश्त मिली हो इतना ही नहीं । मार्केटिंग फेडरेशन जो लाभ कमाया उसमें भी उन्हें बोनस के रूप में हिस्सा मिला मार्केटिंग फेडरेशन लाभों का दुर्विनियोग या बिनियोग नही करती ।

आयात के मामले में मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य को ये आंकड़े कहाँ से मिले कि हमने पांच लाख गाँठों का आपात किया है । हमने केवल 50,000 गांठों का आयात किया है । (व्यवधान)

श्री चित्र बसु : हो सकता है आप आयात की प्रतीक्षा में हो ।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं । हमने 5 लाख गांठों के आयात को प्रस्ताव नहीं किया । हमने एक लाख गांठों के आयात के लिए बात की है और वह भी छोटे रेशे वाली कपास के लिए । कुछ असन्तुलन हैं । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने यह कैसे कहा कि हम सब कुछ आयात कर रहे हैं । हम केवल 50,000 गांठों का आयात कर रहे हैं । वह बड़ी आसानी से इस बात का भूल गये कि हमने 7.86लाख गांठों का निर्यात करने का निर्णय लिया है । अतः कभी कभी ऐसा होता है । यदि हम लम्बे रेशे वाली सारी रुई की खपत नहीं कर पाते हैं तो उसका निर्यात करते हैं । जब कभी मध्यम छोटे रेशे वाली रुई की कमी होती है तो उसका हमें आयात करना पड़ता है ।

पिछले वर्ष हमने यह निर्णय लिया था, कि हम एक एक लाख गांठों का आयात करेंगे । अन्त में वास्तविक आयात केवल 50 000 गांठों का किया गया था । 25000 गांठे राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा तथा 25,000 दूसरों के द्वारा आयात की गई मुझे नहीं पता कि भारतीय रुई निगम ने खरीद कार्य क्यों स्थगित कर दिये । पंजाब में भारतीय रुई निगम के अलावा मंडियों में सहकारी संगठन भी हैं । में माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि इस विषय में आम प्रक्रिया यह है 50 प्रतिशत से अधिक बसूली सहकारी समितियों द्वारा की जाती है जिसमें सरकारी एजेन्सियां, भारतीय रुई निगम भी सम्मिलित हैं । यह अनुपात बनाये रखा जायेगा । हो सकता है कि भारतीय रुई निगम कुछ ज्यादा खरीद करता है ।

इस योजना को जारी रखने के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह चालू है । हमें इसकी समय समय पर समीक्षा करनी पड़ती है । एक बात है । कुछ राज्यों ने मांग की है और मैं सहमत हूं कि यह एक अच्छी योजना है । लेकिन कभी-कभी भ्रम हो जाता है । मैं यहां भ्रम का जिक्र नहीं करना चाहूंगा । माननीय सदस्य इससे पूर्णतः परिचित हैं । पिछली बार उन्होंने कुछ भ्रम उत्पन्न कर दिया था जिसका पता चल गया था । इस प्रकार की एक प्रवृति है । यदि आप इसे एक दम तोड़ मरोड़ कर पेश करें तो इससे अन्य क्षेत्रों के लिए समस्या में पैदा हो जाती है ;

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चित्त बसु जी ने मेरे ख्याल से ज्यादातर चीजें दी हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें कह चुके हैं ;

श्री रशीद मसूद : मैं अधिक समय न लूगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई और प्रश्न नहीं है ।

श्री रसीद मसूद : मैं अधिक समय न लूंगा क्योंकि वह पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं ;

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप से कहें ।

श्री रसीद मसूद : उन्होंने ज्यादातर चीजें कह दी हैं लेकन एक शेर मुझे जरूर याद आ रहा है, वह मैं पेश करना चाहता हूं अपने कामर्स मिनिस्टर साहब के सामने, बदकिस्मती हमारी यह है कि वह शायद उर्दू जानते न हों :

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते बदनाम ।
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती ॥

पिछले कई सालों से जब से हमारी यह हुकूमत वसूद में आई है यह एक रिवाज सा बन गया है कि जब भी किसान अपनी पैदा की हुई चीजों के लिए कीमत मांगने जाता है तो बजाय

इस के कि उन की मांगों पर हमदर्दी के साथ गौर किया जाय, उस को गोली का निशाना बनाया जाता है सरदी के मौसम में ज्यादातर लोग, हम में से जो यहां पर बैठे हुए हैं, वे और वे लोग जो कि इस गवर्नमेंट को फेयर करते हैं, इण्डस्ट्रियल मानोपोलिस्ट्स जिस वक्त अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उस वक्त रात में (चूंकि बिजली ज्यादायर रात में ही मिलती है) लालटेन लेकर, धोती कुर्ता पहने हुए —कभी कभी स्वैटर होता है वरना वह भी नहीं होता है - किसान अपने खेत में पानी देता है। उसे पता नहीं होता कि कब उसे निमोनिया हो जायेगा लेकिन इसके बावजूद उसे इस काम करने में कोई अफसोस नहीं होता। इसी तरह से जब लू चलती है और आप लोग एअरकण्डीशण्ड मकान में बैठे हुए होते हैं, उस वक्त किसान अपना गेहूं काटता है और उसकी थ्रेशिंग करता है। इसी तरह से बरसात में जब बारिश हो रही होती है, उस वक्त किसान छत के नीचे नहीं होता है बल्कि खेत में फसल को लगा रहा होता है ताकि इस मुल्क के लोगों को खाना मिल सके। इतनी सारी दिक्कतें बर्दाश्त करने वाला किसान जब अपनी पैदा की हुई चीज का वाजिब दाम मांगता है तो उसको आप वाजिब दाम न देकर गोली देते हैं। पिछले दो सालों में आपकी सरकार ने 135 बार किसानों पर गोलियां चलाई हैं जिनके दौरान मैं समझता हूं, 88 किसान मारे गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप उनको प्राफिटेबल प्राइसेज दीजिए जिससे कि वे ऐश की जिन्दगी गुजार सकें। अगर आपको रेम्युनरेटिवप्राइस के नाम से चिड़ है तो आप उसको पैरिटी प्राइस दीजिए। आप उसको ऐसी प्राइस दीजिए, जिसमें कि जो चीज वह पैदा करता है और जो चीजें वह खरीदता है उन दोनों की कीमतों में कोई रेशियां हो ताकि सुकून के साथ किसान भी अपनी जिन्दगी को गुजार सके। आपकी गलत पालिसीज का आज यह नतीजा है कि खाद और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें जिस रेशियों में बढ़ी हैं उसी रेशियों में किसान के द्वारा पैदा की हुई चीजों की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। सन् 1970-71 से लेकर 1977 तक किसान जिन चीजों को यूज करता था (जिन को आप इनपुट्स कहते हैं) उनके दाम में 53 से लेकर 133 परसेन्ट तक इजाफा हुआ है और किसान जो चीजें पैदा करता है (जिनको आप आउटपुट कहते हैं) उनके दामों में 27 से 100 फीसदी तक इजाफा हुआ है। अगर इसका आप एवरेज निकालेंगे तो मेरे खयाल में करीब 52-53 परसेन्ट के करीब बैठेगा। इस तरह से किसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है।

पिछले दिनों जब बुवाई हुई गेहूं की तो एवरेज के लिहाज से ज्यादा एरिया में गेहूं बोया गया। उस वक्त आप बहुत खुश हो गये कि इस साल जबर्दस्त पैदावार गेहूं की होगी और आपने सोचा कि 9.5 मिलियन टन गेहूं आप खरीद लेंगे, प्रोक्योमेंन्ट कर लेंगे लेकिन उसमें आप फेल हो गए। इसकी वजह यह थी कि 1976-77 में जहां किसान ने 17.9 परसेंट खाद इस्तेमाल की थी वहां सन् 1981 में आकर उसने खाद के दाम बहुत बढ़ जाने की वजह से 6.1 परसेन्ट ही खाद इस्तेमाल की। मुझे पता नहीं आप में से कौन से लोग गाँवों में जाते हैं लेकिन मैं तो एक किसान का लड़का हूं और एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जिसने इस बात को सोच रखा है कि किसानों को उनके वाजिब हक दिखाने हैं। मैं यह कह रहा था कि पैदावार में जो कमी हुई है उसकी बजह यह है कि किसान को उसकी पैदा की हुई चीजों की कीमतों उसी रेशियों में नहीं दी गई जिन रेशियों में दूसरी चीजों के दाम बढ़े हैं। अगर आप इस चीज को लार्जर

पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरा अन्दाज है किसान हर साल 33 हजार करोड़ रुपये की चीजें पैदा करता है जिसमें से 20 हजार करोड़ का माल मार्केट में लाता है। 13 हजार करोड़ का माल देहात में रहने वालों के लिए रह जाता है। अब जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनमें और किसान की पैदा की हुई चीज के दर्म्यान 1 परसेन्ट का भी फर्क आता है तो 200 करोड़ का लास किसान का हो जाता है। इसी तरह से उसमें आज 25 फीसदी का डिफ्रेंस है। अगर आप उसको लगाइए तो पांच हजार करोड़ रूपया हर साल देहात से खींचकर शहरों में आ रहा है। इसका नतीजा यह है। कि हमारा देहात दिन—पर—दिन गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। और इसका नतीजा यह हो रहा है। कि देहातों के लोग शहरों में आ रहे हैं। इस तरह से आप शहरों में क्या कर रहे हैं— सलम्स क्रिएट करवा रहे हैं। हम देहातों की ही बात नहीं करते हैं, हम शहरों में रहने वालों के भी हक में हैं। अगर देहात का पैसा खींचकर शहरों में न आए और आप किसानों की पैदा की हुई चीजों की वाजिब कीमत दें, उसको पेरिटी प्राइस दें और देहात के लोग गुर्बत की वजह से भाग कर, रोजी— रोटी कमाने की वजह से, शहरों में आकर सलम्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से पानी की प्राब्लम है, बिजली की प्राब्लम है और बसों में भी जगह नहीं मिलती है, इसलिए यदि आप उनको वाजिब कीमत दें तो यह स्थिति पैदा न हो। हमारा कहना है कि इन सारी चीजों पर आप गौर करें और उसको ठीक करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपका जो एग्री—कल्चर प्राइस कमीशन है, उसका कम्पोजीशन बिल्कुल गलत है। उसमें आप किन लोगों को बैठाते हैं— वे जो शहरों में तालीम हासिल करके आते हैं और यह नहीं जानते हैं कि गन्ना किस को कहते हैं। अभी पिछले दिनों राव बीरेन्द्र सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने गन्ने की बीमारी दूर करनेके लिए एक नया तरीका इजाद किया है, यदि गन्ने को आधा घण्टा गरम हवा दी जाए तो उसके अन्दर बीमारी नहीं रहेगी। अब आप लगाइए खेत में हीटर, यह साईंटिस्टों की खोज है। लिहाजा इस तरह जो देहातों में पैदा हुई चीजों की कीमत निकालते है यह भी उसका देस है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस कम्पोजीशन को बिल्कुल बदलना चाहिए। इसमें 60 फीसदी वे लोग होने चाहिए जो बात को बता सकें कि सही कम्पोजीशन क्या है और क्या हम उसमें कमा रहे हैं तथा क्या हमारे पास है।

दूसरी बात यह है कि काटन की कीमत और कपड़े की कीमत का जो मुनाफा है, इन दोनों का डिफेंस यदि गरीब मजदूर को जाता है, तब भी गरीब किसान सोचता है कि हमें नहीं मिला तो दूसरे गरीब भाई को मिल गया, है लेकिन वह मजदूर भी परेशान है। किसानों को पूरी कीमत नहीं दी जाती है। लिहाजा कीमत मुकर्रिर करने से पहले आपको एक पालिसी बना देनी चाहिए। कि कपड़े की कीमत में कोई न कोई रेशो ऐसा जरूर होना चाहिए। हम यह नहीं कहते है कि मिल को नुकसान हो जाए, हम हम यह जानते हैं कि मिल ओनर्स बड़े-बड़े लोग हैं और वे सिल्क मिल डिक्लेयर कर देते हैं और फिर सरकार उसको टेक ओवर कर लेती है और पैसा भी लगाती है, फिर पैसा लगाने के बाद उसका वापिस भी कर देती है। यदिआप ऐसा नहीं करेंगे तो इलैक्शन कैसे लड़ेंगे। आप उनको भी फायदा पहुंचाइए, लेकिन इसके साथ-साथ किसानों को नुकसान न पहुंचाए। इन दोनों चीजों

पर मेरी दरख्वास्त है कि आप गौर करें और किसानों को कम से कम अगर आप रिम्युनरेटिव प्राइस नहीं देते हैं, तो पेरिटी प्राइस दें।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य से लम्बे भाषण से मैं केवल एक ही बात समझा पाया हूं। वह कृषि मूल्य आयोग में किसानों के लिये अधिक प्रतिनिधित्व तथा किसनों को उनकी पैदावार के लाभप्रद मूल्य दिलाना चाहते हैं। इस बारे में किसी को भी आपत्ति नहीं है। इस बारे में दो मतभेद नहीं हैं। लेकिन इन्होंने एक नया विचार दिया है जो सचमच बहुत ही विचित्र है। उससे लगता है कि हमारे यहां दो किस्म के लोग हैं—एक उत्पादक है तो दूसरा उपभोक्ता। उस देश में हर उत्पादक, उपभोक्ता भी है और विशेषकर कपड़े के क्षेत्र में, जहां कोई भी ऐसा नहीं जो उपभोक्ता न हो। मैं नहीं जानता कि उनका तात्पर्य किस प्रकार के उपभोक्ता से है जब वह यह कहते हैं कि कपड़ा उद्योग के मामले में वे वातानुकूल कमरों में बैठते हैं। देश के साठ करोड़ लोगों में से हर व्यक्ति कपड़े से अपना तन ढ़कता है। कपड़े के मामले में भी ये बताना चाहते हैं कि उपभोक्ता वातानुकूल कमरों में बैठे रहते हैं और उत्पादकों की समस्यायें नहीं जानते। इस बात को मानना बहुत कठिन है।

श्री रसीद मसूद : लाभ कारखाने के मालिक ले बैठे हैं।

श्री प्रणव मूखर्जी : श्री चित्त वसु को उत्तर देते हुये मैंने कहा था कि यह सच है और यह बात कोई नहीं कहता कि कारखाने के मालिक लाभ नहीं कमा रहे। लेकिन यह बात भी सच है कि भारत सरकार ऐसे 103 संकटग्रस्त कपड़ा कारखाने को चला रही है जिनके आप संसद सदस्यों ने भारत सरकार से अपने अधिकार में लेने के लिए कहा था। अतः बात यह नहीं है कि वे सभी लाभ कमा रहे हैं, इनमें से कुछ घाटे में चल रहे हैं; विशेषकर बुनने के कारखाने। मैं आपके सामने एक समस्या रखना चाहता हूं जिस पर आपको किसी विशेष स्तर पर विचार करना पड़ेगा और यदि आप इस पर उत्पादक को कुछ देने की इच्छा से किसी विशेष स्तर पर विचार नहीं करते तो आप अन्य ऐसे उपभोक्ताओं के लिये समस्यायें पैदा करेंगे जो उतने ही गरीब हों जैसे कि धागे के उपयोगकर्ता। एक करोड़ लोग हथकरघा बुनकर हैं। यदि आप कपास की कीमत 966 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित करते हैं तो आपको यह गणना करनी पड़ेगी कि उस धागे की क्या कीमत होगी जिसका आयोग बुनकर करेंगे। अतः अन्तर मालूम करना पड़ेगा और इसकी हमें पूरी जानकारी है। 1980 के बाद इस सरकार ने हर कृषि वस्तु के मूल्य बढ़ाये है। सरकार हर वर्ष, हर कृषि वस्तुओं के मामले में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों से भी आगे बढ़ी है। आपकी पार्टी, किसानों का एक भाग हो सकती है लेकिन इतिहास कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों से पैदा हुई है और यह किसानों की संस्था है। क्योंकि सारा देश किसानों का है। हम जो कुछ भी आज हैं, किसानों के ही कारण हैं। उनके ही परिश्रम और खून से हमने वह सब प्राप्त किया है, जो आज हमारे पास है। वास्तव में इसकी उपलब्धी किसानों द्वारा ही हुई है। आपकी पार्टी किसानों के हितों में बहुत दिलचस्पी लेती होगी लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना ठीक नहीं है कि केवल आपका

ही दल किसानों के कल्याण तथा विकास में दिलचस्पी रखता है। हम भी इतनी दिलचस्पी रखते हैं।

माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग में किसानों का एक प्रतिनिधि है। यद्यपि यह मेरे मन्त्रालय के अधीन नहीं है, फिर भी मैं समझता हूं कि कृषि मन्त्रालय कृषकों के विभिन्न वर्गों के अधिक प्रतिनिधि शामिल करके इसे अधिक व्यापक बनाने का प्रस्ताव कर रहा है। मेरे विचार में, माननीय सदस्यों मे कोई अन्य बात नहीं पूछी है।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : महोदय, वह ध्यानकर्षण प्रस्ताव महाराष्ट्र में कपास के लिये लाभप्रद मूल्यों की मांग को लेकर चल रहे आन्दोलन की ओर ध्यान दिलाने के बारे में है। जैसा कि आप जानने हैं, महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन शुष्क खेती में होता है। जैसे कि श्री ज्योतिमय बसु ने अपने प्रतिवेदन में कहा है इस देश में दो अथवा तीन इन्च वर्षा से सारी फसल समूचा कृषि क्षेत्र किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है।

महाराष्ट्र लगभग 20 से 22 लाख कपास की गांठों का उत्पादन करता है। इसमें से हमने देखा है कि मार्केटिंग फैडरेशन प्रतिवर्ष 16 से 17 लाख गांठे खरीदता आ रहा है। हमारे राज्य से अधिकांश कपास पड़ोसी राज्यों को जाती है क्योंकि वहां कपास उत्पादकों को काफी ऊंचे मूल्य मिलते हैं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जा रही कपास की एकाधिकारी खरीद से लोगों की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। लेकिन मैं साथ-साथ मन्त्री महदोय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कोई भी कपास उत्पादक द्वारा बोनस दिये जाने तक प्रतीक्षा नहीं करेगा मन्त्री महोदय कहते हैं कि कपास उत्पादकों को अब मूल्य दो अथवा तीन किश्तों में दिये जाने के बजाय एक ही किश्तों में दिये जा रहे हैं। किसान को एक ही किश्त में गारन्टी शुदा मूल्य दिये जाते हैं लेकिन यदि कपास निगम लाभ कमाये तो उसे बोनस की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

किसानों के लिये क्या गारन्टी शुदा मूल्य निश्चित किये गये हैं ? श्री मुखर्जी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे ऊपर पाबंदी रखने के उद्देश्य से गठित समिति ने मूल्य 480 रुपये निश्चित किये हैं, वह पिछले वर्ष का मूल्य था। क्या यह सच नहीं है कि 11 जून, 1981 को उर्वरक के मूल्य में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी ? इसका उत्तर सभा में दिया जा चुका है और मेरे विचार में वह इस बात से इन्कार नहीं करेंगे। श्री मुखर्जी क्या यह बात सच नहीं है कि कीटनाशी दवाइयों के मूल्य 10 प्रतिशत बढ़ गये हैं ? क्या यह बात सच नहीं है कि मजूरी दरों में भी वृद्धि हो गयी है ? क्या यह बात सच नहीं है कि बिजली की दरों में भी वृद्धि हो गयी है ! क्या यह बात सच नहीं है कि कच्चे तेल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि हो गयी है ? क्या आप इसके लिए हमें अधिक मूल्य देंगे या नहीं ? आपने कहा है कि समिति ने 480 रुपये का मूल्य निश्चित किया है। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जिस लागत प्रबन्ध की सिफारिश की थी, उसका क्या बना ? महाराष्ट्र सरकार के पास हर किस्म

अथवा हर फसल को लागत का मूल्यांकन करने की व्यवस्था है। लागत ध्यान में रखते हुये उन्होंने लगभग 638 रुपये की लागत का हिसाब लगाया है। उन्होंने इस लागत की सिफारिश की है।

भारतीय कपास निगम महाराष्ट्र के निकटवर्ती क्षेत्र बरहामपुर में एल० 147, 551 रु० से लेकर 572 रुपये तक और वाई-1 511 रुपये से 587 रु० तक के भाव से खरीद रहा है। आदिलाबाद जो आन्ध्र प्रदेश में मेरे बहुत नजदीक है, मूल्य 590 रुपये से लेकर 603 रुपये तक है। कर्नाटक और गुजरात की भी वही बात है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे काश्तकार सारी कपास को प्राइवेट व्यापारियों तथा भारतीय कपास निगम को बेचें जो इसी भाव पर खरीद रहे हैं? आप हमें हमारी लागत से क्यों वंचित करते हैं? आप फालतू कारपोरेशन फैडरेशन को कपास उत्पादकों को अच्छे मूल्य देने से क्यों रोकते हैं? पिछले वर्ष 5 नवम्बर, तक काठल मार्केटिंग फैडरेशन ने कुल 6 लाख 68 हजार क्विंटल की खरीद की थी और इस वर्ष 25 नवम्बर, 1981 तक इसने कुल 2 लाख 48 हजार क्विंटल की खरीद की है। आप देख सकते हैं। कपास की इस एकाधिकार-क्रय वाली विशिष्ट योजना ने अनेकों फैक्टरी मजदूरों और अनेकों गांव में रहने वाले लोगों को मौसमी रोजगार जुटाया है। क्या आप उन्हें इस रोजगार से वंचित करने जा रहे हैं? जब आप सूत की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप शक्ति चालित करघों और हथकरघों की बात सोचते है। मैं इससे सहमत हूं। वे लगभग एक करोड़ लोग हैं। परन्तु उन खेती हरों के बारे में आपका क्या कहना है जिनकी संख्या कहीं अधित है? क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है? यदि उनके बारे में कुछ सोचा है तो कृपया हमें कुछ अधिक दीजिए। जितना हम मांग रहे हैं, बस उससे हमें 17 या 18 प्रतिशत अधिक दे दीजिए। उससे अधिक नहीं। मैं तो केवल साढ़े सतरह प्रतिशत की वृद्धि की ही बात कर रहा हूं जितनी कि उर्वरक की कीमत बढ़ाई गई है। हमें केवल इतनी वृद्धि ही दे दीजिए हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।

गत वर्ष बिनौले का भाव 115 रुपये से 120 रुपए तक था और इस वर्ष बिनौले का भाव 235 रुपए से 240 रुपए तक है। नियंत्रित कपड़े के दामों में वृद्धि हो गयी है। श्रीमान मुखर्जी मुझसे इस बात पर सहमत होंगे इसकी कीमत में वृद्धि हुई है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि इन खेतिहरों की भी, जिनको प्रतिकूल परिस्थितियों में खेती करनी होती है, कपड़ों की आवश्यकता होती है? क्या उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ता है तो क्या आपने इसके लिए कुछ वृद्धि कर देने का निर्णय लिया है या नहीं; हमें 965 रूपये का भाव नहीं चाहिए, जिसकी कि कपास उत्पादक संघ ने मांग की है। मैं उस सीमा तक तो मांग नहीं करूंगा परन्तु आप हमें कुछ तो अधिक दीजिए। आप हमें उतनी ही कीमत दीजिए जितनी कि महाराष्ट्र सरकार ने आपसे सिफारिश की है। कुछ भी हो, यह एक जिम्मेदार सरकार है जिसके यहां चार कृषि महा-विद्यालय हैं जो कि सभी कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत का अध्ययन कर सकते है। अतः सरकार को कुछ मान-सम्मान दीजिए और मूल्य में वृद्धि कीजिए।

अब मैं समान और लाभकारी कीमतों की बात करूंगा। इस बारे में, मैं कहूंगा कि

सारा महाराष्ट्र, विशेषकर विदर्भ, जो कि कपास उत्पादक क्षेत्र है, इससे उत्तेजित है। अच्छा यही होगा यदि मन्त्री महोदय कीमतों में साढ़े सत्तरह प्रतिशत की वृद्धि कर दें, जितनी कि उर्वरक के मामले में कीमतें बढ़ी हैं।

मैं कीटनाशकों की बात तो भूल ही गया।

एक माननीय सदस्य : उसमें केवल एक ही मद आती है।

श्री उत्तम राठौर : परन्तु यह एक प्रमुख मद है और मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे और महाराष्ट्र के उन कपास उत्पादकों को जिन्होंने अपनी कपास आपको बेचने का निर्णय लिया है कुछ अवश्य देंगे। वे अपनी कपास आपको बेच रहे हैं और वह काम आपके चार अधिकारियों के अधीन चल रहा है। अतः आप इस बात पर विचार कीजिए। हम प्राईवेट खरीद दारों के पास नहीं जा रहे हैं, हम इसे सरकार को ही बेच रहे हैं। अतः हमें कुछ सम्मान दीजिए हम पर कुछ दया कीजिए। वे पी० टी० आई० की बात कर रहे थे, अतः मैं कहूंगा "कृपया मुझ पर कुछ दया कीजिए।"

प्रो० एन० जी० रंगा : हम दया की भीख नहीं मांग रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कदर करता हूं। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं उर्वरकों की लागत में हुई वृद्धि तथा अन्य संगत कारणों पर निश्चित रूप से ध्यान रखूंगा। उन पर विचार अवश्य किया जायेगा। महाराष्ट्र सरकार के सुझाव पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा।

हमारे यहां यही तन्त्र प्रक्रिया चालू है। हम यह नहीं कहते हैं कि हम भारत सरकार हैं और इसलिए हमारे पास निषेधाधिकार शक्ति है तथा हम महाराष्ट्र सरकार के सुझावों को नहीं मानेंगे। हमारी विचारधारा यह है कि भारत सरकार सहित विभिन्न संगठनों की प्रतिनीधि मिल-कर बैठें और विचार विमर्श करके किसी निर्णय पर पहुंचें।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे लोग यह सब सही तरीके से नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : वे कर तो रहे हैं परन्तु दुर्भाग्य से पिछली बार बैठक नही बुलाई जा सकी। बस यही समस्या है। अतः इस वर्ष हमें कुछ कठोर होना पड़ेगा क्योंकि गतवर्ष उन्हे नहीं बताया गया था और उनसे सलाह किए बिना दो बार कीमतों में वृद्धि कर दो गयी थी।

महाराष्ट्र हमारे यहां एक ऐसा राज्य है जहां भारी मात्रा में कपास पैदा होती है। हमारे सामने बाकी देश भी तो हैं जहां 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक कपास उगाई जाती है अतः हम केवल महाराष्ट्र के लिए तो निर्णय ले नहीं सकते हैं। हमें तो समस्त देश की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना होगा। इस समिति की बैठक होने वाली है और मुझे पक्का विश्वास है कि वे उन सभी विभिन्न कारणों तत्वों पर विचार करेंगे जो कि गत वर्ष मूल्य निर्धारण के बाद सामने आए हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगांव) : लाभकारी मूल्यों के बारे में मेरे मित्र पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं और सच तो यह है कि मन्त्री महोदय हर बात के लिए लगभग इन्कार कर चुके हैं। फिर भी मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कीटनाशकों तथा कृषि में काम आने वाले अन्य प्रकार के सामान को ध्यान में रख कर वह लाभकारी मूल्य देने के लिए कुछ उपाय करें।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह हमें यह बताएं कि किसानों को घटती-बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं। उत्पादन के मामले में कीमतें सदैव घटती-बढ़ती रहती हैं। और कपास अर्थात कपड़े के दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं। परन्तु तैयार माल और कच्चे माल में बहुत असमानता होती है। कच्चा-माल जब बाजार में जाता है तो उसे बढ़ा हुआ मूल्य मिलना चाहिए। इस देश में उत्पादक सदैव घाटे में रहता है और बिचौलिया हमेशा लाभ में। यह अधिकांशतः नगर मूलक होता है। जैसा कि मुखर्जी महोदय ने कहा है कृषि मूल्य आयोग द्वारा निश्चित किए गए मूल्य से बाजार भाव बेहतर होते हैं। फिर कृषि मूल्य आयोग को सट्टे मांग और पूर्ति आदि के आधार पर इस देश में बाजार भावों की परिकल्पना क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या यह कहना पर्याप्त नहीं है कि बाजार मूल्य ऊंचा है और जो मूल्य दिया जाता है वह गारन्टी मूल्य है। वह कम होता है। समिति साथ कुछ गड़बड़ अवश्य है। केवल चार व्यक्ति सारे मामले को नहीं निपटा सकते हैं — हालांकि मैं उनकी और उनकी विशेषज्ञता का सम्मान करता हूं।

कठिनाई तो यही है कि एक ओर हम उन मजदूरों को प्रोत्साहन देना चाहते है जिन्हें कि वास्तव में उत्पादन में भागीदार होना चाहिए और दूसरी ओर उपभोक्ता पर मार पड़ती है। अतः यह ग्रामीण समस्या न होकर कहीं अधिक शहरी समस्या है। दूसरे लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार को निर्यात की बात सोचनी होगी। विश्व में बंगलादेश की कपास की बड़ी मांग है। जब हमारे पास अधिक कपास होगी तो सरकार एक सुरक्षित भण्डार बना सकती है और इसे बेचकर निर्यात के लिए रास्ता तैयार कर सकती है। सरकार ने सदैव उद्योगों का ध्यान रखा है अनेक निवेश, ब्याज, करों से दूर, निर्यात के लिए छूट सीमा शुल्क छूट आदि—उद्योगों को इतने सारे प्रोत्साहन दिए जाते हैं। परन्तु कृषि को कभी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, चाहे वह कीटनाशकों या कच्चे-माल के लिए किसी प्रकार की छूट के रूप में हो या लाभकारी मूल्य देने के रूप में हों। मैं नहीं जानता कि इस गलती का क्या परिणाम होगा? 80 प्रतिशत कृषक इस देश की रीढ़ है। भारत उन 16 देशों में से एक है जहां कपास पैदा होती हैं और उन 8 देशों में से एक है जहां भारी मात्रा में कपास होती है और बाहर उसकी मांग है। मूल्यों पर विचार करते समय या उन पर नियन्त्रण रखते समय ये बातें ध्यान में रखनी चाहिएं। कपास सहित किसी भी वस्तु का कोई भी मूल्य एक या दो दिन में उछाला नहीं खाएगा, उत्पादन के अनुसार मांग और पूर्ति भी तो इसकी पृष्ठभूमि में होते हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि मूल्य निर्धारित करते समय समिति ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है और जैसा कि मन्त्री महोदय पहले ही स्वीकार कर चुके हैं गारन्टी मूल्य से बाजार मूल्य कहीं बेहतर है।

क्या सरकार के समक्ष मूल्यों में वृद्धि के उद्देश्य से कपास के निर्यात का कोई प्रस्ताव है? क्या अच्छा मूल्य देने के लिए सुरक्षित मण्डार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है या जैसा कि कुछ उद्योगों को आयकर में छूट और उत्पादन शुल्क में छूट के रूप में सरकारी सहायता दी जाती है वैसी ही छूट देने का कोई अन्य प्रस्ताव है। ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिनको पिछड़े क्षेत्रों में आरम्भ करने पर छूट मिलती है या इसी प्रकार की सहायता मिलती हैं चूंकि यह मेरे राज्य कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश सहित एक अखिल भारतीय समस्या हैं तो इसका सम्बन्ध सिंचाई वाली कपास से जो केवल 20 प्रतिशत है, बढ़कर बिना सिंचाई वाली कपास से कहीं अधिक है।

जब बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में कपास की फसल मारी जाती है तो कृषकों को संकट झेलना पड़ता है क्योंकि उन्हें मौनसून के सुर पर नाचना पड़ता है, अत: एक समर्थन मूल्य का होना अपरिहार्य है समिति को मूल्यों के उतार चढ़ाव पर विचार करते हुए इन पर इस प्रकार विचार करना चाहिए जिससे वर्षा न होने के कारण बुरी तरह खराब हुई फसल और कीमतों की मार से घाटे के वर्ष से क्षति पूर्ण हो सके। जब तक सरकार खरीददारी करके एक सुरक्षित भण्डार तैयार नहीं करती है तब तक कृषकों का कोई भविष्य नहीं होगा। जब वह उत्पादन नहीं करता तो सब कुछ करना पड़ेगा।

मन्त्री महोदय कहते है कि बहुत से ऐसे उद्योग है जो घाटे में चलते हैं और बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो लाभ कमाते हैं। ऐसा किसी कमी या कुप्रबन्धन के का कारण हो सकता है। मैं नही जानता कि मिलों में क्या खराबी होती है परन्तु एक आम आदमी के रूप में मैं जानता हूं कि 1965 से लेकर आज तक तैयार माल की कीमतों में शत प्रतिशत वृद्धि हुई है परन्तु कच्चे माल की कीमतें वहीं पर ठहरी हुई है। तैयार माल और कच्चे-माल के बीच उत्पादक की कोई गति नहीं है। उत्पादक अनुपयुक्त कीमतों के होते हुए कच्चे माल में हुई इस वृद्धि से समझौता नहीं कर सकता है।

मैं नहीं जानता कि इस समिति के गठन का क्या आधार है। मैं यह भी नहीं जानता कि यह मूल्यों पर नियंत्रण रखती है या उत्पादन पर। परन्तु मेरे मित्र श्री उत्तम राठौर का कहना है कि मूल्यों और उत्पादन को नियन्त्रण करने के लिए यह हमारे सिर मढ दी गयी है। यह कहने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं इसे तो बाजार भाव से कहीं अधिक होना चाहिए, जबकि मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि बाजार भाव उंचे हैं।

किसान को शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। यदि निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है तो क्या सरकार के पास किसानों को देने के लिए किसी प्रकार का तकनीकी ज्ञान है? हमारे यहां अनेक आयुविज्ञान और इन्जीनियरी महाविद्यालय हैं हमारे इस देश में हर प्रकार का अवसर मौजूद हैं। क्या आप यह बतायेंगे कि वैज्ञानिक से अधिक उत्पादन या पैदावार लेने के लिए कितने कृषि तकनीकी ज्ञान विद्यालय खोले गए हैं? यदि ऐसा कर दिया जाता है तो मेरे विचार से कृषकों की पैदावार बढेगी और इस देश की अर्थव्यवस्था में अवश्य सुधार होगा।

अथवा इस देश से बाहर आकर्षण पैदा करने के लिए, किसी प्रकार की कपास के उत्पादन में विशेषज्ञता प्रदान करने की कोई योजना है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : वास्तव में, मैं व्यक्तिगत रूप से समिति की भूमिका के बारे में हुई गलत-फहमी को साफ कर देना चाहता हूं। जैसाकि इसका आपसे कहा गया है यह कोई अधिल्लंघन या निषेधाधिकार का मामला नहीं है। यह महाराष्ट्र सरकार के भी सहायता करने की बात है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, इसका इससे कोई सरोकार नहीं है, इसका संबंध तो केवल प्राप्ति और गारन्टी मूल्य से है जिसका इसे निर्धारण करना है।

माननीय सदस्य निर्यात के बारे में जानना चाहते थे। यह सही है कि निर्यात के माध्यम से मूल्यों में स्थायित्व आता है ओर यदि हम फालतू माल का निर्यात नहीं करते तो यह स्वाभाही है कि इसका बाजारों पर प्रभाव पड़ेगा और मूल्यों में गिरावट आ जायेगी। इसलिए हम निर्यात करते हैं और पिछले वर्ष हमने 7.86 लाख गांठों का निर्यात किया था। और जहां तक सुधार का सम्बन्ध है कुछ सुधार हुआ है विशेष रूप से वारा लक्ष्मी और सुविन प्रकार की कपास में सुधार हुआ है। हमारे कृषकों द्वारा अपनाई गई नई प्रौद्योगिकी और नये उपायों के कारण इन किस्मों की कपास तथा कुछ अन्य किस्मों की कपास अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में दिखाई पड़ने लगी है। इसीलिए हम इसका निर्यात कर समझते है।

जहां तक सुरक्षित भण्डार का सम्बन्ध है, कषास के मामले में अब तक की सामान्य प्रक्रिया यह है कि उद्योग की यह मांग थी कि हमें निर्यात न भी करना हो तो भी तीन महीने का सुरक्षित भण्दार होना चाहिए, किन्तु मैं इससे सहमत नहीं हुआ। मैंने यह सुझाव दिया है कि हमें दी महीने के सुरक्षित भण्डार के लिए महमत होना चाहिए। हमें मौसम के आरम्भ में कम से कम दो महीने का सुरक्षित भण्डार रखना चाहिए ताकि कपास की नई फसल आने से पूर्व बीच की भी अवधि में देश में प्रयोग के लिए हमारे पास दो महीने का कपास का भण्डार हो। अत: इस नीति को अपनाया जा रहा है। यदि हम इसको सुरक्षित भण्डार बनाना चाहते हैं तो इसे हम दो महीने के बाद कैसे ले सकते हैं ? अत: उपभोक्ता को भी इसका लाभ दिया जाता है। पिछले वर्ष हमारे पास 70 से 71 लाख गांठें थीं और इस वर्ष हमारे पास सुरक्षित भण्डार के रूप में 78 लाख गांठें हैं और उद्योग के पास 2.5 से 3 लाख गांठें है कुल मिलाकर मांग और पूर्ति लगभग बराबर-बराबर हैं।

मूल्य के बरे में माननीय सदस्यों के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर मैं पहले दे चुका हूं।

———

दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कार्यकरण सम्बन्धी समिति

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

श्रीमती कृष्णा साही : (बेगूसराय) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि यह सभा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण तथा दहेज प्रथा की बुराई से कारगर ढंग से निपटने के लिए उसमें किए जा सकने वाले संशोधनों के प्रश्न पर विचार करने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बजट सत्र, 1982 के पूर्वान्तिम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण तथा दहेज प्रथा की बुराई से कारगर ढंग से निपटने के लिए उसमें किए जा सकने वाले संशोधनों के प्रश्न पर विचार करने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बजट बजट सत्र, 1982 के पूर्वान्तिम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा माध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 20 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

लोक सभा माध्यान्हन् भोजन पश्चात 2 बजकर 25 मिनट पर पुनः सम्वेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ी लोग जीत गए हैं, उन्हें हम लोगों को बधाई देनी चाहि ।ए

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हमें मैच जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बधाई देता हूं।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री

(श्री मल्लिकार्जुन) : राष्ट्र को भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर गर्व है। यह सभा टीम के सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं देती है और आशा करती है कि भविष्य में भी वे इसी उत्साह को बनाए रखेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके साथ हम भी टीम को बधाई देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समूची सभा के साथ उन्हें बधाई देता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : सरकार इस विजय का श्रेय ले सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इसलिए श्रेय ले सकती है क्यों कि उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को यहां आने और खेलने की अनुमति दी है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिल्ली से कन्याकुमारी तक सीधी एक्सप्रेस रेल सेवा की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : देश के सुदूर दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी के लिए देश की राजधानी दिल्ली, तमिलनाडू राजधानी मद्रास तथा दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से सीधी एक्सप्रेस रेल सेवा चालू करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि इससे राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा मिलेगा और दक्षिण में इस सुदूर स्थान पर प्रतिदिन आने वाले राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों, तीर्थयात्रियों तथा यात्रियों की कठिनाईयों को दूर किया जा सकेगा जो ऐसे स्थान के दर्शनों को आते हैं जो तीन सागरों का संगम स्थल है, जहां पर प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द राके हैं, गांधी स्मारक भवन हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने को मिलता है। तथा अन्य पर्यटक रूचि के स्थान है तथा वहां प्रसिद्ध मन्दिर में प्रार्थना की जा सकती है। यद्यपि इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान अवश्य गया है जैसा कि इस सम्बन्ध में मन्त्रालय और सरकारी घोषणाओं से स्पष्ट है किन्तु यह नोट करते हुए खेद होता है कि इस महत्वपूर्ण मामले को अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है। इस मामले को एक ओर रख दिया गया है और काफी देर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है हालांकि कन्याकुमारी तक एक अच्छी और मजबूत रेल लाईन है जिस पर एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। जब से वहां पर रेलगाड़ियां चलने लगी हैं जनता यह आशा कर रही थी कि लम्बे अरसे से अनुभव की जा रही इस आवश्यकता को शीघ्र ही पूरा किया जायेगा। किन्तु इस लम्बे विलम्ब से स्वभाविक ही रूप से उनके मन में सन्देह और निराशा उत्पन्न हो गयी है। और वे सोचने लगे हैं कि इस स्थान को हमेशा ही अलग-अलग रखा जायेगा और यहां पर सीधी रेल सेवा चालू नहीं की जायेगी। इसलिए सरकार को अविलम्ब कन्याकुमारी तक मद्रास, नई दिल्ली और दक्षिण तथा उत्तर में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से सीधी रेल सेवा चालू करनी चाहिए।

(दो) गाजीपुर डेरीफार्म दिल्ली के मवेशियों के मालिकों को सहायता की आवश्यकता

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : देश में पशुपालन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना सरकार की हमेशा से नीति रही है। लघु किसान विकास अधिकरण तथा एम० एफ० ए० एल० कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत संघ सरकार दूधारू मवेशियों आदि के विकास के लिए समाज के कमजोर वर्गों को सभी प्रकार की सहायता देती है। इस सम्बन्ध में अनेक सरकारी और अर्द्ध-सरकारी निकाय सहायता देते हैं। सरकार के इन कार्यक्रमों से प्रोत्साहित होकर देश में अनेक डेरीफार्म बन गए हैं। इसी प्रकार का एक डेरीफार्म गाजीपुर में है।

अभी हाल में इस डेरीफार्म के पशुओं में शीतल माता नाम की एक संक्रामक बीमारी फैल गयी थी, इस बीमारी के फैलने से इतनी तबाही हुई कि हजारों पशु मर गए और अब भी प्रतिदिन 40 से 50 पशु मर रहे हैं। इस फार्म से गरीब मालिकों को काफी हानि हुई है।

भारत सरकार के आर० पी० के प्रमुखों की तकनीकी सलाह के अनुसार, इन पशुओं के मालिकों ने सभी मवेशियों को गोट कल्चर और रिश्यू कल्चर के टीके लगवा लिए है। इसके बावजूद भी मवेशी मर रहे हैं और उनके मालिकों को लाखों रुपए की हानि हो रही है। ये टीके प्रभावी क्यों नहीं रहे इसका पता लगाने तथा तकनीकी सलाह देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए शीघ्र ही जांच आरम्भ करनी होगी।

मवेशी मालिक इसलिए भी बरबाद हो रहे हैं क्योंकि जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी ने मवेशियों का बीमा करना बन्द कर दिया है। मवेशियों का बीमा फिर से करने के बारे में शीघ्र ही आवश्यक आदेश जारी करने होंगे। प्रभावित पशु मालिकों को शीघ्र ही अनुदान के रूप में सहायता दी जानी चाहिये। मर रहे मवेशियों को बचाने के लिए युद्ध स्वर पर ये सब कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं कृषि और वित्त मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे मर रहे मवेशियों को बचाने तथा उनके मालिकों को पूरी तरह तबाह होने से बचाने के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर शीघ्र ध्यान दें।

(तीन) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निकट ऐसा विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री जीतेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : मै सरकार तथा ऊर्जा मन्त्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश में बिजली की अत्यन्त कमी की ज्वलन्त समस्या की ओर दिलाता हूं। बिजली की कमी के कारण, समूचे राज्य के क्षेत्र विकास सम्बन्धी गति विधि धीमी हुई है। इस समस्या के केवल दो समाधान हैं—पहला तो यह कि वर्तमान एककों में बिजली का उत्पादन बढ़ायें और लाइनों की हानि न होने दें, दूसरी बात यह है कि नये तापीय और जल विद्युत केन्द्र स्थापित किये जायें। जहां तक पहले सुझाव का सम्बन्ध राज्य सरकार स्थिति में सुधार के लिए हर भरसक

प्रयास कर रही है। किन्तु जहां तक दूसरे सुझाव का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे हैं जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्वीकृति के लिए पड़े हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास जो परियोजनाएं स्वीकृति में लिए पड़ी है प्राधिकरण उनमें से एक उत्तर प्रदेश में शाहजांहपुर में एक थर्मल बिजली परियोजना की स्थापना करने के बारे में है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है और इसे स्थापित करने के लिये सभी आवश्यकताओं की राज्य सरकार द्वारा बहुत पहले ही पूर्ति की जा चुकी है किन्तु यह परियोजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है। मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को प्राथमिकता दें और इसे स्वीकृति दें ताकि उत्तर प्रदेश की बिजली की आवश्यकताओं को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

(चार) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता

श्री जायनल अबेदिन (जगीपुर) : महोदय, वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड देश के विभिन्न भागों में एक दशक से अधिक अवधि से गलीचे की बुनाई के लिये काफी पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इस प्रशिक्षण कार्य को चलाने वाले कर्मचारियों की संख्या 3000 से अधिक है जिसमें अधिकांश उच्च-शिक्षित युवक नियमित कर्मचारी हैं और साथ ही उनमें तकनीकी अर्हता प्राप्त दैनिक मजूरी अर्जित करने वाले भी हैं। किन्तु इन सबका भाग्य अनिश्चित है। हस्तशिल्प और हथकरघा एक एकक के रूप में एक ही बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है। किन्तु हथकरघा क्षेत्र के सभी कर्मचारी स्थायी हैं जबकि हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी अभी भी अस्थायी हैं।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के कष्टों का निवारण करें और वे अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार न करें और उसी बोर्ड के हथकरघा क्षेत्र के कर्मचारियों के समान उन्हें भी स्थायी घोषित करें।

मैं यह मांग करता हूं कि सम्बद्ध मन्त्री महोदय एक वक्तव्य दें जिसमें वह अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी कर्मचारियों को स्थायी घोषित करें।

(पांच) युवकों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश का एक पिछड़ा हिस्सा है, में भयकर बेरोजगारी फैली हुई है। अनेक युवक शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेरोजगार होकर दर-दर ठोकरे खा रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं मिल रहा है, जिसे करके वे अपना जीवन-यापन कर सकें। बेकारी की यह स्थिति घोर चिन्ताजनक है, जो असन्तोष और हिन्सा को जन्म दे रही है तथा युवा शक्ति का सही उपयोग नहीं

हो पा रहा है, जिससे पूर्व उत्तर प्रदेश जैसा देश का एक पिछड़ा हिस्सा पिछड़ा ही रह जा रहा है। अतः उक्त क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने तथा बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए वहां पर औद्योगिक विकास किया जाना अत्यन्त अनिवार्य है। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए युद्धस्तर पर उक्त क्षेत्र का औद्योगिक विकास किया जाए, ताकि युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। राष्ट्रीय एवं जनहित की दृष्टि से इस कार्य का किया जाना अत्यावश्यक है।

(छः) मलेशिया के प्याज के निर्यात के सरणीकरण को समाप्त करना (डिकैनलालेशन)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्वी) : विदेश मन्त्री महोदय ने अक्तूबर में अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान मलेशिया के उद्योग तथा व्यापार मन्त्री को आश्वासन दिया था कि वह भारत से मलेशिया को प्याज का आयात करने वाले 30 व्यापारियों की कठिनाई पर ध्यान देंगे।

उक्त आश्वासन पर भारत में कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है।

मलेशिया भारत से प्रतिवर्ष लगभग 50000 टन प्याज का आयात करता है। 1974 तक प्याज को निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत होता था। 16.11.1974 से भारत सरकार ने प्याज के निर्यात को (नेफेड) के माध्यम से करना शुरू किया तथा यह प्रणाली 11.6 1981 तक दोष रहित रीति से चलती रही, जबकि 'नेफेड' ने पूरे 50000 टन के निर्यात को एक ही खरीददार के माध्यम से करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से भारत के परम्परागत निर्यात को विशेषतः तमिलनाडू में नागापट्टीनम के निर्यात को तथा मलेशिया के आयात कर्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ा।

प्याज का मलेशिया में पेनांग में जहाज पर मूल्य वहां के बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत है, फलस्वरूप इस अकेले खरीददार द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए का अनुमानित लाभ कमाया जा रहा है। 'नेफेड' इस व्यापारिक संस्थान का पक्ष क्यों लेती है ? इस बारे में भारी अनियमताओं के समाचार मिले हैं।

मैं कृषि मन्त्री से मांग करता हूं कि इस मामले की तत्काल जांच की जाये तथा प्याजों के निर्यात का सरणीकरण समाप्त किये जाये।

(सात) तिरुचिरापल्ली के निकट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कारखाने और छोटे हथियार बनाने वाले कारखाने के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित नियम का उदारीकरण।

श्री एन० सेलवाराजू (तिरुचिरापल्ली) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० कारखाना 20000 कार्मिकों काम करते हैं तथा हथियार बनाने वाली फैक्टरी जिसमें 7000 लोग काम करते हैं, ये

दोनों तिरुचिरापल्ली से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। राज्य सरकार ने भी वहां पर अपने कार्यालय स्थापित किये हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता तथा मकान किराया भत्ता पाने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी की सीमा की शर्त होने के कारण उन कार्मिकों को ये भत्ते इसलिए नहीं दिऐ जाते क्योंकि कारखानों की नगर से दूरी 12 किलोमीटर है। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इस नियम के कारण भत्तों की अदायगी से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। कृपया इस नियम को विशेष रूप से उदार बनाया जाना चाहिए जिससे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नगर प्रतिपूरक भत्ता तथा मकान किराया भत्ते एक विशेष मामले के रूप में मिल सकें यदि इन कर्मचारियों की उचित मांग तुरन्त पूरी नहीं की जाती तो कर्मचारियों को अन्य कदम उठाने पर विवश होना पड़ेगा।

(आठ) मध्य प्रदेश के विनोद और विमल कपड़ा मिलों के कार्यकरण में सुधार किये जाने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

मध्य प्रदेश में उज्जैन की विनोद और विमल कपड़ा मिल के पिछले कई महीनों से नियमित न चलने के कारण इन मिलों में काम कर रहे हजारों मजदूरों और कर्मचारियों की आजीविका को खतरा हो गया है। इन मिलों में अघोषित तालाबन्दी के कारण जब जब मजदूर काम के लिए मिलों में जाता है मिल बन्द होने की सूचना जिसमें बिजली प्रदाय अथवा और कोई कारण दर्शाया होता है मिल बन्द रहेगी सूचना पढ़ कर वापस निराश लौटने को बाध्य हो जाता है। कई कई महीनों से मिलों की इस स्थिति के कारण मजदूर परिवारों को आर्थिक विपन्नता और अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। विनोद और विमल कपड़ा मिल की इस स्थिति के कारण जहां दस हजार से अधिक मेहनतकारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है वहीं इन पर आश्रित पचास हजार लोग असहाय हो गये हैं।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मिलों के प्रबन्ध और व्यवस्था में तत्काल सुधार करें तथा मिलों को नियमित चला कर हजारों मजदूरों और उन के आश्रितों को राहत प्रदान करें।

खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खुदाबख्श और ओरिएन्टल पब्लिक लायब्रेरी (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। श्रीमती कृष्णा साही बोल सकती हैं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो विधेयक

प्रस्तुत किया है उस का मैं स्वागत करती हूं। भारत सरकार की कई ऐसी संस्थाओं को जिनका साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व रहा है उनको अपने अधीन करने जा रही है और पहले भी कई ऐसी संस्थाओं को उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में परिगणित करने का निर्णय किया है। ऐसी संस्थाओं पर सरकार का व्यय बहुत होता है। भवन निर्माण के लिए भी सरकार ऐड देती है लेकिन प्रश्न यह है कि जो सरकारी व्यय ऐसी संस्थाओं पर होता है उसका लाभ कहां तक पहुंचता है, कितने लोग उनसे लाभान्वित होते हैं। सरकार को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुस्तकालयों के भवन का निर्माण नहीं होता, बल्कि उस राशि का डाइवर्जन हो जाता है तथा रख-रखाव के नाम पर भी काफी बड़ी राशि का अपव्यय होता है।

जिस खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के ऊपर इस समय वहां चर्चा चल रही है वह पटना में है। पटना का जितना पुराना इतिहास हमारे पास है वह पटना हजारों साल पहले पाटलीपुत्र था। जिसका विश्व में अपना एक स्थान था। उसी प्रकार से खुदा बख्श लाइब्रेरी का भी इतिहास बहुत पुराना है। एक व्यक्ति विशेष की साहित्य में कितनी दूर तक अभिरुचि थी उसका यह पुस्तकालय एक प्रतीक है। खुदा बख्श लाइब्रेरी में विश्व की सबसे बहतरीन मुस्लिम साहित्य का संग्रह है और वहां की पाण्डुलिपियां बहुत ही रेयर है। खुदा बख्श लाइब्रेरी जो कि एक व्यक्ति विशेष की साहित्यिक अभिरुचि की प्रतीक थी, उसके अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए थी, उसको उन्होंने 1891 में जनता के उपयोग के लिए दे दिया। उस समय से बिहार सरकार इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लिए हुए है। लेकिन सन् 1862 में भारत सरकार ने एक हाई पावर बोर्ड का गठन किया और 1969 में पार्लामेंट के द्वारा एक विधेयक पारित करा कर खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ऐक्ट बनाया गया। तबसे एक कमेटी इसका प्रबन्ध चला रही है जोकि डिपार्टमेंट आफ कल्चर, भारत सरकार के अधीन है। लेकिन केवल समिति बना देने से ही इस लाइब्रेरी में जो काम हो रहा है, वह संतोष जनक नहीं है।

इस पुस्तकालय में 1549 से पहले तक की मैनसक्रिप्ट्स हैं जो कि हमारे पुरातन इतिहास की साक्षी हैं। वहाँ पर दस हजार बसेंज-हैं तो अभी अधूरी हैं। अली मदान खां, जो कि काबुल के गवर्नर थे, उन्होंने शाहजहां को उपहार के रूप में यह दी थीं। इस प्रकार से इस लाइब्रेरी का अपना एक करैक्टर है। इनमें बाबर, हुमाऊं के हाथ की लिखी हुई लगन है जोकि विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकती है। दुनिया में जो संस्कृति, कला और सभ्यता का इतिहास रहा है उसको यहां पर अपनत्व प्रदान किया गया है। जिन व्यक्तियों को साहित्य और कला से इतनी अभिरुचि थी उनको अपनत्व प्रदान करने के लिए इससे अच्छी निधि और क्या हो सकती है। इस संस्था का अच्छे ढग से संचालन हो और उसका आम जनता को लाभ पहुचे इस ओर मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नाम ही ओरिएण्टल लाइब्रेरी है और औरिएण्टल शब्द में केवल उर्दू और अरबी ही नहीं आती है बल्कि संस्कृत और पाली भी इसमें आ जाती है।

फिलहाल इस लायब्रेरी के चेयरमैन बिहार के गवर्नर साहब हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह होगा चूंकि यह ओरियन्टल लाइब्रेरी हैं, तो इसमें संस्कृत और पाली आदि ऐसी भाषाओं का भी संग्रह होना चाहिए। इन से संबंधित किताबों को भी वहां पर रखना चाहिए। पीछे राहूल सांकृत्यायन तिब्बत गए थे, तो तकरीबन तीन-चार सौ खच्चरों पर लाद कर बहुत पुराना मैन-स्क्रीटप लाए थे, जो कि हमारे देश की अमूल्य धरोहर है और विश्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है।

दूसरी बात, डा० काशी प्रसाद जयसवाल, जिन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा है, वह भी अपना एव अस्तित्व रखता है और उसका मिलना भी दुर्लभ है, उन किताबों को भी इस लायब्रेरी में रखना चाहिए। पाटलीपुत्र अब पटना है और वहां पर ये सब चीज उपलब्ध हैं इसलिए ओरियन्टल लाइब्रेरी को हर तरह से सार्थक बनाने के लिए इस सारे साहित्व को वहां पर रखना चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स है, जो लायब्रेरियन होते हैं वे सिर्फ लायब्रेरी सांइस जानते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में कुशल हैं, ऐसे लोगों को रखना चाहिए, यह ठीक है कि यह कामदे-कानून की बात है, लेकिन जो विद्वान हैं, जो संस्कृत का विद्वान है, जो पाली का विद्वान है, जो अरेबिक का विद्वान है, जो उर्दू का विद्वान है—ऐसे विद्वान लोगों को भी बोर्ड-आफडाययेक्टर्स में रखना चाहिए, ताकि ओरियेन्टल लायब्रेरी से सुचारु रूप से लोगों को लाभ पहुंच सकें। वहां पर बगल में पटना विश्वविद्यालय है और पटना विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको लाभ नहीं होता है तो आम जनता की बात छोड दीजिए।

जहां तक रख रखाव की बात है, वह तो बिल्कुल नहीं हो पाता है और वहां किताबों पर धूल जमी रहती है। इस बारे में जब वे जवाब देंगे, तब बतायेंगे भी और जो राशि भवन निर्माण के लिए मन्त्री महोदय देने जा रहे हैं, उससे भवन का काम नहीं हो सकता है। यह भी दलील दी गई है कि वहां जमीन नहीं है, जिसकी बजह से उसको विकास नहीं हो सकता है। आज आधुनिक युग में पांच-दस मंजिले मकान बनते हैं, यहां भी एक माड्रन आर्किटेक्ट के द्वारा बहुमंजिला मकान बनाया जा सकता है, जिससे लोगों को इससे लाभ पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय लाइब्रेरी नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लायब्रेरी है। इसलिए इस लायब्रेरी के चहुमुखी विकास के लिए यही नहीं कि किताबों की संख्या बढ़ा दी जाए, बल्कि जैसा मैंने कहा है कि वहां पर अच्छे विद्वान लोगों को भी इसके बोर्ड-आफ डायेरेक्टर्स में रखना चाहिए। मंत्री महोदय को खुद जाकर भी इस लायब्रेरी की स्थिति को देखना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो राशि इस लायब्रेरी के विकास के लिए देने जा रहे हैं, उसके लिए एक कमेटी बनाकर देखें कि उसका सही उपयोग हो, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। इन शब्दों के साथ में मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं और अपेक्षा करती हूं। कि इस खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी जैसा कि इसका राम है, वे इसमें

विशेष रुचि लेकर इसके चतुर्दिक विकास के लिए सब तरह का प्रयत्न करेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन को सुविधा के लिए जो खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है, इसको बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

यह विधेयक राज्य सभा में 1979 में लाया गया और 1980 के नम्बर के महीनों में पारित हुआ और अब ठीक एक साल बाद इस सदन में यह विचाराधीन है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बिषय को जितना महत्व मिलना चाहिए, जो अपेक्षित महत्व दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देर है, मगर अन्धेर नहीं है।

श्री मनोराम बांगड़ी : दोनों हैं, देर भी है और अन्धेर भी है।

प्रो० अजित कुमार मेहत्ता : अभी तक इस लायब्रेरी के किसी लेखे-जोखे का ब्योरा सभा पटल पर नहीं रखा जाता, यद्यपि इस का अधिग्रहण काफी पहले हो चुका था। परिणाम यह हो रहा है कि जो आवंटित राशि है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा केबल प्रासनिक कार्यों पर ही व्यय किया जाता है, इसके विकास के लिए जो कार्य होना चाहिए था, यथापि इस लाइब्रेरी को बने हुए 100 साल होने जा रहे हैं, वह नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी कोई राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है। यदि हमारी कोई राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति होती तो इस तरह का पीस-पील संशोधन नहीं लाया जाता वास्तविकता यह है कि अब भी कोई समस्या सामने आती है, हम उस का आंशिक समाधान कर लेते हैं, लेकिन उसके विकास के लिए जो कार्य होना चाहिये वह नहीं होता है।

जैसा अभी श्रीमती साही जी ने कहा—यह बहुत पुरानी पुस्तकालय है, इसमें प्राचीन पांडुलिपियों और पुस्तकों का अमूल्य संग्रह है, मुगलकालीन इतिहास का बहुत प्रामाणिक संग्रह है, जिस पर किसी भी राष्ट्र को गर्व हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने महत्व-पूर्ण संग्रह के बावजूद इस संस्था की ओर अपेक्षित ध्यान कभी नहीं दिया गया। यह पुस्तकालय पटना के एक व्यस्त बाजार में स्थित है, नतीजा यह है कि पुस्तकालय के पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां शोधकर्ता एकाग्र-चित होकर स्वाध्याय कर सके। इस पुस्तकालय का भवन बहुत पुराना और सीलन भरा है मुझे डर है, अगर इस पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया गया तो इसमें संग्रहित पुस्तकों, प्राचीने पाण्डुलिपियों की सुरक्षा नहीं हो पायेगी। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस लायब्रेरी के लिए तुरन्त आधुनिक भवन निर्मित कराया जाय, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि पटना जैसी आबोहवा है, मेरा तात्पर्य गर्म आबोहवा से है, उसके अनुरूप इसमें व्यवस्था की जाय। इसमें इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय कि शोधकर्ता निश्चित हो कर, एकाग्र-चित्त हो कर अध्ययन कर सकें। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जो शोधकर्ता इतने प्राचीन ग्रन्थों और पाण्डुलिपियों का अध्ययन करेंगे उनके कहां पर कुछ दिनों तक ठहरने

और रहने की व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए पुस्तकालय का अपना अतिथि भवन अथवा होस्टल भी बनना आवश्यक है।

इस पुस्तकालय की उपयोगिता बढ़ाने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरा एक सुझाव यह है कि देश के दूसरे प्रमुख पुस्तकालयों से बहुमूल्य पुस्तकों के पाठक आदान-प्रदान के लिए फोटो स्टेट प्रिन्ट और माइक्रो फिल्मिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे लाभ यह होगा कि जो प्राचीन दुर्लभ पांडुलिपियां हैं वे बराबर इस्तेमाल में रहने के कारण खराब नहीं होंगीं। इस पुस्तकालय में ऐसी भी पांडुलिपियां हैं जो सोने के अक्षरों में लिखी गई हैं। अगर वे बराबर इस्तेमाल में रहेंगीं तो उनके चोरी चले जाने का भी भय है। जैसा स्मगलर्स की एक्टिविटीज देश में चलती रहती हैं, किसी समय ये बहुमूल्य पांडुलिपियां चोरी हो सकती हैं। अगर माइक्रो फिल्मिंग और फोटोस्टेट प्रिंटिंग की व्यवस्था हो, तो हम इन की सुरक्षा के उपाय कर लेते हैं।

जैसा कि नाम स्पष्ट है, यह ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी है। इस तरह इसमें पूरब की ओर कम से कम बिहार राज्य में जो प्राचीन पांडुलिपि है, चाहे वे किसी भी भाषा में उपलब्ध हों, उसके संग्रह करने पर प्रबन्ध उन पुस्तकालय में किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव यह है कि अधिकारी विद्वानों की लायब्रेरियन के रूप में, लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए. और केवल उन्हीं लोगों की नियुक्ति इस पद पर नहीं की जानी चाहिए, जो लायब्रेरी सांइस की उपाधि के विभूषित हों। अधिकारी विद्वानों की नियुक्ति भी इस पद पर की जानी चाहिए।

यह लाइब्रेरी हिन्दी क्षेत्र में स्थित है और इस लायब्रेरी में उर्दू, अरबी और फारसी की पुस्तकें उपलब्ध हैं और पांडुलिपियां भी उपलध हैं। इसलिए इन की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यहां पर हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद सेवा का भी प्रबन्ध होना चाहिए क्योंकि यह विश्व-विद्यालय के बहुत नजदीक है। अभी तक जो सूचना है, उसके अनुसार यही पता चलता है कि इतनी प्राचीन पुस्तकें और पांडुलिपियां उपलब्ध रहने के बावजूद इस पुस्तकालय का उपयोग बहुत कम होता रहा है शोध कार्यों के लिए। इसलिए इसका कारण यह है कि अनुवाद की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसकी उपयोगिया बढ़ाने के लिए मेरा सुझाव है कि यहां पर अनुवाद सेवा का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

धन्यवाद।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार प्रान्त में जो यह खुदा-बख्श ओरियंटल पब्लिक लायब्रेरी है, यह प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना है। इस लाइब्रेरी की स्थापना खुदाबख्श साहब ने अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा संग्रहीत पुस्तकों से की है और करोड़ों रुपये की दुर्लभ साहित्य को पांडुलिपियों कोअक्षुण्ण रखा है। इस लाइब्रेरी को 1969 में भारत सरकार ने...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब हम अगली मद लेते हैं।

देश की अखंडता के विरुद्ध पृथकतावादी तत्वों के कथित षड़यन्त्र से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा देश की अखंडता के विरुद्ध पृथकतावादी तत्वों के षड़यन्त्र से उत्पन्न स्थिति पर आगे और चर्चा करेगी। श्री समर मुखर्जी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्री जैल सिंह कहां हैं ? जब ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की जा रही है, तो वह यहां नहीं हैं ! (**व्यवधान**)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : वह अब आ रहे हैं। वह हर बात का उत्तर देंगे। चिन्ता मत कीजिए।

(**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : स्पीकर साहब होम मिनिस्टर साहब को बुलवाइये। ज्ञानी जी का पता ही नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं बुलवाता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह आ रहे हैं। आप बैठिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अगर उन्हें कुछ देर लग गयी है तो वे सदन से माफी मांग लें। वे गृह मन्त्री हैं। बड़े व्यस्त होंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ज्ञानी जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। ज्ञानी जी की आदत है कि वे सीरियस बात को भी हंसी मजाक में करते हैं। ऐसे नहीं होगा। आपने इसे मजाक बना रखा है। (**व्यवधान**)

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : ये चाहें तो मैं माफी मांग लूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। श्री समर मुखर्जी।

श्री समर मुखर्जी : हम अपने पूरे देश की अखन्डता तथा एकता को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। खालिस्तान के मामले को उन षड़यन्त्रों से अलग नहीं समझा जाना चाहिए जो इस समय पूरे देश में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी

भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए चल रहे हैं। खालिस्तान का नारा और नारे के बाद की कार्यवाही से सिद्ध हो गया है कि इस नारे के पीछे कुछ संगठित शक्तियाँ हैं और वे शक्तियाँ केवल आन्तरिक नहीं हैं बल्कि बाहरी भी हैं। हमने बार-बार कहा है कि देश में चल रहे पृथकतावादी और अलगाववादी आन्दोलनों के पीछे विदेशी शक्तियों और विशेषकर साम्राज्यवादियों का हाथ है।

खालिस्तान राज्य की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने सरकार की घोषणा कर दी है। मैं आपको खालिस्तान की मुद्रा दिखाऊंगा···यह डालर मुद्रा है। यह कनाडा से आई है। यह कनाडा से कामरेड हर किशनसिंह सुरजीत को जो हमारे संसद सदस्य हैं, भेजी गई थी। यह टिकिट कनाडा की है। यह उनका लैटर हैड है—खालिस्तान गणतन्त्र, काउंसल-जनरल का कार्यालय जोन्सटन बिल्डिंग, सूट 1-45 किंग्सवे वानकूवर, बी० सी० कनाडा वी० 5 टी० 3 एच० फोन नं० 872-321.

यह नारा देने वाला प्रमुख व्यक्ति वह है जिसने सिख शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी श्री गंगा सिंह ढिल्लो। वह अमरीका का नागरिक है, वह भारतीय नागरिक नहीं है। उस शिक्षा सम्मेलन से एक समूह ने खालिस्तान का नारा उठाया। ऐसा नहीं है कि नारा उस सम्मेलन से आरम्भ हुआ हो। इसके लिए तैयारियां पहले से हो रही थीं। बाद में आपने देखा कि कैसी-कैसी नाटकीय घटनाएं घटीं—लाला जगत नारायण की हत्या एक विमान का अपहरण और कि संत का अचानक प्रसिद्ध हो जाना कि उसने विमान अपहरण और की हत्या घटना का प्रत्यक्षता स्वागत किया और पंजाब सरकार इतनी कमजोर थी कि वह उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में हिचकिचाई, हालांकि काफी शोर-गुल मचाने और जोर डालने पर उसे गिरफ्तार किया गया। परन्तु बाद में उसे नटकीय ढंग से छोड़ दिया गया। मुझे रिपोर्ट मिली है कि जब उसे छोड़ा गया तो दिल्ली गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष, जो कांग्रेस (इ०) के कार्यकर्ता हैं, उसे लेने और उसका स्वागत करने वहाँ गये थे। उनका नाम श्री सन्तोग सिंह है।

एक माननीय सदस्य: उसके लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था।

श्री समर मुखर्जी: यह भी सच है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस (इ०) ने अकालियों के के विरुद्ध सन्त का उपयोग किया था। अतः इस प्रकार के व्यक्ति को कांग्रेस (इ०) से प्रोत्साहन मिला, जो पृथकतावादी आन्दोलन अलगाववादी आन्दोलन के लिए हिन्साात्मक कदम उठाने को खुले लाभ प्रोत्साहन दे रहा है। सत्ताधारी दल अपने उत्तरदायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता है (व्यवधान) पंजाब सरकार कड़ी कार्यवाही करने में असफल रही। उसने इस स्थिति में इस ढंग से कार्यवाही की कि उससे अलगाववाही शक्तियों, तत्वों को पूरा प्रोत्साहन मिला। उसकी रिहाई के बाद पुलिस ने जिस तरह गोली चलाई जिसमें मेहता चौक में 20 व्यक्ति मारे गए उससे पता चलता है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद थी कुछ क्षेत्रों अर्थात, चन्दू कला, में दमन की कार्यवाही की गयी उग्रवादी सिखों ने तरणतारण में हिन्दू दुकानदारों पर हमला

कर दिया, जिसमें पांच निरपराध मारे गए और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। लोगों की मांग थी कि इन सभी गोली बारियों की घटनाओं की जांच कराई जाए, परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। जगत नारायण के हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। वे अभी भी फरार हैं।

हाल ही में, परसों बम फटने की एक घटना हुई थी। तीन व्यक्ति मारे गए। मैंने समाचारपत्र में पढ़ा कि वह घटना दोपहर 12-30 बजे घटी थी परन्तु पुलिस वहां पर 3 या 3-30 बजे के बाद पहुंची। अधीक्षक को सायं 6-00 बजे अनुमती दी गई। क्या पंजाब में कोई सरकार काम कर रही है ?

इस प्रकार लोगों के मन में एक शंका है कि बम बनाया जा रहा था और उसी दौरान वह फट गया। मुझे नहीं मालूम वास्तविकता क्या है। यदि लोगों को कोई आशंका है तो उसके लिए भी कुछ औचित्य है। अतः अब पंजाब में स्थिति बहुत गम्भीर है। इस खालिस्तान आन्दोलन को विदेशी साम्राज्यवादियों की मदद मिल रही है। संकीर्णमना या अलगाववादी शक्तियों को छात्रों से भी कुछ समर्थन प्राप्त हो रहा है। खालिस्तान आन्दोलन चलाने वाला अग्रणी दल खालसा है मैंने यह आज के समाचार पत्र में पढ़ा था। एक और वर्ग सिख विद्यार्थी महासंघ भी इसे समर्थन दे रहा है।

उन्होंने हत्यारों का एक दस्ता बनाया है पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय है या असहाय है। भारत सरकार के गृह मन्त्री श्री मकवाना ने राज्यसभा में जो उत्तर दिया था वह मैंने पढ़ा है। उससे पता चलता है कि इस सरकार का रवैया काहिलपन का है। उन्होंने कहा था कि खालिस्तान के इस नारे को ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। मैं जानता हूं पंजाब में अकाली दल ने अपने आपको इससे अलग दिखाया है और उन्होंने कहा है कि वे खालिस्तान के नारे के समर्थक नहीं हैं। कलकत्ता में सिखों ने विमान अपहरण की घटना की निन्दा की थी, परन्तु अकाली दल ने खुले तौर पर इस अपहरण की कोई निन्दा नहीं की। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। उनकी कुछ मौन सहानुभूति है, परन्तु सरेआम इसकी निन्दा करन का। उसमें साहस नहीं है। अब भी वे इससे अलग बने हुए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि साम्प्रदायिकतावादी रवैया बढ़ रहा है जिससे स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। 1973 में आनन्दपुर में एक सिख शिक्षा सम्मेलन हुआ था जिसम एक सकल्प पारित किया गया था। संकल्प का निष्कर्ष यह था कि सिखों को एक राष्ट्र समझा जाए। इस सिद्धान्त को कि सिखों को एक राष्ट्र समझा जाए और उनकी एक अलग पहचान या अलग अस्तित्व हो पृथकतावादियों अलगावादियों ने इस तरह व्याख्या की कि पूरे सिख समुदाय की खालिस्तान के लिए मन्जूरी मिल गई है जबकि दूसरे लोग यह कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भारत से बाहर चले जाएंगे। इसका अर्थ है राज्य के लिए और अधिक स्वायत्तता। परन्तु यह सिद्धान्त गलत है।

महोदय आपको ज्ञात है भारत में दो राष्ट्र के सिद्धान्त से बरबादी हुई थी और आखिरकार भारत का विभाजन कर दिया गया—हिन्दू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। अब उस दृष्टिकोण को देखते हुए यह संकल्प पारित किया गया। इसी तरह ईसाई भी यही मांग करेंगे अतः जब राष्ट्रीयता का आधार धर्म बन जाता है और उस आधार पर आन्दोलन चलाया जाता है तो भारत की एकता संभव नहीं रहती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सिद्धान्त भी यही है कि हिन्दू एक राष्ट्र है। अब जमायत इस्लामी ने भी अपना अभियान आरम्भ कर दिया है कि मुस्लिम एक राष्ट्र हैं।

महोदय, यह खतरनाक सिद्धान्त है। अब अकाली दल भी इस सिद्धान्त का पालन कर रहा है कि सिख एक राष्ट्र हैं और एक राष्ट्र के तौर पर वे अपना स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व चाहत हैं।

महोदय, पृथकतावादी प्रवृतियों का न केवल प्रशासनिक तरीकों से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से सामना करने के लिए भारत में एक विशेष प्रजातान्त्रिक और सिद्धान्तपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना बहुत ही आवश्यक है। आपको इनका मुकाबला या सामना करना होगा क्योंकि भारत में अन्य देशों से भिन्न जिनमें सोवियम, रूस, चीन तथा कुछ अन्य देश शामिल नहीं हैं, बहुत से धर्मों बहुत सी जातियों, बहुत से भाषायी समुदायों तथा आचरन विचार के लोग रहते हैं। उनकी विभिन्न भाषाएं, विभिन्न आदतें, विभिन्न रीति-रिवाज हैं। आर्थिक दृष्टि से उनका विकास भी एक समान नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार की नीति के कारण देश लगातर संकट की ओर धकेला जा रहा है। बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। निर्धनता बढ़ रही है। अतः रोजगार की लड़ाई बढ़ती जा रही है। लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। निर्धनता में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। इसे गुप्त रखा जाता है। सामान्यवादी और पूंजीवादी शोषण ग्रामीण निर्धन लोगों की आर्थिक कठिनाइयों का मुख्य कारण हैं। अतः सामान्तवाद को समाप्त करना होगा। यह रास्ता अपनाए बिना आप निर्धनता दूर नहीं कर सकते विशेष रूप से उस स्थिति में जब निहित स्वार्थवादी तत्व विघटनकारी और पृथकतावादी हथकंडे अपनाकर एक निर्धन वर्ग को दूसरे निर्धन वग के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। हम लोगों में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने भी इन्हीं हथकन्डों को अपनाया था। हिन्दू-मुस्लिम दंगे एक ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने हम लोगों में फूट डालने और इन पर शासन करने के लिए किया। हम इन सब बातों को जानते हैं क्योंकि हमने मजदूर सघ आन्दोलनो में काम किया है। जब कभी श्रमिक वर्ग ने मिल कर कोई संघर्ष अथवा आन्दोलन किया है और जब कभी अंग्रेज शासकों ने यह देखा कि वे श्रमिक वर्ग के संघर्ष को केवल दमनकारी तरीकों से नहीं दबा सकते तब उन्होंने उन साम्प्रदायिक तथा जातिय भावनाओं को भड़काकर उनमें फूट डालने का तरीका अपनाया इस हथियार का उपयोग अब साम्राज्यवाद समर्थक ताकतें तथा निहित स्वार्थ वाले तत्वों द्वारा, जोकि अब बहुत ही सक्रिय है, किया जा रहा है।

असम के प्रश्न का जहां तक संबंध है, हम जानते हैं कि सरकार की प्रमुख कमजोरी

क्या है ? मैंने इस सभा में विदेशी हाथ होने की बात कई बार उठाई है। उनका उत्तर क्या है ? वे कहते है, उनके पास तथ्य नहीं है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि विदेशी हाथ होने के संबंध में उनके पास कोई तथ्य नहीं हैं। खालिस्तान के संबंध में भी वे कहते हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। मैंने पहले ही आपको कतिपय समाचार पढ़कर सुनाए थे और आपको बताया था कि इनका मुख्यालय कहां स्थित है और ये सब बातें कहां से निकलती है, इत्यादि परन्तु आपमें साहस का अभाव है क्योंकि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले रहे हैं और आप अमरीकी सरकार के विरोधी भी नहीं बन सकते।

महोदय, अब जहां, तक असम का संबंध है। मैं और मेरे मित्र श्री सुरजीत गृह मन्त्री श्री जैल सिंह से मिले थे। हमें असम सूचना प्राप्त हुई थी कि पुलिस अफसर के ऊपर आक्रमण करने के सम्बन्ध में एक छापा मारा गया था यह पुलिस अफसर आन्दोलनकारियों के विरोधी था। उस घटना के परिणाम स्वरूप उस अफसर को मारा जाना था। आक्रमणकारियों के अड्डे पर छापा मारा गया और बहुत से हथियार पकड़े गए। उन हथियारों के साथ-साथ बहुत से विस्फोटक पदार्थ तथा कुछ साहित्य भी पकड़ा गया। वह साहित्य थाईलैंड से आया था। उस साहित्य में यह कहा गया है कि किस प्रकार असम को भारत के सदूरपूर्व छोर से भी परे समझा जाता है। उसमें एक नक्शा भी था और उनका साहित्य थाईलैंड, बैंकाक से, जिसे सी० आई० ए० का केन्द्र समझा जाता है, आया था। वहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध संगठन है जो कि सी० आई० ए० की एजेंट है। हम जब प्रधान मन्त्री से मिले तो हमने उनसे पूछा आप इन सब चीजों का जो पकड़ी गई हैं उनका प्रचार क्यों नहीं करते और इसके पीछे कौन हैं। इन सब का ठीक ढंग से प्रचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए ? यह सरकार की कमजोरी है। वे पृथकतावादी ताकतों का सामना करने के लिए आगे क्यों नहीं आते।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विशेषरूप से त्रिपुरा में हम सभी वेपटिस्ट चर्च की भूमिका को जानते हैं। वहां एक त्रिपुरा उपजाति युवा समिति है जिसका कई हत्याओं में हाथ है। उन्होंने त्रिपुरा की स्वतन्त्रता का नारा लगाया है। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा स्वतन्त्र और आजाद होना चाहिए एक बार आपने उन्हें वेपटिस्ट चर्च के प्रभाव में आने दिया तथा षड़यंत्र करने दिया तो उनमें ऐसा भावात्मक परिवर्तन होगा कि वे यह समझने लगेंगे कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं बल्कि वे अपने चर्च के महानगरीय देश के प्रति वफादार हैं। इसी प्रकार आप मुस्लिम कट्टरवादियों को लें। यह सब को जानकारी है कि विदेशी धन किस प्रकार आ रहा है। मध्य-पूर्वी देशों से विदेशी धन आ रहा है यदि वे यहां के मुसलमानों को प्रभावित कर पाते हैं तो वे उनके विचारों तथा वफादारी रहन सहन को भी प्रभावित कर पाएंगे। वे उन्हें उनकी वफादारी भारत से बदलकर देश के बाहर किसी अन्य मुस्लिम संगठन या केन्द्र के प्रति करने के लिए प्रभावित कर पायेंगे। यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृति है और ये ताकतें बहुत ही सक्रिय है। जब मुद्दों को फांसी चढ़ाई गई तब जमायते-इस्लामी तत्व इतना प्रसन्न था कि उन्होंने उस समय काश्मीर में मिठाई बांटी। ये वे विदेशी ताकतें है जिनके एजेंट देश में घुसे हुए हैं और स्थानीय निहित स्वार्थ वाले तत्व इन पृथकतावादी तत्वों से सहयोग कर रहे हैं। खतरा इसी से है। यह बहुत ही आवश्यक है कि

भारत की सभी प्रजातान्त्रिक शक्तियां स्थिति की गम्भीरता को समझें। संकट और बढ़ गया है। पृथकतावादी शक्तियां सिर उठाने लगी हैं। गुजरात में हिन्दु समुदाय में दंगा होगा। मैंने श्री भूपेश गुप्त के साथ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, गुजरात का दौरा किया था। वहा हमें समाचार मिला कि अनुसूचित जातियों और आरक्षण नीति का विरोध करने के लिए आन्दोलन करने के एक भारी राशि व्यय की जा रही है। यह धन कहां से आ रहा है? हमें ज्ञात नहीं है। हमने मुख्य मन्त्री और विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात की है। हमें बताया गया कि इसमें कुछ कांग्रेस (इ) के सदस्यों का हाथ है। परन्तु उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इसमें जनसंघ का भी हाथ है। परन्तु उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि कांग्रेस (इ) के एक वर्ग का भी इसमें हाथ था। आजकल सभी निहित स्वार्थों वाले तत्व इन शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। हमारा तर्क यह है कि हमारा संघर्ष व्यापक संघर्ष होना चाहिए। हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। परन्तु जब कभी चुनाव आते हैं, तो हम वोट प्राप्त करने के लिए जातिवाद, साम्प्रदायिकता और सभी प्रकार का सकीर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं। इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और इसी कारण हम इन पृथकतावादी और अलगाववादी प्रवृतियों का सामना नहीं कर सकते। अत्यधिक आर्थिक संकट के कारण, धन एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है और इन पृथकथावादी मांगों के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने के लिए धन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों तथा अकालियों, दोनों की, शिकायतें उचित हैं। यह एक अच्छी बात है कि प्रधान मन्त्री उनके प्रतिनिधि मन्डल से मिल रही हैं और वे अपना तथाकथित 'धर्म युद्ध' न छेड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पता लगता कि सम्प्रदायिकता कैसे फैल रही है। उन्होंने धर्म युद्ध की घोषणा कर दी है जिसका अर्थ है कि वे धर्म युद्ध करना चाहते हैं और हिन्दू भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में चले जायेंगे और वे हिन्दुओं के रूप में वैसा ही युद्ध आरम्भ कर देंगे और इस प्रकार पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठेंगे। ये बहुत खतरनाक बातें हैं और जब तब सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती और इसे नहीं दबाती और समय पर गम्भीरता से काम नहीं लेते तब तक भारत की एकता को खतरा बना हुआ है। सभी जातियों, उपजातियों और अन्य वर्गों की शिकायतों की ओर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए और सभी सम्भावित तरीकों से उनकी सहायता की जानी चाहिए। अविकसित क्षेत्रों में विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा खतरा अधिक है। पश्चिम बंगाल में हमारे प्रजातान्त्रिक आन्दोलनों और वामपन्थी आन्दोलनों ने मजबूत होने के कारण इस प्रकार की पृथकतावादी ताकतें बहुत कमजोर हैं। यद्यपि उन्होंने वहां कई बार दंगे भड़काने का प्रयास किया परन्तु वे असफल रहे। परन्तु अन्य राज्यों में शासक दल तथा अन्य कई राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिए जातिवाद और साम्प्रदायिकता का सहारा लेते हैं। परन्तु वे बाहर मंच पर धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। इसीलिए सम्पूर्ण देश में प्रजातान्त्रिक जागरुकता उत्पन्न की जानी चाहिए और धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया जाना चाहिए तथा सभी जातियों, उप-जातियों और वर्गों को उनके वे सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकार दिए जाने चाहिए जिनके लिए वे सघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि राज्यों को

और अधिक स्वायतता दी जानी चाहिए। कुछ ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहां ऐसे लोग रहते हैं जिनके पृथक संस्कृति और पृथक आर्थिक दशा वाले हैं। वहां क्षेत्रीय स्वायतता दी जानी चाहिए।

अब त्रिपुरा में इस महीने पृथक जिला परिषद का चुनाव हो रहा है। वे अपनी स्वायतता प्राप्त होगी। यही बात दार्जिलिंग में है। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने दार्जिलिंग में नेपाली भाषी लोगों की स्वायतता संबंधी उचित मांग के समर्थन में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है। परन्तु मुझे खेद है कि हमारे मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री जी को एक पत्र लिखा जिसमें उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया कि सिक्किम के मुख्य मन्त्री ने पृथक दार्जिलिंग राज्य के नारे को प्रोत्साहन दिया है और इसके पीछे कुछ पृथकतावादी शक्तियां हैं। एक बार दार्जिलिंग के अलग हो जाने पर यह मांग की जाएगी कि इसका नेपाल में विलय कर दिया जाए। यह भारत से बाहर चला जायेगा। परन्तु वहां बहुमत इसके विरुद्ध है। अतः पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि सिक्किम के मुख्य मन्त्री ने इस विचार को प्रोत्साहन दिया है। मैं इसकी सत्यता के बारे में कुछ नहीं जानता परन्तु इस प्रकार की पृथकतावादी प्रवृति बढ़ रही है। इसीलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। पंजाब सरकार को इस स्थिति का साहस से सामना करना चाहिए और इस प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए जो वह अब करवा रही है।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : अध्यक्ष महोदय, देश की एकता के विरुद्ध पृथकतावादी तत्वों के षडयन्त्र से उत्पन्न स्थिति पर इस समय सभा में चर्चा चल रही है। पिछले वक्ता ने इस विषय से संबंधित कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला है और कुछ मामलों में उन्होंने ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिसका पूरे देश से सम्बन्ध है तथा मैं और मेरा दल उसका समर्थन करते हैं।

इस प्रश्न में केवल खालिस्तान का मामला ही नहीं आता, जिसे समाचार पत्रों में तथा समाचारपत्रों के बाहर हाल ही में उछाला गया है, परन्तु ये पृथकतावादी प्रवृत्तियां कुछ अन्य क्षेत्रों अर्थात भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भी फैली हैं। यह एक गम्भीर मामला है और इसमें कोई सन्देह भी नहीं होना चाहिए। भारत के विभाजन के बारे में सोचने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरे प्रिय देश की एकता के साथ धोखा कर रहा है। इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की मूर्खता को सहन नहीं किया जा सकता। मैं सभी दलों और सभी दलों के विचारों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि हम सबने एक साथ संघर्ष किया है। मैं आम जनता के दिलों की बात जानता हूं जो भारत और भारत की एकता के समर्थक हैं। यदि किसी भी रूप या किसी भी तरीके से ऐसा प्रश्न रखा जाता है, तो मुझे आशंका है कि यह प्रगतिवादी और उत्तरोत्तर उत्थान के जिसके प्रति भारत कृतसंकल्प है प्रतिकूल है। चूंकि यह प्रश्न उठाया गया है, इसीलिए मैं अपना यह परम कर्त्तव्य समझता हूं कि इस संबंध में कुछ मैं मुझे मालूम है तथा समझता हूं वह आपके समक्ष रखूं। हम भारत के विभाजन का समर्थन नहीं करते, यह मेरा निश्चित दृष्टिकोण है। इसका एक बड़ा कारण जिससे मेरा यह विश्वास बना है। वह यह है कि भारत की एकता

के लिए युद्ध करने की कठिन परीक्षा की घड़ी में विभिन्न धर्मों, विभिन्न क्षेत्रों के जवान तथा हिन्दु सिख मुस्लिम और ईसाई सभी एक साथ लड़े । मैंने उन्हें अच्छी प्रकार देखा है । इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आम लोगों की धारणा क्या है ।

जहां तक पृथकतावादी तथा भ्रम पैदाक रने वाले तत्वों का जो हमारी एकता को नष्ट करते है, सम्बन्ध है उनका विश्लेषण करने, समझने और स्पष्ट करने कीआवश्यकता है। मैं उस विषय विशेष पर दो-एक शब्द कहूंगा । मैं खालिस्तान के प्रश्न को लेता हूं । खालिस्तान का सम्बन्ध किससे है । यह कहा गया है कि खालिस्तान का मामला सिखों द्वारा उठाया गया है । क्या यह सच है कि सिख खालिस्तान की मांग कर रहे है ? क्या मैं इस बारे मैं सही स्थिति आपके समक्ष रख सकता हूं ।

नैतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सिख पूरे भारत का अंग है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिख गुरूओं का जिन्होंने सिख धर्म की बुनियाद रखी रवैया क्या था । एक क्षण के लिए हम केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर ही ध्यान दें । उन पर अत्याचार किये गये, उन्होंने शानदार बलिदान दिये । ये सब उन्होंने किस लिए किया ? समग्र भारत वर्ष की सभ्यता संस्कृति एवं एकरुपता की रक्षा के लिए ही उन्होंने बलिदान दिये, किसी एक स्थान के नहीं । इसका प्रमाण क्या है ? प्रमाण उनके तीर्थ-स्थलों में है । उनके तीर्थ-स्थलों को देखिए; उनकी यात्राओं, उनके प्रचार केन्द्रों तथा उनके द्वारा स्थापित तख्तों पर ध्यान दें मैं आपको उत्तर पश्चिम भारत की बात बताता हूं, उस क्षेत्र के मेरे मित्र मेरे साथ सहमत होंगे । फारुक जी बैठे हुए है । मेरे अन्य मित्र भी उपस्थित हैं । नामग्पाल जी भी उपस्थतित हैं । श्रीनगर में छटी पादपाशी गुरुद्वारा सभी सिखों का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है । कुछ समय के लिए मैं पंजाव को छोड़ता हूं । आगे पूर्व में चलिए । पोंटा साहिब को देखें । फिर दिल्ली के सीसगंज, रकाबगंज तथा अन्य पवित्र स्थलों को देखिए जहां पर कि दिन-रात पूजा की जाती है । और आगे पूर्व को चलिए । देहरादून में मित्थरिया साहिब तथा गोविन्द घाट देंखे तथा उत्तर प्रदेश का हेमकुण्ड देंखे । और पूर्व की ओर चलें जहां गुरु गोविन्द सिंह का जन्म हुआ था तथा जहां वह ठहरे थे तथा नवें पादशाह गुरु तेग बहादुर ने 12 से 15 वर्ष वहां पर व्यतीत किये ये दक्षिण में तथा पूर्व में गोहाटी चलें । वहां भी आप वही बात देखेंगे । नीचे आप हीरा घाट तथा आन्ध्र प्रदेश में हजूर साहिब चले और श्रीमान् यह सभी पवित्र स्थल मेरे गुरुओं के हैं । किसी ने पूछा है कि आपकी मातृभूमि कौन सी हैं। मेरा कहना है कि पूरा भ रत सिखों की मातृभूमि है । कोई छोटा स्थल उनकी मातृभूमि नहीं है ।

एक बात और जरा उनकी कार्य प्रणाली देखिए । सिख संस्कृति, सिख इतिहास तथा पूरे भारत में सिखों की कार्य प्रणाली को देखिए । सत्रन कला सम्पूर्ण दशम गुरु गोविन्द सिंह महाराज ने परीक्षा के आधार पर पांच प्यारे चुने थे । मैं ब्योरे में नहीं जाना चाहता । मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूं । क्या आप जानते हैं पन्च प्यारे कौन थे । एक पंच प्यारा उड़ीसा-पुरी का था, दूसरा द्वारिका, गुजरात का तीसरा हमारी सभ्यता के श्रेष्ठ केन्द्र मथुरा

उत्तर प्रदेश का, चौथा दिल्ली का तथा पांचवा । लाहौर पंजाब का था । यह सही है । उनका आदर्श संपूर्ण भारत था । जाति विच्छेद के वे समर्थक नहीं थे । लोग हमें अलग करना चाहते हैं श्रीमान् वे ऐसा चाहेंगे । आज पूरे विश्व में यही पैटर्न चल रहा है कि छोटे राष्ट्र रखना अच्छा है । ये सीरिया, लिहोन, गोल्ड-कोस्ट, कांगो कटंग नाजिरिया बिआफरा, यूगांडा, हचोपिया, सोमालिय इत्यादि कोई भी हो सकते हैं । कुछ वर्तमान महान शक्तियों को छोडकर और महान शक्तियां नहीं होनी चाहिए इस बारे में वे सभी सनकी हैं । और निस्संदेह वे हमसे ईर्ष्या करते है अतः कुछ विदेशी तत्वों विदेशी सहायता, मार्ग भ्रष्ट तत्वों, ऐजेन्टों, धन लोभियों को इस बारे में संलग्न पा कर मुझे आश्चर्य नहीं होता । इसे आप किसी भी नाम से पुकारें इसे हम किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे ।

मेरे मित्र समरजी ने डा० जगजीत सिंह के बारे में बताया । उन्होने कानून व्यवस्था इत्यादि बातों को लिया । हां हमें स्मरण है । इतिहास अभी ताजा है । मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के पास साहस तथा साधन थे । वह हैं कौन ? कभी वह मेरे साथ पंजाब में थे । संयोग से उन्होंने मेरे अधीन भी कार्य किया । हां श्रीमान, उन्हें उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नति दिलाने में भी मेरा हाथ था । किन्तु किसी व्यक्ति का सही पता तब चलता है जब उसे परखा जाता है । जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो वह व्यक्ति आया । वह एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं आया । लन्दन के हीथ्रो हवाई अड्डे से पूरा चार्टर्ड विमान चला और लाहौर में उतरा । हमारे बच्चे, हमारे सगे-सम्बंधी लड़ाई कर रहे हैं और खून तथा पसीना बहा रहे हैं । और वह व्यक्ति टेलीविजन सेट के समक्ष खड़ा है । पूरे विश्व में यही देखने को मिलता है-वह टेलीवीजन कैमरे के समक्ष खड़ा है और हम नहीं जानते कि वह क्या कह रहा है । वह एक चाबियों का गुच्छा हिलाता है । "मेरे प्यारे सिख भाइयों अन्य पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने की बात सोची । यह चाबियों का गुच्छा ननकाना साहिब गुरुद्वारा कर तथा पजा साहिब गुरुद्वारा का है । आप इन लोगों की सहायता करें ।" श्री समर मुखर्जी, श्रीमान, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं । जब जनता पार्टी सत्ता में थी तब यह देश द्रोही व्यक्ति, अपने देश को नीचा दिखाना चाहता था । इस देश द्रोही व्यक्ति को भारत आने तथा मुक्त रूप से विचारने का अवसर दिया गया । क्या आपने उस समय आपत्ति उठाई थी ? क्या उस समय आप जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे थे । मैं यह बात जानना चाहता हूं ।

संयोग से आपने मेरे मित्र हरकिशन सिंह सुरजीत का उल्लेख किया । हम दोनों चण्डीगढ़ विधान सभा की लाबी में उनसे मिले । गुप्त रूप से इधर उधर घूमे तथा किसी ने भी देखा नहीं । निःसन्देह यह इसी प्रकार चलता रहा । अतः हमें एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए । मैं कतई उसके पक्ष में नहीं हूं । हमें सही रूप से खेल खेलना चाहिए । हमें नियम विरुद्ध किसी पर चोट नहीं करनी चाहिए, न आपको, न हमें परन्तु सच्चाई सच्चाई ही है और हमें उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए । हमें बेहूदा बात नहीं करनी चाहिए तथा कानून और व्यवस्था को भग नहीं करना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए । मेरा वर्तमान सरकार इन्दिरा गांधी की सरकार गृह मन्त्री तथा उनके साथियों में

पूरा विश्वास है। समस्याओं के साथ समुचित रूप से निपटा जायेगा। हर मामले की ओर पूरा ध्यान दिया जाता है और आगे भी दिया जाता रहेगा। इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

हां, भूलें हो सकती हैं। हम मनुष्य हैं। भूल कर सकते हैं। कुछ छोटे अधिकारी या कर्मचारी कभी भूलें कर सकते हैं। ये चीजें इतनी सरल नहीं होतो। मैं जानता हूं कुछ व्यक्तियों को कभी कभी विस्मित किया जा सकता है। सभी व्यक्ति पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होते। मैं इसे आपके लिए छोड़ सकता हूं। हमारे देश का तंत्र, अधिकारी वर्ग तथा नेतृत्व पूरी तरह जागरुक नहीं है। परन्तु हमारा देश विकासशील देश है तथा हम देश के प्रगति कार्य सुन्दर ढंग से चला रहे हैं। गलतियों की आलोचना तो ठीक है यह तो होना ही चाहिए आज की स्थितियों में जो कुछ हो रहा है और जो भारत के हालात हैं उस बारे में तथा जो लोग हमारे कार्य सन्तुलन को अपनी विभिन्न कार्यवाहियों द्वारा भंग करना चाहते हैं, उनके बारे में मुझे इतना ही कहना है।

अब मैं कुछ बातें अपने सिख भाईयों तथा अन्य की जानकारी के लिए करना चाहता हूं, जो पृथक छोटे राज्य के रूप में खालिस्तान की व्यवहारिकता के बारे में सोचते हैं। आज 12 जिलों वाले पंजाब में सिखों की आबादी 49 प्रतिशत है शेष 51 प्रतिशत हिन्दु हरिजन और ईसाई हैं। भारत में सिखों की कुल आबादी में से 37 प्रतिशत सिख पंजाब से बाहर रहते हैं। अतः इस पर ध्यान देना चाहिए। सिखों का भारत की कुल आबादी में फैलाव इस प्रकार है। इसकी आप बाद में जांच कर सकते हैं। परन्तु मैंने यह आंकड़े एकत्र किये हैं। पंजाब में सिखों तथा अन्य का अनुपात 49.51 है इस पर भी क्या मैं अपने भाईयों को बता सकता हूं कि सही स्थिति क्या है? मानली जिए जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ सिख खालिस्तान चाहते हैं। मान लीजिए सहा हिस्से के हिसाब से 12 जिलों में से सिखों की छः जिले मिल जाते हैं। इनमें भी कई तरह के सिख हैं। कांग्रेस (आई) के सिख हैं। अन्य पार्टियों के सिख हैं। नामधारी सिख हैं, सहजधारी सिख हैं, निर्मला सिख है, रा सिख हैं, और उदासी सिख आदि हैं ये सब लोग खालिस्तान नहीं चाहते। इसके अलावा बहुत से अकाली भी इसे नहीं चाहते। इसका अर्थ यह कि यदि सिखों का एक छोटा सा वर्ग खालिस्तान चाहता भी है तो क्या वे आधे जिले का खालिस्तान बनाना चाहेंगे।

मैं केवल खालिस्तान की व्यवहारिकता की चर्चा कर रहा हूं। यह व्यवहार्य नहीं है। कई सभा मंडपों एवं गलियों में नारे लग रहे हैं "मैं खालिस्तान लूंगा कुछ लड़के इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं ये लोग राजनीनिक उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं। हो सकता है, इस आन्दोलन को विदेशी सहायता प्राप्त हो अथवा विकृत मन की उपज हो। यह संभवतः उन लोगों की विचारधारा है जो इस प्रकार सोचते हैं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनावाला, मुझसे पहले कामरेड मुखर्जी और जैनरल स्पारो साहब ने भाषण दिये हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं लेकिन में आप के जरिये एक बात अर्ज करना चाहता हूं—मुखर्जी साहब ने फरमाया कि हमारे यहां सिर्फ पंजाब में ही खालिस्तान का स्लोगन नहीं है, बल्कि मुल्क के मुखतलिफ हिस्सों में इस तरह की डिसरप्टिव आवाजें उट रही हैं, इनसे हमें होशियार रहना चाहिये, उनका हमें मुकम्मिल इलाज करना चाहिये। मैं उन में पूरी तरह से मुत्तफिक हूं हालाकि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनसे मुझे इख्तिलाफ है लेकिन जो बुनियादी बातें हैं बे दुरुस्त हैं। मैं भी इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि हम को एक बात का ख्याल रखना चाहिये कि दुनिया के अन्दर दो किस्म की ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं — एक वे हैं जो जग चाहती हैं और दूसरी हैं जो अमन चाहती हैं। अमन चहाने वाले लोगों मैं अमन चाहने वाले मुमालिक जो हैं, उनमें हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है, जहां मेरा ख्याल है कि कोई पालीटीकल पार्टी हो और खास कर यहां की गवर्नमेंट यहां की बडी-बडी पार्टियां जो हैं, वे अमन-पसन्द हैं और अमन चाहती हैं और अमन के लिए काम करती हैं क्योंकि हिन्दुस्तान अमन का एक किला है।

मैं आपको बताऊं कि चन्द दिनों के लिए मैं स्केन्डीनेवियन कन्ट्रीज गया था और मुझे लन्दन जाने का और मास्को जाने का भी मौका मिला वहां पर लोगों से बातें करने पर पता चला कि वे हिन्दुस्तान से यह तवक्कों करते हैं, इन्दिरा गांधी जी से वह तवक्को करते हैं कि जो जंग आने वाली हैं और जो बहुत खतरनाक होगी, वे इसको रोके। वे जंग के खतरे को हम से ज्यादा जानते हैं। थोड़ा सा हम भी जानते हैं और आप पंजाब के रहने वाले है इसलिए आप भी जानते हैं। हम जम्मू व काश्मीर में रहते हैं और हम ने जंग को देखा हैं। वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान ही इस जंग से लोगों को बचाए और वे ऐसा सोचते हैं कि यहां की गवर्नमेंट, यहां की लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी ही इस दुनिया को बचाएंगी। इसलिए सब मिलकर कोशिश करें इस अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिये जो अवाम अमन चाहती हैं वह हमारी तरफ देखती है और जो अमन के खिलाफ हैं वे भी हमारी तरफ देखते हैं क्योंकि हम अमन के लिए कोशिश करते हैं। हम भूल नहीं सकते कि कितने हम पर हमले हुए हैं और उन हमलों में किस तरह से दुश्मन ने हमको मुख्तलिफ किस्म के नुकसान पहुंचाने की, हम पर काबू पान की और हम को फतहे करने की कोशिश की मगर हमारी एकता इतिहाद ने उस का सही जवाब हमेशा दिया और चाहे जम्मू व काश्मीर था, चाहे पंजाव था, चाहे नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी और चाहे बंगाल था, जहां कहीं भी लड़ाई लड़ी गई, हम अपने इतिहाद, अपनी यूनिटी से इस काबिल बन गये कि दुश्मन को डिफीट कर पाए और उसको कामयाब नहीं होने दिया।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि तमाम हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हमारे पंजाब में भी और जम्मू य काश्मीर में भी कुछ ताकतें तेजी से इस बात की कोशिश हमेशा करते हैं कि जरूरी तौर पर उन को कुछ ऐसे एसिमेंट्स मिल जाएं, जो उन के हाथ में खेलें। अब सवाल पैदा होता है कि खालिस्तान का जो नारा है, वह क्या है। इस

को समझने के लिए यह जरुरी है कि हम पहले, खालसा का जो वजूद अमल में आया उससे पहले जो सिख हैं उनका जो एतकाद है, उनकी जो आइडियोलाजी है उसको समझें, उनके धर्मशास्त्र को समझें, तब जाकर हम सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हम देखें कि पंजाब एक पुरजोर प्रांत रहा है, अनडिवाइडेड पंजाब भी और इसके बाद जो हमारी हिन्दुस्तान का पंजाब है, वह भी। उसमें सबसे बड़ी ताकत, मेरे ख्याल के मुताबिक, जो थी, वह गुरू ग्रंथ साहब की थी, गुरू वाणी की थी, और यह गुरू नानक की देन थी, पंजाबियों को। उनके बाद जो उनके बाद उनके गुरू हुए, उन्होंने हमारी जो इनटेग्रेटिड हैरिटेज थी स्प्रीचुअल, कल्चरल और जितनी भी हमारी टीचिंग्स थीं और सूफियों की भी जितनी टीचिंग्स थीं उन सबको इनटेग्रेट करके और उनमें से बेहतरीन बातें निकाल कर एक लोगों की जबान में रखी, और वे केवल हर पंजाबी के लिए ही नहीं बल्कि पंजाब के बहार के बहार के लोगों के लिए भी थीं जैसा कि जनरल साहब ने फरमाया कि उन्होंने यूनिवर्सल टीचिंग्स इन्सानों के सामने रखीं। वे आराम गये, वे गये साऊथ, वे गये वेस्ट और वे गये ईस्ट और वे हर जगह जा कर नार्थ में तो वे थे ही, उन्होंने इन बातों को लोगों के सामने रखा। हर जगह जाकर उन्होंने अपने गुरुद्वारे बनाएं, हर जगह आश्रम बनाए और एक यूनिट का सबक उन्होंने दिया, एकता का सबक दिया। पंजाब के अन्दर जिस वक्त तक खालसा का वजूद नहीं अमल में आया था उस वक्त तक सब लोग चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, सब उनको अपना गुरू मानते थे और आज भी मानते हैं। गुरू ग्रंथ साहब की टीचिंग्स सिख तो मानते ही हैं मगर नान-सिख भी मानते हैं और उनके दिखाये हुये रास्ते पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जो सिखों के 10 गुरू हैं, उनको वे भी वे अपना गुरू मानते हैं सिखों के जो गुरू हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको सिख तो मानेगें ही लेकिन इनकी वाणी से बल्कि लोग भी इंस्पोरेशन लेते है।

पंजाब के अन्दर आज बूढ़ी से बूढ़ी और जवान से जवान औरत भी गुरूबानी में ही प्रार्थना करती है। फरीद के कलाम की कबीर की वाणी की, हमारे दूसरे शास्त्रों की बातें भी आप गुरुवाणी में पायेंगे।

गुरू गोबिन्द सिंह जी ने जो खालसा बनाया, सिख फोर्स बनायी वह किस लिए बनायी थी ? वह फोर्स उन्होंने अपने लिए नहीं बनायी थी। उन्होंने यह फौज अपनी जनता के लिए, अपने मुल्क के लिए बनायी थी। उन्होने वह फोर्स चन्द आदमियों के लिए नहीं बनायी थी। बचपन में ही अपने पूज्य पिता से प्रेरणा ली वह देश के लिये और देशवासियों के लिये अपना बलिदान दें उनके बच्चे दीवार में चिन दिये गये। उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी लोगों को अर्पण कर दी। वे सारी जिन्दगी अपने लोगो के लिए. इस देश को इक्टठा रखने के लिए लड़ते रहे। आज कोई भी सच्चा सिख उनका नाम लेकर कैसे इस देश के टुकड़े करने की बात कर सकता है : मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सिखों के नाम पर जो साही सिख है वह डिसरपशन को सपोर्ट कर सकता है अथवा इस तरह की बात वह सोच भी नहीं सकता। गुरूवाणी एक युनिवर्सल मैसिज है। हिन्दुस्तान के हर हिस्से, हर तरफ, हर दिशा में उसका प्रभाव है। उसके फलो-

अर इस तरह की बात नहीं कर सकते। गुरू गोबिन्द सिंह साहब मुल्क की एकता के लिए लड़ते रहे। सिख गुरूओं की जो टीचिंग हैं। वे मुल्क की यूनिट के लिए है। वे हिन्दुस्तानकी यूनिट के लिए हैं हर आदमी और हर मजहब वाले मानते हैं।

बाकी रह गयी बात डिसरप्शन की। वह कोई भी सिख, मुसलमान, हिन्दू के रूप में कर सकता है। कोई भी यह गड़बड़ी कर सकता है, गलत बात कर सकता है। जो खालिस्तान की बात करते हैं और सिखिज्म का नाम लेकर करते हैं वह ठीक नहीं करते है। खालसा सारे हिन्दुस्तान के लिए था। गुरु गोविन्द सिंह जी की जो टीचिंग थी वे सारे हिन्दुस्तान के लिए थीं। मैं नहीं समझता कि आम तौर पर सिख कुछ गलत किस्म के लोगों का साथ देंगे। एक और बात हमें नहीं भूलना चाहिए जैसा कि जनरल साहब ने कहा, अगर हम पंजाब में देखें सिखों के अन्दर, निरंकारी है राधा स्वामी भी हैं, नामधारी भी हैं, सहजधारी भी हैं, हिन्दू भी हैं। सब इकट्ठे है और वे सब इसको पसंद नहीं करते हैं। वे खालिस्तान विरोधी हैं फिर थोड़े से लोग कैसे इसको चला सकते हैं।

जनाबे आला, हमें एक बात पर गौर करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी गौर करना चाहिए। यह ठीक है कि यह जो डिसरप्शन हो रहा है वह एक किस्म के फोरन इन्सपीरेशन से हो रहा है। यह जो फोरन इन्सपीरेशन है उसके बारे में यहां हाउस में विस्तार से कहना जनहित में नहीं है। हमारी जितनी भी बार्डर स्टेट्स हैं, जम्मू-कश्मीर है, पाकिस्तान से लगने वाली दूसरी बार्डर स्टेट्स हैं उनमें जो विदेशी प्रेस काम कर रहा है इसकी तरफ गवर्नमेंट को तवोज्जह देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को ख्याल करने की जरूरत है। हमारी जो नार्थ ईस्टर्न इस्टेट्स हैं उनकी तरफ भी तवोज्जह देने की जरूरत है।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पजाब के अन्दर ज्यादा इन्टरवेशन हो रहा है तो उसके लिए हमारी पंजाब गवर्नमेंट को बहुत बहादुरी से काम करना चाहिए। वहां एक पुरानी ट्रेडीशन चली आ रही है कि गुरुद्वारों के अन्दर गवर्नमेंट दखल नहीं देगी, उनके अन्दर पुलिस नहीं जाएगी। इस ट्रेडीशन के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट अपने आप नहीं जा किसकी। मैं होम मिनिस्टर साहब, ज्ञानी जी से खासकर कहूंगा, यह ठीक है कि इस बात को हम हाउस में डिस्कस नहीं कर सकते हैं और न डिस्कस करना चाहिए, होम मिनिस्टर को विरोधी दलों के जितने भी लीडर्स हैं उनसे इसको डिस्कस करके एक राय कायम करनी चाहिए। इस वक्त न तो सिचुएशन नार्मल है, न बहुत खराब है, ऐसा सोच कर हमें चलना चाहिए। यह एक ऐसा मसला है जिस पर हमें बहुत गम्भीरता से सोचना है। मैं मानता हूं कि इस मसला के मुताल्लिक जो गवर्नमेंट एक्शन हो, वह यहां पर डिस्कस नहीं हो सकता है और न उसे यहां पर डिस्कस करना चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि होम मिनिस्टिर साहब अपोजीशन लीडर्स को अलग-अलग बुलवाएं और उनके साथ बैठकर बात करें। मुल्क के टुकड़े हों, यह बात कोई नहीं चाहता। यह एकता का सवाल है और देश का सवाल है, इसके लिए सबको साथ लेकर चलना होगा और इस मसले का

हल निकालना होगा। हमें सबको मिलकर इसे प्रेस करना होगा। खालिस्तान का सवाल और अन्य जगह जो दूसरे सवाल हैं, सबको मिलकर पेम करना होगा, उस पर पूरा सोच-विचार होना चाहिए, सबसे मिलकर बात करनी चाहिए और इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे और अपनी पार्टी की ताकत अजमाएंगे तो इससे हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। इससे और ज्यादा खराबी होगी।

मै एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं। मैं जम्मू-कश्मीर में पैदा हुआ और पंजाब में पढ़ा। मैं पंजाब वालों को अच्छी तरह से जानता हूं, पंजाब वालों की पेट्रिआटिज्म को जानता हूं, पंजाबियों की हिम्मत को जानता हूँ और सिचुएशन को पेम करने की हिमम्मत को जानता हूं। मैं नहीं समझता कि मातृभूमि को जरा भी आंच आए, इस बात को वे बरदाश्त करेंगे। मैंने गोलियों की बरसात के बीच और उड़ते हुए हवाई जहाजों की स्ट्राफिंग के बीच देखा है और जितने भी बार्डर-स्टेट्स के लोग हैं, ऐसे ही बहादुर हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अकाली पार्टी को भी इसमें बोल्डली स्टैण्ड लेना पड़ेगा। अकाली पार्टी ने पहले छोटा पंजाब बनाया, इसके लिए वह जिम्मेदार है। अब एक तरफ कहते हैं कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज है, वे हमको मिलने चाहिएं, दूसरी तरफ कुछ आदमी खालिस्तान की बात करते हैं अब एक सीधी लाइन लेनी पड़ेगी। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं हैं। कोई भी पार्टी तभी है जब हिन्दुस्तान है अगर हिदुस्तान को नुकसान पहुंचता है—तो सभी पार्टियों को उससे नुकसान पहुंचता है—तो सभी पार्टी को एग्जिस्ट कर सकती है जब हिन्दुस्तान एग्जिस्ट करेगा। कभी यह कहें कि हमसे यह नहीं कहा कि हाई-जैकिंग को बुराई करें, तो जिसको कंडेम करना होता है वह अपने आप करता, किसी के कहने पर नहीं करता,ये बातें गलत हैं। इसलिए हमको लोगों के सामने आना चाहिए। वोटों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इलेक्शन आ रहे हैं और उसके लिए यदि यह किया जायेगा कि कहीं पर कोई बात कही जाए और कहीं पर दूसरी बात की जाए तो यह ठीक नहीं है। मैं तो समर मुखर्जी से भी कहूंगा कि आपकी पार्टी का स्टैण्ड क्लियर नहीं है। वेसामने आकर यह नहीं कहते हैं यह खराब बात है।' उनको भी कहना चाहूंगा और सुरजीतसाहब भी मेरे पुराने दोस्त हैं, जब तक वोटों के फन्दे से हम नहीं निकलेंगे तब तब आप अपनी और देश की इंटिग्रिटी नहीं बचा सकते।

आज देश की बड़ी पेचीदा हालत है और स्थिति में अगर कोई पार्टी वोटों के पीछे भागती है तो वह मुल्क के जीवन के साथ खेलती है। यह मसला है यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है और मैं ज्ञानी जी से कहना चाहता हूं कि जो अपोजीशन के लीडर्स है, उनको अलग-अलग बुलाकर उनसे बात करें और पंजाब गवर्नमेंट से भी बात करें। जो लोग गुरुद्वारों में छिपे बैठे हैं, जैसा कि अभी मुखर्जी साहब ने कहा कि ब्लास्ट हुआ और वहां पर रिपोर्ट करने खुद गए, सब इंस्पेक्टर को अन्दर नहीं जाने दिया, उससे कहा कि बाहर निकल जाओ, फिर दरवाजा बद कर लिया; इस तरह की उनकी दिक्कत है। पंजाब पुलिस सब कुछ कर सकती है, लेकिन यह एक मैटर आफ-पालिसी है। अगर सब ठीक-ठाक चलता रहा तो कहेंगे कि ठीक है, अगर कुछ गलत हो गया तो

कहेंगे कि हमसे पूछा नहीं । इसके लिए राय अमल बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह देश का मसला है किसी पार्टी का मसला नहीं है ।

मेरी प्रार्थना है कि हम सब वोट के धंध से निकल कर मुल्क की हिफाजत को सामने रखते हुए इस समस्या परर विचार करें और इसको हल करने की कोशिश करें सही तरीके से इससे निपटने के लिए हम सबको मिल कर कार्रवाई करनी चाहिए । जरनलिस्ट्स वगैरह जो लोग पंजाब से होकर आए हैं और जो वहां के लोग हैं सब यहीं कहते हैं कि बम जैसे पहले फटे थे वैसा ही बम अब फटा । लंगर के साथ जो कमरा है , जिसको गोदाम कहते हैं, जिसमें अनाज दाना वगैरह रखा हुआ था उसके अन्दर वह फटा है, तीन आदमी मरे हैं, किसी का बाजू उड़ गया और किसी के जिस्म का कोई और हिस्सा । इससे साफ नजरे आता है कि बम से वे छेड़ छाड़ कर रहे है । मैं सभी लीडरों से, सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि अभी भी कुछ हाथ से गया नहीं है, मामला इतना नाजुक नहीं हुआ है कि इसको सम्भाला न जा सके, पंजाब में ला एण्ड आर्डर की पोजिशन इतनी खराव नहीं हुई है कि इसको सम्भाला न जा सके ।

जहां तक सिख अव्वाम का ताल्लुक है, सिख धर्म का ताल्लुक है, सिख आव्वाम सिख धर्म के खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं और अपने धर्म पर वे हमेशा उसी तरह से अमल करेंगे जिस तरह से वे अब तक करते आए हैं । चन्द आदमी हैं जो फारेन एजंट हैं और जो गद्दारी कर रहे हैं । जनरल साहव ने बताया है कि एक जगजीत सिंह बैठे हैं, एक बलबीर सिंह हैं, या गंगासिंह हैं जो यू० एस० ए० में बैठे हुए हैं और वहां से पैसों के लिए टकों के लिए एजीटेशन चला रहे हैं, वहां से तार हिलाते हैं । उनकी कार्रवाइयों पर हम को रोक लगानी चाहिए ।

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है । मैं ज्ञानी जी से प्रार्थना करता हूं कि सब लीडर्ज जो बैठे हुए हैं उनको उन मिल कर बातचीत करके प्लान चाक आउट करना चाहिए और इसको फेस करने के लिए एक रास्ता तय करना चाहिए और उस पर हम सब कों चलना चाहिए ।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : नागालैंड, मिसोरम, मणिपुर, असम और पंजाव में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस मुल्क में हजारों शहीदों ने मुल्क की आजादी के वास्ते जो शहादत दी है और उसके कारण जो मुल्क आजाद हुआ है, उनकी आत्मायें यही कहती होगी :

क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके
बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे ।

नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम आदि दिल्ली से दूर जरूर हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए । उनके डिवेलेपमेंट के लिए जब तक हम कुछ नहीं करेंगे और जब तक वे यह महसूस नहीं करेंगे कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है । अब गांव के एहसास

उनके दिलों में बढ़ने नहीं देने चाहिए। मिजोरम के लोगों से बात करना भी छोड़ दिया गया है। असम में जब तक लोग एजीटेशन की बात नहीं करते हैं, उनके साथ सीधे बातचीत करने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। असम के बारे में बड़ी भयानक सी चीज का मुझे पता लगा है। आर्मी में भी एक अजीब किस्म की थिंकिंग सोचते पैदा कर दी गई है सरकार की तरफ से। 25 अगस्त 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में यह चीज छपी थी। आर्मी का एक सर्क्युलर है नम्बर 110। इसका हैडिंग है :

एड टू सिविल पावर इन असम

वह सर्क्युलर आर्मी हैडक्वार्टर्ज की तरफ से इशू होता है। इसमें लिखा है :

"असम आंदोलन भ्रान्तीयता, राजनीति से प्रेरित और स्पष्टतया देश विरोधी है।"

मुझे नहीं पता किस आधार पर आर्मी की तरफ से यह चीज लिखी गई है। कोई पालीटीशियन यह बात कहे तो समझ में आ सकती है, हालांकि वह भी गलत है, नहीं कहनी चाहिये। लेकिन आर्मी के सर्क्युलर में इस तरह की चीज छपे यह बहुत गलत है।

असम के विद्यार्थियों की मांग क्या है ? यही तो है कि जो वहां विदेशी बाहर से आए हैं उनको वहां से निकाल दिया जाए। इस मांग को आप पैरोकियल कहें, अनपट्रियोटिक कहें यह गलत बात है। उससे आपको सीधे बात करनी चाहिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : अगर आपके पास सर्क्युलर है तो उसकी कापी मेज पर रख दें।

श्री सूरजभान : अखबार में छप चुका है। 25 तारीख के अखबार में छपा है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मक्वाना) : किन्तु आप इसे सन्दर्भ सहित पढ़ें। कृपया आप सन्दर्भ को काट कर नहीं पढ़ें।

श्री सूरज भान : आप पूरा पढ़ दीजिएगा जब आपका टर्न आएगा। मैंने एलीवेंट पोर्शन पढ़ दिया है।

सभापति महोदय, बिहार में यू० पी० में, गुजरात में जो कुछ हुआ है वह कुछ कम गम्भीर नहीं है। केवल पंजाब की ही बात नहीं है। ऐसा नजर आता है कि इस देश में कोई हुकूमत नहीं है। अभी देवली में जो कुछ हुआ है मैं कल ही यू० पी० के गवर्नर को मेमोरेन्डम दे कर आया हूं, मुझे नहीं पता सदन के किसी माननीय सदस्य को उस घटना का पता लगा है कि नहीं जिसको मैं कहना चाहता हूं। वहां केवल 24 हरिजन नहीं, मरे बल्कि एक महिला जो मरी है उसके पेट में दो बच्चे भी मरे हैं जिनमें एक लड़का और दूसरी लड़की थे, उन बेचारों की आंख खुलने से पहले ही सदा के लिए आंखें बन्द कर दी गयी एक आदमी और मरा इस प्रकार 27 आदमी मरे हैं। और उन हरिजनों ने मरते हुए कहा एक राज्य सभा के मेम्बर श्री लाखन

सिंह हैं जो जाटव हैं, जो एक नौजवान लड़के ने कहा कि डाकुओं के तीन गिरोह आए। एक गिरोह विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद के नारे लगा रहा था, दूसरे गिरोह ने उसे बन्द किया मैं पूछना चाहता हूं हरिजनों का कत्तल ऐसे नारे लगाकर क्यों हुआ दो ही चीजों से ताल्लुक है श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का या तो वह कांग्रेस के हैं या ठाकुर हैं, और दोनों तरह के नारे लगाना गलत है। अगर ऐसी ही चीजें चलेंगी तो नेशनल इन्टेग्रेशन कैसे होगा। पंजाब में अभी तक शरारतियों की गोली से 12 आदमी मर चुके हैं और 15 बम विस्फोट हो चुके हैं और आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यह ऐलान जरूर आ जाता है कि हम बहुत कार्यवाही कर रहे हैं, जल्दी पकड़ने वाले हैं। जल्दी का मतलब कितने साल से है मुझे पता नहीं। अभी स्पैरो साहब ने कुछ बातें कहीं, उनका ओपनिंगसेन्टेंस था कि यह कांसस्प्रेसी है। यह किसने शुरु की है, कौन-कौन इसके भागीदार हैं? विदेशी मुल्क इसके पीछे हैं तो उनके नाम बतायें। यहां के आदमी हैं तो वह बतायें। छुपाते क्यों हैं उनको? इस खालिस्तान की तरफ से, जैसा माननीय समर मुखर्जी ने कहा करंसी भी इशू हुई है, उनके डाक टिकट भी इशू हुए हैं, पासपोर्ट भी जारी किए गए हैं, और उन्होंने एक नक्सा भी छापा है कि यह खालिस्तान होगा जिसमें कुछ हिमाचल, कुछ हरियाणा, कुछ राजस्थान और कुछ जम्मू कश्मीर का भी कुछ हिस्सा दिखाया है। और कनाडा में उनका कंसुलैट दूतावास है। आखिर हवा में तो नहीं हैं सारी बातें। मैंने आज नहीं बजट सेशन के समय माननीय ज्ञानी जी से कहा था कि यह खतरनाक चीज है। लेकिन उन्होंने यह कह कर टाल दिया था, अगर वह पब्लिक कंजम्पशन के लिये था तब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेले में एक कोई पागल जा रहा हो और उसके पीछे कुछ लोग हो जायं और यह समझ लें कि वह उसके फोलोअर हैं, तो वह कोई फोलोअर तो नहीं माने जायेंगे। मेरा कहना है कि आपने उस बात को संजीदगी से नहीं लिया इसलिए उसका नतीजा आज आप भोग रहे हैं।

माननीय ज्ञानी जी पाटियाला में गये माननीय राजीव गांधी के साथ और पब्लिक मीटिंग में उन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में चंडीगढ़ के "ट्रिब्यून" अखबार के सम्पादक श्री प्रेम भाटिया ने एक आर्टिकल लिखा है वह मैं दोहराना चाहता हूं। माननीय ज्ञानी जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा माननीय दरबारा सिंह को रेफर करते हुए :

> "हम दोनों में से कोई भी—जैसा कि केन्द्रीय गृह मन्त्री अथवा राज्य के मुख्य मन्त्री बनने के पात्र नहीं हैं। किन्तु, चूंकि प्रधान मन्त्री ने यह कार्य हमें सौंपने की कृपा की है अतः हमें अपने आपको इस योग्य सिद्ध करना चाहिये और आपस में लड़ना नहीं चाहिये।"

आगे लिखते हैं एडीटर साहब, जो उनके अल्फाज हैं, जरा आप सुनिये—

> "चूंकि ज्ञानी जैल सिंह पंजाबी में बोले और अभी बात को अंग्रेजी में उद्धृत किया गया है, उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया और, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता किन्तु उनके सार्वजनिक व्यक्तव्य का अर्थ स्पष्ट है। यदि वह नम्रता का प्रदर्शन

कर रहे थे तो उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और यदि वास्तव में वह सच कह थे तब तो वह और भी अधिक प्रशंसा के पात्र हैं।"

सभापति महोदय, मैं दो, तीन बातें ज्ञानी से पूछना चाहता हूं। क्या यह असिलयत नहीं है कि 1978 में चंडीगढ़ के अरोमा होटल में एक प्रेस कांफरेंस पहले दल खालसा की तरफ से हुई और उसके थोड़ी देर बाद ज्ञानी जी ने उसी होटल में प्रेस कांफरेंस ली और उन दोनों प्रेस कान्फरेन्सों के विल ज्ञानी जी ने पे किये। होटल का रिकार्ड इस बात का शाहिद है। मैं दूसरे हाउस की प्रोसीडिंग पढ़ रहा हूं ज्ञानी जी ने वहां जवाब दिया कि मैंने तो कोई बिल दिया ही नहीं। ज्ञानी जी, कौन बिल देता है, आपके नाम पर बिल की पेमेंट हुई है, आपने नहीं की तो आपके किसी चमचे ने की होगी?

दूसरी बात मैं ज्ञानी जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। ज्ञानी जी, होम मिनिस्टर बनने के बाद जब पहली बार चन्डीगढ़ गये तो खालसा दल के पंच मि० हर सिमरन सिंह, जो आज भी छिपे हुए हैं, और दिल्ली में बैठे हुए हैं. हमारी जानकारी है कि किसी वी० आई० पी० के घर में हैं,

एक माननीय सदस्य : कौन से वी० आई० पी० हैं वह ?

श्री सूरज भान : नाम तो ज्ञानी जी ही बतायेंगे। पहली बार जब वह चन्डीगढ़ गये तो उसी हर सिमरन सिंह ने, जो दल खालसा का पंच है, ज्ञानी जी का बहुत शानदार रिसैप्शन पंजाब यूनिवर्सिटी के गैस्ट हाउस में चन्डीगढ़ में किया था। मैं ज्ञानी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या रिश्ता है आपका हर सिमरन सिंह से और उस खालसा दल से? उसी एक होटल में वही दोनों की कान्फरेन्स होतीं हैं और वह खालसा दल का हर सिमरन सिंह आपका रिसैप्शन करता है, इसका जवाब मैं जरूर जानना चाहूंगा।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इतने कत्ल तो हो चुके हैं, और कितने खुन बहाने के बाद सरकार होश में आना चाहती है? कुछ बता दीजिये लोगों को।

आज पंजाब यू० पी०, बिहार में जंगल का राज्य है, कोई कानून का राज्य नहीं है, लोगों को बता दिया जाये कि इतने साल हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ताकि लोग खुद अपनी हिफाजत का बन्दोवस्त कर सकें।

इस दल खालसा और खालिस्तान के बारे में जो कुछ हो रहा है, वह देश को बताया जाये मैं समझता हूं कि जाने-अनजाने में सरकार ने गलती की है। पहले अकालियों को बात-चीत करने के लिए बुलाया और फिर पंजाब के हिन्दुओं को बुलाया, क्या खुद आप इस इश्यू को कम्युनल नहीं बनाना चाह रहे हैं? हिन्दुओं के बुलाने का क्या मतलब था ? वहां की पोलि-

टिकल पार्टीज को बुलाते आप पोलिटिकल पार्टीज को न बुलाकर भी खुद इश्यू को कम्युनलाइज कर रहे हैं।

हिन्दुओं को बुला रहे हैं, सिखों को बुला रहे हैं, इस प्रकार आप इसे हिन्दु-सिख सवाल बना रहे हैं। कुछ इश्यू ऐसे हो सकते हैं जो केवल मजहबी हैं, उसमें उससे बात कर लीजिए। बाकी इश्यूज पर नगर औटोनामी की बात करते हैं, ज्यादा इकनामिक फैसिलिटीज की बात करते हैं तो सरकार को पंजाब की पोलिटिकल पार्टिज को बुलाना तो समझ में आता है, पर खुद आप इसको कम्युनलाइज मत कीजिये।

सिखों की कुछ जायज मांगे भी हो सकती हैं, मैं महसूस करता हूं कि हैं। उनके धर्म के झगड़ों में आपने दखल दिया है। दिल्ली का गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी में ही गलत तौर पर कानून अमैंड करके आपने सरदार संतोख सिंह को वहां पर प्रधान बनाया। इसी प्रकार जब अकाली लोग दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको दिल्ली आने से रोका जाता है।

करनाल में लाटी चार्ज होता है, वह तो एलेज करते हैं कि गोली भी चली है, कुछ आदमी मरे हैं। मैं आन्नद चाहता हूं कि क्या आप लोगों को इस आस्था को तोड़ना चाहते है कि लोग दिल्ली को हिन्दुस्तान का केन्द्र मानें। आप दिल्ली में आने से क्यों रोकते हैं लोगों को ? वह दिल्ली में आयें, प्रदर्शन करें, उनको इजाजत दीजिए आप डिस्करेज करना चाहते हैं, यह तो खुद आप डिस-इन्टेग्रेशन फैलाना चाहते हैं। दिल्ली भारत का केन्द्र है, उनको आने दीजिए तथा उनकी बात सुनिये।

मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि सन्त भिंडरावाले को आपने गिरफ्तार किया, उसकी क्या बूजहात थीं ? क्यों गिरफ्तार किया ? अगर वह कातिल थे तो फिर उनको छोड़ा क्यों गया ? क्या यह हकीकत नहीं है सन्त भिन्डरावाले का दयान छपा है अखबार में, मैं केवल रेफरेंस देना चाहता हूं। सरदार बूटासिंह को यहां से भेजा गया, उनका नाम छपा है अखबार में, भिन्डरावाले ने बयान दिया है कि सरदार बूटासिंह ने सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन के अधिकारी को मैसेज भेजा कि वह भिन्डरावाले से ये तीन शर्तें मानने के लिए कहे : एक, लाला जगत नारायण के मर्डर को कनडेम करो, दूसरे किसी पोलीटिकल पार्टी में हिस्सा न लो और तीसरे, हिन्दू-सिख यूनिटी के लिए काम करो उनको छोड़ दिया जायेगा। भिन्डरावाले ने कहा कि मैं अभी इन बातों पर गौर कर ही रहा था कि अगले दिन अदालत ने मुझे छोड़ दिया। सवाल यह है कि भिन्डरावाले के सामने ये तीन शर्तें क्यों रखी गई। अगर वह कातिल थे, तो उन्हें छोड़ने की बात क्यों की गई ? ये पार्लीज इसलिए किए जा रहे थे कि उन्हें अकाली दल से तोड़कर अपने साथ जोड़ लिया जाए। यह तरीका ठीक नहीं है।

मैं चाहता हूं कि सरकार खालिस्तान के इस्यू पर एक व्हाइट पेपर जारी करें। प्राइम

मिनिस्टर वहां गई हैं। होम मिनिस्टर वहां गए हैं। होम सेक्रेटरी वहां गए हैं। सरदार बूटा सिंह वहां गए हैं। यह बताया जाय कि पंजाब के गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट क्या है। लोगों को बताया जाए कि तथ्य क्या हैं, रीयालिटीज क्या हैं। दल खालसा किसने बनाया, किस किस के साथ उसके ताल्लुकात हैं ये डीटेल्ज दी जाएं। कहा गया है कि दूसरे मुल्कों से पैसा और हथियार आते हैं। यह बताया जाए कि वे कौन से मुल्क से आए हैं, कितने हथियार पकड़े गए हैं और उनमें से कितने विदेशों के हैं।

हाईजैकिंग के बारे में डीटेल्ज दी जाएं कि किस किस का उसमें हाथ था। और क्या हाईजैकिंग के सम्बन्ध में कोई फर्क किया जाएगा। मैंने सुना है ज्ञानीजी ने राज्य सभा में बयान दिया कि पांडेज ने हाईजैकिंग विदिन दि कन्ट्री किया था, जबकि इस हाईजैकिंग में हवाई जहाज को पाकिस्तान ले जाया गया था दोनों में फर्क है। क्या इसी तरह मर्डर में भी फर्क किया जाएगा कि अगर कन्ट्री में किया जाए, तो एक नीति अपनाई जाएगी और अगर बाहर किया जाए, तो दूसरी नीति होगी ?

इस बारे में संतोख सिंह का क्या रोल है ? क्या उसने मेहता चौक में, जब भिंडरावाले ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया था, एक भड़काने वाली स्पीच नहीं की थी ? क्या आपने कभी देखा है कि कोई सरकार किसी कातिल को कहे यदि वह कातिल थे, उन्हें कातिल समझ कर गिरफतार किया गया था कि हमने आपके खिलाफ निरफ्तारी का वारन्ट इस्यू कर दिया गया है और फिर कहे कि मेहरबानी करके एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर सरेंडर कर दें ? क्या किसी मुल्क में कभी ऐसा हुआ है, जो कि हिन्दुस्तान में हुआ है ?

तीन दिन पहले मेहता चौक के गुरुद्वारे में विस्फोट हुआ। अखबारात में खबर छपी है कि तीन घन्टे के बाद एक सफेद कपड़ों में इस्पैक्टर आफ पुलिस को अन्दर जाने दिया गया और छः सात घन्टे के बाद एक एस० पी० को अन्दर जाने दिया गया। जब वह गया, तो वहां पर खून की कोई निशानी नहीं थी। क्या तीन लाशों में से कोई खून नहीं निकला था ? क्या खून के बिना उनकी मौत हो गई या खून को साफ कर दिया गया या एविडेंस को मिटा दिया गया ? यह भी कहा जाता है कि वह एक टाइम बम था, जो बाहर से लाया गया था। वह एक छोटा सा स्टोर है जिसमें विस्फोट हुआ जिसका कोई और आउटलेट नहीं है। नतीला निकलता है। कि ऐसी और भी चीजें वहां स्टोर की गई होंगी। इसकी इनवेस्टीगेशन होनी चाहिए।

क्या हिन्दुस्तान में कोई एक कानून होगा या नहीं ? जितने भी धार्मिक स्थान दें, उनको एक लेवल पर रखा जाए। यह तमीज नहीं होनी चाहिए कि गुरुद्वारे में तो पुलिस नहीं जा सकती, और मन्दिर, मस्जिद, गिरजे में जरूर जा सकती है। यह डिसक्रिमिनेशन क्यों है ? अगर वहां गलत काम हुआ है, तो पुलिस को जाकर इनवैस्टीगेशन करना चाहिए।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में ला एन्ड आर्डर बिल्कुल टूट चुका है। वहां की हुकूमत को डिसमिस करना चाहिए और ज्ञानी जी को अपना जिमेदारी का अहसास करके

इस सारे काम को सीधा करना चाहिए।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : सभापति महोदय, शायद आपको पता है कि आज के दिन नवें गुरु का शहादत का दिन है। आज के दिन वह चांदनी चौक में शहीद किए गए थे। आज के दिन सिख संगतें और हिन्दू सभी यहां पहुंच रहे हैं। क्या बजह थी उन की शहादत की ? काश्मीरी पंडितों ने अपील की गुरु तेगबहादुर से कि हमें जुल्म से बचाया जाए और इसके लिए किसी महापुरुष की शहादत की जरूरत है। उस वक्त जो नवें गुरु के बेटे थे। जो बाद में दसवें गुरु गोविन्द सिंह वह नौ साल के थे, उन्होंने कहा पिताजी, आपसे बढ़ कर महापुरुष कौन होगा ? तो क्या यह मिसाल नहीं है हिन्दू सिख यूनिटी की ? उस वक्त हर हिन्दू का पहला बेटा जो होता था उसको सिख बनाया जाता था। अब भी हमारी रिश्तेदारियां आपस में इतनी हैं कि यह सोचना नामुमकिन है कि खालिस्तान बन जाए। यह तो चन्द लोग हैं। अभी समर मुखर्जी जी ने डाक्टर जगजीत सिंह का नाम लिया था। मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूं। 1969 में जब उनकी अकाली हुकूमत टूटी तो वह बाहर गए। उन्होंने खालिस्तान का नारा लगाया। ज्ञानी जैल सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो अक्सर हमारी असेम्बली में उनका नाम आता था। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह हिन्दुस्तान में कदम रखते। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि जनता राज के वक्त वह खुल्लमखुला पंजाब में आए और सब जगह गए। सच्ची बात बताएं, हमें तो बिलकुल डर नही लगता कि उन्होंने अपनी हुकूमत खुद कायम कर ली कैनाडा में। ऐसे तो बहुत से दिमागफिरे होते हैं जो अपनी हुकूमत कायम करके राष्ट्रपति बन बैठते हैं। हम यहां बैठे बैठे उनसे डरने लगे तो काम नहीं चल सकता। हमें इस बात का बिलकुल डर नहीं है। यह मैं कह सकती हूं कि मास सपोर्ट उनके साथ बिलकुल नहीं है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि पंजाब के गावो के लोग, पेजेन्ट्री के लोग खालिस्तान की मूवमेंट के पीछे हों। यह गलत बात है। कोई उनके पीछे नहीं है चन्द लोग, कुछ लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कुर्सियों की वजह से या हुकूमत की लालच की वजह से खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं।

गुरू गोविन्द सिंह को शहीदों का सरताज कहा जाता है। उन्होंने पिता की कुर्बानी दी, बच्चों की कुर्बानी दी, आप हैरान होंगे, एक छः साल का लड़का, एक दो साल का लड़का, दोनों दीवार में चिनवा दिए गए, औरतों की कुर्बानी दी, माता की कुर्बानी दी, सब चीज की कुर्बानी उन्होंने दी। मैं एक बात बताना चाहती हूं ये नौ गुरू तो हिन्दू थे, तो सिख कौम कैसे बनी ? जिस वक्त गुरू तेगबहादुर को शहीद किया गया चांदनी चौक में तो किसी को जुर्रत नहीं पड़ी कि दिन के वक्त उनकी लाश को उठाकर ले जाए। उस वक्त की हुकूमत देखना चाहती थी कि वह कौन लोग हैं जो इस लाश को उठाकर ले जाएंगे। यह रकाबगंज गुरुद्वारा जो हमारे बहुत नजदीक है, वहां पर कुछ झुग्गियां थीं, वहां के लोग उनके जिस्म को उठाकर ले गए। एक हरिजन था जो उनके शीश को उठाकर आनन्दपुर साहब ले गया। उस वक्त गुरू गोविन्द सिंह कुल नौ साल के थे। रकाबगंज की झुग्गियों के लोगों को इतना हौसला नहीं था कि वे ओपेनली उस वक्त की हुकूमत के वरखिलाफ खड़े हों तो उन्होंने क्या किया कि सारी झुग्गियों को आग लगा

दी और उनका संस्कार किया। कहने का मतलब है कि उनकी श्रद्धा थी लेकिन हौसला नहीं था। उस वक्त जो हमारे लोग थे, उनमें हौसला नहीं था आगे बढ़ने का। वह मौत से डरते थे। तो गुरू गोविन्द सिंह ने कहा कि मैं सिख को एक ऐसी शक्ल दूंगा कि वह छिपा न रह सके, जहां भी वह जाय वह सिख नजर आए कि सिख है। ताकि इसमें मरने का डर निकल जाए। जो इन-सान मौत से नहीं डरता सब कुछ कर सकता है, अच्छे काम के लिए अपने-अपने आपको कुर-बान कर सकता है। तभी यह सिख कौम बनी। लेकिन उसका मतलब यह नहीं था कि कोई खालिस्तान बनाया जाए। इस बात को तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अकाली पार्टी ने भी कहा है कि वह खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती है लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि वे ओपेनली सामने क्यों नहीं आते। ये भाई सहाब यहां पर बैठे हुए हैं, कितनों ने आनन्दपुर साहब का रेजोल्यूशन अच्छी तरह से पढ़ा है? हम तो चाहते हैं कि अकाली खुलकर बतायें कि वे खालिस्तान मूवमेंट को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उनका एक ही मतलब है कि जब चुनाव का टाइम आए तो जनसंघ के वोटों से, जनसंघ की मदद लेकर पंजाब में हुकूमत कर सकें। वरना अगर वे खालिस्तान मूवमेंट को पसन्द नहीं करते हैं तो गांव-गांव में जाकर इस बात को कहें। जानना चाहूंगी कि कितने लोग आपके पास आए हैं बातचीत करने के लिए और उनमें से कितनों ने गांवों में आकर लेक्चर दिया है कि वे खालिस्तान नहीं चाहते? कोई एक भी ऐसा लेक्चर दिया हो, मुझे बतायें तो मै जान जाऊंगी कि वाकई वे खालिस्तान के खिलाफ हैं। यह तो कोई बात नहीं हुई कि अन्दर घुसकर एक बात करो और बाहर दूसरी बात करो कि हम इसके खिलाफ हैं। मैं भी उसी जिले से आती हूं जहां से दूसरे सारे बड़े लीडरान हैं। हमारे होम-मिनिस्टर साहब भी फरीदकोट के ही हैं। अकाली पार्टी के लीडर, श्री प्रकाश सिंह बादल और भिण्डरांवाले भी वहीं के हैं। श्री गुरचरण सिंह जी यहां बैठे हैं—ये सभी बड़े-बड़े लीडरान फरीदकोट में पैदा हुए हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहती कि मैं भी कोई लीडर हूं, मैं तो एक वर्कर हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनकी साइकालोजी का हमें अच्छी तरह से पता है कि बाहर से क्या बात है और अन्दर से क्या बात है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि इतने प्रोवकेशन के बाद भी हिन्दू मुस्लिम यूनिटी, हिन्दू सिख यूनिटी, हिन्दू क्रिश्चियन यूनिटी पूरी तरह से कायम है। वे नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ हो। सभी लोग पीसफुली रहना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहने से बिल्कुल गुरेज नही करूंगी कि लोगों के मन में वह कांफिडेंस, वह भरोसा नहीं है, लोग कुछ डरते हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार मजबूती के साथ एक्सट्रीमिस्ट्स का मुकाबला करे। जितनी देर आप मजबूती के साथ और ओपेनली बाहर आकर इनको कन्डेम नहीं करेंगे, जितनी देर आप वायलेन्स को स्ट्रंगली कन्डेम नहीं करेंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी। आखिर लोगों के दिल में डर क्यों पड़ा हुआ है? उनके मन में किस बात का डर है? इसीलिए मैं चाहती हूं कि गवर्न-मेंट इस सिलसिले में इफेक्टिवली काम करे।

हमारे बहुत से भाइयों ने यहां पर बहुत सी बातें कही हैं जिनको दोहराना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आप मेरी बात को समझ ही गए होंगे। मैं एक इन्स्टांस और कोट करना चाहती

हूं। जब पंजाब में रणजीत सिंह का राज था तब एक झुग्गी वाले की झुग्गी किसी ने उजाड़ दी। वह महाराजा रणजीत सिंह के पास गया और कहा कि महाराज मैं एक गरीब आदमी हूं मेरी झुग्गी उजाड़ दी गई है। महाराज ने उससे कहा कि तुम चलो हमारा फलां आदमी जाकर देखने आयेगा कि यह सही है या नहीं। उन दिनों में कोई रेलगाड़ी और हवाई जहाज तो थे नहीं। उस उजाड़ने वाले को खबर मिल गई तो उसने वहां किसी के पहुंचने के पहले ही फिर से झुग्गी बना दी। इसके बाद महाराज ने उससे कहा कि तुम्हारी बात सही नहीं है, तुमने दुश्मनी की वजह से ऐसा कह रहे थे। जब थोड़ा वक्त गुजर गया तो उस आदमी ने फिर उस गरीब की झुग्गी उजाड़ दी। वह दोबारा महाराज के पास गया और फर्याद की। उसके बाद महाराज ने उससे कहा कि तुम जाओ अब मेरा और उसका मुकाबला है, मालूम होता है हमारी हुकूयत में ही कोई फर्क है जिसकी वजह से उसने दोबारा तुम्हारी झुग्गी उजाड़ दी। इस किस्म का कान्फिडेंस सरकार में, पंजाब सरकार में और लोगों में होना चाहिए। इस बात को मैं बड़े जोरदार शब्दों में सरकार से और सैन्टर की सरकार से करती हूं। ज्ञानी जी यहां बैठे हुए हैं, मैं ज्ञानी जी से कहना चाहती हूं कि ज्ञानी जी, हिन्दुस्तान अपना मुल्क है, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसका हम न ईस्ट, न वैस्ट और न खालिस्तान के रूप में कोई टुकड़ा होने देगे।

आप जानते हैं कि पंजाब ने तीन लड़ाईयां लड़ी खैर उस वक्त की आर्मी में 21-21 साल के नौजवान बच्चे थे और ये सब जवान बच्चे टैंकों में जा रहे थे और जब लड़ाई हुई, तो उसके बाद उनकी लाशें आ रही थी। इस बात को ज्ञानी जी भी जानते हैं। मैं बार्डर एरिया की रहने वाली हूं और अमृतसर तथा फिरोजपुर को बिलांग करती हूं। जहाँ तक फूड प्रोडक्शन की बात है, हिन्दुस्तान की दो प्रतिशत खाली जमीन उनके पास है और 60 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा उत्पादन का सैन्टर पूल में देते हैं। ज्ञानी जी ये लोग तो दिल से काम करेंगे, लेकिन आप जो हुकूमत कर रहे हैं, आप उनमें कान्फिडेंस पैदा करो। मुल्क से कोई खतरा नहीं है, आवास से कोई खतरा नहीं है, हिन्दू-सिख यूनिटी पूरी है, हम एक हैं। मैं फिर एक आवाज से कहती हूं कि हम एक हैं, लेकिन उनमें इतना कान्फिडेंस पैदा करो कि वे लोग इससे घबरायें नहीं।

सिख एक एडवैंचरस कौम है। दुनिया के हर हिस्से में आप सिख को देखेंगे। यह आम मशहूर है दुनिया का कोई ऐसा कौना नहीं है, जहां पर सिख और हिन्दू न हों। वे हर जगह हैं और वहां पर उनका गुरद्वारा भी होता है। एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कोई भी स्टेट हिन्दुस्तान की ऐसी नहीं है जहाँ पर सिख न हों। वहां भी वे गुरद्वारे में मजे से रहते हैं। पटना साहब गुरू गोविन्द सिंह का जन्म स्थान था, वहीं पर वे खेला करते थे, वहीं पर उनका बचपन बीता था। उस गुरद्वारे नदेड़ साहिब में मैं जब गई तो मैंने देखा कि जो वहाँ सिख हैं, वे बिहार की बोली में बात करते हैं। इसी प्रकार आपने हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में देखा होगा, जहाँ गुरू गोविन्द सिंह की शहादत हुई थी, वहाँ के लोग वैसी ही कस्टम करते हैं, आरती हिन्दुओं की तरह करते हैं। इस बात की हमें बड़ी खुशी है। गुरू ग्रंथ साहब में 36 भक्तों की वाणी है, जिनमें छः तो गुरू लिखने वाले हैं और 30 भक्त हैं, जिनमें मुसलमान भी हैं, महाराष्ट्र के नाम-

देव जी भी है—ज्ञानी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हर एक वाणी उसमें हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि गुरू गोविन्द सिंह ने कहा है कि गुरू-मानिए-ग्रन्थ। आपने देखा होगा कि हिन्दू और सिख जब जाते हैं तो बड़े अदब से नमस्कार करते हैं, माथा टेकते हैं। वहाँ एक बड़ा अच्छा तरीका चला था कि जो भी आपके पास हो वहाँ श्रद्धा से दो। यह पैसा इसलिए नहीं दिया जाता कि कभी खालिस्तान पैदा करो, कभी लड़ाई कर लो। पोलिटिक्स एक तरफ है, रीलीजियन एक तरफ हैं। पोलिटिकल व्यूह से भी आप उसको देखें, पोलिटिकल पार्टीज भी खालिस्तान को कन्डैम नहीं करती हैं, दिल से करती हों तो मैं कह नहीं सकती हूं, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषि तो हूं नहीं। जहां तक भिण्डरवाला साहब का इन्वाल्वमेंट हुआ है, इसको आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं यह कहती हूं कि इस वायोलेस को खत्म करना बहुत ही जरूरी है।

अभी किसी भाई ने एक यह भी प्वाइन्ट उठाया था कि इकोनामि की भी बैंकग्राउन्ड होता है। इन्सान का जब सोशियो-इकोनामिक प्रोग्रेस न हों तो फिर वह वैसी बातें सोचते हैं। जो अन-एम्प्लायंड हो, वे भी ऐसी बातें सोचते हैं। इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ज्ञानी जी, मैं आपको एक मिसाल देती हूं कि जब 1980 का इलैक्शन हुआ, तो अकाली लीडर्स कहा करते थे कि जब हमारा राज आयेगा तो हम नरमा, जिसको अमरीकी कौटन कहते हैं, की कीमत 500-600 रु० से ऊपर कर देंगे। एक दफा श्रीमती इन्दिरा गाँधी मेरे हल्के में गई तो वहां दूर प्रकाश सिंह गादल नरमा जला रहे थे। जलने से धूंआ उठ रहा था, उन्होंने पूछा यह धूंआ कहां से आ रहा है, अब तो नरमे की कीमत काफी है। जब इनकी हुकूमत यहाँ आई थी तो आपको याद होगा— यहाँ सुरजीत सिंह बरनाला एग्रीमल्चर मिनिस्टर थे और पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल थे, उनके जमाने में नरमे की जो पहले कीमत थी, वह भी उनको नहीं मिली, 200 से 250 रुपये तक गिर गई। लोग कहते थे—ऊपर जाट नीचे जाट, नरमा बिकता 260। यह बात इलैक्शन में आम कही जाती थी।

1980 में आपने देखा होगा—सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर जनता सरकार को डिफीट दी थी, उसका एक काज तो यही था और दूसरा आपकी आपस की फूट, आपके आपस के लड़ाई झगड़े थे। हम यहाँ इसीलिए आये कि लोग श्रीमती इंदिरा गांधी को वापस लाना चाहते थे। हमारी कांस्टीचूएन्सी से पहले अकाली जीतते थे, प्रकाश सिंह बादल जीतकर आये थे, लेकिन इस दफा लोग इकट्ठे थे, कोई मजहब की बात नहीं थी, इसलिए हम जीतकर आये। इसलिए अगर उनकी सोशियो-इकानामिक हालत ऊंची करें, तो वे मिलकर हिन्दुस्तान को ऊंचा उठायेंगे।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रतन्नगिरी) : आज हम सभा में एक बड़े गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और मैं यह अनुभव करता हूं कि हम इस विषय पर दल गत बातों से ऊपर उठकर चर्चा करेंगे। मुझे बड़ी प्रन्सनता है कि अभी तक कुछ अपवादों को छोड़ कर इस स्तर को बनाये रखा गया है।

यह कहा गया है कि जनता पार्टी के शासन में कुछ घटनाएं हुई थीं। एक व्यक्ति जिसका

इन गतिविधियों में हाथ था, भारत आया था और जनता पार्टी ने उसे यहां आने दिया। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि यह बात सच है तो मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि जो बात जनता सरकार ने की थी आप उसे न दोहरायें। एक अथवा दूसरे दल पर दोषरोपण करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें अब यह देखना है कि इस देश की जनता के लिये जो खतरा बना हुआ है, उसे रोका जाये।

हमारे अनेक मित्रों ने खालिस्तान के मामले का जिक्र किया। किन्तु यह मेरा विश्वास है कि जहां तक पृथकतावादी गतिविधियों सबंधी मामलों का सम्बन्ध है, राष्ट्र के सामने खालिस्तान का ही मामला नहीं। उत्तर-पूर्व में भी ऐसी समस्या है अनेक राज्यों मे ऐसी समस्याएं हैं। हमें यह देखना होगा कि क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इस प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रही है। मैं महाराष्ट्र का हूं और हमारे राज्य में विशेष रूप से बम्बई शहर में एक ऐसा दल जो धरती पुत्र सिद्धान्त में विश्वास करता है।

एक माननीय सदस्य : शिव सेना।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं उस दल विशेष का नाम नहीं लूंगा। किन्तु इस देश और इस राज्य के लोगों को इससे बड़ा खतरा है। यह आशा की गई थी कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार तथा वर्तमान मुख्य मन्त्री इस दल विशेष की गतिविधियों में कमी लाने के लिये कड़े कदर उठायेंगे किन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मुख्य मन्त्री इनसे सांठ गांठ कर रहे हैं और इस दल का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। यदि मैं यह कहूं कि राज्य की वर्तमान सरकार जो कि कांग्रेस (इ०) की सरकार है पृथकतावादी गतिविधियों का समर्थन कर रही है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं ?

मैं आलोचना करने की दृष्टि से यह बात नहीं कह रहा हूं।

महोदय, जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि देश में सब ओर लगातार अशान्ति बनी हुई है। जहां तक शिलांग का सम्बन्ध है, यह मणिपुर और मिजोरम के लिये सशस्त्र गड़बड़ी फैलाने का स्थान बन गया है एम० एन० एफ० बटालियनों पर तथा मन्त्रियों के निवास स्थानों पर हथियारों गोलाबारूद और बिस्फोट पदार्थों के साथ आक्रमण किये जाते हैं। सीमा पर हथियारों से भरे ट्रक पाये जाते हैं। छात्र सुरक्षा सेना से संघर्ष करते है। यह बड़ा दूर्भाग्य की बात है। यहां तक की बच्चे जलूसों में यह गाते हुए जाते हैं, "भारतीय विदेशियों, वापस जाओ" वे गालियों में नारे लगाते जाते हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन सभी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये उन्होंने कौन से कदम उठाये हैं ? इम्फाल में भी वही स्थिति है, शिलांग में भी ऐसी ही है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में भी यही स्थिति है। मैं गृह राज्य मन्त्री महोदय से आदर पूर्वक निवेदन करता हूं कि कुछ कदम उठाये जायें। इस सम्बन्ध मेरे पहले वाली वक्ता श्रीमती गांधी ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं।

अब पंजाब के मामले में मैं यह निवेदन करता हूं कि यह बड़ा गम्भीर मामला है। इस ओर से मेरे अनेक मित्रों ने कहा है कि यह मामला उतना गम्भीर नहीं है । इसे कोई समर्थन प्राप्त नहीं है । मेरे माननीय और सम्मानित मित्र जनरल स्पैरों ने कहा कि उस क्षेत्र विशेष के आधे जिलों में भी इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है । यदि यह बात सही है तो मैं प्रसन्न हू (व्यवधान) यदि मैंने गलत कहा तो मैं स्वय को सही कर लूंगा ।

मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि ये गतिविधियें कई वर्षों से चली आ रही हैं और यदि जनता पार्टी के शासन के ढ़ाई वर्षों के समय को छोड़ दिया जाये तो भी यह मात्रा कम से कम गत दस या इससे अधिक वर्षो से की जारही है जब कांग्रेस सरकारें सत्ता में थीं यह कहा गया था कि उसको कोई समर्थन नहीं मिलता था मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी स्वत्रन्त्रता से पूर्व जब श्रीमान जिन्ना पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रचार कर रहे थे तो क्या हुआ था ? उनके सिद्धान्त को इसी आधार पर रद्द कर दिया गया था कि इसको किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला । परन्तु कुछ ही वर्षों में उनका स्वप्न सत्य हो गया । अतः मेरा कहना यह है कि हमें खालिस्तान की इस समस्या को हल्के रूप में कतई नहीं लेना चाहिए । हमें इसे गम्भीर रूप से लेना चाहिये ।

महोदय जहां तक कुछ घटनाओं का सम्बन्ध है मैं मन्त्री महोदय और उन अन्य मित्रों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने यह कहा है कि इस आन्दोलन में कोई दम खम या जान नहीं है कि यह सच है या नहीं कि भारतीय थल सेना का एक भूवपूर्व जनरल इस देश में खालिस्तान के इस सिद्धान्त का प्रचार करन में सक्रिय है ? क्या यह सच है या नहीं कि वह न केवल सारे देश में घूम रहा है अपितु वह हमारी सेना के उन लोगों में अधिकारियों जिनके कन्धों पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा का भार है, इस विचार धारा का विष घोल रहा है । गृह राज्य मन्त्री महोदय ने अप्रत्यक्ष रुप से इस स्थिति को सदन में स्वीकार किया है। जब उनसे एक प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने यह बात कही थी :

> "बहुत थोड़े से लोग इस आन्दोलन में भाग ले रहे हैं । हो सकता है कोई भूत-पूर्व सेना अधिकारी भी हो और कोई ऊंचे पद आसीन व्यक्ति भी हो ।"

मकवाना महोदय ने यही कहा था । यदि भारतीय थलसेना का कोई सेवानिवृत्त जनरल इस विचार का सेना अधिकारियों और कर्मचारियों में प्रचार करने की गतिविधियों में संलग्न हो तो क्या हम इसे यह मान लें कि यह कोई मामूली सी बात है ? मैं गृह राज्य मन्त्री से यह पूछता हूं कि इस बारे में सही स्थिति क्या है ।

अन्य प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नही है कि जब अनन्तपुर साहिब में बैठक हुई थी तो लोग खालिस्तान की बात कर रहे थे ? नारे लगाये गये और इश्तहार छापे चये :

> "अकाल तख्त तो आई आवाज खालिस्तान जिन्दा बाद"

दूसरा तो और भी गम्भीर है ।

"तिरंगा लक देवेंगे केसरी झुला देवेंगे ।"

आप इन लोगों से और कौन सी इससे अधिक राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां चाहते हैं ? इसका मतलब है कि हम राष्ट्र के तिरंगे झण्डे को उतार फेकेंगे और उसकी जगह पर केसरी झण्डा फहरायेंगे ।

मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? उस समय तो आपके हाथ में 'मीसा' था और अब आपके पास राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है । क्या आपने उसके अन्तर्गत एक भी व्यक्ति को बन्द किया है ? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और फिर यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग इस खालिस्तान आन्दोलन में रुचि रखते हैं तो तब हम सबके लिए उस व्यक्ति को दोष देना संभव नहीं होगा ।

मैं मन्त्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहूंगा । खालिस्तान आन्दोलन में सक्रिय इन लोगों ने 13 अप्रैल, 1981 की अपनी एक बैठक में हमारे देश के संविधान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे । इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान 'इन्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाता हूं ।

> "सोमवार को अकाली दल विश्व सिख सम्मेलन में भारतीय संविधान के पन्ने फाड़ कर श्रोताओं पर फेंक दिये गये । मंच के निकट बैठे एक युवक ने यह सब किया । पुलिस के भूतपूर्व महानिरीक्षक श्री भगवान सिंह घन्नावाला जो कि सलाहकार है और जो कि इस व्यक्ति-विशेष के पास बैठे थे संवैधानिक खामियों के बारे में बोल रहे थे ।"

अतः मैंने सेना के भूतपूर्व जनरल की ओर आपका ध्यान खीचा है और पुलिस के सेवानिवृत्त महानिरिक्षक की गतिविधियों की ओर ध्यान खींच रहा हूं । अब मैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीशों की ओर आपका ध्यान खीच रहा हूं जिससे इस बैठक विशेष में भाग लिया और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ।

महोदय, जब 1973 में अन्नपुर साहिब में यह संकल्प विशेष पास किया गया था तो प्रोफेसरों, वकीलों और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीशो ने इसमें भाग लिया था और फिर भी इससे यह कहा जा रहा है कि इसे बुद्विजीवी लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है और कुछ लोग विदेशों से आकर यहां वहां इस आन्दोलन कोस मर्थन दे रहे हैं । अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करुंगा कि वह हमें बताये कि इस सबमें सही तथ्य क्या है ? क्या मैं मन्त्री महोदय से यह भी पूछ सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि डा० जगजीत सिंह ने अमृतसर में स्वयं को खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया था । उसने न केवल खालिस्तान का झण्डा फराया, अपितु

अमृतसर में एक ट्रान्समीटर भी लगाया जो कि खालिस्तान के समाचार प्रसारित कर रहा था। ये सब बातें समाचार पत्रों में छपी हैं और दूसरे सदन में मन्त्री महोदय से इस बारे में प्रश्न भी पूछे गये है। दुर्भाग्य से उन प्रश्नों के उत्तर हाथ नहीं पड़े। महोदय नंगल के निकट आन्नदपुर साहिब में अब यह खबर मिल रही है कि खालिस्तान आन्दोलन के समर्थन में इस संदेश को संगठित सशस्त्र प्रदर्शनों द्वारा फैलाया जा रहा है। महोदय मेरे विद्वान सहयोगी सदस्य ने नोट दिखाए हैं। उन्होंने केवल नोट ही प्रकाशित नहीं किए है, अपितु चार पत्र भी छापे हैं। मेरे पास उनकी फोटो स्टेट प्रति है। मेरे लिए इसे मन्त्री सहोदय को दिखाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह तो समाचार पत्रों मे पहले ही प्रकाशित हो चुका है।

महोदय यह एक ऐसा आन्दोलन है जिसमें एक सेवा निवृत्त पुलिस महानिरीक्षक एक सेवा निवृत्त जनरल एक सेवा निवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायधीश और डाक्टर भूतपूर्व मन्त्री और वकील सम्मिलित हैं और फिर भी हमसे कहा जाता है कि इस आन्दोलन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। जसा कि मैं पहले ही वह चुका हूं यदि ऐसा हो तो मुझे प्रसन्नता होगी परन्तु इस सभा के विचार के लिए मैंने जिन परिस्थितियों का वर्णन किया है उनको देखते हुए इस कथन को स्वीकार करना मेरे लिए अत्यन्त कठिन होगा।

1973 के संकल्प के बाद हम हाल की घटनाओं को लेते हैं। क्या यस सच नहीं है कि अप्रैल 1981 में बैशाखी के पर्व पर एक बड़ा भारी मेला लगा था जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया था। वहां पर एक बैठक बुलाई गई थी और इस मांग को फिर दोहराया गया था। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि आपने मार्च-अप्रैल 1981 में क्या कदम उठाए थे? आपके हाथ में सभी कानून थे। क्या आपने कोई कदम उठाया? क्या आपने एक भी व्यक्ति बन्दी बनाया? नहीं। आपने तो बस किसी गतिविधि में भाग लेने पर माननीय संसदसदस्य श्री राय को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन बन्दी बना लिया। परन्तु जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है आपने न तो किसी को बन्दी बनाया और न किसी पर अभियोग चलाया। इस सम्बन्ध में, मैं अब मन्त्री महोदय को उनकी नवीनतम गतिविधि से भी अवगत करना चाहता हूं। निस्सन्देह, कठोर कार्यवाही करने के लिए मुझे सरकार को बधाई देनी चाहिए। नवम्बर में अर्थात गत सप्ताह गुरु नानक के जन्म दिन पर पाकिस्तान में ननकाना साहिब में अतिवादी सिखों द्वारा यह खालिस्तान सम्मेलन किया जाना था। वे इकट्ठे होने जा रहे थे और एक संकल्प पास करने वाले थे। अतः उनकी गतिविधियां अभी भी चालू हैं। वे गत सप्ताह भी अपनी गतिविधियों में सक्रिय थे। परन्तु सौभाग्य से सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा और इसे रोक दिया गया। इससे पता चलता है कि आज तक भी उनकी गतिविधियां चालू हैं। अतः मेरे मित्र की इस बात में कोई जान नहीं है कि इसको समर्थन प्राप्त नहीं है। अब तो उन्हें बड़ा समर्थन मिल रहा है। बात यह है कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता से हम सभी सम्बद्ध हैं। प्रश्न यह है कि हम सब किस प्रकार मिलकर इसका हल खोजें। हमें इस बुराई का सामना करने के लिए कोई हल ढूंढ़ निकालना चाहिए जिससे कि इस देश का एक बार फिर बटवारा न

हो। हम 1947 में एक बार इस बंटवारे को झेल चुके है। एक बात कही गई है और मेरा आपसे निवेदन है कि सत्य का पता लगाएं। कुछ कागजात से मुझे पता चला है कि खालिस्तान आंदोलन की जड़ें 1947 से ही देखी जा सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि संविधान-सभा के कुछ माननीय सिख सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। क्या यह बात सही है? क्या आपने इस बात के कारण जानने का प्रयास किया कि उन्होंने संयिधान पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया था? कुछ पुस्तकों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछ वायदे दिए गए थे परन्तु वे पूरे नहीं किए गये और इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। और तभी से इस खालिस्तान आन्दोलन की जड़े जमी हैं। मैं यह जानना काहता हूं कि क्या यह बात सच है क्योंकि यह बात एक ऐसे व्यक्ति ने अपने एक भाषण में कही है जो कि इस विशिष्ट गतिविधि में सक्रिय भाग ले रहा है।

अन्य समस्याएं भी हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना है। मैं अनुभव करता हूं कि सबको विश्वास में लेकर ही इस प्रश्न को हल किया जाना है। इस प्रश्न को केवल राजनीतिक मंच पर हल नहीं किया जा सकता है। हमें केवल यह बताने से ही यह प्रश्न हल नहीं होगा कि "मैं कई वर्षों तक जेल में रहा हूं, मैं एक राष्ट्रवादी हूं, मैं जानता हूं कि समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है" आदि आदि। गृह मन्त्री महोदय से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की जाती।

अत: मैं सविनय निवेदन करता हूं कि हमें एकता की भावना को विकसित करना होगा, इस भावना को कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से लेकर कन्याकुमारी तक से आने वाले सभी एक हैं, हम सभी भारतीय हैं, और जब तक हम उस भावना को विकसित करने का प्रयास नहीं करते तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। केवल बन्दूकों और बोनटों के बल पर आप इस विशिष्ट समस्या को हल करने में सफल नहीं होंगे। सरकार भी तो कमजोर है। मेरे से पूर्व बोलने वाले मेरे विद्वान सहयोगी ने यह उल्लेख किया था कि लाला जगतनारायण की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। फिर दूसरे सप्ताह एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। काम करने का तरीका एक ही है। एक मोटर साइकिल पर तीन व्यक्ति आए। उन्होंने किसी व्यक्ति-विशेष पर गोली चलाई और वह मर गया। आप अपराधी को पकड़ने में असमर्थ हैं। आप अपराधी से केवल अपील ही करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे विचार से आप संदिग्ध व्यक्ति हैं, आप आत्म-समर्पण नहीं करते हैं और जब वह आत्म समपर्ण करता है। तो आप घुटने के बल चलकर जाते हैं और आप उससे केवल आत्म समपर्ण करने का अनुरोध करते हैं। किसी सरकार के लिए यह कार्य करने का ढंग नहीं है। इस प्रकार काम करने से यह समस्या हल नहीं होगी।

महोदय, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करुंगा। राज्य सभा के एक माननीय सदस्य ने जिन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त की, मैं उन्हें उद्धृत करना चाहूंगा:

"मैं सरकार से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम कौन हैं ? और हम कहां के रहने वाले हैं ?"

और उन्होंने बताया :

"मैं एक फिल्मी गीत के शब्दों को दोहराता हूं :

"हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।"

जब तक हम इस देश में रहने वाले सभी लोगों के मन में यह भावना पैदा नहीं कर देते हैं, तब तक ऐसे प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता है निस्सन्देह, मैं आपसे कुछ ऐसे उपाय करने, कुछ ऐसे कदम उठाने का एक बार फिर निवेदन करूंगा जो कि सरकार के नाते आप उठा सकते हैं, जिससे कि हम इस समस्या को अधिक अच्छी तरह से और आसानी से हल कर सकें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : सभापति महोदय, श्री समर मुखर्जी ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि पंजाब सरकार एक कमजोर नीति का अनुसरण कर रही है।

यह निवेदन है कि पंजाब की वर्तमान स्थिति बहुत ही नाजुक तथा गम्भीर है। पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और यह सीमावर्ती राज्य होने के नाते ऐसी नाजुक स्थिति में इस क्षेत्र का और भी महत्व है पंजाब सरकार अपराधियों को दन्ड देने के लिए दृढ़ सकल्प है तथा इस सम्बन्ध में वह तीन व्यक्तियों को पकड़ चुकी है। जब धर्म राजनीति से जुड़ जाएं और अपराधी स्वर्ण-मन्दिर भीतर चले जायें तो क्या आप पुलिस से यह उम्मीद करते हैं कि पुलिस स्वर्ण मन्दिर में घुसकर अपराधियों को पकड़ लाये ? पंजाब में वही स्थिति चल रही है तथा मुझे पूरा निश्चय है कि अपने दृढ़ निश्चय से वह सभी अपराधियों को पकड़ने में समर्थ होगी जो कि लाला जगत नारायण तथा अन्य निरापराध लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। सामने बैठे हुए माननीय सदस्य ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया है कि यह आन्दोलन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे देशों में चल रहा है और चूंकि हमें अमेरिका से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ऋण लेना है, इसलिए हम उनके साथ गम्भीरता से बात नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो डालर आपने दिखाए हैं तथा जिस पत्र का संदर्भ दिया है वह बैंकुवर के एक व्यक्ति हैं तथा बैंकुवर अमेरिका में नहीं है। यह कनाडा में है (**व्यवधान**) वह एक राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति हैं आप समाचार मे उसका वक्तव्य पढ़ लीजिए वह कहीं पर ठहरे हुए हैं।

महोदय, श्री सूरजभान ने कहा है कि प्रधान मत्री ने हिन्दू नेताओं को आमंत्रित किया है तथा राजनैतिक दलों को आमंत्रित नहीं किया गया। मैं खेद के साथ कहता हूं कि यदि वह अपने आपको हिन्दू नेता कहलवाना चाहते हैं तब हम निश्चित रूप से सिफारिश कर सकते हैं कि उनको बुलाया जाना चाहिए (**व्यवधान**) उन्होंने यह भी कहा है कि सभी राजनैतिक दलों को आमंत्रित

किया जाना चाहिए था। परन्तु मैं सभा को यह भी बतला दूं। कि इससे सम्बन्धित सभी दलों को बुलाया गया था। पंजाब में से भारतीय जनता पार्टी की एक भी नहीं है। (व्यवधान) पंजाब में आप एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल नहीं है।

एक माननीय सदस्य : केवल कुछ राजनैतिक नेताओं को आमंत्रित करने का यह कारण नहीं था।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : जब हिन्दूनेताओं ने अपील की थी कि वे इस में भाग लेना चाहेंगे तो आपने उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया ? कांग्रेस (इ०) के लोग हिन्दू हैं, कांग्रेस (इ०) के लोग सिख हैं तथा उनको आमंत्रित किया गया। परन्तु आप दूसरे राजनैतिक दलों को विश्वास में लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : मैंने कहा है कि हिन्दू नेताओं ने सरकार से अपील की थी कि उनका भी दृष्टिकोण है तथा उन लोगों ने अपील की और निवेदन किया तथा उनको आमंत्रित किया गया। बात यह थी। असली बात जो उन्होंने कही वह यह है कि श्री भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया तथा फिर छोड़ दिया गया। महोदय, जिस व्यक्ति को लाला जगत नारायण की हत्या के भिंडरा वाले के बारे में कुछ जिक्र किया था तथा इसके फलस्वरूप श्री भिंडरावाले के विरुद्ध वारन्ट जारी किये गए थे। परन्तु पूरी पूछताछ तथा जांच के पश्चात उनमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली इसलिए उनको छोड़ दिया गया। हम यह नहीं कहते कि जो भी इसके लिए उत्तरदायी है, उसको रिहा किया जाना चाहिए। परन्तु कानून है। और हमारे सामने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि आप ऐसी किसी व्यक्ति से, जिस पर आपकी शक है, तब तक पूछताछ नहीं कर सकते जब तक उसके साथ वकील नहीं हो। आप किसी मामले की जांच वकील की उपस्थिति में ही कर सकते हैं। अतः इन अपराधियों की भलीभांति ढग से जांच करने के मार्ग में यह भी बाधक है। परन्तु कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है उसके साथ उचित कार्यवाही की जायेगी (व्यवधान) परन्तु यहां पर उसके पास नहीं मिला। क्या आप किसी भी व्यक्ति को, जिसके ऊपर आपको शक हो, तथा उसके पास कुछ थी न हो, पकड़ सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या आप पंजाब सरकार की ओर से बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय : यदि मैंने उनको ठीक प्रकार से समझा है तो श्री भाटिया स्वयं अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां तक पंजाब सरकार के विचारों का सम्बन्ध है उनका कोई प्रवक्ता यहां नहीं है। हां, भारत सरकार की ओर से हमारे गृहमन्त्री या प्रधान मन्त्री उत्तर दे सकते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है तथा वहां की स्थिति काफी गम्भीर है। हम निवेदन करेंगे कि सभी दलों की इस स्थिति को राष्ट्रीय दृष्टि कोण से देखना चाहिए। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह पूर्वी भारत में भी हो रहा है तथा

कुछ विदेशी शक्तियों की आस्थिरता उत्पन्न करने की नीति है। हमें यह देखना चाहिए कि इस स्थिति को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाये।

कुछ व्यक्ति पंजाब में एकता भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि पंजाब के कुछ पूर्ववक्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है कि वहां पर हिन्दुओं और सिखों में साम्प्रदायिक एकता की भावना है। इस उत्तेजना के बावजूद भी वहां पर कोई साम्प्रदायिक दंगे या ऐसी कोई बात नहीं हुई। पंजाब के लोग धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के हैं और इसीलिए वे इसको इस भावना से ले रहे हैं। मगर कुछ व्यक्ति इस एकता को भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन व्यक्तियों में से एक जगजीत सिंह चौहान है जिनका नाम श्री समर मुखर्जी ने भी लिया है। यह सज्जन 1971 के युद्ध में लाहौर गये तथा वहां से राष्ट्रविरोधी भावनायें फैलायी। उसका प्रवेश निषिद्ध था परन्तु दुर्भाग्य से 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तबउसको भारत आने की अनुमति दे दी गयी।

अकाली दल भी अपने आपको इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर सकता कि वे भी इस विचार से सहमत हैं कि खालिस्तान होना चाहिए। मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। जिससे आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि वे अकाली दल भी इस विचार में से सहमत हैं। आनन्दपुर संकल्प 1973 में पारित किया गया था जिसमें सिखों को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था उस बैठक में अकाली दल उपस्थित था। अकाली नेताओं को भाषण दिए और उन्होंने उसे स्वीकार किया। आज भी वे अपने विभिन्न भाषणों में वे आन्नदपुर संकल्प का जिक्र कर रहे है। इसलिए वे खालिस्तान की मांग की जिम्मेदारी से अपने आपको दूर नहीं रख सकते।

जैसा कि मैंने कहा है, उस समय जब पंजाब में अकाली दल सत्तारुढ़ था तथा केन्द्र में जनता पार्टी के साथ श्री जगजीत सिंह चौहान को भारत में आने की अनुमति दे दी गयी। कांग्रेस सरकार ने उसके आने पर प्रतिबन्ध लगा रखा था परन्तु जबकि हमारे माननीय मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मन्त्री थे, तब जनता सरकार ने भारत वापस आने की अनुमित दे दी। उसको अनुमति क्यों दी गयी, हमें नहीं पता। या तो वह उसकी गति विधियों से अनभिज्ञ थे या उन पर अकालियों द्वारा भारत में उसके प्रवेश की अनुमति देने के लिये बहुत अधिक दबाव डाया गया था। इसका उत्तर उन्हें देना है परन्तु इन तथ्यों की हमें जानकारी है।

1981 में पुनः आनन्दपुर में एक सिख सम्मेलन हुआ था जहां खालिस्तान संकल्प पारित किया गया था तथा अकाली नेता उस सम्मेलन में उपस्थित थे। अतः वे यह नहीं कह सकते कि वे खालिस्यान की मांग के बिरुद्ध हैं। इसका कारण यह है उनका इस संकल्प में हाथ है तथा खालिस्तान के बारे में सोच रहे है।

इसके अतिरिक्त उग्रवादी स्वर्ण मन्दिर में छिप रहे हैं। तथा उसके परिसर में रह रहे हैं

आकाली दल का वहां पर मुख्यालय है । ये अपराधी स्वर्ण मन्दिर तथा इसके अहाते में छिपे हुए हैं तथा अकाली उन्हें नहीं दे रहे हैं । पंजाब सरकार ने तथा मुख्य मन्त्री ने स्वंय उनसे अपील की है कि ये व्यक्ति हैं, ये उनके नाम ये हैं तथा पुलिस को इनकी आवश्यकता है परन्तु उनको दिया नहीं गया है । वे केवल यह कहते हैं 'आप जाकर अपराधियों को अपने आप ढूंढ़ लीजिए' और यदि पुलिस स्वर्ण मन्दिर में घुसती है तो वे चिल्लायेंगे कि पुलिस स्वर्ण मन्दिर के आहाते में घुस गयी । अत: पंजाब के इस सारे संकट के लिए अकाली उत्तरदायी हैं । महोदय, क्या अकालियों ने कभी लाला जगत नारायण की हत्या की निन्दा की है ? क्या उन्होंने पंजाब में निरापराध लोगों की हत्या की निन्दा की है ? उन्होंने नहीं की । उन्होंने विमान अपहरण करने की भी निन्दा नहीं की । इससे स्पष्ट है कि या तो उनको उनके प्रति सहानुभूति है या वे पंजाब में इन अब कार्यों के लिए उकसा रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर आप अकालियों से बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : हम वर्तमान स्थिति को सुलझाने के लिए बात कर रहे हैं इसलिए नहीं कि अकाली इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं स्थिति को सुलझाने के लिए मैं कहा रहा हूं कि सरकार के लिए बात चीत द्वारा वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक हैं और आप यह पसन्द नहीं करते कि हम विपक्ष से बात करें । हम आपसे भी बातें करते हैं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : और हमें गाली भी देते हैं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, यह एक उपाय है । सत्य को किसी बहाने से छिपाया नहीं जा सकता है । अकाली इस सारी स्थिति के लिए एक समान रूप से उत्तरदायी है तथा वे अपने आपको निरपराध नहीं ठहरा सकते जब वे सत्ता में हैं तब वे खालिस्तान जैसा कुछ नहीं कहते तथा ऐसी कोई माँग नहीं करते । जब वे ढाई वर्ष तक सत्ता में रहे तब वे अमृतसर से दिल्ली आने वाली फ्लाइंग मेल माग को 'गोल्ड टेम्पिल एक्सप्रैस' नाम नहीं दे सके परन्तु अब जबकि वे सत्ता में नहीं हैं वे ऐसी सभी मांगे रख रहे हैं । उन्होंने यह भी मांग की है कि पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे हैं, वे वापस लिए जाने चाहिए । वे 2/1/2 वर्ष तक जब वे सत्तारुढ थे, कहां थे ? तब उन्होने माँग नहीं की फिर अब वे यह मांग क्यों कर रहे है ? अब जबकि वे सत्ता में नहीं है तो वे मांग करते हैं और जग वे सत्ता में होते हैं तो चुप रहते हैं ।

मैं भारतीय जनता पार्टी को भी दोषी ठहराता हूं । जब अकाली ये सब मांगे कर रहे थे अथवा इस किस्म के काम कर रहे थे, उस समय ये भी चुप थे । जब अकाली पंजाब सरकार में और केन्द्रीय सरकार में भी शामिल हो गए जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने श्री जगजीत सिंह के पारपत्र को भी स्वीकृति दे दी जिसके लिए प्रस्ताव भी पास किया गया । जब उन्होंने आपका साथ दिया और आपसे हाथ मिलाये और सहयोग किया तो उस समय भी तत्सम्बन्धी प्रस्ताव

था। इसे मत भूलिये। 1977 में आपने उनसे पूर्णतः यह जानते हुए सहयोग किया कि वे साम्प्रायिक हैं और उनके पास आनन्दपुर का प्रस्ताव है जिसका जिक्र अभी-अभी श्री सूरज भान पहलेकर ने किया है। प्रस्ताव अब तक भी है। अतः आप जिम्मेवारी से नहीं बच सकते कि आपने वे सब बातें नहीं होने दीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महाराष्ट्र में शिव सेना के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इसका नाम भिन्न है। लेकिन सब लोग खालिस्तान के बारे में बोल रहे हैं और मेरे मित्र भी इस बारे में बोल रहे हैं और मुझे उत्तर देना है।

मैं पंजाब के उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो ऐसी उत्तेजतापूर्ण स्थिति के बावजूद भी शन्ति पूर्ण रहे और जब सरकार अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी तो संयम के साथ रहे। पंजाबियों का चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ है। वे बहादूर लोग हैं। उनकी बुद्धि तेज है और उनका दृष्टिकाण धर्म निरपेक्ष है। पंजाबियों ने ये लड़ाईयां लड़ी हैं। उन्होंने कठिन तथा संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया है। शान्तिकाल में उन्होंने अपने परिश्रम से हरित क्रांति को जन्म दिया है। उनकी बुद्धि तेज है, क्योंकि उन्होंने कृषि की आधुनिक प्रणाली को अपनाया है और वे चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इसी कारण वे जहाँ भी गये सफल रहे हैं। चाहे वे बम्बई, कलकत्ता अथवा कानपुर या विदेश जायें, वे उस समाज में महत्व-पूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका दृष्टिकोण बहुत ही निरपेक्ष है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, पंजाब में उत्तेजनापूर्ण स्थिति के बावजूद वहां मैत्रीपूर्ण वातावरण रहा है, यद्यपि कुछ लोग···

सभापति महोदय : आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन भाटिया : जी हां, मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं पंजाब के सभी लोगों, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या कोई और, को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में है, उस समय तक शांति बनी रहेगी और किसी भी अपराधी को सड़क पर घूमने नहीं दिया जायेगा। हम केवल यही बदल देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सभी राष्ट्रीय दलों से मैं सहयोग की अपील करता हूं। हमें इसे किसी एक दल का मामला नहीं बनाना चाहिए। यह एक बहुत नाजुक प्रश्न है। यह संकट एक नाजुक क्षेत्र एक सीमावर्ती राज्य में है, जहां पाकिस्तान की सीमा इस राज्य से मिलती है हम जानते हैं कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं। अतः हमें इसे किसी एक दल का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये बल्कि इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब में शांति बनी रहे। धन्यवाद।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदक, आज जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं, वह विषय भारत की राष्ट्रीयता और भारत की अखन्डता के साथ अन्त काल से जुड़ा

हुआ है। हमारा देश बहुत सी भाषाओं, बहुत से सम्प्रदायों और बहुत से परस्पर-विरोधी मता-बलम्बियों को मिलाकर एक राष्ट्र बना हुआ है। दुनिया के बहुत से अन्य राष्ट्रों से हमारा देश भिन्न है। इसमें दो बातें निहित हैं : एक तरफ तो भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय और अन्य बातों में विभिन्नता, और दूसरी तरफ उस विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता। वह एकता इस आधार पर है कि हम परस्पर-विरोधी मत को सहन ही नहीं करते, उसे बर्दाश्त ही नहीं करते, उसकी इज्जत भी करते हैं, प्रतिष्ठा भी देते हैं। वह हमारी राष्ट्रीयता का आधार रहा है।

गत 15 नवम्बर को संयोगवश मेरे लिए वह सौभाग्य का समय था, जब 41 वर्षों के बाद कुछ विस्तार के सीमान्त गाँधी से—मैं उन्हें महर्षि कहना पसन्द करूंगा महर्षि खान अब्दुल गफ्फार खान से मेरी बातें हुई। पटना में इमारतें-शरिया के नये भवन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने बड़े दर्द से कुछ बातें कहीं। आज हमारे देश के विभिन्न भागों में जो कुछ हो रहा है, उसमें दो बातें एक साथ मिल गई हैं। एक तरफ विभिन्न हिस्सों में देश की एकता के लिए खतरा पैदा होता है, अलगाव और तोड़-फोड़ की ताकतें सक्रिय होती हैं और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इस खतरे से आंख मूंद लेना और शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करना हमारे देश के हित में नहीं होगा—हममें से किसी के हित में नहीं होगा।

खतरा है, मगर, इस खतरे के कारण हम अपने आप को असहाय मान लें, हम निराश हो जाएं बदहवास हो जाएं, या घबराहट में ऐसा सोच लें कि एकता टूट ही जाएगी, वह टूट ही रही है, तो वह दूसरी बड़ी गलती होगी, वह एक बहुत बड़ी भूल होगी इतिहास में एकाध बार हम कर चुके हैं। वह भूल नहीं करनी है।

आज भी हमारे देश में अशांत वातावरण है। उस वातावरण से शासक-गिरोह, शासक-दल, शासक वर्ग अपने को वंचित नहीं कर सकता। हमारे मित्र जनता पार्टी की सरकार में रहे हों या पहले की कांग्रेस सरकार में रहे हों या आज की कांग्रेस आइ की जो सरकार है उस दल में रहे हों, मैं सभी को शासक-वर्ग में समेट कर एक साथ कह रहा हूं कि देश में जो पूंजीवादी रास्ता अपनाया गया है जिस पूंजीवादी रास्ते के चलने लोग असंतुष्ट होते हैं, बेकारी बढ़ती है, निराशा बढ़ती है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, काले धन का पैसा हिंसा बढ़ाने के लिए, हिंसा उकसाने के लिए, पैसा देकर किसी का कत्ल, किसी की हत्या करवाने का जो काम बढ़ रहा है, इसके लिए जो काले धन का इस्तेमाल होता है, इसी माने में मैंने कहा, मैं इच्छा की बात अभी नहीं कह रहा हूं लेकिन शासक वर्ग की नीति, पूंजीवादी वर्ग की नीति उसके लिए जिम्मेदार रही है, और उसके लिए जिम्मेदार आज भी है। आज भी जब यह समस्या मणिपुर में, मिजोरम में उठती है, आसाम में उठती है तो कहीं भी यह कहने की हमारी हिम्मत नहीं होती है, मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं कह दूं कि उनकी सारी शिकायतें बेबुनियाद हैं, उनकी कोई शिकायत जायज है ही नहीं, यह कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए कि उपेक्षा हुई है, जायज मांगे अनसुनी की गई हैं और इसलिए हमारी आबादी के एक हिस्से में कुछ निराशा भी फैली हैं क्योंकि हमने समय पर उसका समाधान नहीं किया है।

अब जहां तक पंजाब का मामला है, हम सभी जानते हैं कि 47 के बंटवारे के लिए पंजाब जिम्मेदार नहीं है मगर फल उसको भुगतना पड़ा। पंजाब के हिन्दू या सिख या मुसलमान जो भी थे उनका बहुमत उस बंटवारे के पक्ष में नहीं था। मुस्लिम लीग जो बंटवारा चाहने वाली संस्था थी उसकी सत्ता पंजाब में नहीं थी। मगर बंटवारा हुआ। अभी जैसा मैंने जिक्र किया, 15 नवम्बर को खान अब्दुल गफ्फार खां ने कहा कि जिन्होंने पाकिस्तान की मांग नहीं की थी उनको आपने खालिस्तान में ढकेल दिया। मगर जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद लाखों लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर आए। पंजाब के ऐसे लाखों लाख बन्धु थे जो बेघर-बार होकर आए, माताएं आईं, बहनें आईं, कुछ अपना सोहाग खोकर आईं और उस खानाबदोशी की हालत में जितने पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे, मुख्यत: उसमें पंजाबी और सिन्धी थे, वह आज देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिष्ठित नागरिक बन गए हैं। उन्होंने अपनी ही नहीं जिस इलाके में गए उस इलाके की उन्नति में, वहां के कारोबार को बढ़ाने में, कहीं-कहीं छोटे और मझोले उद्योग लगाने में अपने को सहायक साबित किया है। और इससे पहले का भी इतिहास, आजादी की लड़ाई का इतिहास हम जानते हैं। अभी तक की बातें हम जानते हैं और इन सबकी बिना पर भरोसे के साथ हम कह सकते हैं कि जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उलझनें हैं और जो भी तोड़-फोड़ की शक्तियां वहां सक्रिय हैं उनसे जो खतरा पैदा हो सकता है उस खतरे का मुकाबिला तो करना है मगर उग्र-बदहवाशी के' बगैर होश हवास को खोए हुए इस विश्वास के साथ कि पजाब के बाशिन्दे सभी पंजाबी, चाहे वह सिख हों, या गैर-सिख हों देश की एकता पर आंच नहीं आने देंगे, देश की एकता के लिए सारे भारत के साथ एक साथ मिलकर खड़े होंगे। यह इसका आधार है जिस आधार पर भारत की सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है, पजाब में काम कर रहे विभिन्न दलों को और हुकूमत के लोगों को इस आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

मगर वहां कुछ घटनाएं हुईं, अमृतसर में कुछ दुकानें लूटी गईं कुछ दुकानों में आग लगाई गई, सिगरेट बेचने की दुकानों में आग लगाई गई। मेरा जैसा आदमी बड़ा खुश होगा अगर देश के सभी लोग पूरी तरह से सिगरेट पीना, धुआं पीना छोड़ दें। इसलिए अगर कुछ सिख नौजवान जिन्होंने ऐसा किया, वह अगर इसके लिए प्रचार करते तो मैं भी शायद उनमें शामिल हो जाता, मगर उसके लिए जब लूट.पाट की घटनाएं हुईं, जोर जबर्दस्ती की घटनाएं हुईं, आगजनी की घटनाए हुईं तो वहां पर कम्यूनिस्ट पार्टी ने जुलूस निकाला। कम्युनिस्ट पार्टी ने उस लूट-पाट के खिलाफ जुलूस निकाला था और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का आह्वान किया था कि आइये, इस सवाल पर आप हमारा साथ दीजिए, सुरक्षा के लिये हम सब मिलकर काम करें। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां वहां पर हैं—वह चाहे कमजोर हैं या मजबूत हैं—मैं नहीं समझता कोई भी राजनीतिक दल इस पक्ष में होगा कि दुकानों को लूटा जाये और वह भी अमृतसर जैसे पवित्र स्थान में पवित्र स्वर्ण मन्दिर के पास—उनकी ओर से राजनीतिक स्तर पर कोई विरोध नहीं हुआ और सरकारी दल को तो जैसे लकवा ही मार गया।

अभी यहां पर बहुत सारे मित्र सरकारी कदम उठाने की मांग कर रहे थे। उसकी भी जरूरत है लेकिन क्या सिर्फ उसी से काम चल जायेगा ? क्या सिर्फ दमन की ही आवश्यकता है ? क्या सिर्फ फौज या पुलिस की शक्ति से ही दबाने की आवश्यकता है ? मैं करूंगा — नहीं। उसकी भी जरूरत तो है लेकिन सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा। आज कुछ लोगों की समझ उलज गयी है, कुछ लोग उलझन में पड़ गए है। कुछ लोगों की शिकायते जायज हैं और कुछ की शिकायतें मनगढन्त हैं। कुछ लोग विदेशी प्रचार में पड़ गए हैं। इस तरह से आज हमारे देश पर खतरा है। हम जानते है कि अमृतसर और पंजाब केवल पश्चिमी हिस्सा ही नहीं है, वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं है बल्कि सम्पूर्ण भारत का आज वह प्रहरी है। वह आज भारत के लिए एक किला है। जब भी कभी हमारे देश पर मुसीबत आई है तब उसने एक किले के रूप में और एक प्रहरी के रूप में काम करके देश की रक्षा की है। ऐसी हालत में दमन की आवश्यकता भी पड़ सकती है, हत्यारे को गिरफ्तार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है लेकिन हत्या के वातावरण को मिटाने के लिए एक राजनीतिक अभियान की भी आवश्यकता है। इसके लिए एक राजनीतिक आन्दोलन की आवश्यकता है जिसके द्वारा उसे गलत समझ के खिलाफ अभियान चलाया जाए जो कि इस देश के खिलाफ है और इस देश केसभी सम्प्रदायों के खिलाफ है। आज इस प्रकार के आन्दोलन को चलाने की बड़ी आवश्यकता है। आज पंजाब के अलावा दूसरे स्थानों के सिंख भी इस बात को महसूस करते हैं कि अगर जरूरत हो तो हम भी बिहार से, कलकत्ता से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, हैदराबाद से, बंगलौर से वहां पर जायें और जाकर अपने भाइयों से कहें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वह दूसरों के खिलाफ तो है ही, हमारे अपने हित के भी खिलाफ है।

समापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं समाप्त कर रहा हूं।

तो मैं आग्रह करूंगा कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर तो चोट कर सकते हैं लेकिन जो शासक बल है उसके ऊपर अधिक जिम्मेआरी है। सरकार के पास आकाशवाणी जैसे जो प्रचार के माध्यम हैं उनके जरिये से राष्ट्रीय एकता के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार करने की आवश्यकता है। आकाशवाणी से खबरें तो प्रसारित की जाएंगी लेकिन जो मूल तत्व है जिसके जरिए से लोगों के मन को बदलना है उस पर हमारी आकाशवाणी चुप रहती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी एक अभियान चलाने की आवश्यकता है।

जहां तक सम्प्रदायों का मामला है, सारी गड़बड़ियों के बावजूद, सामन्ती समाज की बहुत सी कुरीतियां चालू रहने के बाद भी हमारी मजहबियत में यह खूबी रही है कि एक सहोदर भाई यह समझता है कि मछली खायेंगे तो दोजख में जायेंगे और दूसरा भाई यह समझता है कि अगर मछली नहीं खायगे तो न वह यहां मिलेगी और दोजख में तो मिलती ही नहीं इसलिए यहीं से स्वर्ग में उसको पार्सल करना होगा। इस तरह से यहां पर एक दूसरे के लिए प्रतिष्ठा है और इज्जत है। यह जो हमारी विशिष्ठता रही है और आज भी इस बात की आवश्यकता है कि अनकता में जो एकता का वातावरण है, इसका हम प्रसार करें और साथ ही साथ जो बेकारी,

और भ्रष्टाचार है तथा जो कुछ भी काला-धन है, जिसको यह सरकार बढ़ाये जा रही है, उस स्थिति में इस तरह के तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है और सरकारी दल उससे बच नहीं सकती है।

पंजाब के बारे में आम चर्चा है, गृह मन्त्री जी कहेंगे कि गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री के गुटों में मतभेद के चलते समस्या को बढ़ाने में मदद मिल रही है, संभाल में नहीं है, यह नहीं कि संभाल नहीं सक रहे हैं, बल्कि यह बढ़ा रहे हैं। आप देश के और भी हिस्सों को देखिये, बिहार में राजनीतिक हत्यायें होती हैं···(व्यवधान)···आप नहीं सुनना चाहेंगे, तो मैं बन्द कर दूंगा और यदि आप कान बन्द कर लेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है और और मुझे बैठने के लिये कहेंगे तो मैं बैठ भी जाऊंगा, मैं जबरदस्ती सुनना नहीं चाहूंगा। ऐसी स्थिति में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। अभी बिहार में भी राजनीतिक हत्यायें हुई हैं। सभापति जी आप खुद बिहार के हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको भी इस बारे में खबर होगी कि वहां एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी हत्या तथा चार बरस के बच्चे को मां की गोद से लेकर हत्या कर दी गई और कुछ मुकद्दमों में पुलिस के स्तर पर ही फाईनल रिपोर्ट देने के लिए पटना सरकार से आदेश आया, खूद साबित होने पर भी, जो कि ब्रिटिश के जमाने में भी अभी तक नहीं हुआ था। अदालत से भले ही वह प्राइवेट डिफेंस के नाम पर रिहा हो जाए। इस तरह से अपने गुट के हित में, व्यक्तिगत हित में, मेरी समझ में जबकि यह किसी का हित नहीं हैं लेकिन उसको हित समझकर हिंसा को बढ़ावा सरकार के लोग दें, तो उसको संभालना देश को कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं अपील करता हूं कि हमें दल या पार्टी लैवल से ऊपर उठकर देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए जो साम्प्रदायिक शक्तियां हैं, उनसे दोनों स्तर पर एक यह जो उनकी जायज मांगे हैं, उनको पूरा करके, उनकी जो जायज तंकलीफें हैं, उनको दूर करके, इस समस्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं आना चाहिए, चाहे मिजोरम का मामला हो, चाहे असम का मामला हो, चाहे पंजाब का मामला हो या किसी और हिस्से का मामला हो। दूसरी बात यह है कि आम प्रचार के जरिए राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है, मगर जहां पर कत्ल का सवाल आता है, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है तो राजदंड को इस्तेमाल करने की चूक खतरनाक है, उस मायने में सरकार चूक रही है, अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है। उसको इस मायने में विमुख नहीं होना चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, यह हमारे लिए ही नहीं, बल्कि किसी के लिए भी खुशी की बात नहीं है कि हम पंजाब की सूरत के बारे में सदन में चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रदेश के लोगों ने, चाहे आजादी की लड़ाई से पहले या बाद में पंजाब के सारे लोग चाहे हिन्दू थे, मुसलमान थे, सिख थे, उन्होंने बहुत कुर्बानियां की हैं। जिस प्रदेश ने भगतसिंह शहीदे आजम दिया, जिस प्रदेश से गुरु नानक साहब ने एकता का संदेश दिया, जो सारे भारत और संसार में गूंजा। जिस प्रदेश ने आजादी के बाद जो हमारी लड़ाइयां शुरू हुई,

उसमें छोटे-छोटे बच्चों ने, बहनों ने, बड़ों ने, बाहर से जो हमले हुए, उनका बहादुरी के साथ मुकाबला किया।

बरसते हुए बार्गो के बीच खेतों में आकर हमारे जवानों को रोटी पहुंचाई। अभी हमारी बहन बतला रही थीं जो प्रदेश अपने पैदा किये अनाज का अधिकतर हिस्सा देश को देता है, कि प्रदेश के लोगों ने सिर्फ पंजाब को ही नहीं बढ़ाया, कहीं भी जाकर बसे, चाहे दिल्ली में बसे तो दिल्ली की शान को चार चान्द लगाये, यू० पी० में बसे तो यू० पी० को आगे बढ़ाया, दुनिया के किसी भी कौन में गये, उन्होंने अपनी ताकत, हिम्मत और काम से दूसरों के साथ उस देश का नाम ऊंचा किया, इण्डस्ट्रीज को बढ़ाया, आज उस प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे कोई खुशी नहीं है, जिस अन्दाज में चर्चा कर रहे हैं उससे भी खुशी नहीं है, जो हो रहा है वह भी बहुत अफसोसनाक बात है। मैं बापू सहाब पारुलेकर का बहुत आदर करता हूं बहुत पुराने सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत समझदारी से बोलते हैं, उन्होंने कुछ बातें यहां पर कहीं, कुछ पुरानी बातों की हिस्ट्री सुनाई और आखिर में वह जिस नतीजे पर पहुंचे, मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं —"क्या वह बात सही है ?" मान लीजिये किसी हद तक कोई बात सही हो, तो भी किसी बात को किस तरह से कहना चाहिये, उनको समझना चाहिच था, हालांकि मैं उनकी बात से बिलकुल एग्री नहीं करता। उन्होंने कान्सलूजन में कहा खालिस्तान के लिये देअर—इज—बिग सपोर्ट। यह एक्सप्रेशन उन्होंने यूज किया था। हम जरा सोचें सबसे पहली बात तो यह कि क्या यह सही है ?

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : रिकार्ड देख लिया जाये।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : यदि यह गलत है तो मुझे इस बात का खेद है।

सभापति महोदय : यदि मुझे ठीक तरह से याद हो तो इन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश, सेना के एक भूतपूर्व जनरल तथा एक भूतपूर्व पुलिस निरीक्षक इसके लिये अपना समर्थन दे रहे थे।

श्री एच० के० एल० भगत : यदि मेरी धारणा गलत हो तो मैं अपने शब्द वापिस लूगा लेकिन मैं समझता हूं इन्होंने ऐसा कहा था।

सभापति महोदय : नहीं इन्होंने कहा था।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपकी बात समझ गया। इस बारे में मेरी यह राय है कि खालिस्तान के काम के लिये हिन्दुस्तान में कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। मैं सिखों से रोजाना मिलता हूं, यू० पी० के सिखों में मिलता हूं, अभी हाल में मुझे बहार जाने का मौका मिला बैंगकाक के सिखों से मिलने का मौका मिला, वहां 30 हजार सिख रहते हैं, उसके बाद टोकियो में मुझे कुछ कैनेडियन सिख मिले उनसे मैंने बात की, मुझे एक आदमी भी खालिस्तान के हक

में नहीं मिला। आस्ट्रेलिया के कुछ सिख मिले वे भी खालिस्तान के खिलाफ थे। मेरा कहना यह है कि खालिस्तान के लिये सिखों की कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा यह कहना नहीं है कि पारुलेकर साहब ने जितनी बातें कही, सब गलत हैं। उन्होंने कहा कि इनको लाइटली नही लेना चाहिए यह ठीक बात है, मैं इस हक में हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। उन्होंने बातें तो बहुत कहीं, आखिर में यह कहा कि सरकार को कदम उठाने चाहिये, यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह सब ठीक है, सरकार को कदम उठाने चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यह है कि कदम क्या उठाने चाहिए ? ए, बी, सी, डी, एक भी कदम उन्होंने एजेस्ट नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि सबमें मिल-वर्तन की भावना पैदा करनी चाहिये, सबने इस बात का जिक्र किया है, इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जिस सवाल पर चर्चा हो रही हैं, उसके बारे में कोई कान्क्रीट सुझाव किसी ने नहीं दिया इस तरह से यह कह देना बहुत आसान है, लेकिन इस पर कोई कान्क्रीट सुझाव दिये जाते वो ज्यादा अच्छा था। वाजपेयी जी नाराज होकर कहने लगे कि पोलिटीकल पार्टीज के लीडर्स से बात क्यों नहीं करते। जरूर बात करनी चाहिये, ज्ञानी जी, अगर बात करने से मसला हल हो सकता है तो जरूर करनी चाहिए। असम के मामले में पोलिटीकल पार्टियों से बात हुई, बी० जे० पी० को छोड़ कर सभी पार्टियों ने उसमें उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने आसाम के लोगों से अपील भी की, उनका एक न जरिया बना। इस लिए पोलिटीकल पार्टी से बात करना ठीक है, मैं उसके खिलाफ नही हूं।

पंजाब के बारे में पोलटीकल पार्टीज के लोगों से बात करो, यह एक सुझाव आया क्या यह उसका सोल्यूसन है। लाला जगत नारायण जी कत्ल हुआ, यह बहुत दुःख की बात है, उनको पकड़ना चाहिए। कौन नहीं पकड़ना चाहता ? अभी जो एक किस्सा मेहता चौक में हुआ बड़े दुःख की बात है। उसके बारे जो कुछ भी हुआ ज्ञानी जी बताएगे। जो कुछ पंजाब में हो रहा है, ला एण्ड आर्डर के जो इंसार्डेट्स हो रहे हैं, उसके बारे में सबको, हमको और आपको चिन्ता है। सवाल यह है कि उसको दूर करने के लिए तरीका है। एक तरीका तो यह है कि कुछ लोगों ने जैसे इशारा किया कि गवर्नमेंट कमजोर हैं, जरा सोफ्ट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अब सवाल यह है कि मजबूत होन के लिए आप क्या स्टेप्स सजेस्ट कर रहे हैं। एक भाई यह कह रहे थे, कि अकालियों से कुछ चर्चा हो रही। अकालियों से हम बातचीत कर हमारी प्राइम मिनिस्टर सहाबा बातचीत कर रही हैं और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही हैं। और खुद लोंगोवाल जी ने कहा है कि बातचीत अच्छी हो रही है, हमें फायदा हो रहा है। इससे थोड़ी मदद इस मामले में मिलेगी।

जब खालिस्तान के बारे में लोंगोवाल जी कहते हैं कि हम इसके हक में नहीं हैं, टोहरा ग्रुप कहता है कि हम इसके हक में नहीं हैं, कोई भी पालीटीकल ग्रुप पंजाब में खालिस्तान के एक हक में नही बोलता। एक भाई ने कहा कि वे इसके खिलाफ नहीं बोल रहे है। क्यों नहीं बोल रहे हैं ? मैं कहता हूं कि जब वे खालिस्तान की डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,

तो क्या हम यह प्रीज्यूम करें कि वे जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, हम यह कहें कि वे कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हमको सोचना यह है कि होलिंग टच किस प्रकार से इस चीज को दिया जा सकता है। अगर अकालियों से बातचीत कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वे भी हिन्दुस्तान के रहने वाले लोग हैं। बहुत काम करने वाले लोग हैं। और बहुत बहादुर लोग हैं चाहे वे हमारे विरोधी ही सही लेकिन हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप के साथ तो उनको हमेशा एलान्स रहा है और हमेशा से पंजाब में अकालियों और जनसंघ अगर मिलते हैं, तो वे जीत जाते हैं वरना हार जाते हैं। आज सब कहते हैं। कि राजनीति से हम ऊपर उठें लेकिन राजनीति से ऊपर उठते नहीं। वे ऐसा कहते जाते हैं लेकिन यह चाहते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, जिससे इस सरकार की बदनामी हो जाए। हमारी बदनामी हो जाए, तो कोई बात नहीं हैं लेकिन सवाल यह कि इस समय जो देश में एक प्रोसेस इमोशनल डिसइंटेग्रेशन का चल रहा है चाहे पंजाब हो, चाहे यू० पी० हो, चाहे कहीं कास्ट का नारा हो, कहीं आसाम का मामला हो, और कहीं बिहार का मामला हो, उनके बारे में हमारा और आपका दिमाग क्या है और हमारा अमल क्या है। हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए कहां तक तैयार है ?

हमारे एक भाई शिव सेना की बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस (आई) के चीफ मिनिस्टर उससे सांठ-गाठ करते हैं। करते होंगे, मुझे नहीं मालूम, नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कहता हूं कि अगर में शिव सेना के इतिहास में जाऊं, तो में आपको बता सकता हूं कि जो उधर बैठने वाले लोग हैं, उन लोगों के ग्रुप ने शिव सेना से मेल-जोल कर के चुनाव लड़े हैं। इसलिए वे दूसरों पर पत्थर क्यों बरसा रहे हैं। वे जरा सोचे कि उन का दामन कितना साफ है। इसके माइने यह नहीं कि मैं समझता हूं कि ऐसा हो। न तो कांग्रेस (आई) के लोग और न विरोधी दलों के लोग इस प्रकार के संकुचित विचार वाले जो लोग हैं या जो पार्टियां हैं, उनसे वास्ता रखें। ऐसे लोगों और पार्टियों के साथ वास्ता नहीं रखना चाहिए, चाहे मैं हूं और चाहे आप हों। असल में हमें क्या करते हैं, यह देखना चाहिए। अब पंजाब का एक सवाल आ गया। इस देश में गुरुद्वारों के बारे में लोगों की यह फीलिंग रही है और गुरुद्वारों के बारे में यही नहीं बल्कि चाहे मन्दिर हों, चाहे मस्जिद हों, चाहे चर्च हों, आम तौर पर लोग यह पसन्द नहीं करते हैं कि पुलिस वहां जाए। ऐसी भावना हिन्दुओं में भी हैं, यह भावना मुसलमानों में भी है और यह भावना क्रिश्चियनों में भी है। वे वहां पर पुलिस का घुसना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि वे खुदा की जगहें हैं। इस के साथ ही साथ हमें लोगों में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल जाकर ऐसे स्थानों पर शैल्टर न ले सके कोई उसकी मदद न करे, कोई उसको सहारा न दे और पालीटीकल रीजन्स पर उनको सपोर्ट न करें। इस प्रकार से हम सोचें खालिस्तान के बारे में। एक भाई ने कहा कि एक आदमी ने कह दिया कि मैं प्रेसीडेंट हूं उसके लिए पासपोर्ट इसू कर दिया। इसलिए खालिस्तान के इसू के बारे में मैं यह बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जहां हों इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, वहां हमें ओवर-एक्ट भी नहीं करना चाहिए और ओवर रीएक्ट भी नहीं करना चाहिए। हम ओवर-एक्ट कर रहे हैं और ओवर

रीएक्ट भी कर रहे हैं । एक आदमी ने केनाडा से पौंड छपवा कर अखबारों में भेज दिया। तो दुदिया भर के अखबारों में यह बात आ गई। मैंन बाहर के विदेशी अखबारों को देखा है। उनमें खालिस्तान की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। पी० टी० आई ने दो लाइने छाप दी तो रायटर ए० पी० और यू० पी० आई से बढ़-चढ़ कर बातें आ गई। मैं अभी आस्ट्रेलिया और जापान गया था ।

मैंने वहां के अखबारों में पढ़ा और वह पढ़ा जिनकी चर्चा हिन्दुस्तान के अखबारों में नहीं हो सकती, जैसा तकरीरें यहां नहीं हो सकतीं । यह सब विदेशी अखबारों में पढ़ने को मिला ।

पाकिस्तान बना, उसका भी नाम लिया गया । अब में उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता मैं तो पकिस्तान में रहता था, वहां तो मेरा पुराना घर है । मैंने पाकिस्तान बनने की डवलपमेंट को देखा है । हम तो पाकिस्तान के खिलाफ थे, इसके बनने के खिलाफ थे । लेकिन पाकिस्तान बनाने में जहाँ और कारण जिम्मेदार थे वहां पाकिस्तान के खिलाफ हमारे कम्युनल लोगों का एक जबर्दस्त रिएक्शन भी जिम्मेदार था। (व्यवधान) आप मत बोलिए । मिस्टर जिन्ना के पास एक अखबार नहीं था । जो उस वक्त सारा एन्टी पाकिस्तान प्रेस था उसने पाकिस्तान का इतना जबर्दस्त प्रचार किया कि पाकिस्तान मूमेंट को उससे बहुत बल मिला, उसका प्रचार हुआ। आप लोग इस बात को समझ लें और अच्छी तरह से समझ लें कि चीजों को एग्जरेट करने से, बढ़ाने से, लम्बी-चौड़ी करके पेश करने से फायदा नहीं होता है ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि पंजाब के हिन्दू पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी में बात करते हैं लेकिन जब मदर टंग लिखवाने का वक्त आता है तो हिन्दी लिखवाते हैं । मैं दिल्ली में रहता हूं । मुझसे कहा जाता है कि आप हिन्दू हैं, आप अपनी मदर टंग पंजाबी क्यों लिखवाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मेरी मदर टंग पंजाबी है । इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें इन सब बातों में बच कर चलेना है, गवर्नमेंट को इस सबसे बच कर चलना है । आज आप इन्टरनेशनल सिचुएशन को देखिये कि वह क्या है, कितनी खतरे वाली है । दुनिया की इकोनोमिका सिचुएशन क्या है ?

पंजाब हमारी बार्डर स्टेट है बहादुर स्टेट है, सेन्सिटिव स्टेट है। इसने हमारा हमेशा साथ दिया है । जब वहां के लोग खालिस्तान की चर्चा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों खालिस्तान, खलिस्तान की रट लगा रहे हैं ? यह कोई ठीक बात नहीं है । हमारे लोगों को, सभी को हिन्दुओं, मुसलमानों और सिखों, खास कर के मेजोरिटी कम्युनिटी से मैं कहना चाहता हूं कि किसी चीज को बढ़ा-चढ़ा कर कहने से सिचुएशन खराब होती है । किसी भी प्रश्न को हम सब्र से और प्रेम से सोच-समझ कर सोल्व कर सकते हैं । क्या आप यह चाहते हैं कि सरकार पंजाब में गुरूद्वारों में घुस जाए ? क्या ऐसा करके वहां हिन्दू-सिख का सवाल पैदा कर दिया जाए और सिचुएशन को खराब कर दिया जाए ? इस गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पेसि

येंश, सब्र, अक्ल और समझदारी से काम करना चाहिए और इस सिचुएशन को संभालना चाहिए। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि अगर हम आपकी अक्ल पर चलते तो मेरे ख्याल से अब तक हिन्दुस्तान का बहुत नुकसान हो जाता। (व्यवधान) आप तो खुश होंगे, आग लगे तो आपको तो फायदा होगा। में प्रवोक होने से इन्कार करता हूं।

अगर हमने कम्युनलिज्म का मुकाबला करना है तो उससे मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है।(व्यवधान) चेअरमेन साहब मेरा कहना यह है कि कम्युनलिज्म का जो विषय हैं इससे हमको लड़ना है और इससे हमेशा ही कांग्रेस लड़ती रही है और आज भी लड़ रही है। यह ठीक है कि हमारी पार्टी के अलावा कुछ और पार्टियां भी है जो कि कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं। लेफ्टिस्ट्स पार्टियां उसके खिलाफ हैं। कम्युनलिज्म से हमें अकलमन्दी से लड़ना होगा और सब को मिलकर लड़ना होगा। खालिस्तान खालिस्तान की रट लगाने से इस देश का कोई भला नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय : देखिये, बोलने वाले सदस्यों के जो नाम हमारे सामने हैं वे बहुत ज्यादा हैं और समय लिमिटिड है। इसलिए मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि जिन विन्दुओं पर अब तक विचार प्रकट नहीं किये गए हैं, जिन पर रोशनी नहीं डाली गयी है, जहां तक हो सके माननीय सदस्यगण उन्हीं पर बोलने की कोशिश करें और कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : सभापति जी, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण सवाल है। देश की एकता बनी रहे, यह इस सदन के सब लोग मेरे खयाल से चाहते हैं। इस सदन में बैठने वाले लोगों का यह इरादा कभी नहीं हो सकता कि देश में एकता न रहे। आज दुर्भाग्य से देश के जो सीमांत क्षेत्र है, उनमें जो स्थिति बनी हुई है, यह समस्या जब से देश आजाद हुआ है, तब से आती रही है और बीच-बीच में कभी यह समस्या कम हो जाती है और कभी बढ़ जाती है। आज हालात में कुछ तेजी है, और कभी बढ़ जाती है। आज हालात में कुल तेजी है, इस बात को हमारी सरकार के लोग न महसूस करना चाहें तो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे यह दिखता है कि हालात बिगड़ते जा रहे और उनको सुधारने की जरूरत है।

हमारे देश के अन्दर कभी भाषा का झगड़ा होता है, कभी धर्म के नाम पर झगड़ा होता है और कुछ राजनीतिक दलों का गठन ही इसी आधार पर हुआ है और सरकार चलाने वाले लोग उन दलों के साथ कैसा सलूक करें, उनके साथ क्या व्यवहार करें किस तरह का राजनीतिक वतावरण बनाकर उन लोगों को कमजोर करें, यह कोई भी सरकार चलाने वाली पार्टी का जिम्मा है।

अभी भगत साहब कह रहे थे कि कांग्रेस हमेशा ऐसे तत्वों से मुकाबला करती रही है, मगर कभी-कभी कमजोरी आ जाती है और आज कमजोरी आ रही है, इसको महसूस करो। आज जब बोलने का मौका मिला है तो हमको बोलने-देना चाहिए।

इस सदन के माननीय सदस्यों ने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि समय नहीं है और सभापति जी भी बहुत थोड़े में चाहते। आज नार्थ-ईस्टर्न इण्डिया में जिस तरह से हालात हो रहे हैं, समर मुखर्जी साहब ने अमरीका के बारे में कहा कि वहां से हैडक्वार्टर है और कागजात आते हैं और लिटरेचर जाता है, लेकिन चीन और जो दूसरे मुल्क हैं, अपने यहां लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, शस्त्र देते हैं और ये ताकतें अपना गेम खेलती हैं — अब कौन कितना खेलता है, यह अलग बात है, उन सारी चीजों से बचना हमारी सरकार के लिए जरूरी है।

पहली बात तो बहुत सी बातों की जानकारी इस सदन को नहीं दी जाती कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह इलाका पालिटिकली हमेशा बहुत कमजोर इलाका है और केन्द्र में जो भी सरकार आती है, वह चाहती है कि ये हमारे गुलाम बन जाएं। वहां पर कभी सही हालिटिक्स को नहीं पनपाया गया। वह पार्टी चाहती है कि किसी भी तरीके से ये लोग हमारे हक में रहें, चाहे पैसे से, रिश्वत से, जैसे भी हो और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अगर आप कहें कि केवल कुछ लोग ही जिम्मेदार हैं तो यह बात गलत है और नार्थ इण्डिया की पालिटिक्स को खासतौर से तुम बड़ी पार्टी के लोग, जिनका राज आज हिन्दुस्तान में है और काफी समय तक आपने राज किया है, जब तक वहां की राजनीतिक पार्टियों का सही गठन करके उसकी नैतिकता और आचरण को ऊंचा नहीं उठाओगे, तब तक वे इलाके कभी आपके कब्जे में नहीं आएंगे, हिन्दुस्तान के साथ नहीं जुड़ेंगे।

इसी तरह से आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आपने सिक्खों का बहुत तारीफ की कि राज्य बहुत अच्छा है, धान खूब पैदा करता है — हम कब कहते हैं कि बुरा है ?

आप क्या कर रहे हैं ? सिक्खों में दरार डाल रहे हैं धर्म के प्रचार के अन्दर। क्यों डाल रहे हैं ? सिख कहते हैं कि हमारे धर्म का तरह तरह से नाटक करके लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को प्रोत्साहन कौन दे रहा है ? यह आज की कहानी नहीं है। पुरानी है आपस में लोगों को लड़ाने की नीति बहुत वरसों से चली आ रही है। तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं और उन नारों को उछाला जाता है। इस तरह से इन नारों को उछालने में कौन उन लोगों को प्रोत्साहन देता है ? हिन्दुओं और सिखों का कोई झगड़ा पहले नहीं था और न आज है। मैं मानता हूं कि कुछ गलत किस्म के तत्व हैं जो गलत स्लोगन निकालते हैं और इनको लड़ाने की कोशिश करते है। लेकिन इसका इलाज क्या है ? इसका इलाज यह है कि आप अपने आप को सुधारें। राजनैतिक नैतिकता को ऊंचा उठाएं। अभी शिव सेना के बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे। कल अखबारों में आया है विपक्षी दलों ने सदन से वाक आउट किया था। लेकिन शिव सेना वाले वहां जम कर बैठे रहे। मतलब यह कि वे आपके साथ हैं। डी० एम० के० और ए०डी० एम० के वाले दोनों आपको वोट दे रहे हैं। पिछली बार आपने डी०एम० के० को साथ लेकर मजे से चुनाव लड़ा था। ये सब

गलत नीतियों पर बनी हुई पार्टियां हैं। जब-हमने यह कह दिया था कि मिलाने वाली भाषा हिन्दुस्तान की हिन्दी होगी तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हिन्दी हम पर लादी जा रही है और हिन्दी के विरोध को लेकर इन्होंने नई पार्टियां खड़ी कर दीं आपने इसको रिकगनाइज भी कर लिया है और उनके साथ मिल कर अपने वोट ले लिए हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डोगरा साहब बड़ी वोट की बात कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वोट का ग्राहक कौन है? सब से बड़े ग्राहक आप हैं। इस मामले में नैतिकता का आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। हमें खराब समझते हैं लेकिन आप कोई राजनैतिक सिद्धान्त नही मानते हैं। हम न म ने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके हाथ में सत्ता है। आपने सिद्धान्तों की नैतिका को गिरा दिया और इस तरह से अपना कब्जा देश पर बनाए रखा तो आप देश को मार दोगे, आने वाली पीढ़ियों को मार दोगे। गहराई से आप इस पर सोचें। मैं किसी दुर्भावनावश यह बात नहीं कह रहा हूं। आप राज करें, सौ बरस तक करें लेकिन नैतिकता से नीचे न उतरें। इस तरह की जो बुराइयां हैं उनका आप इलाज निकालें। सोच कर आप जवाब दें यह नहीं कि जवाब देना है और दे दिया। इससे कुछ नहीं होगा। गहराई से इन सब पर सोचने का वक्त आ गया है। अन्तर्आत्मा को टटोलना का समय आ गया है। एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते आप देखें कि किस तरह से जड़ों को कीडा लग रहा है। अगर, इस कीड़े से आपने रक्षा नहीं की देश की तो हम सब खत्म हो जाएंगे। रास्ता क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। मौरल बनो, नैतिक बनो, अच्छी पार्टी बनो, शुद्ध लोगों को साथ लो। आज क्या होता है? ऊपर से तो आप यह नारा देते हैं। कि इंदिरा जी नेता हैं लेकिन अन्दर अन्दर से सब चक्कू चला रहे हैं। इस तरह की नैतिक पार्टी देश को क्या नैतिकता सिखा सकती है। गहराई से आप सोचें। मुझे राज नहीं चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूं तुम्हारे साथ सारी उम्र बैठा हूं। तुम लोग मुझे छोड़ कर गए हो। मैंने तुमको नहीं छोड़ा है। लोगों ने देखा कि इस सदन में मेरे जैसा बूढ़ा आदमी भी होना चाहिए और उन्होंने मुझे भेज दिया और भेज देते हैं जब तक चाहूंगा आऊंगा। आकर मैं सच्ची बात बोलूंगा। मुझे राज नहीं चाहिए। जवान आदमियों के हाथ में राज है। वे पनपें, फले फूलें मुझे खुशी है। इन्दिरा जी का बेटा पनपे, मुझे तकलीफ नहीं है। जैसा मंजूर है, करो लेकिन नैतिकता से न गिरो। बहुत हम गिर गए हैं। बीमारी की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। मुझे लम्बा भाषण नहीं देना है। मेरी कनक्रीट सजेशन यही है कि नैतिक बनो। यही मेरी आप से विनती है। देश के सामने खतरे हैं जो नजर आ रहे हैं। ये जो फोर्सिस डिवेलेप हो रही है ये देश को ही बरबाद कर देगी और इनकी तरफ से आपको सावधान हो जाना चाहिए और नैतिक बनने की कोशिश करनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते: हम सभा की कार्यवाही कब तक चलाना चाहते हैं!

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सभा की इच्छा का पता लेने दीजिए। 6 बजे के बाद हम कब तक बैठेंगे? हम इस चर्चा के समाप्त करना चाहते हैं;

कई माननीय सदस्य : 7 बजे तक ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की इच्छा 7 बजे तक बैठने की है । अत: माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक 6 मिनट से अधिक समय न लें । इस चर्चा को आज समाप्त किया जाना है । श्री राजेश पाइलट

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं. पहले तो अगर आप मोशन को जो नियम 193 के अधीन दिया गया है सही तरह से पढ़े तो इसमें लिखा है पृथकतावादी तत्वों के कथित षडयन्त्रों देश की अखंडता के विरुद्ध से उत्पन्न स्थिति पर नियम 193 के अधीन चर्चा। और मैं सभी सदस्यों के विचार सुनता रहा और कि किसी ने भी ऐसे मूवमेंट को या ऐलीमेंट को रिपोर्ट नहीं किया । न सरकार और न अपोजीशन सपोर्ट कर रहा है । फिर प्रौबलम क्या है ? सोच रहा था सब कहते हैं कि काम गलत है, लेकिन उसके बाद भी काम हो रहा है । तो लैकुना कहां पर है ? जैसा माननीय मिर्धा जी कह रहे थे इसमें कहीं तक सच्चाई है हमारा नेशनल और पौलिटिकल कैरेक्टर राष्ट्रीय चरित्र, राजनैतिक चरित्र आज से दो महीने पहले की बात है असम में एक पार्टी के प्रेसीडेंट स्पीच दे रहे थे, तो वह कह रहे थे मैं चाहे दिल्ली रहूं लेकिन मेरा दिल आप में रहता है । मैंने भी सोचा कि शायद यहीं दिल रहता है । लेकिन दूसरी बार चन्डीगढ़ में कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि मैं चाहे कहीं रहूं लेकिन मेरा दिल पंजाब में रहता है । हालांकि वह बैचलर हैं वह कई दिल रख सकते हैं, उन्हें इजाजत है, लेकिन देश के लिए तो कम से कम एक दिल होना चाहिए । तो मैं सोचने में असमर्थ रहा कि हमारी राजनीति और हमारे राजनीतिक नेता, मानता हूं दिल हर जगह छोड़ते चलें, लेकिन देश के लिए एक दिल रखें । और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसी बातें होती रहेंगी, डिस्कशन होते रहेंगे ।

आज करीब 20 दिन पहले आपने अखबार में फोटो देखा होगा सारे विरोधी दलों के नेता राष्ट्रपति के मिले गढ़वाल में उपचुनाव स्थगित होने के विरोध में । हो सकता कि कारण जेनुइन है । लेकिन मैंने विरोधी दलों के नेताओं को कभी एक साथ बैठे नहीं देखा जो ऐंटी सोशल ऐलीमेंट्स के खिलाफ आवाज उठायी हो । या सरकार से कहा हो कि इतना समय देते हैं आप स्थिति को सुधारो । यहां तक कि कुछ नेताओं ने तो आज तक कमेंट ही नहीं किया । एक पार्टी के नेता से प्रेस वालों ने पूछा रीमेंट बाई-इलेक्शनस में, उन्होंने कोन्ट्क करने से मना कर दिया । तो जब तक विचार साफ नहीं हैं तब तक क्या फायदा स्पीच देने से ? सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा ।

राष्ट्रीय चरित्र राजनैतिक चरित्र से ऊपर होना चाहिये राष्ट्र राजनीतिक दल से ऊपर है । करीब डेढ़ साल पहले मुझसे लोग पूछते थे कि एयर फोर्स की नौकरी छोड़ने के बाद कैसा महसूस होता है पोलिटिक्स में ? मैं कहता था बहुत सीधा साधा काम है । लेकिन मैं अब कनफ्यूज होता जा रहा हूं । यहां कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं दो-दो मीटिंगों

में दो तरह के वर्जन्स। एक मीटिंग में कहते हैं कि भाव बहुत बढ़ गये हैं, और दूसरी मीटिंग में कहते हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि हमारा पोलिटिकल कैरेक्टर क्या ? और आज लड़ाई कुछ ही नहीं, न पंजाब की है और न असम की है, सिर्फ पोलिटिकल लड़ाई है। अगर हिन्दुस्तान की सारी पोलिटिकल पार्टीज यह कहती हैं कि काम गलत है तो झाड़ा ही क्या है। आज शाम को साढ़े 5 बजे फैसला कर लो सुबह सात बजे प्राबलम ओवर। लेकिन यह फैसला कभी करेंगे नहीं, न पोलिटिकल पार्टीज कभी देश को ऊपर लेकर चलेंगी न कभी फैसले होंगे। इस बारे में सभी ने अपने अपने प्वाइन्ट कवर किये, मेरे भी अपने व्यक्तिगत विचार हैं।

एक तो मुझे यह महसूस हुआ कि हमारे प्रेस ने बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं निभाया हर दिन प्रेस में कुछ न कुछ आता रहा, अगर किसी भी छोटे लीडर ने कुछ कह दिया, कोई भी व्यक्ति कुछ कह दे तो छप जाता है। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी है, प्रजातन्त्र है लेकिन 3 जुलाई को एक स्टेटमेंट देते हैं टाइम्स आफ इन्डिया में—

"अकाली दल इस आन्दोलन का समर्थन कर रहा है"

5 जुलाई में वही पार्टी कंडेम करती है कि हमने जो पहले स्टेटमेंट दिया यह गलत है। कोई भी 5 जुलाई का स्टेटमेंट देखेगा तो ठीक बात नहीं समझेगा। तो प्रेस वालों को जिम्मेदारी के साथ अपने काम को निभाना चाहिये कि देश के भले की बातें हों।

दूसरी बात जो मुझे महसूस हुई है वह प्रेस के बाद यह है कि —

किसी देश का कानून किसी धर्म, जाति सम्प्रदाय तथा राजनैतिक दल से ऊपर होना चाहिये। हमें देश के कानून का सम्मान करना चाहिये। जब तक हम इसका पालन न करें तब तक यह चर्चा बेकार है। देश का कानून जैसा कि मैंने कहा सभी राजनैतिक दलों से ऊपर है और इसका सम्मान तथा पालन करना चाहिये आज हमें एक होकर इस आन्दोलन की उसी प्रकार निन्दा करनी चाहिये जैसे उस दिन हमने प्रस्ताव पास करके हरिजनों के आरक्षण हटाने कि निन्दा की थी। हमें आज कहना चाहिये कि सभी राजनैतिक दल इस आन्दोलन की निन्दा करते हैं।

आपने मुझे केवल पांच मिनट दिये है और भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं आपके आदेश का पालन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु। सभी माननीय सदस्य श्री राजेश पाइलट के उदाहरण का अनुसरण करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) मैं एक भूतपूर्व सैनिक नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री महोदय अन्तिम उत्तर देंगे उस समय सभा में अधिक

सदस्य उपस्थित नहीं होंगे। फिर क्या लाभ होगा? आपको सरकार के उत्तर को सुनना चाहिये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं हमेशा ही आज्ञाकारी हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है मैं उन कई सदस्यों से सहमत हूं जो कहते है कि यह प्रश्न किसी विशेष राजनैतिक दल किसी विशेष ग्रुप से सम्बन्धित नहीं है बल्कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता से सम्बन्धित है। प्रस्ताव में खतरे के एक विशेष पहलु राष्ट्रीय एकता और आवंटन के खतरे पर ही प्रकाश डाला गया है, प्रस्ताव में उस खतरे के विशेष पहलू अर्थात षड़यन्त पर ही प्रकाश डाला गया है। अभी हाल में देश के विभिन्न भागों में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अन्य राज्यों और पंजाब में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुये मेरे विचार में आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इन घटनाओं से इस बात का पता चलता है कि राष्ट्रीय एकता तथा संगठनों को बहुत खतरा है, यह एक असली खतरा है और देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा करना सबका कर्तव्य है सरकार के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि वे इस खतरे को नजर अन्दाज करते आ रहे हैं विदेशी नागरिकों के प्रश्न पर काफी समय से असम में चल रहा आन्दोलन भी एक ऐसा आन्दोलन है जिससे राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को खतरा है, इतना ही नहीं सरकार तथा गृह मन्त्री ने यहां तक कहा है कि असम आन्दोलन के पीछेविदेशी एजेन्सियों का हाथ है। इस पक्ष से हम लोग हमेशा कहते आये हैं कि असम का आन्दोलन काफी समय पहले ओपरेशन ब्रह्मपुत्र के अन्तर्गत बनाये गये षडयन्त्र के एक भाग के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। अब यदि मैं पंजाब की स्थिति का जिक्र करुं तो ये कहेंगे कि इसके पीछे विदेशी एजेन्सियों का हाथ है मैं इसके बारे में अधिक सूचना नहीं देना चाहता। लेकिन मेरा मुख्य प्रश्न यही है कि जो सरकार यह कहती है कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले इस प्रकार के आन्दोलनों के पीछे विदेशों का हाथ है वह स्वयं स्थिति के अनुसार काम नहीं करती। पंजाब के मुख्य मन्त्री जी दरबारा सिंह ने भी 21 जुलाई को कहा था।

"एक बड़ी ताकत अप्रत्यक्ष रूप से खालिस्तान अन्दोलन के लिये पैसा दे रही है" मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति अथवा आम आदमी अथवा किसी पत्रकार ने नहीं बल्कि पंजाब के मुख्य मन्त्री ने यह बात कही है कि अन्दोलन को धन देने से एक बड़ी शक्ति सम्बद्ध है। क्या किया गया है ? इस बात को कहने से उन्हें कौन रोकता है कि कौनसी विदेशी ताकतें इस अन्दोलन के पीछे हैं ? यदि हम भारत के लोग इस बात को जान जायें हम सब देश भक्ति हैं। तो हम एक होकर इन पृथकतावादी तथा अलगाव वादी ताकतों से लड़ सकते हैं लेकिन आप उन्हें छिपाते हैं। श्री योगेन्द्र मकवाना क्या आप मुझे बता सकते हैं। छिपाने में क्या लाभ है ? आप छिपाते क्यों हैं ? आप भारत की एकता के इन दुश्मनों का बचाव क्यों करते हैं ? आप उन लोगों उन विदेशी एजेन्सियों उन विदेशी ताकतों का बचाव क्यों करते हैं जो हमारे देश के विघटित करने के लिए षड़यन्त्र रचते आ रहे हैं ? क्या आप विघटन के पक्ष में हैं ? मैं समझता हूं और मुझे विश्वास भी है कि आप अस्थिरता नहीं चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आपमें से

कोई अस्थिरता नहीं चाहता है। मैं जानता हूं कि आप सब देश की एकता और अखण्डता चाहते हैं। दरबार सिंस महोदय उस बड़ी शक्ति का नाम क्यों नहीं बातना चाहते जिसने हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के विरुद्ध षडयन्त्र किया है ?

दूसरी फिर वही अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मैं केवल दरबारा सिंह जी का ही नाम लेकर उकके साथ अन्याय करूंगा। ठीक है कि उन्हें यहां बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हैं। परन्तु आपके दूसरे मन्त्री महोदय श्री बूटा सिंह जी का क्या कहना है जोकि नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में केन्द्रीय राज्य मन्त्री हैं। और पंजाब के रहने वाले हैं ? उनका कहना है।

> "अमृतसर में हुए विश्व सिख सम्मेलन में, देश के अन्दर और बाहर सक्रिय भारत विरोधी शक्तियों के साथ, उनके गुप्त गठ बन्धन की गन्ध आ रही थी।"

उन्होंने ये सब बातें जनता से कहकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिया है। वे तो केवल वाह वाही लूटना चाहते हैं। उन्हें श्रोमती गांधी को वाह वाही करनी चाहिये।

श्री राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय इनके पास दूसरों को उद्धत करने के सिवाय और कुछ नहीं है।

श्री चित्त बसु : उद्धत करना आवश्यक है क्योंकि आप लोग ही ये सब बातें कर रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : क्या आपको कोट की आवश्यकता है ?

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : वह अनिच्छा से उद्धत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी ने कुछ भी उद्धृत नहीं किया था।

श्री चित्त बसु : वह ऐसी कोई बात नहीं कहने जिसे उद्धत किया जा सके। वह जो भी बात करते हैं वस केवल चीनी उद्योग के बारे में होता है। जो काले-धन पर पनपता है। अतः मैं उनको उद्धृत करना ठीक नहीं समझता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह केवल मिठास युक्त शब्दों को ही उद्धृत कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : अतः, महोदय सरकार के विरुद्ध मेरा आरोप मेरा आक्षेप यह है कि वह अलगाववादी, पृथकताबादी ताकतों की शक्ति को कम करके आंक रहे हैं और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के प्रति पूर्वाग्रह से काम ले रहे हैं।

सिख अपने राष्ट्र के रूप में खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें एक राष्ट्र राज्य चाहिये या अपने हितों के रक्षार्थ राष्ट्र के अन्दर ही एक राज्य चाहिए। खालि-

स्तान की मांग यही सार तत्व है । यह पूर्णतया अस्वीकार्य मांग है । धर्म के आधार पर कोई पूर्ण राष्ट्र शासन नहीं हो सकता है सिख भारतीय हैं, वे हमारे ही रक्त से हैं और हमारी ही तरह भारतीय हैं । यहां यह उल्लेख करना गलत न होगा कि वे देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़े तथा इस देश की सुरक्षा के लिए भी लड़े । उन्हें हमारे साथ रहना चाहिये और पृथकतावाद की उनकी इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता । राष्ट्रीय लोक तान्त्रिक शक्तियों के सम्बन्ध में धर्म निरपेक्षता की शक्तियों को सशक्त बनाया जाना चाहिये जो साम्प्रदायिकतावादी शक्तियों या विभाजक या पृथकता वादी शक्तियों से भिड़ सकें । यह सुनिश्चित करना आपका काम है कि साम्प्रदायिकता पृथकतावादी प्रान्तीयता और अलगाववाद की बुराइयों के विरुद्ध लड़ने के लिए लोक तान्त्रिक, और धर्म निरपेक्षता की ताकतें संगठित होकर एक हो जाएं ।

एक माननीय सदस्य : क्या सभी सिख खालिस्तान चाहते हैं ।

श्री चित्त बसु : यह कहना गलत होगा । सिख भी हमारे ही अंग हैं उनमें श्रमिक हैं, किसान हैं और सभी कठोर परिश्रमी हैं । उन्हें यह बताना हमारे लिए आवश्यक है कि सभी भारतीयों को समृद्धि में ही उनकी समृद्धि और कुशलता निहित ज । जब तक यह राजनैतिक जागरूकता मन में नहीं बैठाई जाती है, कुछ अतिवादी या प्रतिक्रिया वादी ताकतें उनके असंतोष का लाभ उठाती रहेंगी । पंजाब की जनता की कुछ उचित शिकायतें भी हैं, उन शिकायतों का ब्यौरा देना मेरा काम नहीं है । जब तक पंजाब के लोगों की चाहे वे किसी धर्म के या समुदाय के हों उचित शिकायतों को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते तब तक प्रति क्रिया वादी ताकतें साम्प्रदायिकता वादी ताकतें; अलगाववादी ताकतें जिन्हें हमारे शत्रु विदेशी तत्वों से सहायता मिल रही है, हमारे राष्ट्र में मुसीबतें खड़ी करने में प्रयत्नशील रहेंगे । अतः महोदय, एक ओर तो यह आवश्यक है कि पंजाव के लोगों की उचित शिकायतों को दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाएं और दूसरी ओर साम्प्रदायिकता वादी ताकतों, प्रतिक्रिया वादी या अलगाव वादी ताकतों के विरुद्ध लड़ने या उन विदेशी ताकतों के विरुद्ध लड़ने के लिए जो हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, लोक तान्त्रिक और धर्म निरपेक्ष ताकतों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने चाहिये । दुर्भाग्य से सरकार इस राजनीतिक दृष्टि कोण को अपनाना नहीं चाहती मुझे आशा है कि वे इस राजनीतिक स्थिति को तत्परता से, शीघ्रता समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि देश की एकता और अखण्डता बनाई रखी जा सके और उसे अधिक सशक्त वनाया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी० एल० शर्मा ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो चर्चा इस वक्त इस हाउस में चल रही है वह बड़ी गम्भीर है । सदन के बहुत से येम्बरान ने अपने खयालात और जजबात का इजहार किया है । इस सिलसिले में सभी ने इस बात का सबूत दिया कि सभी इस पर बड़ी गम्भीरता से सोच रहे हैं । लेकिन एक चीज मेरी समझ में नहीं आई । जब इतना

गम्भीर मसला सदन के सामने हो तब हर एक चीज को पोलिटिकल नुक्ते नजर से देखकर, पार्टीवाजी के नुक्ते नजर से लेकर कटाक्ष किया जाए यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। जहां तक हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता का सवाल है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन विरोधी दल के हमारे एक भाई ने हमारे गृह मन्त्री ज्ञानी जैल सिंह को निशाना बनाया। बड़ा आश्चर्य हुआ यह सुनकर, खास तौर पर ज्ञानी जैल सिंह का नाम लेकर कटाक्ष किया गया और विरोधी दल के एक भाई तो बराबर बाहर भी कहते हैं कि पंजाब में गड़बड़ी इसीलिए है कि ज्ञानी जैल सिंह और सरदार दरबार सिंह की वापस में मुखालिफत है जिसमें न तो कोई सदाकत है और न कोई अस्लियत है। अस्लियत तो यह है कि दोनों ही श्रीमती इन्दिरा गांधी की फौज के सिपाही हैं, दोनों ही पंजाब और एकता और अखण्डता के लिए मरते हैं। ज्ञानी जैल सिंह जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे तो पांच वर्ष के अरसे में उन्होंने वहां पर फिर कापरस्त अनासर को ठिकाने लगाया। ज्ञानी जैल सिंह जी आज गृह मन्त्री के रूप में यहां पर मौजूद हैं। आज उनका नाम लेकर होटलों के बिलों का हवाला दिया जाता है, छोटी-छोटी प्रेस कांफ्रेन्सेज का हवाला दिया जाता है। यह वही जैल सिंह हैं जिन्होंने अपनी अन्धी जवानी अंग्रेजों की काल कोठरी में गुजारी थी। इन्हीं जैल सिंह को जंजीरों से बांधकर खींचा गया था। आज उन्हीं जैल सिंह को निशाना बनाकर कहा जाए कि किसी होटल के बिल इस नाम से दिए गए तो मैं समझता हूं यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। राजनीति को इतने लो लोविल पर लाना चाहिए। एक माननीय सदस्य ज्ञानी जैल सिंह को ही सारी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। यह वही ज्ञानी जैल सिंह हैं जोकि फिरकापरस्ती के खिलाफ हमेशा तकरीर करते हैं, जिन्होंने हमेशा प्यार और मोहब्बत का संदेश दिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या यहां पर ज्ञानी जैल सिंह पर बहस हो रही है ?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : ज्ञानी जैल सिंह का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपके बाजू में बैठे हुए भाई उनको निशाना बनाते रहे हैं। हो सकता है कि ज्ञानी जी अपने बारे में कुछ कहना उचित न समझें इसीलिए मैं यह अर्ज कर रहा था।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस पंजाब ने आजादी की कीमत अदा की, जो पंजाब 29 जिलों में बटा हुआ था, जिस पंजाब ने अपने यहां सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे बड़े-बड़े महारथी पैदा किए उसी पंजाब पर आज एक शब्द "खालिस्तान" को लेकर बहस की जा रही है। जैसा कि हमारे भाई ने यहां पर कहा, उन्होंने एक्स मिलिट्री आफिसर, एक्स रेटायर्ड जज आफ दि हाईकोर्ट, एक्स रिटायर्ड आई जी, पुलिस एटसेटरा दो-तीन के नाम लिए और यह जाहिर करने की कोशिश की कि एक मुनज्जम साजिश कौम की तरफ से चल रही है जो कि हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। किसी भी कौम में, किसी भी कम्युनिटी में अगर दो-चार आदमी गैर-जिम्मेदार बात करना शुरू कर दें तो उसका मतलब यह नहीं है कि कौम की तरफ से कोई मुनज्जम साजिश चल रही है। हकीकत तो यह है कि सिख कौम का बुद्धिजीवी वर्ग, जिम्मेदार आदमी, किसी ने भी खालिस्तान के नारे को सपोर्ट नहीं किया है बल्कि उसको कन्डेम

किया है और यह कहा है कि हम उसके खिलाफ हैं। सिर्फ नारा लगा देना ही कोई बात नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ नारों के सहारे ही जिन्दा रहते हैं।

एक माननीय सदस्य ने एक चैक का हवाला दिया जो किसी मुल्क से यहां पर आया और खालिस्तान का डिक्लेरेशन कर दिया गया। आज मैं अगर यह कहूं कि मैं देश का राष्ट्रपति हूं तो क्या मैं राष्ट्रपति बन गया? आज यदि मैं यह कह दूं कि मैं अमरीका का फलां आफिस होल्डर हो गया, तो क्या मैं बन गया। सुभाष चन्द्र बोस ने एक आजाद हिन्द का नारा बाहर लगाया था। उस नारे के पीछे तमाम हिन्दुस्तान था और एक जनून दूसरे मुल्क में जो इस शहर का सीटीजन नहीं है, अगर वहां बैठकर कोई गैर-जिम्मेदाराना काम करता है या पत्र-व्यवहार करता है या इस किस्म का पासपोर्ट जाहिर करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस खालिस्तान के नाम के पीछे किसी कौम, किसी जाति या किसी बिरादरी या इलाके का हाथ है।

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी हालत में जबकि देश एक गम्भीर वाक्यात से गुजर रहा है और आसाम का जिक्र आया, मैं पूछना चाहता हूं कि असम में गड़बड़ी कब पैदा हुई? असम में गड़बड़ी उस वक्त पैदा हुई, जब जनता पार्टी का शासन यहां था। मैं पूछना चाहता हूं कि असम की गड़बड़ी को कितने आदमियों ने कन्डेम किया है। असम की गड़बड़ी के सौल्यूशन को फाइन्ड आउट करने के लिए जब हमारे गृह मन्त्री अपोजीशन के लीडरों को आमंत्रित करते हैं कि आइए, राउण्ड-दि-टेबिल बैठकर विचार विमर्श करें ताकि इसका सौल्यूशन निकले, तो उनका सहयोग नहीं मिलता है। फिर कहा जाता है कि अपोजीशन को कांफिडेंस में नहीं लिया जाता है।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कौन सा मुल्क है, वह मुल्क क्यों नहीं बतलाते हैं जो शरारत कर रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों को ज्यादा पता है जिन लोगों की पालिसी उन मुल्कों से बनती है, उन पार्टियों को ज्यादा पता है।

*उन पार्टियों और उन नेताओं को ज्यादा पता है जिनके गिरजाघर और गुरुद्वारे अमरीका के अन्दर हैं, उसका जवाब हमारे गृह मन्त्री से मांग रहे हैं कि कौन से मुल्क की इसमें मुनज्जिम साजिश है? पैसा किसकी मारफत आता है, पैसा किन पार्टियों की मारफत आता है, वे भाई इसको ज्यादा बेहतर जानते हैं।

गुजरात का हवाला दिया गया। गुजरात में हिन्दुओं और हरिजनों के टसल का हवाला दिया गया। क्या यह हकीकत नहीं है कि जो षडयन्त्र रचा गया था, वह एक शरारत थी और उसको कितनी जल्दी खत्म कर दिया गया।

जहां देश की एकता और अखण्डता का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पार्टी

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

लेवल से ऊपर उठकर व्यक्तिगत तौर पर न जाकर, एक-दूसरे की पर्सनेलिटीज पर एटेक न करते हुए इन सारी चीजों के बारे में विचार करना है। मैं अर्ज करना चाहता हूं—अगर सभी माननीय सदस्य—अपोजीशन और ट्रेजरी बेन्चेज इस सिलसिले में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, खबे से खबा मिलाकर चलते हैं तो कोई ताकत नहीं हैं जो देश की एकता और अखण्डता को खतरा पहुंचा सके। यह बड़ा गम्भीर मामला है और इस पर बड़े सब्रो-तहम्मुल से विचार कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जातीयता में जाकर जिस हिन्दुस्तान में, खासकर पंजाब में, जहां प्यार और मुहब्बत की मुरली बजती है वहां बुग्जोकीना के मन्तर फूंके जांय। हिन्दुओं को नहीं बुलाया जा रहा है—क्या कांग्रेसी हिन्दू नहीं हैं, क्या हिन्दू नेता वही हैं जो बी० जे० पी० और दूसरी पार्टियो में हैं। जो हिन्दू का नारा लगाते हैं, क्यों वे ज्यादा राष्ट्र के हितेषी है ? हमें सब चीजों पर विचार करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सभी भाई इस सिलसिले में सहयोग देंगे। समय थोड़ा है··· (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मुझे ऐतराज है कि* आप मेरी बात समझ लीजिए, ये जो शब्द है···

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था क्या प्रश्न है ?

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पंडित चिरंजीलाल शर्मा ने अपने भाषण में कहा था 'ये दल जिन्होंने किसी अन्य देश में अपने* बना लिए हैं।' महोदय* किसी अन्य देश में नहीं बनाए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना मन्दिर, गिरजा और गुरुद्वारा बना सकता है। उनके शब्द अपमान जनक हैं। इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : आप क्या कह रहे हैं—काशी के बारे में बात करोगे* के बारे में बात करोगे···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्यों, उन्होंने एक मामला उठाया है। मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा। अपमान जनक किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा। हम इसका ध्यान रखेंगे।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग) : यह अपमान है अपमान ही नहीं। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

डा० फारूक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब हमारी नेबर स्टेट है।···

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : आप अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते हैं ?

डा० फारूक अब्दुल्ला : यह एक पड़ोसी राज्य है और हममें से कोई भी वहां गड़बड़ नहीं चाहता हैं। परन्तु हमें सोते रहकर यह नहीं कहना चाहिए कि समस्या है ही नहीं। आज खालिस्तान, हो सकता है कोई सच्चाई न हो, परन्तु जैसा कि मेरे मित्र श्री जिन्हा द्वारा पाकिस्तान लिए जाने के बारे में बता चुके हैं, यह एक दिन वास्तविकता रूप बन सकती है। श्री जिन्हा ने पहले एक राष्ट्रवादी आन्दोलन आरम्भ किया था और वे एक पक्के राष्ट्रवादी थे और फिर उनके निवेदन पर जब कांग्रेस का बटवारा हुआ तब श्री जिन्हा ने अनुभव किया कि वे कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते। वे उससे अलग हो गए और कट्टर मुसलमान बन गये, जबकि वह कुरान पढ़ना भी नहीं जानते थे और नमाज भी नहीं पढ़ते थे। वह सच्चे मुसलमान नहीं थे। परन्तु वह पाकिस्तान लेकर रहे। उन्होंने पाकिस्तान ले लिया और भारत के टुकड़े हो गये। आज वहां मुसलमान हैं, यहां भी मुसलमान हैं। किन्तु पाडिस्तान का निर्माण दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर हुआ था। परन्तु हम एक थे, 'हम' और 'मैं' नहीं, परन्तु मेरे बुजुर्ग सभी कांग्रेस में थे उस समय हम सब कांग्रेसी थे और हममें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल में नहीं था। श्री जिन्हा को पाकिस्तान मिला और यह वास्तविकता बन गई। आज खालिस्तान का नाम लिया जाता है। क्यों ? खालिस्तान का नाम क्यों लिया जाता है ? क्योंकि सिखों को एक शिकायत है और हमें वह भूलनी नहीं चाहिए। हमें बेखबर होकर 'ना' नहीं कहनी चाहिये। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक मामूली से रिक्शाचालक ने कल ही मुझे जम्मू में एक बात बतायी थी। मैंने उससे पूछा कि इसमें क्या बुराई है। वह कहने लगा, देखिए जी, सिख मेजर जैनरल, लेक्टीनेन्ट जैनरल तक पहुंचता है, उसके बाद उसको जैनरल नहीं बनाते हैं, कमान्डर इन-चीफ नहीं बनाते हैं। 8 सरदारों को इन रैंकों तक पहुंचाया, उसके बाद जैनरल नहीं बनाया। मैंने कहा देखो सरदार साहब,...। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्रचार किया जा रहा है। आप यह देख सकते हैं कि एक आम आदमी की भावनाएं खालिस्तान के हक में किस प्रकार भड़काई जाती हैं। मैंने उसे बताया 'देखिए वायु सेना के अध्यक्ष एक सरदार जी हैं। क्या वह महत्वपूर्ण बात नहीं है ? आप मुझे यह बताइये कि वायुसेना महत्वपूर्ण नहीं है, और थलसेना ही महत्वपूर्ण है।' परन्तु लोगों के दिमाग में चीजों को किस प्रकार से ठूंसा जा रहा है वह आप देख सकते हैं। हां, नौकरियों की, काम की तो समस्या हो सकती है। मैं इस पक्ष के या उस पक्ष के विरुद्ध नहीं हूं। मैं तो भारत के पक्ष में हूं। जब मैं इस ससद में आया था तो मैं इस मनौती का लेकर आया था, इस प्रतिज्ञा को लेकर आया था कि यहां भारत के भविष्य का निर्माण किया जायेगा, मेरा भविष्य नहीं, आपका भविष्य नहीं अपितु भारत का भविष्य जो कि अभी जन्मा नहीं है। आज भारत को स्वतंत्र हुए 35 वर्ष हो गये क्या हम स्वतंत्र हैं ? नहीं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम अभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भीख मांग रहे हैं। हम हर देश से मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। यह तो उस दिन स्वतंत्र होगा जब मैं भीखमंगे की तरह बनकर अ० मु० को० के पास नहीं जाऊंगा, जब मैं अमरीका या रूस से न मांग कर स्वयं उत्पादन करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि यही होगा। मैं आपकी सरकार के

विरुद्ध नहीं हूं और न उसे गिराना चाहता हूं। यहां मेरी समस्या यह है कि हम सभी भारत के लिए हैं। आप भारत के लिए हैं. आप चाहते हैं कि भारत बना रहे और मैं चाहता हूं भारत बना रहे। परन्तु खालिस्तान का आन्दोलन भी तो चल रहा है। और हममें से कुछ उसका समर्थन कर रहे हैं और कोई विदेशी ताकत उसे समर्थन नहीं दे सकती है। आपका कहना गलत है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जब आप यह कहते हैं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य देशों के पास भीख मांगने गए थे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम किसी देश में भीख मांगने नहीं गए थे। कृपया इसको इस प्रकार विवेचित न कीजिए।

डा० फारूक अब्दुल्ला : जो कुछ आप ले रहे हैं वह वापिस भी देना पड़ेगा। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मुझे अ० मु० को० की चिन्ता नहीं है यहां यह समस्या है कि हो सकता है कि कल भी हमें उन्हें यह धन वापिस देना पड़े।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वे भी कुछ बातों के लिए हम पर निर्भर हैं।

डा० फारूक अब्दुल्ला : मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता यदि हम वाद-विवाद में पड़ गए तो हम भारत की समस्याएं हल नहीं कर पायेंगे। और फिर क्या मैं ही अपने क्षेत्र की समस्यायें हल कर सकता हूं। यहां पर मैं केवल जम्मू और कश्मीर का ही नहीं सारे देश का आदमी हूं और आप भी बंगाल, पंजाब या राजस्थान के नहीं हैं। परन्तु त्रासदी यह है कि हम इससे बाहर नहीं निकल पाये हैं। हमने कभी इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। हमें उससे बाहर निकलकर कहना चाहिए कि मैं किसी विशेष राज्य का नहीं, परन्तु सारे भारत का हूं।

हम सदैव विदेशी ताकतों को दोष देते रहते हैं। एक अमरीका को दोष देता है तो दूसरा सोवित संघ को। हमें अपनी कमजोरी को स्वयं दोष देना चाहिये। जब जम्मू और काश्मीर में राज्य के विकास के लिए प्रधान महोदया मन्त्रियों की एक समिति का गठन कर सकती है और समान समिति को असम में भी बनाया जा सकता है। तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। इन सब समस्याओं पर विचार करने के लिए समाधान ढूंढने के लिए आप एक उच्च-स्तरीय समिति क्यों नहीं बनाते हैं जो कि बेरोजगार और भूखे-नंगे लोगों के लिए कुछ कर सकें। मेरा यही एक ठोस सुझाव है। एक दूसरे को दोष देने की बजाय हमें कुछ करना चाहिये। मैं आपको दोष नहीं देना चाहता हूं, यह स्थिति कोई आपने पैदा नहीं की है। असम समस्या आपने पैदा नहीं की है, यह तो वहां भारत के स्वतंत्र होने के समय से ही है और हर वर्ष यह बढ़ती रही। जब असम से विपक्ष के नेता यहां आए तो एक सदस्य के रूप में मैं भी वहां उपस्थित था। सभी भूतपूर्व मुख्य मंत्री दूसरी ओर बैठे थे और उनका कहना था कि अब हमारे हाथ से निकल गया है, अब स्टूडेंट्स के हाथ में आ गया है, हम अब कुछ

नहीं कर सकते । मैंने उनको कहा कि फिर आप यहां क्या कर रहे हैं। जब यह आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप कर क्या रहे है । 30 साल में आसाम का प्राब्लव हमने सोल्व नहीं दिया तो अब एक दिन में आसाम का प्राब्लम सोल्व नहीं कर सकते हैं । मैं आप को बताना चाहता हूं कि आप पावर में हैं, ठीक है मगर जब तक ये लोग, जो इधर बैठे हैं, आप से हाथ नहीं मिलाएगें, कधे से कंधा मिला कर नहीं चलेंगे, याद रखिये कि अगर आप यह सोचते हैं कि आसाम का सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो यह ठीक नहीं है । 20 साल के बाद ही आप हल निकाल पाएंगे, 10 दिन में नहीं निकाल पाएंगे ।

अब मैं आप को बताना चाहता हूं कि शिमला में एक स्कूल है । वहां मैं अपने बेटे में मिलन गया । वहां जो फेंगसन था । उसके बाद पेरेन्ट्स जल्दी जल्दी जाना चाह रहे थे । मैंने देखा कि पैरेन्ट्स जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने लगे और मानने लगे । मैंने कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं, अमृतसर तो ज्यादा दूर नहीं है । मैंने उनको बताया कि मुझे तो जम्मू, श्रीनगर पहुंचना है । उन्होंने कहा कि हम रात में सफर नहीं कर सकते हैं ।

यहां सभा में सुरक्षा की व्यवस्था होने पर हमें आराम से नहीं सोना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि सब कुछ ठीक है । हालात ठीक नहीं है । मैं किसी एक पक्ष को दोष नहीं देना चाहता । इसके लिए हम सभी दोषी हैं । गृह मंत्री महोदय को या मुख्य मंत्री को दोष देने के वजाय हमें समस्याओं का समाधान तुरन्त निकालना चाहिए । हमें रचनात्मक कदम उठाना चाहिए तथा इससे पूर्व कि स्थिति काबू से बाहर हो जाये, शीघ्रता से समस्या का समाधान खोजना चाहिए । लाला जगत नारायण तथा अन्य व्यक्तियों को हत्या पहले ही की जा चुकी है तथा एक गुरुद्वारे में बम विस्फोट हो चुका है। इससे पूर्व कि हम सजग हो जायें तथा स्वीकार करें कि स्थिति गम्भीर है तथा इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, कितने बम विस्फोट और होंगे ? यह बात मैं आपके माध्यम से योग्य गृह मत्री से कहना चाहता हूं । वह राज्य के मुख्य मंत्री रहे हैं । यह प्रगतिशील राज्य है तथा मैं सिखों के साथ रह चुका हूं । जम्मू तथा काश्मीर राज्य की एक बड़ी विशेषता है और वह यह है कि वहां हिन्दू-सिख-मुस्लिम एकता अभी भी काएम है । मैं जानता हूं कि सिख पहले भारतीय हैं, बाद में सिख खालिस्तान का जो भी आन्दोलन है वह इस लिए चला है कि वहां पर आंतरिक संघर्ष चल रहा है । हमें इसके लिए विदेशी तत्वों को दोषी ठहराने के बजाय आंतरिक समस्याओं का समाधान खोजना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मकवाना तत्पश्चात् जब शासक दल के दो तीन सदस्य तथा विपक्ष के सदस्य बोल चुकेंगे तब गृह मंत्री महोदय उत्तर देंगें ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवान) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, विचाराधीन मामला अत्यन्त व्यापक था परन्तु प्रत्येक सदस्य ने एक मामले अर्थात खालिस्तान के मामले पर ध्यान दिया है जिसका मंत्री महोदय अन्त में उत्तर देंगे । परन्तु कुछ सदस्यों ने कुछ अन्य बातें भी उठायी है जिनका मैं संक्षेप में उत्तर देना चाहता हूं तथा मैं अधिक समय नहीं लूंगा ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि आसाम के मामले में सरकार ने विपक्ष को भी विश्वास में नहीं लिया है कुछ सदस्यों ये अन्य बातें उठायीं। परन्तु हर समय हम विपक्ष से परामर्श करते रहें हैं, तथा यह बात विपक्ष के सभी सदस्य जानते हैं कि जब भी आवश्यकता हुई हमने विपक्ष को बुलाकर इस माकले पर बातचीत की है, तथा उनके द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार करते हुए ही आन्दोलन के नेताओं के साथ बातचीत मुरू की। परन्तु आन्दोलन के नेताओं को कुछ व्यक्तियों द्वारा गुमराह किया गया है। मैं नहीं जानता कि वे कौन है परन्तु निश्चय ही कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसके पीछे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसका कारण केवल यही है कि उनकी अर्थ-व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता। अभी अन्तिम वक्ता डा० फारुक ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और काश्मीर के आर्थिक विकास पर ध्यान देने के लिए एक मंत्रियों की समिति है जिसमें आसाम भी आता है।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां पर इस समय बहुत कम समस्याएं है। जहां तक अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय का सम्बन्ध है, वहां पर इस समय कोई गड़बड़ी नहीं है तथा शान्ति है जहां तक मिजोरम का सम्बन्ध है वहां पर कुछ विद्रोह है तथा प्रियक ए० सी० पी० और पी०एल० ए० जैसे कुछ संगठन इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। परन्तु जब से मिले। राष्ट्रीय मोर्चे के नेता लालडेंगा से बातचीत शुरू की गई है, सरकार उनके द्वारा मिजोरम में शुरू की छोटीछोटी घटनाओं के मामले में कठोर कार्यवाही नहीं कर रही है। जहां तक मणिपुर का सम्बन्ध है, वहां पर भी कुछ समस्याएं विद्यमान हैं तथा वहां पर बनी नई लोकप्रिय सरकार समस्या का समाधान उचित रूप से कर रही है। तथापि मणिपुर में कुछ समस्याऐं हैं। ये समस्याऐं आर्थिक हैं। वहां पर भूमि समिति है तथा आबादी अधिक है तथा आबादी अधिक है। एक तिहाई भूमि हो तिहाई जनता मंत्रियों के पास है तथा दो तिहाई भूमि एक तिहाई जनता के पास हैं। सभी पहाड़ियां मंत्रियों के पास हैं। इन मंत्रियों को आरक्षण भी नहीं मिल रहा तथा सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। उनकी यही शिकायत है हम उनकी समस्या पर भी विचार कर रहे हैं। हम कुछ ऐसी बातें कर सक्ते हैं। जिससे उनकी दशा सुधर सकती है। जहां तक नागालैंड का संबंध है, इस समय वहां पर शान्ति है। प्रथम वक्ता श्री समर मुखर्जी ने त्रिपुरा का उल्लेख किया था। निश्चय ही त्रिपुरा की कुछ समस्याऐं हैं जोकि बंगला देश से विस्थापितों के आने के कारण है। अब हमने इस महीने की 25 तारीख से उन्हें वापिस भेजना शुरू किया है तथा अब तक 7,000 लोग फिर बंगलादेश भेजे जा चुके हैं। शेष को भी वापस बंगला देश भेज दिया जायेगा।

मैं श्री लापू साहिव परुलेकर को विशेष रूप से उत्तर दूंगा क्योंकि उन्होंने बार बार मेरा नाम लिया तथा यह इच्छा व्यक्त की कि मैं उन्हें उत्तर दूं। उन्होंने बताया कि आनन्दपुर की बैठक में कुछ व्यक्तियों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया तथा वह यह जानना चाहते थे कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अधीन एक मामला 16

अप्रैल 1981 को दर्ज किया गया था और यह न्यायालय में है : अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

उन्होंने सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक के इसमें हाथ होने की बात भी कही है । वह दल खालसा के सदस्य नहीं हैं और न ही वह खालिखतांन आण्दोलन के समर्थक हैं । वह एक संगठन के अध्यक्ष हैं जिसे अकाली दलों तथा पंजाबी आन्दोलन का महासंघ कहा जाता है। ये दोनों संगठन खालिस्तान आन्दोलन के साथ नहीं है परन्तु वे पंजाबी भाषा के विकास तथा अन्य बातों के पक्ष में हैं अतः यह कहना ठीक नहीं हैकि श्री धानेवालिया भी इस आन्दोलन से संबद्ध हैं। उन्होंने मेरे बारे में एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस सभा में कहा है कि एक भूत-पूर्व सैनिक अधिकारी भी इस आन्दोलन से संबद्ध हैं मैंने ऐसा नहीं कहा उन्होंने मेरा नाम लिया है परन्तु जिन्होंने मुझे सही रूप में सुना है वे जानते है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि सेना के किसी भूतपूर्व जनरल का इससे संबन्ध है। मैंने केवल कहा था कि कुछ लोग इससे संबद्ध हैं और कुछ उच्चाधिकारी हो सकते हैं उन्होंने श्री धानेयालिया का नाम लिया है किन्तु यदि वह इस जनरल को भी जानते हैं तो वह उसका नाम भी बता सकते हैं और हम सेना के इस भूतपूर्व जनरल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने स्वर्ण मन्दिर में ट्रांसमीटर से प्रसारणों का भी उल्लेख किया। उसे तुरन्त बन्द कर दिया गया था और वहां से खालिस्तान प्रचार का कोई प्रेषण नहीं किया जाता है। इस ट्रांसमीटर से केवल गुरवाणी प्रसारित करते हैं।

एक माननीय सदस्य श्री सुरजभान ने कहा कि सरकार विपक्ष के, विशेषतः पंजाब के नेताओं को इस मामले पर बातचीत के लिए क्यों नहीं बुलाती। अभी अभी मुझे पंजाब के मुख्य मंत्री से सूचना मिली है कि वह ऐसा पहले ही कर चुके है। पंजाब के राज्यपाल पजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों को जिनमें लांगेंवाला ग्रुप भी सम्मिलित है, आमंत्रित कर रहे हैं उक्त ग्रुप ने पहले की बातचीत में भाग नहीं लिया था। अतः पंजाब सरकार इस मामले पर बातचीत करने और इसमें विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए अति उत्सुक है।

माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने बड़ी शक्तियों के संबद्ध होने का उल्लेख किया तथा पूछा कि सरकार उनका बचाव क्यों कर रही है तथा उनका नाम क्यों नहीं लेती। वे लोग सीधे संबद्ध नहीं हैं। यह सिद्ध करना अत्यत कठिन है कि कोई विशेष देश इस आन्दोलन को धन अथवा समर्थन दें रहा है। उनके कार्य करने की प्रणाली अत्यन्त सूक्षम है तथा कोई भी प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं देती। जो कुछ भी वे करना चाहते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं और इसे सिद्ध करना अत्यन्त कठिन है। मैंने कहा था कि यह कहना संभव नहीं है कि कोई विशेष देश इस आन्दोलन को सहायता दे रहे हैं ऐसा मैंने नहीं कहा।

श्री चित्त बसु : तब आपने ऐसा क्यों कहा ?

श्री गुलाम रसूल कोचक : तब आपने यह क्यों कहा कि कुछ विदेशी शक्तियां इसके पीछे हैं। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा था कि हो सकता है वे सहायता करती हो, परन्तु इसे सिद्ध करना कठिन है, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली इस प्रकार की है कि इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये जब तक इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता तब तक मन्त्री सभा में किसी देश विशेष का नाम नहीं ले सकता। मन्त्री ने ऐसा नहीं कहा।

श्री चित्त बसु : आपने यह क्यों कहा ? आपने उन्हें उद्धृत किया। आप इससे इन्कार करें।

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या हम इसे मात्र सन्देह मान सकते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्री चित्त बसु ने उस आम सभा का उल्लेख किया जिसमें श्री बूटा सिंह ने भाषण दिया बताया जाता है। मैं नहीं जानता यह समाचार उन्होंने कहा से लिया, हो सकता है यह समाचार पत्रों की रिपोर्टों से लिया है। परन्तु समाचार पत्रों में भी कुछ भ्रामक समाचार हो सकता है अतः मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकता कि श्री बूटासिंह ने ऐसा वक्तव्य दिया है।

श्री एच० के० एल० भगत जनरल स्पैरों और श्रीमती ब्रार जैसे हमारे पक्ष के सदस्यों ने जो सभी पंजाब के हैं, पंजाब की सभी वर्तमान स्थिति तथा राज्य में हिन्दू और सिखों के संबंधों के बारे में स्थिति को काफी स्पष्ट किया है। विपक्ष के जो सदस्य भी इस बारे में बोलें हैं, उन सभी ने यह कहा है कि इस मामले से हम सबका सम्बन्ध है, यह एक राष्ट्रीय मामला है हम इसको अलग नहीं कह सकते और कोई भी अकेला इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार इस मामले में तथा राष्ट्र के समक्ष अन्य मामलों में विपक्ष की सहायता को तैयार है।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मेरे वरिष्ट साथी गृह मन्त्री वाद-विवाद में उठाये गये मामलों पर विस्तृत उत्तर देने जा रहे हैं। मुझे बोलने का और माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों को स्पष्ट करने का जो मुझे अवसर दिया गया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चरणजीत यादव दे।दो अन्य सदस्य श्री कश्यप तथा श्री पासवान ने अभी बोलना है। वे दोनों 3 से 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे तथा मन्त्री महोदय 7 बजे नहीं अपितु 7.10 पर उत्तर देंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इस विषय पर यहां डिबेटिंग सोसाइटी की तरह से बहस नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए मैंने शुरु में एक प्रस्ताव दिया था कि यह दिन एक राय से इस खालिस्तान के आन्दोलन की निन्दा करें और इसको राष्ट्र विरोधी आन्दोलन कराए हैं।

कुछ बातें हैं जिन पर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए और जिनकी वजह इस तरह के मूवमेंट हमारे देश में पैदा होते हैं, वक्तन फवक्तन पैदा होते हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी शासक दल की इसलिए है कि वह देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। राजनीतिक लाभ के लिए अगर ऐसे काम किए जाएंगे जिनसे गलत तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा तो फिर इसके नतीजे भी बुरे होंगे। पंजाब में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें इस हद तक शासक दल की जिम्मेदारी भी है कि उसने अनावश्यक रूप से, बिला वजह उस रास्ते की नकल करने की कोशिश की जो वहां के अकाली दल या दूसरे साम्प्रदायिक दलों ने अपनाया था। हमारे देश में सिख अल्पसंख्यक हैं, अकलियत है। उनके मन में किसी वजह से जो डर और भय पैदा हुआ है इसलिए हुआ है कि गुरुद्वारे की राजनीति में खवाम-खवाह के लिए शासक दल ने दखल अन्दाजी की है। मैं जानता हूं कि अकाली दल के पंजाब की राजनीति में गुरुद्वारों का इस्तेमाल किया है और उन्हें अपनी राजनीति को चलाने के लिए आधार बनाया है लेकिन शासक दल को उनको आधार नहीं बनाना चाहिए था। यह सारी की सारी लड़ाई गुरुद्वारे के अन्दर लड़ाने की बजह से आम सिखों में भय पैदा हो गया है और वे समझने लग गए हैं कि उनके धर्म में बिला वजह हस्तक्षेप हो सकता है। उनके तरीके कार में, जिन्दगी में बिला वजह हस्तक्षेप हो सकता है। मैं मानता हूं कि पंजाब के आम सिख खालिस्तान मूवमेंट के साथ नहीं है। लेकिन पंजाब के आम सिख आज इसलिए नाराज हैं कि सरकार ने या शासक दल ने गुरुद्वारों में, उनके धर्म के कामों के अन्दर दखल अन्दजी की है। यह असन्तोष है। आज अगर भिन्डरावाला को रिपोर्ट मिल रही है तो उनका कारण यह है कि वह इस बात का प्रतीक बन गया है कि वह गुरुद्वारों की महता की रक्षा करना चाहते हैं और इसलिए उनके पीछे एक ताकत खड़ी हो गयी है। इस देश के पूरे इतिहास को देखे आजादी के पहले क्या होता था ? इस देश के मुसलमानों की इस भावना का जिन्नाह ने इस्तेमाल किया और यहां पाकिस्तान बना। इसलिए कि जो भी इस देश में माइनारिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं उनके मन में इस बात का डर बना रहता है कि उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति और उसकी जिन्दगी के तरीकेकार में बेजा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और उसी वक्त इस देश में अनुसूचित जातियों के मन में इस प्रकार की धारणा थी जब उनके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा था, उसके भी गुस्से का इजहार इस देश के अन्दर हुआ। आज अगर नार्थ ईस्टर्न जोन के अन्दर जो हो रहा है वहां यह भावना पैदा हुई चाहे वह मीजोराम हो, मेघालय हो, या नागालैंड हो सब जगह यही भावना थी, उनके मन में बराबर डर बना रहता था कि कहीं हमारे धर्म में, संस्कृति पर या रहन सहन में दखलंदाजी तो नहीं हो रही है। यह बात आज अगर सिख समुदाय के अन्दर भी पैदा हो रही है तो गलत है। सिख समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय है, उनका अपना धर्म है, उनकी अपनी मातृभाषा है, उनके काम का तरीका है और उसमें वह किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। मेरी गृह मन्त्री से, आपकी पार्टी से और आपके नेतृत्व से प्रार्थना है कि यह मजहब को इस्तेमाल करने की राजनीति इस देश में बन्द करनी चाहिये। जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं उनकी निन्दा होनी चाहिए। आज इस देश में ऐसी ताकत हैं जो धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे

गुरुद्वारा हो मस्जिद हो अगर उनमें ऐसे लोगों को पनाह दी जाती है जो यहां राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, जो कत्ले आम कर रहे हों, या हिंसा की राजनीति कर रहे हों, जो दूसरे धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे हों, मैं समझता हूं कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है धार्मिक संस्थाओं का। इसको रोकना चाहिए। लेकिन यह काम महज सरकार से नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं जैसा सरकार ने डील किया है अगर आप वाल्डन टेम्पिल में पुलिस या फौज भेज दीजिए तो यह गलत होगा। लेकिन आज सिख समुदाय को भी बताया जाना चाहिए कि नहीं गुरुद्वारों का इस्तेमाल इस काम के लिए नहीं होना चाहिए। इसका प्रचार आप अपने रेडियों टी० वी०, अखबारों और अपनी पार्टी से करायें। मैं समझता हूं यह काम आज नहीं हो रहा है। कुछ सच्चाई भी है जिसको स्वीकार करना चाहिए, पंजाब के अन्दर निरंकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। चाहे उनसे कोई असहमत हो, लेकिन इस देश में धार्मिक आजादी का हक हर एक इन्सान को है। आज निरंकारी होना जैसे लगता है कोई अपराध है। उनके मन में पंजाब में डर है। उनकी जिन्दगी और सम्पत्ति के बारे में इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो हमला कर रहे हैं उनको पकड़ कर सजा दी जानी चाहिए हिन्दू-मुसलमान, हिन्दू-सिख और हिन्दू-ईसाई में प्यार सद्भाव और एकता इस देश की एकता की आधारशिला है। मगर आज हिन्दुओं के मन में पंजाब में यह डर पैदा हो रहा है कि—वह अपने उद्योग आगे पंजाब में लायेंगे कि नहीं। यह उनके मन में आज डर है। ऐसी बदकिस्मती की स्थिति पैदा हो रही है। और मैं समझता हूं यह तभी बन्द हो सकता है जब सरकार सख्ती के साथ ऐसे लोगों को जिन्होंने दूसरों की जान ली है, कातिलाना हमला करके लोगों को कत्ल किया है, उन पुजारियों को सरकार जल्दी से पकड़ कर अदालत में लायें, उन पर मुकदमा चलाये और कानून के मुताबिक उनको सजा हो। तभी लोगों के मन में आश्वासन पैदा हो सकता है।

दूसरी बात जो माननीय सभा मुखर्जी साहब ने कही इसको आपको हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिये। आज कैनाडा से कोई आदमी अगर कुछ कहता है, एक आदमी नहीं है उसके पीछे शक्ति और पैसा है, और ताकतें हैं जो वहां से वह अपनी करेन्सी चला सकता है, अपना दूतावास खोल सकता है, वहां से वह डाक टिकट निकाल सकता है···कौन उसके पीछे ताकतें हैं? मैं चाहता हूं कि गृह-मन्त्री जी जवाब दें कि क्या हमारी सरकार ने कनाडा की सरकार से बातचीत की है कि कनाडा की भूमि से इस प्रकार का राष्ट्र-विरोधी आन्दोलन क्यों हो रहा है? हमारे सम्बन्ध कनाडा से अच्छे हैं, वहां हमारे राजनैतिक सम्बंध हैं। कनाडा की भूमि पर भारत के विरुद्ध अड्डा बनाया जाये, वहां कंसूलेट स्थापित किया जाये, वहां सिक्का चढ़ाया जाये, वहां से आन्दोलन का सूत्रपात हो, तो क्या कनाडा की सरकार से आपने इस इश्यू को लिया है, उनका इस बारे में क्या जवाब है?

क्या अमेरिका से आपने इस बारे में बात चीत की कि अमेरिका में क्यों खुलेआम पैसा इकट्ठा हो रहा है और अमेरिका क्यों इसे उत्साहित कर रहा है? जैसे आपने पाकिस्तान से प्रोटेस्ट किया, वहां मीटिंग नहीं हो पाई, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का प्रोटेस्ट आपने अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से भी किया? इंग्लैंड के एक मन्त्री का बयान मैंने पढ़ा

है। उन्होंने कहा है कि हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है, विधान तो वहां है नहीं, कि हम इसको कोई राष्ट्र-विरोधी काम नहीं कह सकते हम सजा नहीं दे सकते। हमारे यहां पूरी आजादी है, जो चाहे वहां से वैसा करें। क्या इसका कोई प्रोटेस्ट हमारी सरकार ने किया है हमारा एक मित्र देश, हम कामनवैल्थ के मेम्बर हैं, और इंग्लैंड के एक मन्त्री यह बयान दें कि अगर भारत के विरोध में और खालिस्तान के ससर्थन में एक आन्दोलन यहां चलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते या बेबस हैं, तो क्या उनकी बेवसी को हमने स्वीकार कर लिया है ? मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बारे में क्या कहना चाहती है ?

मैं समझता हूं कि आप जैसी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति हैं, दुनिया के बहुत से देश भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। आज भारत अपनी जो भूमिका निभा रहा है वह आगे भी निभायेगा, इसलिए कि भारत एक बड़ा देश है, 68 करोड़ आदमी इस देश में रहते हैं, उसकीम न्यता है। आज दुनिया के कुछ देश चाहते हैं कि भारत कमजोर रहे और इसके लिये भारत विरोधी ऐसी ताकत हैं जो आवाज उठाती हैं और उनको दुनिया की बहुत सारी शक्तियां पैसे से नैतिकता से, समर्थन से उनको प्रोत्साहित कर रही हैं। मैं समझता हूं कि इस खतरे को देखना चाहिए इसको नजर-अन्दाज नहीं करना चाहिये।

प्रधान मन्त्री ने उनको बुलाकर बात की है, मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की है। यह दूर्भाग्य की बात है कि इस देश के लोग हिन्दू के नाम पर आते हैं। अगर एक साथ आने को तैयार नहीं है, अगर आपस में लैक आफ फेस है, विरोधी कोई सिख की तरफ से आ रहा हैं, कोई हिन्दु की तरफ से है कोई निरकारी की तरफ से तो देश के प्रधान मन्त्री यह नहीं कह सकते कि हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मकवाना साहब ने यह बात भी घोषित की है कि नहीं, वहां के गवर्नर अथवा मुख्य मंत्री राजनीतिक दलों से इस बात पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं भी आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में हमारे मतभेद हो सकते हैं आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर, लेकिन यह पार्लियामेंट और देश इस बात में एक हैं कि भारत विरोधी हरकतों को इस देश में स्वीकार नहीं किया जायेगा और देश को कमजोर करने वाली ताकतों का समर्थन भी इस देश में नहीं किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस सदन को यह भावना देनी चाहिये कि सदन की इस इस प्रकार की राय है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत, जो देश में अलगाव की स्थिति पैदा करना चाहती है, एक नया राष्ट्र बनाने की साजिश कर रही हो, चाहे दुनिया की सारी ताकतें उसके पीछे हों, यह देश उसकी निन्दा करता है और किसी प्रकार का समर्थन उनको नहीं मिल सकता है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात कहूं, इससे पहले मैं श्री मनी राम जी बागड़ी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन का ध्यान और देश का ध्यान अपने प्रस्ताव द्वारा आकर्षित किया है।

देश में कोई भी अलगाव की बात देश के लिए और देश की एकता के लिए बड़ी घातक है। साथ ही साथ हमें उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करना होगा और उन समस्यायों का भी समाधान करना होगा जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा होता है कि हम इस देश से क्यों अलग हों। कुछ पिछले सिलसिले रहे हैं और हमारी सरकार ने इस तरह का बर्ताव किया है जिससे लोगों को खालिस्तान के आन्दोलन के बारे में बढ़ावा मिला है। एक केवल कागजी कार्यवाही हो जाये, कहीं से डालर छप जाये, पासपोर्ट छप जाये या वह अखबार में निकल जाये तो उससे हिंदुस्तान खालिस्तान में नहीं बदल जाता। लेकिन अगर समझौते के लिए कुछ धार्मिक नेताओं और दूसरे लोगों को यहां पर बुलाया जाये, और उस बातचीत में गृह मंत्री की जगह विदेश मंत्री शामिल हों, तो मालूम होता है कि हम विदेशी शक्तियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ लोगों की मांग को मान्यता दे रहे हैं। गृह मंत्री यह उपेक्षा इस लिए भी हो सकती है कि अखबारों में यह चर्चा चली है कि इसमें गृह मंत्री का हाथ था, लेकिन देश स्पष्ट रूप से जानना चाहता है कि इस तरह के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश क्यों की जा रही है और इसको हिन्दू और सिक्ख का मामला क्यों बनाया जा रहा है। हिन्दू और सिक का मामला नही है। यह मामला सिख वर्सस हिन्दू नहीं हैं। यह मामला कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों की भारत के प्रति अलगाव की नीति हो सकती है ऐसी प्रवृत्ति को कुचला जा सकता है, चाहे उसके पीछे हिन्दू हो, सिख हों या मुसलवान हों, किसी धर्म के मानने वाले हों, और चाहे वे पंजाव में हों या बंगाल, आसाम या तामिलनाडू में हों। कोई भी खालिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में पूरे देश का एक दृष्टिकोंण है और एक ही उद्देश्य है।

लेकिन हमारी सरकार की नीति और तौर तरीके सही नहीं हैं। सब्जी काटने वाले चाकुओं के वल पर कुछ लोग हमारे हवाई जहाज को देश से बाहर ले गए। सरकार के लोगों ने हवाई जहाज के अपहरण को स्वयं बढ़ावा दिया हुआ है। उन्होंने अपहरण करने वालों को टिकट दे कर ऊंचे सदन में विठाया है। हमें तो संदेह होता है कि इस हवाई जहाज के अपहरण में या तो सरकार की लापरवाही रही है या सरकार की उसमें कोई बात छिपी हुई हैं। आज तक उन लोगों को पाकिस्तान से क्यों नहीं लाया गया हैं? कैसे उनके परिवार उनके साथ गये थे? उनको यहां पर लाकर उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? सरकार ने इस बारे में कोई कदक क्यों नहीं उठाया है? इस देश के लोग इस मामले को बड़े शक की निगाह देख रहे हैं।

अखवारों में कुछ बातें निकली है। पता नहीं, वास्तविकता क्या है। अगर कुछ छुरियों के द्वारा एक हवाई जहाज का अपहरण कर लिया गया, तो कहा जाता है सिखों के कृपाण रखने पर पावंदी लगाई जाएगी। जब खाली गेंद से हवाई जहाज का अपहरण किया जा चुका है, तो हिन्दुस्तान में वल्ले से खेली जाने वाली सारी गेंदों पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। क्यों कहा जाता है कि सिखों के कृपाण रखने पर पावंदी लगाई जाएगी? अगर पांच छः आदमी कृपाण से कोई गलत काम करते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं है कि करोड़ों सिखों की कृपाण पर पाबंदी लगा दी जाए। गुरु गोविन्द सिंह ने कृपाण इस रूप में दी थी कि अमृत

पान कराने से लेकर धर्म की मान्यताओं के साथ उसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। कृपाण के प्रति सरकार की नीति सराहनीय नहीं कही जा सकती, बल्कि हम उसकी निन्दा करते हैं और हम उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे।

सारे देश और पूरे सदन की यही भावना है कि खालिस्तान बनने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन हमारी सरकार को भी मजबूती से काम लेना चाहिए। अगर देवली कांड होंगे, तो लोग अछूतिस्तान की मांग भी कर सकते हैं। अगर कफल्टा कांड के मुलजिमों को छोड़ दिया जाता है, तो हरिजन न्याय की मांग कर सकते हैं। सिखों और हरिजनों केसाथ न्याय न हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए बी० पी० मंडल कमीशन की उपेक्षा की जाए, बैकवर्ड क्लासिज को धोखा दिया जाए, ये बातें संदेह पैदा करती है, लोगों के मन को झकझोरती हैं। इसलिए सरकार को अपनी नीयत को बदलना चाहिए।

आज मिजोरम में एक पैरालल सरकार बनी हुई है, जो टैक्स वसूल कर रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। खालिस्तान के सिक्के चलाए जाते हैं, मगर सरकार कुछ नहीं कर पाई है। मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों पर लांछन लगाने से काम नहीं चलेगा। हम मजबूती चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिये कि भिंडरावाला को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। अगर उसको गलत तौर पर पकड़ा गया, तो पकड़ने वाली एजेन्सी, पुलिस या अधिकारी को सजा क्यों नहीं दी गई ? अगर वह मुजरिम था और उसको छोड़ दिया गया, तो उसे छोड़ने वाली पुलिस और सत्ता को जेल क्यों नहीं भेजा गया, उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ? इन बातों से लोग समझते हैं कि वे राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करके प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री को दबा लेंगे और भिंडरावाला जैसे लोगों को छुड़ा लेंगे।

चाहे लाला जगत नरायण का कत्ल हो देवली की घटनाएं हों, बदायूं में नवादा और कफल्टा के कांड हों, यह सरकार न किसी को पकड़ पाती है और न सजा दे पाती है। वह केवल कागजों और बहसों से इन समस्याओं को हल करना चाहती है। हम खालिस्तान का विरोध करते हैं, लेकिन साथ साथ सरकार की नीतियों का भी विरोध करते है। इन अन्दोलनों को मजबूती के साथ दबाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आप से और सदन से यह आग्रह करूंगा कि डिसइन्टीग्रेशन के, पृथकतवाद के तत्व हैं इनका सोर्स कहां है इनकी जड़ें कहां हैं ? सबसे दुख की बात इस देश में यह है कि आज कोई भी अपने को भारतीय समझता ही नहीं हैं। राष्ट्रीयता किसी में ही नहीं। हम हैं तो हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कोई हिन्दू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कोई राजपूत है,कोई कुछ है, लेकिन कोई आदमी राष्ट्रीय है ही नहीं। यह जो चर्चा हो रही है खालिस्तान की तो मैंने उस दिन भी कहा था कि खालिस्तान तो एक बुलबुला है जो यह बतला

रहा है कि देश का बुखार 104 डिग्री तक पहुंच गया है, देश कोलैप्स करने वाला है, थर्मामीटर के रूप में इसको ले सकते हैं। और भी जो क्षेत्र हैं, सब जगह पर इस तरह की बातें चल रहीं हैं आप भले ही इसको कह दें कि कुछ नहीं हैं।, हम भी इस सदन के सदस्य हैं, हम भी नहीं चाहेंगे कि देश में हमारे या किसी के वक्तव्य से कोई मामला विगड़े। ईमानदारीपूर्वक सब लोग चाहेंगे की समस्या का निदान हो जाय, देश की एकता बनी रहे और भारत अखंड रुप में रहे। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आजादी के 33 वर्ष बाद जहां नेशनल डिस-इंटीग्रेशन की ओर जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबसे ऊपर जो राष्ट्रीय स्वार्थ रहना चाहिए, उसके बाद पार्टी का स्वार्थ, और उसके बाद व्यक्ति का स्वार्थ रहना चाहिए, उसके बजाय आज राष्ट्र का स्वार्थ सबसे नीचे चला गया है। सबसे ऊपर व्यक्ति का स्वार्थ, उससे नीचे पार्टी का स्वार्थ, और सबसे नीचे राष्ट्र का स्वार्थ चला गया है। जब तक सबसे नीचे व्यक्ति का स्वार्थ, उसके बाद दल का स्वार्थ और सबसे ऊपर राष्ट्र का स्वार्थ इस तरह का शीर्षासन आप नहीं कराएंगे, व्यक्ति के स्वार्थ को सबसे नीचे नहीं लाएंगे तब तक आप लाख यहां कुछ भी कर लें समस्या का कोई निदान होने वाला नहीं है।

अभी इन्होंने एक बात कही। आप क्या यह समझ रहे हैं कि यह एक समुदाय के बीच में हो रहा है, यह क्या केवल खालिस्तान का मामला है ? बहुत डीटेल में बात यहां हुई है। मैं इसमें इतना ही जानना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एन० एस० ए० किसके लिए बनाया था ? क्या हम लोगों को पकड़ने के लिए बनाया था कि आप जब कोई गलत काम करेंगे और हम लोग उस पर बोलेंगे तो हमें जेल में बन्द कर देंगे ? वह किस के लिए बनाया गया था ? आपने रेडियो से भिंडरावाले की गिरफ्तारी का प्रचार करवाया, उनको मौका दिया गया कि तुम जाओ गुरुद्वारे में। वहां जाकर 15 दिन तक वह रहते हैं मीटिंग आगनाइज करते हैं, जिस दिन गिरफ्तारी देते हैं तो बोलकर गिरफ्तारी देते हैं कि आज मैं गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा हूं, पचास हजार की भीड़ इकट्ठी होती है और 14-15 आदमियों की हत्या होती है। यह क्यों ? इसके पीछे क्या है ? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां नीति और नीयत में फर्क हो जाएगा वहां क्या होगा ? आज सब जगह ऐसी हालत हो रही है। कौन सी स्टेट आप की ऐसी है जिस स्टेट में आप कह सकें कि स्थायित्व है ? किसी भी प्रदेश का नाम दे सकते हैं ? सब जगह एक आदमी आग लगाएगा, एक आदमी आग बुझाने का काम करेगा। मतलब कि पहले डिवाइड करो, फिर आइसोलेट करो और फिर कान्कर करो। यह जो आपके नेतृत्व की देन है कि सबसे पहले एक-दम डिवाइड कर दो, फिर आइसोलेट करो और फिर उसको मिलाने का काम करो, यह डिवाइड एंड रूल की पालिसी जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक चाहे आसाम का मामला हो, चाहे हरिजन का मामला हो, चाहे आदिवासियों का मामला हो, चाहे मुसलमान का मामला हो, चाहे खालिस्तान का मामला हो, किसी भी मामले की समस्या का निदान नहीं कर सकते। हमें तो लगता है कि हमारी नीयत है ही नहीं। एक घटना घटी देवली में, प्रधान मंत्री गई आंख से आंसू बहाकर चली आई। आपके आंसू से हमें क्या लेना देना है ? आप हंसते रहिए लेकिन हमें सुरक्षा तो दीजिए। कफल्टा में घटना हो गई लेकिन एक भी मुजरिम नहीं पकड़ा गया। आप

क्या यह समझते हैं कि आज एक ही वर्ग में यह असंतोष चल रहा है ? आप हरिजन से बात करिए, बिहार के आदिवासियों से बात करिए जो आदिवासी कहता है कि मैं क्रिश्चियन बन गया मेरा जीवन स्तर ऊचा हो रहा है। अगर हिन्दू धर्म में कुछ नहीं हो रहा है और आज खुशी से कोई आदमी धर्म परिवर्तन करता है तो आप रोज गाली देंगे बजाए इसके कि प्यार करें। यदि इस बात का पता चलता भी है कि ठीक है, उसको पैसा मिला है तो दूसरे वर्ग में जाने के लिए उसको पैसा मिलता है और हिन्दू धर्म में मन्दिर में जल चढ़ाने के लिए गोली मारी जाती है। अगर आपको मालूम भी होता है कि पैसा मिला है तो जले पर नमक छिड़कने का काम क्यों करते हैं।

जहां तक इस खालिस्तान के मसले का सम्बन्ध है, सभी को एक स्वर से इसकी निन्दा करनी चाहिए लेकिन मैं गृह मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि आज देश प्रत्येक क्षेत्र में विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। आपने जब से इस देश की बागडोर सम्भाली है, रेडियो और अखबार के द्वारा काम चलाना चाहा है लेकिन मैं समझता हूं इस तरह से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी कथनी और करनी में, आपकी नीति और नियत में सफाई आनी चाहिए। यह जो खालिस्तान का मामला है इसके पीछे चाहे एक आदमी का ब्रेन हो या दो आदमियों का ब्रेन हो लेकिन इस तरह के नारे बहुत लुभावने हुआ करते हैं। आज हमारे साथी ने अछूतिस्तान कहा है। कोई हो जाए पैदा इस देश में और कह दे अछूतिस्तान तो हरिजन जो हैं वह किसी दूसरी जगह बसने के लिए नहीं जायेंगे लेकिन यह नारा उनके दिमाग में फिट हो जायेगा। मुसलमान कोई पाकिस्तान नहीं गए, सभी हिन्दुस्तान में हैं, कुछ बार्डर के लोग रहे होंगे वही पाकिस्तान गए होंगे लेकिन उस वक्त गांव गांव में मुसलमानों को लग रहा था कि मुल्क में समता, समृद्धि और कोई नया राज आने वाला है, भविष्य हमारा होने वाला है। उसी तरह से आज पिछड़े हरिजन भाइयों के उत्थान की बात चलती है तो मुट्ठी भर लोगों को, सरकारी पक्ष के लोगों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन कल अगर कोई आग जलाने वाला हो जाए तो एक नया गुल खिल सकता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि ऐसी समस्या आप पैदा न कीजिए। आप इस देश के गृह मन्त्री हैं और भारत सरकार का इसमें बहुत दायित्व है। आप जो अक्सर शेरो शायरी में है कि मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के चमन के सभी फूल और कलियां मुस्कुरायें, हिन्दुस्तान के सभी फूल खिलें तो कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि गांवों के फूल खिलने वाले हैं। इसलिए आप मुठ्ठी भर लोगों को बढ़ाने की बात को छोड़िए बल्कि पूरे हिन्दुस्तान की आत्मा को जगाने का काम कीजिए ताकि सारे देश के नागरिक समझ सकें कि वे देश की मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं और किसी को भी यह समझने का मौका न मिले कि वह इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म का राष्ट्रीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उसमें हिन्दुओं ने उतना रोल अदा नहीं किया जितना कि मुसलमानों ने किया, उन्होंने आगे बढ़कर इस देश की रक्षा की। इसलिए धर्म एक अलग चीज है और राष्ट्रीयता अलग चीज है। इसलिए आप इस बात को देखें कि आज बहुत सी ऐसी समस्यायें पैदा हो रही हैं जिनसे बगूले उत्पन्न हो रहे हैं। इनको आप रोकने का प्रयास करें। आप

इस देश के गरीब, बुरबा, पिछड़े और हरिजन, अल्पसंख्यक सभी के दिलों में राष्ट्रीयता की भावना जगायें तभी हमारा, आपका और इस देश का भला होगा, तभी इस देश में जमहूरियत रह सकेगी।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष जी,

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के तीन सदस्य बोल चुके हैं। उन्हें शुरू करने दें। जब वह समाप्त करें ; तब आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी बात तो आप सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले पर जो पहले चर्चा चली थी उसका जवाव गृह मन्त्री जी दे नहीं सके थे हालांकि देना चाहते थे। तो वह पिछली चर्चा भी इस बहस में शामिल है, वह बहस पहले से कन्टीन्यु कर रही है इसलिए 23 तारीख को जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया था उनका उत्तर भी गृह मन्त्री जी देने की कृपा करेंगे।

इसके अलावा एक नयी बात यह है कि जालन्धर में हिन्दू बचाओ सम्मेलन हुआ है उसके अन्दर कांग्रेस के यश जी और कुमारी सरला पराशर गई थीं जिससे कि हिन्दू-सिख टेंशन बढ़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके कांग्रेस अध्यक्ष ने किस तरह से वहां पुरी के शंकराचार्य की अध्यक्षता में प्रस्ताव का समर्थन किया ?

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मन्त्री उत्तर देंगे।

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, जिन अनरेबल मेम्बर्स ने इस समस्या पर यहां अपने विचार रखे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें एक मुख्य वात यह कही गई है कि जो सेप्रेटिस्ट ताकतें हैं उनको उभरने नहीं देना चाहिए। इसमें सबकी एक राय है और मुख्तलिफ राय यह है कि सरकार इसको अजबूती के साथ हैण्डल नहीं कर रही है या उसका ढ़ंग अथवा तरीका ठीक नहीं हैं। तीसरा प्रश्न हैं, सरकार शायद जानबूझकर ऐसी ताकतों को उठाती है। चौथा प्रश्न यह आया है कि गृह मन्त्री पर भी कुछ लांछन लगा दिये गये हैं— यह थोड़ी सी बातें हैं।

जहां देश की एकता और यकजहती को खत्म करने का सवाल है, वहां पर हम सब एक हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारी पोलिटिकल पार्टीज के नेता जो ईमानदारी से अपने देश को एक रखने के लिए, इसकी स्वतन्त्रता को बचाने के लिए और इसको आर्थिक रूप से उन्नत करने के लिए ऐसी समस्याओं को पार्टी लाईन पर नहीं सोचते । रूलिंग पार्टी का पहला धर्म है कि ऐसी बातों का कोई नाजायज फायदा न उठाया जाय । इसलिए मैं अपील करूंगा कि पोलिटिकल पार्टीज इस बात के लिये आज नहीं, लेकिन जब हम किसी मीटिंग मे इकट्ठे हों तो यह भी कोशिश करें कि ऐसी ताकतों के साथ इलैक्शन के वक्त हमको एलाएन्स नहीं करना चाहिये । जब एलाएन्स एक पार्टी करती है तो उनकी रिस्पैकटेबिलिटी मिल जाती है और उनका सम्मान बढ़ता है । इस प्रकार की गलतियां कई बार पार्टियों ने की है ।

समर मुखर्जी जी हमारे हाउस के आनरेबिल बुजुर्ग मेम्बर हैं, पार्टी के तौर पर भी अपोजीशन में उनका पहला नम्बर जाता है । उन्होंने एक डालर की कापी और लेटर-हैड दिखलाया और उसकी भी चर्चा हुई है, लेकिन उस चर्चा में मैं जाना नहीं चाहता हूं । मैं यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि कैनाडा की सरकार से बात हुई थी, जब उनके एमीग्रेशन मिनिस्टर वहां आये थे, तो वे भी मेरे से मिले और मैंने उनसे कहा था कि यह क्या तमाशा है कि खालिस्तान का पास-पोर्ट लेकर, जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, आप लोगों ने उनको इसलिए दाखिल कर दिया, यह बात मानकर कि उनको हिन्दुस्तान रखना नहीं चाहता, चूंकि वे खालिस्तान के हिमायती हैं, आपने उनको अपने देश में ठहरने के लिये जगह दे दी । यह बात ऐतराज योग्य है । उन्होंने कहा कि हमारे देश का कानून ही ऐसा है, जो को आये हम उसको रहने के लिए, बैठने के लिए, जगह देते हैं लेकिन हिन्दुस्तान के साथ हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम हिन्दुस्तान की परेशानी को बढ़ायें । इस प्रकार मैंने उनको कहा कि आपके यहां भी फ्रेन्च भाषा बोलने वाले अलेहजा होना चाहते हैं । यदि कोई देश उनको पनाह देगा तो दोस्ती कैसे निभेगी । उन्होंने कहा—नहीं निभेगी । मैंने कहा—यदि नहीं निभेगी तो फिर आपको इसका उपाय करना चाहिये । उन्होंने कहा—क्या उपाय ? मैंने कहा—कानून को बदलो । ये हमारे देश के दुश्मन हैं, ये हिन्दुस्तानी नहीं हैं, रिफयूजी नहीं हैं, किसी ने निकाला नहीं है, दुनिया में खालिस्तान नाम की कोई चिड़िया नहीं है । हम यह बरदाश्त नहीं करेंगे । आखिर उन्होंने यह कर दिया कि यदि कोई इण्डियन वगैर इण्डियन पास-पोर्ट के जायेगा तो उनको अपने देश में रहने के लिए जगह नहीं देंगे—यह बात उन्होंने कही ।

कैनाडा के प्रधान मन्त्री हमारे प्रधान मन्त्री जी से मिले थे और उनसे भी बात हुई थी । वह यह कहते हैं कि खालिस्तान का कोई कान्सिल वहां है, ये सब बनावटी चीजें हैं । लेकिन फिर भी विदेश मन्त्रालय सब मुल्कों के साथ बात-चीत करता है और इन्फरेंशन भी जाती हैं । यादव जी को मैं बतलाना चाहता हूं—हमने पाकिस्तान को कहा था, उन्होंने कान्फ्रेन्स नहीं होने दी, इसलिए यह कहना कि गवर्मेंट इन बातों पर ध्यान नहीं रखती है, सही नहीं है । हम इस पर बिल्कुल सचेत हैं और ऐसे तमाम मामलों को देखते हैं ।

लेकिन एक बात मैं रिकार्ड के लिये कहना चाहता हूं। बहुत से दोस्तों को इस बारे में मालूम भी होगा, लेकिन यह ईशू है जिसको यहां रिकार्ड में न लाऊं तो ठीक नहीं होगा। राज्य सभा में भी मैंने बतलाया था कि इसकी भावनाओं को पहले देख लेना चाहिये। खालिस्तान की बात जिस आदमी ने शुरू की थी, वह 1969-70 और 71 में शुरू की थी। उससे पहले भी कभी-कभी कोई सिर-फिरा आदमी कह देता था, लेकिन उसको सीरीयसली नहीं लिया गया। जिस वक्त हमारे जनरल बंगला देश की फतह के बाद पाकिस्तान की फौजों से हथियार डलवा रहे थे, एक मुकर्रा वक्त पर 90 हजार अफसरों और सिपाहियों ने एक रस्म के तौर पर जैनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डालें तो एक तरफ तो तस्वीर आ रही थी, दूसरी तरफ याहियां खां इस डा० जग जीत सिंह को साथ लेकर टेलिविजन पर कह रहा था कि हमने गुरुद्वारों की चाबियां इनको दे दीं हैं, ये खालिस्तान चाहते हैं। आपको शायद याद होगा जंग के दौरान डा० जगजीत सिंह से भाषण करवाया गया कि पाकिस्तान से पैराशूट के जरिये हम उतरेंगे, सिखों की तरफ से हमारा स्वागत होना चाहिये। जब वे पाकिस्तान सिखों का भेष धारण करके यहां उतरे तो उनको उसका जवाब दिया गया, सब पंजाबियों ने मिलकर उनको मारा पास बगैर तलवार के, बगैर बन्दूक के, सिर्फ लाठियों से उनको मार दिया था। यह लज्जा था उस वक्त पंजाब का इसने खतरनाक वक्त में जिस आदमी ने दुश्मन का साथ दिया और उस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान में थी, यह बिलकुल साफ है कि उसने खालिस्तान की मूवमेन्ट को मजबूत करने के लिये काम किया। कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं कि पाकिस्तान के पीछे और भी ताकतें हैं, लेकिन विदेशों में या देश में इस मूवमेंट को कोई समर्थन नहीं मिला। उसके बाद यह खुद अपनी मौत मर गई। उसके बाद डा० जगजीत सिंह यहां आया, मैं किसी को दोष नहीं देता या ऐसा नहीं कहता कि जनता पार्टी ने उसको यहां बुलाया, लेकिन हमने उसको यहां आने से रोका था, हमारे बदलते ही वह यहां आया और घूमता रहा, फिर भी उसको कोई समर्थन नहीं मिला। उसके बाद जब फिर कांग्रेस का राज्य आया, हमारे आने से पहले ही वह यहां से निकल गया था।

डा० जगजीत सिंह के अलावा, दूसरा मुखर्जी साहब ने गंगा सिंह का लिया था। गंगा सिंह अमरीकन सिटिजन है, ओरिजनली वह इण्डियन सिटिजन था, उसके प्रति कोई अहमियत या बात-चीत आज तक नहीं थी। लेकिन कुछ हमारे दोस्तों ने जोरदार प्रोपेगेण्डा करके उसको भी उसका नेता बना दिया। भारत की पार्लियामेंट में जितनी बार डा० जगजीत सिंह का नाम लिया गया, वह चाहे कितना भी बोगस से बोगस आदमी हो, लेकिन कुछ लोग जो इन्टरेस्टेड होंगे जो चाहते हैं कि हिन्दुस्तान को अन-स्टेबिल किया जाय वह जरूर उसको समर्थन देंगे। एक मेम्बर ने कहा था कि इसकी ज्यादा चर्चा करने से नुकसान होता है, जैसे पाकिस्तान जो रियेलिटी में आया, वह ज्यादातर विरोधियों की तरफ से आया। हम लोग इसको मिनीमाइज नहीं करना चाहते, यह स्लोगन खतरनाक है लेकिन इस स्लोगन को भयानक समझकर बहुत से लोग उसके साथ हो गये, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिये और इस गलत फहमी में हमको नहीं पड़ना चाहिये। गंगा सिंह कहता है कि मैं खालिस्तान की हिमायत नहीं करता और सिख

एजूकेशनल कान्सफ्रेन्स में प्रीसाइड करते हुए, जो उसने तकरीर की है, उसमें उसने खालिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की लेकिन उसको भी खालिस्तान बना दिया। गंगा सिंह और डा० जगजीत सिंह दोनो आपस में दोस्त नहीं हैं। गंगा सिंह का यह स्लोगन कि जो सिख दुनिया में रहते हैं, उनका एक आबजर्वन यू० एन० ओ० में होना चाहिये, उसको कोई समर्थन नहीं मिला चीफ खालसा दीवान जो सिख एजूकेशनल कान्फ्रेन्स को हर साल करवाता है, ने भी इसका जोरदार शब्दों में खण्डन किया है और कहा है कि हम खालिस्तान की मांग के साथ नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि वह ऐसा लीडर नहीं है लेकिन उसको लीडर बना दिया गया है। उसके बाद उसने ननकाना साहब फाउन्डेशन बना ली और एक अमीर आदमी के घर उसकी शादी हो गई और आप जानते ही हैं कि अमरीकन सिटिजन अमीर होते हैं। उसने अपना काम शुरू कर दिया। इसलिए जरा और गौर से देखने की जरूरत है कि इसके पीछे क्या है।

एक बात डा० फारुक अब्दुल्ला ने कही। वे चले गये, न जाते तो बड़ा अच्छा था। मैं पार्लियामेंट के आनरेबिल मेम्बरों से यह कहूंगा कि भारत की सियासत सारी एक तरह की नहीं है। जम्मू एण्ड कश्मीर की सियासत जुदा है जो पंजाब की सियासत रूप रेखा जुदा है, उसमें कुछ और ही मसला है, जो बाकी प्रान्तों में नहीं है नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो मामला है वैसा बाकी प्रान्तों का नहीं है। इन बातों से हम स्वाभाविक ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितनी ताकतें हिन्दुस्तान से अलाह्दा होने के लिए आवाज उठाएंगी छोटी हो या बड़ी हो, उसके साथ उन देशों की हमदर्दी होगी जो हमारा भला नहीं चाहती हैं, जिनके दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है, महुब्बत नहीं है।

अब हमारे प्रेस वाले भाई जानबूझ कर नहीं, कई बार उनसे भी ऐसी बात हो जाती है जैसे उन्होंने छाप दिया कि दो स्टेटमेंटें दी गई। मैं आपके दो मिनट लूंगा, मैं जानता हूं कि यह असंगत है और इसके साथ इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने यहां कहा था कि जहां पर ऐसी स्थिति हो जैसा देवली गांव में हुआ था, वहां हरिजनों को हथियार देने चाहिए लेकिन गलती से यह बात प्रेस में आई कि मैंने कहा था कि हरिजनों को हथियार दिये जाएं। मैं यह जानता हूं कि कम्युनिटी अगर लड़े, तो दूसरों को मिला कर रखने की बजाए दूसरों से हथियार छीनने के बजाए औरों को भी हथियार दे दिये जाएं ताकि वे लड़ें यह सही नहीं है मैंने यह कभी नहीं कहा था कि हरिजनों को हथियार दिये जाएं। यह सवाल मेरी गैर हाजरी में राज्य मन्त्री, श्री मकवाना जी के सामने राज्य सभा में आया और कहा गया कि होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को राज्य मन्त्री होम ने कांट्राडिक्ट कर दिया। ऐसा भी कई बार हो जाता है मैं यह एक परवान के तौर पर कहता हूं। जिस दोस्त को इस बारे में कोई शंका हो और खास तौर से मैं प्रो० दंडवते जी से कहूंगा कि वे रिकार्ड देख लें, मेरी स्पीच भी देख लें और उनकी स्पीच भी देख लें तो उनको तसल्ली हो जाएगी। इसके साथ यह कोई ताल्लुक नहीं रखती लेकिन बात साफ करने के लिये मैंने यह कहा है। लाला जगत नारायण जी मर्डर हुआ और उसके बाद कुछ और मर्डर हुए और कातिलों का न पकड़ा

जाना यह अच्छी बात नहीं है। इस बात की हम श्लाघा नहीं कर सकते लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी हो सकती है, पुलिस की मजबूरी हो सकती है जैसे कत्ल के बाद पहले दिन कुछ और ख्याल था लेकिन उसके बाद और बातें सामने आई और यह पता चला कि नक्सलाइट्स का इसमें हाथ था। हाईजेकिंग के अलावा कोई दूसरी बात खालिस्तान के सम्बन्ध में अभी तक साबित नहीं हुई कि यह खालिस्तान की वजह से हो रहा है लेकिन खालिस्तान के स्लोगन को हमदर्दी से देखना और टेढे ढंग से मदद करना कुछ तत्वों द्वारा, ऐसे कुछ तत्व पंजाब में मौजूद हैं। जिन पर सरकार निगाह रख रही है और उनकी पकड़ धकड़ भी हो रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : निरंकारियों का कत्ल किसने किया ?

श्री जैल सिंह : निरंकारियों के मारने में जो मेन कल्प्रिट हैं वे अभी पकड़े नहीं गये हैं इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उन्हें अतिवादियों ने मारा है, अकालियों ने मारा है किसने मारा है। इसकी जांच हो रही है, मामला अण्डर इन्वेस्टीगेशन है।

वाजपेयी जी का मैं बड़ा अदब करता हूं और बड़े सत्कार से उनकी बातों को सुनता हूं लेकिन कभी कभी जो वे हमारे ऊपर शक करते हैं तो वे अपने मन की और दिमाग की बात करते हैं। वे इस मुसीबत का फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने भाषण दे दिया, बाहर जा कर भाषण दे दिया, पंजाब में जाकर कह आये कि यह तो मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री की आपस की लड़ाई है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : महाराजा यटियाला ने कहा था कि यह हमारा झगड़ा है, यह नहीं होना चाहिए।

श्री जैल सिंह : मैंने यह नहीं कहा कि पहले झगड़ा दूर करना चाहिए। मैंने यह कहा था कि हमें ऐसे काम करना चाहिए कि लोगों की जो आशाएं हैं, उन्होंने जो जिम्मेदारी हम पर वरुणी है, हम साबित करें कि हम उसके काबिल हैं। हम रल-मिल करके काम करें। उसके बारे में दोस्तों ने मजाक में बात कर दी। हमारे एक साहेबान ने एक आर्टिकल लिखा। उसने कहा कि मैंने पक्ष में लिखा है लेकिन कुछ लोग उसका और अर्थ निकालते हैं।

मैं वाजपेयी जी को दोषी नहीं ठहराता लेकिन सूरजभान जी की बात सुन कर मुझे हैरानी होती है। वे मेरे प्रांत में रहे हैं, वे मेरी जिंदगी से वाकिफ हैं। मगर मैं इस बात को बहुत बुरी समझता हूं, नीचे दर्जे की बात समझता हूं।

आपस का भला कहावै
लिये भलाई नेड न आवे।

मैं यह समझता हूं कि जो अपनी तारीफ खुद करता है, उसकी तारीफ करने वाला आदमी खुद अच्छा नहीं होता। यह डेमोक्रेसी है। हम पर लोग इल्जाम लगाएं और हम

उनको सही बात नहीं बताएं तो हमें लोग वोट नहीं देंगे। उन्हें शक हो जाएगा। इसलिए सूरजभान जी को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जैसा कहा कि 1978 में एक प्रेस कांफ्रेंस हुई और उसका बिल ज्ञानी जी ने दिया। मैंने राज्य सभा में भी कहा था कि मुझे मालूम नहीं कि किसने बिल दिया था या नहीं दिया था, कांफ्रेंस हुई थी या नहीं हुई थी। कहां की बात है? कहा गया कि चण्डीगढ़ के एक होटल की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1978 में राज किसका था? उस वक्त कौन हुकूमत कर रहा था? उस वक्त दरबारा सिंह मुख्य मन्त्री नहीं था। फिर कहा जाता है कि दरबारा सिंह को परेशान करने के लिए मूमेंट को उकसाते हैं।

अब आप जरा गौर से देखिये। हिन्दुस्तान की जंगे आजादी के लिए 20-30 साल जेल काटने वाला, जिस पर मार पड़ी हो और जो फांसी के तख्तों पर चढ़ कर भी हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ा और उसे प्राप्त किया वह ऐसा कर सकता है। मैं तो एक छोटा सा वर्कर था। जब मैं 22 साल का था उस वक्त मैंने इस देश के लिए लड़ने का फैसला किया था। मुझे 22 साल की उम्र में जेल जाना पड़ा और 27 साल की उम्र तक लगातार पांच साल तक मैं जेल के एक पिंजरे में रहा। एक देशी रियासत की हुकूमत की जेल में रहा। उस समय कुछ और रियासतें नेशनलिस्ट हो सकती थीं। लेकिन वह एक सिख राज था। उससे पीछे शिरोमणि अकाली दल था। वहां की 70 प्रतिशत प्रजा सिख थी। जब मैं जेल से डिस्चार्ज हुआ तो मेरा ब्रेन वाश करने के लिए वहां के नेताओं और बड़े बड़े लोगों ने बहुत जोर लगाया। और मुझसे कहा कि सिख रियासत को क्यों तबाह करते हो, अगर लड़ना है तो इस रियासत से बाहर जाकर लड़ो, इस रियासत के अन्दर हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है और इस सिख राज को बचाना है। लेकिन मैंने उस वक्त इन्कार किया और उस इन्कार का नतीजा क्या हुआ? मुझको पांच साल जेल में रखने के बाद फिर नोटिस दिया गया या तो दुबारा जेल जाओ या फिर रियासत छोड़ जाओ। मैंने दोनों बातों को छोड़ा क्योंकि में दुबारा जेल नहीं जाना चाहता था। उस हुकूमत में पांच साल जो मुझे नर्क की तरह जिन्दगी काटनी पड़ी थी वह में नहीं चाहता था। उस हुकूमत में यह हिम्मत तो थी नहीं कि मुझे रेक्रेटेरियेट में लाकर अदालत के सामने पेश करती। मेरी और मेरे कोलिग्स की पेशियां जेल में होती रहीं। आखिर में कम्युनल लोगों ने यह प्रचार किया कि हम गुण्डे हैं हम इस रियासत को बर्बाद करना चाहते हैं। सिखों की रियासत में जो हमारे और पांच सौ आदमी थे उनकी तरफ से एक इश्तिहार निकाला गया कि ये गुण्डे हैं इनको सजा देनी चाहिए। 11 महीने के बाद हमको सजा सुनायी गयी और पांच साल की सजा सुनायी गयी।

डा० गोपीचन्द्र, मास्टर तारा सिंह, डा० सैफुद्दीन किचलू, आज वे दुनियां में नहीं हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की महाराजा को समझाने की कि क्यों खामखाह इनके खिलाफ आप करते हैं इनको छोड़ देना चाहिए। आखिर हमने कैद भुगत ली और इसका मुझे अफसोस नहीं है और मैं इसको कोई बहुत बड़ी कुरबानी नहीं समझता हूं लेकिन एक बात मुझे बड़ी तकलीफ देती है कि जब एक कम्युनल मूवमेंट है और मुल्क के खिलाफ है और उसमें कहीं जैलसिंह

जैसे आदमी का हाथ है, ऐसा हम सोच सकते हैं तो मैं समझता हूं कि दुनिया में इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती । इस समय मुझे शिब्ली आलम की याद आई । जब मंसूर को सजा दी गई कि उसको पत्थर मारो और उसको एक कोने में बिठा दिया गया । पत्थर मार मार कर इसको मार देना चाहिए और सब लोग उसको पत्थर मार कर चलते गए शिब्ली आलम उसका दोस्त था, वह जानता था कि यह आदमी निर्दोश है, फिर भी हुकूंमत के डर से उसने पत्थर के बजाए फूलों का एक गुंचा उसकी तरफ फैंक दिया तो मंसूर को बड़ा दुख हुआ शिब्ली आलम ने कहा कि जब पत्थर पड़ते हैं तब तुमको दुःख नहीं होता और मैंने फूल मारा तो तुमको दुःख होता है । उसने कहा कि उन लोगों को बात का पता नहीं है तुझे तो पता है कि मैं बे कुसूर हूं मेरा कोई कुसूर नहीं है इसलिए तुम मुझ पर पत्थर के बजाए फूल भी भी फेंकते हो तो मैं रोता हूं । जो वाजपेयी जी ने कहा, उनको पंजाब का उतना ज्ञान नहीं है जितना दिल्ली का या विदेशों का हो सकता है, मगर सूरजभान जी को तो पता है ।

इसी प्रकार से माथुर जी ने भी कहा और पंजाब के बी० जे० पी० के लोगों ने भी कहा लेकिन आप अपनी पीठ पर सोटा फेर कर देखो । तीन बार इन अकालियों के साथ सुख जिन्दर सिंह जो इस वक्त खालिस्तान के मूवमैंट की वजह से जेल में हैं, जगजीत सिंह और दूसरे दोस्तों के साथ सरकारें बनाई और हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा और समर मुखर्जी साहब की बात तो बहुत बड़ी है जितनी बार भी हमारे इलेक्शन हुए, आपकी पार्टी ने अकालियों के साथ समझौता किया और समझौता करके, एलाएंस करके वोट लिये और वोट दिये । इस बात का सबूत चाहते हैं तों डा० जगजीत सिंह को कांस्टीट्यून्सी में जाकर देख सकते हैं और जब वे बने ये मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर तो कोआर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे कामरेड सुरजीत जी थे और उस मिनिस्टरी में गुरुनाम सिंह मुख्य मन्त्री थे और जो आज भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रेसीडेंट हैं वे भी मिनिस्टर थे, दूसरे भी मिनिस्टर थे, मैं एक-एक आदमी का नाम बता सकता हूं आपने जिनके साथ दोस्ती रखी उनका कुछ तो लिहाज करो, अब उनके खिलाफ बात करते हो । खैर···

श्री मनीराम बागड़ी : यह बात आकाली दल के खिलाफ है वह तो एक पोलिटिकल पार्टी है, उसके साथ खालिस्तान का नाम नहीं जोड़ना चाहिए ।

श्री जैल सिंह : बागड़ी जी, मैं बड़ा मशकूर हूं कि आपने यह बात कही नहीं तो एक गलतफहमी रह जाती । अकाली दल की बात खालिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं जोड़नी चाहिए यह बात आपने बिल्कुल ठीक कही ।

खालिस्तान की आवाज उठाई अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी डा० जगजीत सिंह ने, जिस वक्त इन पार्टियों का एलाएंस हुआ, उस वक्त डा० जगजीत सिंह अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी थे । जिस वक्त दुबारा जनसंघ और अकालियों की सरकार बनी, उस वक्त सुखजिंदर सिंह वहां मिनिस्टर थे और वे ही फिर अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी बने । अब जब हमने

साफ तौर पर कह दिया कि जो खालिस्तान के हिमायती हैं, वे एक तरफ हो जाएं तो उन्होंने मैं मशकूर हूं उनका हमारे खयालात नहीं मिलते मगर मैं समझता हूं जिसे मैंने प्राइवेटली भी कहा और आज भी कहता हूं कि जो भी खालिस्तान के लोग हैं उनको साथ लेकर पोलिटिकल मूवमेंट पैदा करना चाहिए। लाठी और गोली से मारने के बजाए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि वे गलतफहमी पैदा न करें। खासतौर से सिक्खों को समझाने की जरूरत है कि वे फिरकेदारों के कहने पर चलते हैं।

भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, जनता पार्टी हमारे साथ है और इस मामले में हम उनके साथ हैं और शिरोमणि अकाली दल लोगोंवाल ने वादा किया है कि हम भी आपके साथ हैं और उनके जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट तो आ गया है अभी तक लोगोंवाल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया।

इस प्रकार हम इन बातों पर आंख रख रहे हैं, लेकिन हमारा विरोधी हो, इलेक्शन में विरोधी रहे, लेकिन यह तो सरकार से ऊपर कौम की बात है। जो सिसैशनिस्ट ताकतें हैं, जहां वे सिर उठाती हैं वहीं उनको दबा दिया जाए मैं समझता हूं कि यही बात अच्छी है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसी मूवमेंट नेगोशिएबल नहीं है, हम खालिस्तान के हिमायतियों के साथ कोई बात करने को तैयार नहीं हैं उस वक्त तक जब तक वे यह न कह दे कि मैं हिन्दुस्तान के आइन को मानता हूं, यहां का सिटिजन हूं और मेरे कुछ विचारों में मतभेद है। उससे यह बात करने को तैयार है। बात करेंगे, उनके मामलों को समझने की कोशिश करेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : पुरी के शंकराचार्य के बारे में भी तो बता दें।

श्री जैल सिंह : कोई बात नहीं छोड़ूंगा। बागड़ी जी की तो कोई बात नहीं छोड़ूंगा। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद भी अगर उनकी कोई बात रह जाए तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनको पूछने दिया जाए ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। वैसे तो हाउस की तसल्ली कराना मेरा फर्ज है लेकिन बागड़ी जी के साथ मेरा बड़ा प्यार है और उनकी मैं तसल्ली करवाना अपना विशेष फर्ज समझता हूं। वह मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूं।

समर मुखर्जी ने हमारे ऊपर जोर से इलजाम लगा दिया है। वह समाजवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, सैक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं, डैमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। वह कह रहे थे कि संतोख सिंह को प्रेजीडेंट बनाया। संतोख सिंह अकाली हैं। उसका एक अकाली दल है। जो अकाली दल हमारी सरकार का साथ देता हो किसी मालले में वह हमारे साथ मिल भी सकता है, बातचीत कर सकता है। हम तैयार हुए। गुरुद्वारे के चुनाव के लिए गुरुद्वारा एक्ट में तरमीम की गई। तरमीम के लिए यहां दिल्ली की जो गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी है, उनका रेजोल्यूशन हमारे पास आया कि यह क्लाज बदलना चाहिए। उस पर गौर हमने किया। हमने सबसे बड़ी कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के एक्ट को देखा। उस एक्ट में यह क्लाज नहीं थी, यह शर्त नहीं थी कि कोई आदमी मैट्रिक से कम होगा तो प्रबन्धक कमेटी में ओहदेदार नहीं बन

सकता। और भी किसी एक्ट में ऐसी बात नहीं थी। हमारी कांस्टीट्यूशन में प्रेजीडेंट तक के लिए भी यह बात मानी नहीं गई है। इसलिए वह बादलील बात थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के प्रेजीडेंट सरदार गुरचरण सिंह टोहरा ने भी जब यह एक्ट पास हुआ था तो कहा था कि यह गलत शर्त लगा रहे हो और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। एक वह भी मौजूद थी चीज। हमने जब तरमीम की तो जिन्होंने उस वक्त चाहा था वे भी हमारे खिलाफ हो गए, कहने लगे इसलिए खिलाफ है कि आपने एक वाहिद आदमी को प्रेजीडेंट बनाना है, इसलिए कर रहे हैं। हमने कहीं कोई एनाउंसमेंट नहीं की। वाजपेयी जी को अच्छी तरह से याद होगा कि दोनों हाउसिस में संतोख सिंह जत्थेदार को बनाना चाहते हैं इसलिए इसको ला रहे हैं यह बार-बार कहा गया। नतीजा यह हुआ कि संतोख सिंह का नाम और तेज हो गया। उनका कैंडीडेचर और भी मजबूत हो गया और वह चुन लिए गए। जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त मैम्बर मेरे पास भी आए और उन्होंने मेरी राय मांगी। मैंने कहा कि मैं तो आपका मैम्बर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आप सिख तो हैं। मैं इससे कभी मुनकिर नहीं हुआ। मैं सैक्युलरिज्म में विश्वास रखता हूं और उस पर अमल करता हूं। मेरी नजर में दुनियां का हर इन्सान एक जैसा है। सिखी से ही मैंने यह बात सीखी है। गुरू गोविन्द सिंह और गुरू नानक से सीखी है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिन आदर्शों पर चले वही आदर्श हमको उन्होंने बताए थे। मैंने पूछा कि आप बताएं कि क्या मेरी राय लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बताएं कि वोट किसको देना चाहिए। दो कैंडीडेट हैं। एक तो अपना बहुत नजदीकी दोस्त है। वह अकाली दल की तरफ था। अकाली दल ने उसको इसलिए खड़ा किया था कि ज्ञानी जैल सिंह खामोश रहेंगे। अकाली दल स्टेज पर हमारी बहुत मुखालिफत करता है। संतोख सिंह कहते थे कि यही सरकार है जो माइनोरिटीज का भला कर सकती है। हमारा वह मैम्बर नहीं। मैंने कहा कि संतोख सिंह को वोट देना चाहिए, यह मेरी राय है। सरदार बूटासिंह की भी यही राय थी। इसको बना लिया कि हकूमत दखल देती है। मेरे दोस्तो आप यह तो सोचें कि पंजाब सरकार का मिनिस्टर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का जनरल सैक्रेटरी हो फिर सरकार का दखल नहीं है? सैन्ट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हो और फिर यहां चुनाव हो तो उसमें जाकर रुपया बांटता फिर तो यह सरकारी दखल नहीं है? यह सरकारी दखल सफेद पगड़ी वाले का ही है, काली पगड़ी वाले का नहीं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दोनों का है।

श्री जैल सिंह : दोनों का है तो आप उनको सही राय दीजिए पुरानी दोस्ती के नाते। हम कम्युनिस्टों से भी प्रार्थना करते हैं, कोई दुश्मन थोड़े ही हैं वह हमारे। और हम तो यह समझते हैं कि आपके और हमारे दिल में यह होना चाहिए कि आपकी वजह से हम हैं और हमारी वजह से आप हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : पकड़े गए ज्ञानी जी इस दफा।

श्री जैल सिंह : मैं जैल सिंह नहीं कहता, मैं पार्टी के रूप में कहता हूं। अगर यह बात हम मान लें तो हमारी क्या हैसियत रह जाती है। अगर यह हमारी बात मान लें तो इनकी क्या हैसियत रह जाती है। मैंने इसलिए कहा कि आप हमारे विरोधी हैं इसलिए आप जिन्दा हैं, हम जिन्दा हैं। मैं माननीय वाजपेयी जी को ही नहीं कहता, सबको कहता हूं। और प्रो० दंडवते साहब तो बहुत ही विद्वान आदमी हैं, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, लेकिन डेमोक्रेसी जिन्दा नहीं रह सकती जब तक अपोजीशन न हो। यह तो शृंगार है डेमोक्रेसी का और हुक्मरान पार्टी के लिए खूबसूरती पैदा हो सकती है। और अगर आप रहें तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हम यह नहीं कर सकते कि आपको मजबूत करने के लिए भी हम आपका काम करें। यह हमारे लिए मुश्किल है, यह हम नहीं कर सकते हैं।

माननीय चन्द्रजीत यादव की बात से मुझे हैरानी है, उन्होंने उत्तम बात कही कि यह डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है। यहां तो हमें महत्वपूर्ण बात पर सोचना चाहिए। फिर कहते हैं कि गुरुद्वारों में दखल न देते। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि सब हमें ही कहते हैं कि नीची नजर रखकर चला करो। मगर उन्हें कोई क्यों नहीं कहता कि वह रियाँ हो कर न निकलें। उनको भी बताइये कि गुरुद्वारों में बैठकर क्यों दखल देते हो सियासत में ? गुरुद्वारों में क्यों बम बनने लगे हैं ? मिसक्रीयेंट ऐलीमेंट्स को क्यों रखा है ? क्यों नहीं कहते उनको आप ? हम भी गुरुद्वारे में जाते हैं अपने हाथ से 2, 4 पैसा चढ़ाते हैं, कड़ा परशाद भी करवाते हैं। हमारे ऊपर पाबन्दी और उनको खुली छुट्टी की जो चाहें करें ? फिरकेदारी का प्रचार गुरू ग्रंथ साहब की मौजूदगी में हो ? मैंने तो वहां जाकर किसी की निन्दा नहीं की, किसी के खिलाफ मुर्दाबाद या जिन्दाबाद नहीं किया, किसी को ऐड्रस नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि वह धार्मिक स्थान है। मैं महसूस करता हूं और तमाम धर्मों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप भी कोई कोर्ड आफ कंडक्ट बनाएं कि जो मन्दिर, गुरुद्वारों के प्रबन्धक हैं, मस्जिद के मुल्ला हैं वह या तो मौलानापन छोड़े या सियासत को छोड़े। मुल्ला बनकर टांग अड़ाते हैं और उनके साथ जाकर फिर आपकी उनसे मुलाकात होती है। किस-किस की बताऊं मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके सिरे उठाते हैं, हमारे खिलाफ झगड़ा खड़ा करते हैं। भाई जब इमाम बन गए तो इमाम रहो। जब तक गुरू महाराज का प्रबन्ध करने के लिए गुरुद्वारे में रहो तब तक वह न पार्लियामेंट का मेम्बर हो, न असेम्बली का मेम्बर हो और मैं तो यहां तक कहता हूं मिम्युनिसिपल कमेटी का मेम्बर भी न हो।

माननीय समर मुखर्जी का जो भाषण है उसमें तकरीबन सारी चीजें आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि फौरेन पावर इन्टरेस्टेड हैं। इसकी बाबत हमारे राज्य मन्त्री ने जो कह दिया वह काफी है। मिनिस्टर होने के नाते मैं आपकी बात पर एतबार कर लूं इतना ही काफी समझिये। मैं इसकी तरदीद नहीं करता। न मैं यह कहता हूं कि फौरेन पावर इसमें दखल दे रही है, और न मैं यह कहता हूं कि नहीं दखल दे रही है। इसके माने आप लगा लीजिए। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर घर मन्त्री यह बात नहीं बतायेगा तो उसका मतलब क्या है ?

श्री जैल सिंह : घर मन्त्री ने तो बता दिया ।

श्री मनीराम बागड़ी : घर-मन्त्री अगर यह बात नहीं बताएंगे तो उसका मतलब सारे देश···

श्री जैल सिंह : घर-मन्त्री ने तो बता दिया ?

यह खाका मैंने बता दिया । ये डालर, नोट जो मुखर्जी ने दिखाये, यह कहां छपे हैं ? हमारे मुल्क में तो नहीं प्रिंट हुए ? एक अमेरिकन सिटीजन आता है, हम बातचीत कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, वह हमारे साथ लड़ना ही चाहते हैं या दखल देना चाहते हैं । जब तक किसी मुल्क की सरकार का कोई ओहदेदार इस काम में दखल देते हुए नहीं पकड़ा जाता, तब तक हम इस बात के लिये नहीं कह सकते । वाजपेयी जी हमारी हिमायत करेंगे ।

गुजरात के मामले में भी समर मुखर्जी की जो बात है, मैं कहता हूं कि उनको ख्याल गलत है । इन्होंने कहा कि कांग्रेस (आई) ने इस माकले को उठाया, कई पार्टियों के आदमी थे उठाने वाले । वह बात खत्म हो गई । यह रैज्यूलूशन हो गया था कि हम सब रिजर्वेशन के हक में हैं । इसलिये मैं उसका जवाब दूंगा कि यह मानना आपका गलत है, दुरुस्त नहीं है ।

जनरल स्पैरो, श्री गिरधारी लाल डोगरा और श्री सूरजभान के भाषण बड़े अच्छे हुए हैं, उनका जवाब मैंने दे दिया है । मेरा ख्याल है कि सूरजभान जी आगे के लिए ख्याल रखेंगे । अगर बी० जे० पी० ने यही तरीका अपनाया है कि लड़ाई चले, कुछ कातिल पकड़े नहीं गए हैं, यही मौका है कि उनमें फूट डालें तो डाली जा सकती है, इस तरीके की कोई भावना हो सकती है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, नहीं ।

श्री जैल सिंह : नहीं, कई बार आप लड़ाते हैं, हम लड़ जाते थे, आप खुश होते होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि जब वह जेल में थे, तब आपका जन्म भी हुआ था ?

श्री सूरजभान : श्रीमान, मेरी अवस्था 53 वर्ष है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बीसों वर्ष तक वह जेल में थे ।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनको जानता हूं, यह मुझे जानते हैं, लेकिन—

मन जानत सब बात, जानत ही औगन करे
काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं पड़े।

जब कोई हाथ में दिया लेकर कुयें में गिर जाये तो क्या किया जाये ? जागते को, अगर वह कहे कि मैं सोया हुआ हूं, तो कोई जगा नहीं सकता। लेकिन वह पार्टी का काम करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यह मामला पार्टी से ऊपर है, कहीं और मामले में मौका मिले तो लड़ाई करवा ले लेकिन इसमें लड़ाई नहीं करवा सकेंगे क्योंकि यह मामला बहुत गम्भीर है। इस मामले में मैं अपोजिशन के मुख्य मन्त्री से भी को-आपरेट करता हूं और दिल से करता हूं क्योंकि यह देश का सवाल है। आपको मालूम है कि सी० पी० (एम०) के मुख्य मन्त्री त्रिपुरा में हैं, त्रिपुरा में भी ऐसे ही हवा बदली। वहा के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से या हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमने मदद नहीं दी। हम मदन देते हैं। तो जब अपनी पार्टी का मुख्य मन्त्री हो और कांग्रेस (आई) का ही होम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर का स्पीयर और कब तक यह मानेंगे कि होम मिनिस्टर के साथ मुख्य मन्त्री लड़ता हैं या गृह मन्त्री लड़ता है। यह बात मानने में नहीं आती और बिल्कुल बेबुनियाद बात हैं। मेरा ख्याल है कि आइन्दा कहना छोड़ देंगे और वाजपेयी जी भी आपको कह दें कि क्यों इस बात को कहते हैं।

एक माननीय सदस्य : बात हो गई है आपकी वाजपेयी जी से ?

श्री जैल सिंह : नहीं रुकेंगे तो हमारे पास भी बड़ा मसाला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आप धमकी भी दे रहे हैं ?

श्री जैल सिंह : एक बात यहां हर सिमरण सिंह के बारे में कही गई कि उसने मेरा स्वागत किया था। अगर हर सिमरन मेरे सामने आये तो मैं शायद उसे पहचान भी नहीं सकूंगा। मुझे मालूम नहीं कि कौन है। यह हो सकता है कि मेरे स्वागत में जो लोग आये हों, उसमें वह भी हो। किस नियत से आया, कैसे आया मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर सिमरन को आप जानते हैं, तो आपको उसको बता देना चाहिए। आपने एक बात कही कि दिल्ली में आया हुआ है। यह बड़ी अच्छी बात है, वह दिल्ली में आया है पार्लियामेंट का एक मेम्बर उसको जानता है कि दिल्ली में आया है तो आप आज ही हमारे आई० जी० को मिलें और उसको पकडवा दें। मैं आई० जी० को आपके साथ भेजता हूं, पकड़वा दीजिये। यह तो देश के दुश्मन हैं, जिन्होंने हाई जैकिंग किया और वह खालिस्तान का स्लोगन लगाते हैं, उनको पकड़वा दीजिये मैं भी देख लूं कि हर सिमरण सिंह मेरे स्वागत में था या नहीं।

सूरजभान जी, करिये परोपकार, डरिये नहीं, दिलेरी कीजिये। लेकिन यह हमारी पुलिस के नोटिस में नहीं है कि कहां रहता है, कहां आया है ? दिल्ली एक बड़ा शहर है, हिन्दुस्तान की राजधानी है, 4 लाख लोग आते हैं, 4 लाख जाते हैं। अगर आपको मालूम है, तो आपको पकड़वाना होगा। अगर आप नहीं पकड़वायेंगे, तो यह समझा जाएगा कि आप

खालिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं। इसलिए आपको यह बताना ही पड़ेगा। कोई आदमी पहले कह दे कि मैंने देखा है और फिर कह दे कि नहीं देखा है, नुकसान होगा।

श्री मुकर्जी और दूसरे दोस्तों का यह कहना दुरुस्त है कि हिन्दुओं या सिखों के नाम पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में मजहब के नाम पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्हें एक गलफहमी हो गई है। अकालियों के साथ जो पहली मीटिंग हुई उससे पहले जो बात चंडीगढ़ में हुई, उसमें सब पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। मीटिंग से पहले यह फैसला दिया गया कि प्रधान मन्त्री जी कुछ टाइम अलहदा-अलहदा सब पार्टियों को देंगी। सब पार्टियों ने अलहदा अलहदा टाइम लिया। भारतीय जनता पार्टी पहले मिली। बेशक वह मेरे खिलाफ हो, लेकिन मैं उनका आदर करता हूं। अकाली कुछ संकोच करते थे, क्योंकि उनका आपस में झगड़ा था और वे डरते थे कि दूसरा धड़ा कह देगा कि क्यों मिले। लेकिन वे भी मिले। इन्दिरा जी से बात हुई।

प्रैस कांफरेंस में एक प्रैस वाले ने कह दिया कि प्रधान मन्त्री जी, अकालियों ने आपको मिलने के लिए लेटर लिखा था आप उनसे क्यों नहीं मिलती। इन्दिरा जी ने कहा कि मैं तो मिलने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं तो कल विदेश जा रही हूं, वापस आकर मिलूंगी। अकालियों को बुलाया गया। जब अकालियों को बुलाया गया, तो तारें आई आर्य समाज, सनातन धर्म और जैन सभा वगैरह से। उन्होंने कहा कि हमको भी मिलें। प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि ठीक है। निरंकारी मिले, नामधारी मिले जैन मिले और सनातन धर्म वाले भी मिले। ये सब मिले, लेकिन रंगत यह दे दी गई कि सिखों को बुला लिया गया। इससे तो हमारा नुकसान होता है मैं नहीं मानता कि अकाली सब सिखों के नुमायंदे हैं। वह एक पोलीटिकल पार्टी है। उनसे हमारा विरोध तो यही है कि पालिटिक्स में मजहब को क्यों घसीटते हैं, पालिटिक्स और और मजहब को अलग रखो। लेकिन मैं नहीं मानता कि वे सब सिखों के नुमायदे हैं, अगर होते, तो यहां बैठे होते।

श्री यादव ने गलती से कह दिया कि आम सिख बहुत नाराज हैं। आम सिख कोई नाराज नहीं हैं। ये जो थोड़े से लोग है अगर इनको मिनिस्ट्री मिल जाय पंजाब की सरकार में, तो इनकी कोई डिमांड नही है फिर चंडीगढ़ भी ठीक है पानी का मामला भी ठीक है, अमृतसर को जाने वाली ट्रेन भी ठीक है, पंजाबी भाषा भी ठीक है तब कोई शिकायत नहीं होगी। दो तीन बार यह हो चुका है श्री वाजपेयी की पार्टी की कृपा से यह होता रहा है। इनकी पार्टी ने नाम बदल लिया है। पहले इनका नाम भारतीय जनसंघ था और अब ये भारतीय जनता पार्टी हो गए हैं। लेकिन मैं उनके विचारों से सहमत हूं। उन्होंने यह राय दी है कि सिखों और हिन्दुओं के नाम पर नहीं बुलाना चाहिए। यह बहुत मूल्यावान है, लेकिन उन्हें गलत फहमी हुई है। हमने ऐसा नहीं किया है। फिर इन्दिरा जी ने अकालियों से मुलाकात की,

तो दूसरी पोलीटिकल पार्टियां भी आई—भारतीय जनता पार्टी, सी पी आई (एम) और कांग्रेस (आई) आई। बाकी नहीं आ सके। लेकिन दरवाजा फिर भी खुला है। अगर कोई मिलना चाहेगा तो हम उनसे मिलेंगे।

हम कोई बात छिपाकर नही रखते। आपको मालूम है कि गृह मन्त्रालय से संबंधित जो कनसल्टेटिव कमेटी है, उसमें आपोजीशन के तकरीबन सब नेतागण शामिल हैं। शायद ही कोई पार्टी उसमें शामिल न हो। उसकी मीटिंग होती रहती है। उसमें भी हम इस मामले को डिसकस करते हैं। हम कोई बात छिपा कर नहीं रखना चाहते। हम सब ऊंचे दर्जे की डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। जो बात बतानी है, बतानी चाहिए, देश के हित वाली कोई बात हम कभी नहीं छिपाते, लेकिन कभी कभी पब्लिक में नहीं कहा जा सकता।

श्री मनीराम बागड़ी : हिन्दू वचाओ सम्मेलन में सरला पराशर शामिल हुई और उसमें सिखों के खिलाफ भाषण किए गए, इस बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है।

श्री जैलसिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आप श्री बागड़ी से कहें कि वह मेरी शराफत का नाजायज फायदा न उठाएं।

श्री मनीराम बागड़ी : इसमें शराफत का नाजायज फायदा उठाने का क्या सवाल है? मैं भी हाउस की मेम्बर हूं। मुझे भी सवाल पूछने का अधिकार है। **(व्यवधान)**

श्री जैलसिंह : आपने श्री परुलेकर और भाटिया साहब की तकरीरें भी सुन ली हैं। एक दोस्त कह रहे थे कि सिगरेट पीने के वह भी वरखिलाफ हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी वरखिलाफ हूं। सिगरेट पीना नहीं चाहिए। वह कह रहे थे कि जोर जवर्दस्ती से बन्द मत करिए। तो प्रचार करेंगे। वह भी चलेंगे हमारे साथ।

भगत जी की तकरीर आप ने सुन ली। बहुत शानदार तकरीर थी। चिरंजी लाल जी की भी थी। चित्त बसु जी की तकरीर आप ने सुनी। बहुत अच्छा उन्होंने कहा। मैं प्रशंसा करता हूं। फारूक अब्दुल्ला का मुझे कुछ ऐसा लगा, वह बैठे होते तो मैं उनको कहता कि यह बात अच्छी नहीं है, कि हम भिखारी हैं। हम कोई भिखारी नहीं हैं। और मैं इस बात के लिए भी बड़ा साफ हूं जो कहा जाता है स्टेट्स को और आटोनामी दी जाय। इस मामले में कई बार कुछ लोग कह देते हैं। मैं उनको विरोधी तो कह सकता हूं उनके विचारों को देश के लिए गद्दार नहीं कहता, मगर उनसे यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि जहां मुल्क की यूनिटी को कहीं भी कमजोर होने का मौका मिले ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सेंटर का मजबुत होना रियासतों का मजबूत होना है और रियासतों का मजबूत होना है और रियासतों का मजबूत होना सेंटर का मजबूत होना है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है और यह जो हाउस है इसमें सब प्रान्तों से लोग आए हैं। सब प्रान्तों के लोग हैं। सब प्रान्तों से लोग आकर यहां मन्त्री बने हैं। अपोजीशन के मेम्बर भी

जानते मैं, उनकी सरकार बनी तब भी सब प्रान्तों के लोग थे। यहां भी सब प्रान्तों के लोग हैं। यहाँ कभी पंजाब कभी पंजाब का होम मिनिस्टर नहीं बना, वह बन गया। कभी फोरन मिनिस्टिर आंध्र का नहीं बना, वह बन गया। हर एक को उसमें सुविधा है। इसके अलावा हमारी राज्य सभा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि गलत फहमी होगी अगर इस ढांचे को बदलने की कोशिश हुई। हमारे संविधान में जितने जितने दर्जे, जितने जितने अख्त्यार दिए गए हैं वह कोई कम नहीं हैं और उसमे यह भावना पैदा करना कि हमें मांग करनी पड़ती है, किसी के आगे थोड़े ही मांगना पड़ता है ? अब कल को तामिलनाडु वाले कह दें कि हम खजाना मंत्री के पास माँगने गये थे तो खजाना मन्त्री भी तो वहीं के हैं। अगर खजाना मंत्री वहाँ के मुख्य मंत्री होते तो क्या बात बनती ? इसलिए यह भावना पैदा करना, जजबात को उभाड़ना, यह हमारे लिए उतना ही बुरा है जितना कम्यूनलिज्म को या कास्टीज्म को उभाड़ना बुरा है।

(व्यवधान)

मैं तो सिर्फ अपना रेकार्ड ठीक कर रहा हूं। आप तो सब समझते हैं। मुझे आप को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है। प्रेस भी बहुत मायूस हो गया। पता नहीं यह उसको छापेंगे या नहीं। वहाँ गैलरी में तो कोई बैठा नहीं है।

श्री मनी राम बागड़ी : छापने वाली बात तो कह नही रहे हैं। वह आपके पंजाब के अध्यक्ष वाली जो बात है, सरला पाराशर की उस के बारे में आप बताइए।

श्री जैल सिंह : मैं इस बात के खिलाफ हूं, जहाँ धर्म के नाम पर राजनीति की चर्चा हो वहां सेक्युलर पार्टियों के मेम्बरों को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर मिली है, अभी मेरी सरला पाराशर जी से बात नहीं हुई, लेकिन मुझे खबर यह मिली है कि उन्होंने यह बताया था कि वह हिंदू धर्म का सम्मेलन है धार्मिक, इस ख्याल से वह वहां गई थीं। उनकी जो तकरीरें है वह कोई आबजेक्शनेवल नहीं है। मगर जो बाकी तकरीरें हुई हैं वह उचित नहीं हैं। यह भी आप जानते हैं हैं कि भारत के जो जगदगुरु शंकराचार्य हैं उनमें जो यह जलन्धर गए थे उनके विचार हरिजनों के प्रति अच्छे नहीं हैं। वह हरिजनों को मन्दिर में ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो में तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि शंकराचार्य जी को वह यह ताकत दे कि वह हरिजनों के साथ भेदभाव की बात को छोड़ें।

श्री रामविलास पासवान : इलेक्शन के समय इन्दिरा जी चारों शंकराचार्य के पास क्यों गई थीं ?

श्री जैलसिह : देखिए, मेरी बात सुनिए। क्या कहेंगे आप अगर मैं बनारस जाऊं और मन्दिर में चला जाऊं मैं अगर किसी भी मन्दिर में चला जाऊं तो मैं मन्दिर में जाता हूं, मैं वहा के पुजरी के पास नहीं जाता। पुजारी के क्या विचार हैं, क्या ख्याल हैं उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं अमृतसर के गुरुद्वारा में चला जाऊं तो क्या आप कहेंगे कि मैं अका

लियों के साथ क्यों गया? तो ये तो मन्दिर हैं हमारे, पवित्र स्थान हैं। इन्दिरा जी टूर में सब जगह गई थीं। जिस जगह उनके रास्ते में, उनके टूर के दौरान कोई धार्मिक स्थान हुआ, मुसलमानों का हुआ, हिन्दुओं का हुआ, सिखों का हुआ, किसी का भी हुआ वहां वह गई। मैं तो समझता हूं हुक्मरानों का जो मजहब होता है वह लोक-मजहब होता है।

उनको सत्कार करना चाहिए। जहां लाखों इन्सान सत्कार करते हैं वहां उनको भी सत्कार करना चाहिए। आपको शायद मालूम होगा कश्मीर में बहुत से ऐसे बुत थे जो बहुत शानदार थे लेकिन वक्त की हुकूमत ने उनको तुड़वा दिया। लेकिन एक सेक्युलर खयाल का इन्सान था, वह भी बुतशिकन था। एक बुतशिकन दूसरे बुतशिकन के पास गया, उसकी तारीफ की और कहा कि बुतों को खत्म करना चाहिए तो दूसरे ने कहा कि बुतशिकन मैं भी हूं लेकिन इनको खत्म नहीं करूंगा क्योंकि लाखों आदमियों के जजबात इन बुतों के साथ जुड़े हुए हैं। बेशक यह बुत पत्थर के हैं लेकिन इनको तोड़ने से लाखों दिलों के टुकड़े होते हैं इसलिए इनका सत्कार करना चाहिए। इसलिए अगर इन्दिरा जी वहां पर गई हैं तो उन्होंने दुरुस्त किया है, ठीक किया है। अगर मौका मिले तो आपको भी वहां पर जाना चाहिए और हमको भी जाना चाहिए।

मेरे एक दोस्त ने यहां पर कहा कि मजहब को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरी भी उनसे प्रार्थना है कि वे इस बात को कहें कि मजहब के ठेकेदारों को धर्म का प्रचार करके इसमें दखल नहीं देना चाहिए। मजहब के नाम पर इसमें दखल नहीं होना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप आखिर में बहुत कुछ कह गए हैं लेकिन कोई खास ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है।

श्री मनीराम बागड़ी : उन्होंने मण्डल कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए कहा है।

श्री जैल सिंह : एक बात यह कही गई कि एन० एस० ए० का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है—शायद पासवान जी ने यह बात कही है।

श्री मनीराम बागड़ी : एक बात उन्होंने यह कही थी कि कृपाण पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

श्री जैल सिंह : यह भी गलती कर गए—पहले वे छुरी कह गए, कृपाण को छुरी नहीं कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : जिस कृपाण को दिखाकर हवाई जहाज को हाईजेक किया जाए, उस कृपाण को कृपाण कहना उचित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : आनरेबल मेम्बरों से में यही प्रार्थना करूंगा कि यह जो धार्मिक स्थान का बहाना करके पुलिस को वहां जाने से रोका जाता है, इस मामले में हम सभी को एक राय

बनानी चाहिए। ठीक है, कुछ मजबूरियां थीं, सरकार अन्दर नहीं घुसी ताकि ज्यादा ब्लड-शेड न हो जाए लेकिन यह धारणा गलत है। गुरद्वारा या मन्दिर वह स्थान होता है जहां पर कि प्रकाश होता है, वाको जहाँ पर सोते हैं, जागते हैं, उठते-बैठते हैं और जहां पर पोस्ट-मार्टम हो सकता है वहां भी पुलिस नहीं जा सकती है—इसका क्या मतलब है ? मैं समझता हूं इस मामले में अपोजीशन वालों का मिलवर्तन हमें चाहिए वरना फिर आप कहेंगे कि यह क्या किया, आप अन्दर घुस गए। इसलिए यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सभी धार्मिक स्थानों का आदर सत्कार होना चाहिए और अगर कोई बे-अदबी करता है तो उसको रोकना भी सरकार का काम है लेकिन ऐसी कोई पाबन्दी लगाई जाए यह दुरुस्त नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तब पुलिस बुला लेते हैं। यहां पर जब गुरद्वारों का एलेक्शन हो रहा था तो दोनों पार्टीज ने कहा कि पुलिस भेज दो।

श्री मनीराम बागड़ी : सरदार सन्तोख सिंह ने बुलाया था।

श्री जैल सिंह : नहीं, दूसरे ग्रुप ने भी बुलाया था। लौंगोवाल ग्रुप ने भी कहा कि पुलिस भेज दो और हमने पुलिस भेजी। तो वहां पर जब जरूरत पड़ती है तब पुलिस मंगवा लेते हैं। इसलिए आप इस मामले में हमारा साथ दीजिए और लोकमत पैदा कीजिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेता हूं।

---

8 15 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2 दिसम्बर, 1981/11 अग्रहायण, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक— आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।